दशम माला, खंड 5, अंक 46

शनिवार, 14 सितम्बर, 1991
23 भाद्र, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

पहला सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 5 में अंक 41 से 49 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

(मूल्य : चार रुपये)

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रमाणिक नहीं माना जावेगा।]

लोक सभा वाद विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शनिवार, 14 सितम्बर, 1991 / 23 भाद्र, 1913 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
140	पाद टिप्पण	"विकास किया" के स्थान पर "निकाल दिया" पढ़िये।
214	नीचे से पंक्ति 13	"श्री तेजनारायज सिंह" के स्थान पर "श्री तेजनारायण सिंह" पढ़िये।
243	5	"श्री राऊ" के स्थान पर "श्री दाऊ" पढ़िये।

विषय-सूची

दसम माला, खण्ड 5, पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 46, शनिवार, 14 सितम्बर, 1991/23 भाद्र, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
पटल पर रखे गए पत्र	33—35
...भा से संदेश	35
...समिति	35—36
...निवेदन	
...ाक 2) विधेयक	36—101
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री मनमोहन सिंह	36
खण्डवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	48—86
श्री मनमोहन सिंह	40
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	86
श्री चन्द्रजीत यादव	87
श्री निर्मल कांति चटर्जी	89
श्री नाथू राम मिर्धा	92
श्री जार्ज फर्नान्डीज	94
श्री भोगेन्द्र झा	95
श्री सोमनाथ चटर्जी	99
दि बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल (ओवरसीज) लिमिटेड के बन्द होने के बारे में प्रस्ताव	102—196
श्री जसवन्त सिंह	102

विषय	पृष्ठ
श्री दिग्विजय सिंह	107
श्री जार्ज फर्नान्डीज	116
श्री सोमनाथ चटर्जी	121
श्री विजय एन० पाटिल	176
श्री छीतू भाई गामित	178
श्री विजय कुमार राजू	181
श्री मनमोहन सिंह	182
जम्मू और कश्मीर बजट, 1991-92—सामान्य चर्चा तथा अनुदानों की मांगें (जम्मू और कश्मीर)	**196—233**
प्रो० प्रेम धूमल	199
श्री अयूब खां	202
श्रीमती सुशीला गोपालन	207
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही	210
श्री जार्ज फर्नान्डीज	212
श्री मदन लाल खुराना	217
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	220
श्री तेज नारायण सिंह	222
श्री बाऊ दयाल जोशी	224
श्री ए० चार्ल्स	226
श्री इन्द्रजीत	228
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	229
श्री शांताराम पोतदुखे	230
जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	**233—235**
श्री शांताराम पोतदुखे	233

विषय	पृष्ठ
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री शांताराम पोतदुखे	233
खण्डवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री शांताराम पोतदुखे	233
श्री सैफुद्दीन चौधरी	234
स्वैच्छिक निक्षेप (उन्मुक्ति और छूट) विधेयक	235—249
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री मनमोहन सिंह	235
श्री भगवान शंकर रावत	236
श्री विलास मुत्तेमवार	238
श्री भोगेन्द्र झा	239
श्री गिरधारी लाल भार्गव	241
श्री दाऊ दयाल जोशी	242
श्री सुधीर गिरि	244
खण्डवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री मनमोहन सिंह	249
नियम 377 के अधीन मामले	250—252
(एक) नाइजीरिया द्वारा भारतीय छात्रों को प्रदान की गई चिकित्सा उपाधियों को मान्यता देने की आवश्यकता	
श्री ए० चार्ल्स	250
(दो) बिलासपुर (मध्य प्रदेश) विश्वविद्यालय को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री खेलन राम जांगड़े	250
(तीन) पूरा-मिराज-कोल्हापुर रेलवे सेक्शन को सेन्ट्रल जोन के अन्तर्गत लाए जाने की आवश्यकता	
श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण	250
(चार) उत्तर प्रदेश सरकार को प्रतिव्यक्ति आय को बढ़ाकर राष्ट्रीय स्तर के बराबर लाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री भगवान शंकर रावत	251
(पांच) एक अलग बोडोलैंड राज्य बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री सत्येन्द्रनाथ ब्रह्मो चौधरी	251

लोक सभा

शनिवार, 14 सितम्बर, 1991/23 भाद्र, 1913 (शक)

लोक सभा 11.01 म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली के बारे में कहना चाहता हूं । यह कहा था कि···

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको टाईम नहीं दे रहा हूं ।

श्री मदन लाल खुराना : आपने कहा था कि आपको टाईम दिया जाएगा और दो दिन हाउस बढ़ गया है···

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको टाईम नहीं दे रहा हूं । मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी को टाईम दे रहा हूं ।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, हम सहमत हैं कि आज शून्यकाल नहीं होगा । मैं शून्यकाल के लिए कोई निवेदन नहीं कर रहा हूं, किन्तु यह गम्भीर राष्ट्रीय मामला है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज मुझे आशा है कि वरिष्ठ सदस्य कनिष्ठ सदस्यों को जिन मुद्दों पर वे चिन्तित हों, उठाने की अनुमति देंगे ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण देश को प्रतिदिन घाटा हो रहा है । मुझे ज्ञात हुआ है कि प्रतिदिन 30 करोड़ रुपए का घाटा होता है । इस हड़ताल के कारण कच्चे तेल और गैस का उत्पादन पूर्णतः बन्द है । पूरे देश में जहां कहीं तेल का उत्पादन होता है, हम प्रतिदिन 5,60,000 बैरल तेल का उत्पादन करते हैं । देश में 27,000 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन होता है । प्रतिदिन लगभग 50,000 गैस सिलिंडरों का उत्पादन होता है । अब उत्पादन में रुकावट पैदा हो गई है ।

यह हड़ताल अपने उन साथियों, जिन्हें उल्फा ने असम में बन्धक बना रखा है, को छुड़ाने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा उचित वार्ता आरम्भ न किए जाने के कारण हुई है। कुछ दिन पहले, उनके एक साथी श्री बी० एस० राजू की हत्या कर दी गई थी। इससे असम में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के श्रमिकों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। उनका यह भी कहना है कि यथोचित वार्ताएं नहीं की जा रही हैं और स्थिति का मुकाबला करने के लिए वहां उचित प्राधिकार वाले लोग तैनात नहीं किए गए हैं। असम में 'उल्फा' की समस्या से निपटने के तरीकों के बारे में भी अनेक प्रश्न अभी शेष हैं। उन्होंने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों को छुड़ाने के लिए किसी लेन-देन के बिना ही सरकार की हिरासत में बन्द उल्फा कार्यकर्त्ताओं को आममाफी दिए जाने पर भी गम्भीर आपत्ति की है। यह गम्भीर स्थिति है क्योंकि यह केवल तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों और हमें हो रहे प्रतिदिन के घाटे का ही मामला नहीं है।

इस समय वित्त मन्त्री यहां हैं। शंकरानन्द जी गेट पर खड़े हैं। वह अन्दर क्यों नहीं आ रहे हैं? उन्होंने असम का दौरा किया है। उन्होंने वहां क्या किया? हमें यह जानने का हक है··· (व्यवधान) महोदय, यह केवल धनहानि का ही मामला नहीं है। यह देश की एकता और अखण्डता का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि हम असम में उल्फा पृथकतावादियों से कैसे निपटते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारी ही नहीं बल्कि अनेक अन्य लोग भी असम में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहां से बहुत लोग बाहर आ रहे हैं। धन ऐंठने का काम जारी है। हमें इस पर चर्चा करनी है। मेरा विचार है कि माननीय मन्त्री इस पर स्वतः ही वक्तव्य देंगे। किन्तु आज की कार्यसूची में इसका उल्लेख नहीं था, इसीलिए अपने इस वायदे के बावजूद कि हम शून्यकाल के दौरान खड़े नहीं होंगे, मुझे बाध्य होकर यह मामला उठाना पड़ा। महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि स्थिति के बारे में इस सभा को सूचित करने हेतु माननीय मन्त्री से कहें। हम इस भारी घाटे को कब तक उठाते रहेंगे? वे इस स्थिति का सामना कब तक करते रहेंगे? 'उल्फा' द्वारा चलाए जा रहे पृथकतावादी आन्दोलन से वे कैसे निपट रहे हैं। कर्मचारी और उनके नेता यहां आए हुए हैं। मैं समझता हूं कि कल वे मन्त्री से मिले हैं। हम जानना चाहते हैं कि उसका क्या नतीजा निकला है। मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि वे सभा को विश्वास में लें।

श्री बी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय, हम श्री सैफुद्दीन चौधरी की मांग का पूर्णतः समर्थन करते हैं। कर्मचारी संघ के नेता आए और आडवाणी जी और जसवन्त सिंह जी जैसे हमारे वरिष्ठ नेताओं से मिले हैं। जो घाटा हुआ है, उन्होंने उसपर चिन्ता व्यक्त की है। कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण भारत सरकार को प्रतिदिन 30 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि यह असम सरकार द्वारा उल्फा लोगों को आम माफी देने के कारण हुआ है। इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई है और हमें उल्फा आतंकवादियों द्वारा अपहृत लोगों की सुरक्षा की बहुत चिन्ता है।

सरकार ने इस बारे में चिन्ता व्यक्त की है किन्तु वह ठोस प्रस्ताव नहीं लाई कि वह इस समस्या का समाधान कैसे करने जा रही है। सरकार को सभा पटल पर वक्तव्य देना चाहिए और उसे उनके साथ शीघ्र बातचीत करनी चाहिए। सरकार को बन्धकों की रिहाई सुनिश्चित करनी चाहिए और उल्फा द्वारा अपहृत व्यक्तियों को छुड़ाना चाहिए, अन्यथा हमें एक ओर निरन्तर घाटा होता रहेगा और दूसरी ओर देश के उन नागरिकों, जो कठिन परिश्रम करके जीविकोपार्जन कर रहे हैं तथा देश की

अर्थव्यवस्था में सुधार ला रहे हैं, के जीवन और सम्पत्ति को खतरे में डालेंगे। अत: सरकार को उन लोगों को छुड़ाना चाहिए।

हम सब मिलकर माननीय सदस्य द्वारा सभा पटल पर रखी गई मांग का समर्थन करते हैं। महोदय, मैं यह उल्लेख इस अपील के साथ कर रहा हूं, कि सरकार इस मामले को गम्भीरता से लेगी और यहां पर उपस्थित माननीय मन्त्री इस सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे और वह स्वयं आज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपहृत व्यक्तियों की रिहाई सुनिश्चित करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप में से जिन्हें वरिष्ठ सदस्य माना गया है, उन्हें आज नहीं पुकारा जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र में मराठी लोगों की कठिनाईयों के बारे में बोलने जा रहा हूं। आज देश में बड़ी विचित्र स्थिति है। न्याय-संगत बात यह है कि देश में जिस किसी भी स्थान पर केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रम स्थापित किए जाते हैं, उनमें हर श्रेणी में नौकरियों में 80 प्रतिशत स्थान स्थानीय लोगों को दिए जाने चाहिए, परन्तु महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हो रहा है। कारण यह लगता है कि केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कोई निर्देश शायद जारी नहीं किए हैं। इस कारण महाराष्ट्र की स्थानीय मराठी जनता में भारी असंतोष है और वहां बेरोजगारी की समस्या है। अत: मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह तत्काल ऐसे निर्देश जारी करे कि महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरकार के सभी उपक्रमों में हर श्रेणी में 80 प्रतिशत स्थानों पर स्थानीय मराठी लोगों को नियुक्त किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे कहता हूं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिव शरण सिंह (बंशाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और प्रधानमन्त्री जी का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, वह यह है कि बिहार सरकार के खिलाफ बिहार में वहां के कांग्रेस दल की तरफ से एक आन्दोलन चलाया जा रहा है। इस आन्दोलन का कार्यक्रम 11 सितम्बर को पटना में विधान सभा के क्षेत्र में, जो प्रतिबन्धित क्षेत्र है, उन लोगों ने वहां शुरू किया और उसमें अफसोस की बात है कि एक केन्द्रीय मन्त्री ने भी उसमें भाग लिया, यह जानते हुए कि वहां 144 लगी है, प्रतिबन्धित क्षेत्र है, उन्होंने उसका उल्लंघन किया।

दूसरी बात यह है कि जब एक सरकार के खिलाफ कोई पोलिटिकल पार्टी आन्दोलन कर रही है तो उसके क्या केन्द्रीय सरकार के किसी मन्त्री का भाग लेना उचित है ? इन दो बिन्दुओं की ओर

से मैं सदन और प्रधानमन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक बात मुझे याद है जब श्री राजनारायण जी कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो हिमाचल प्रदेश में एक प्रतिबन्धित क्षेत्र में उन्होंने इस तरह का उल्लंघन किया था जिसके चलते तत्कालीन प्रधानमन्त्री चौधरी चरण सिंह जी ने उनके प्रति नाराजगी व्यक्त की। इन दो बिन्दुओं पर मैं चाहता हूं कि प्रधानमन्त्री जी से इनका स्पष्टीकरण हो कि क्या मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के लिए कोई कोड आफ कंडक्ट हैं या नहीं ! इस सम्बन्ध में मैं आपके द्वारा यह बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं भी इसका समर्थन करता हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, आपने अन्य मामलों पर चर्चा की अनुमति दी है।

किन्तु जहां तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का सम्बन्ध है, यह बहुत गम्भीर मामला है। सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। उन्हें इसका संकेत देना चाहिए। मंत्री और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि श्री शंकरानन्द वहां जा रहे हैं। वह वहां दो दिन तक रहे। हम जानना चाहते हैं कि स्थिति क्या है।

महोदय, आपने इसे महत्वपूर्ण माना और श्री चौधरी को यह मामला उठाने की अनुमति दी। किन्तु सरकार अब भी चुप है। इस मामले पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है।

महोदय, आज कुछ वक्तव्य दिये जाने चाहिये, हमें देखना है कि इस मामले पर सरकार का क्या इरादा है।

श्री संकुहोन चौधरी : यदि वह चुप रहती है, तो गलतफहमी पैदा होगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, वह अपना सिर हिला रहे हैं। मैं नहीं जानता कि वह किसके पक्ष में अपना सिर हिला रहे हैं। किसके लिए हिला रहे हैं ? क्यों हिला रहे हैं ? आप 'हां' कह रहे हैं या 'नहीं' (व्यवधान) वह उठना चाहते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मन्त्री को प्रतिक्रिया व्यक्त करने दीजिए। क्योंकि कुल मिलाकर यह बहुत गम्भीर मामला है। वह अपना वक्तव्य कब दे रहे हैं ? कम से कम आप उनसे अपना वक्तव्य देने को कहें। देश को जानना चाहिए कि वास्तव में क्या हो रहा है। हम यह समाचार-पत्रों में पढ़ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : वह आस्टो-एसोसिएशन आफ टेक्निकल आफिसर्ज के प्रतिनिधियों से मिले···

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार दूसरे सदस्यों को अवसर नहीं मिलेगा। क्योंकि सभी वरिष्ठ सदस्य एक मुद्दे पर भाषण देते जाएंगे और अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा।

श्री चित्त बसु : महोदय, केवल एक मिनट। मेरी बात सुनने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री बसु। आपको काफी समय मिल गया। आपको अन्य सदस्यों के साथ भी न्याय करना चाहिए।

श्री चित्त बसु : माननीय मन्त्री ने कहा कि तकनीकी कर्मचारी उनसे मिले हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत विफल हो गई है। क्या मैं माननीय मन्त्री से यह पूछ सकता हूं कि कर्मचारियों की मांगें क्या हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया है ? (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष जी, वास्तव में पेट्रोल की कमी होने लगी है।

(**व्यवधान**)

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, यह तो बताएं कि जोरहाट से 50 व्यापारियों को दुकानों से उठाकर ले गए हैं और एक के बाद एक मारते जा रहे हैं।

[अनुवाद]

उन्हें बन्धकों की तरह रखा गया है।

[हिन्दी]

हमने सोचा था कि ए० जी० पी० सरकार जाने के बाद और कांग्रेस सरकार आने के बाद वहां लोगों की सुरक्षा हो जाएगी, लेकिन यह तो वही हाल हुआ—

"मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की
शोले उठते गए ज्यों-ज्यों हवा की"

इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि उल्फा के इस काम को कंडैम करने के लिए क्या-क्या पग उठाए जा रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, वहां के लोगों के साथ-साथ हमें तो राजस्थान के व्यापारियों की भी चिन्ता है। उनमें डर समाया हुआ है। दिनदहाड़े दुकान से उठाकर पकड़कर ले जाते हैं। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह वक्तव्य देने के लिए खड़े हुए हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर

सभा में माननीय सदस्य ठीक ही उत्तेजित हुए हैं। यह भी सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में उनकी उत्तेजना में मैं भी पूर्णरूप से उनके साथ हूं। दुर्भाग्य से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के इन्जीनियर, श्री राजू की मृत्यु के बाद असम में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण ने खतरनाक मोड़ लिया है।

श्री गुमानमल लोढा : मृत्यु या हत्या ?

श्री जी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य पहले मेरी बात सुनें। मैं जानता हूं मृत्यु क्या है और हत्या क्या है। किन्तु मैं कानूनी भाषा में नहीं बोल रहा हूं।

जैसाकि सभा को मालूम है, मैंने असम में दो दिन बिताये। मैंने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बातचीत की थी। मैंने विभिन्न एसोसिएसनों, ओ० एन० जी० सी० के कर्मचारियों, श्रमिक संघों, आफिसर्स एसोसिएसन और समन्वय समिति के सदस्यों के साथ भी बातचीत की है। मैंने महिलाओं, ओ० एन० जी० सी० के इन्जीनियरों की पत्नियों के साथ भी मुलाकात की है। अन्ततः मैंने राजू की फोटो के साथ शामियाना में बैठे हुए आंदोलनरत इन्जीनियरों के साथ भी बात की। मुझे एहसास हुआ कि वहां के सारे लोग भय और अनिश्चितता के वातावरण में हैं। महिलाएं आंसू बहा रही थी क्योंकि उन्होंने आशंका व्यक्त की कि वे नहीं जानती कि उनके पति अपने काम से जीवित वापस आयेंगे या नहीं ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है।

बेशक, इन इन्जीनियरों और ओ०एन०जी०सी० के लोगो के प्रति असम के लोगों की बड़े पैमाने पर सहानुभूति है। गुवाहटी में बुद्धिजीवियों द्वारा मौन जलूस निकाला गया था; यह गैर-राजनैतिक जन समूह था, सभी राजनैतिक दलों ने एक मौन जलूस निकाला था। इसका प्रयोजन असम में शांति कायम करने के लिए अपनी चिन्ता व्यक्त करना था। असम की जनता ने बड़े पैमाने पर सहानुभूति व्यक्त की है, वे असम में शांति कायम करना चाहते हैं इससे असम की समस्या के समाधान में काफी सहायता मिलेगी।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैंने इन लोगों से विस्तार से बातचीत की है, उन्होंने अपनी यह इच्छा व्यक्त की है कि उनकी मांग यह है कि अल्फा द्वारा बन्धक बनाये गए चार व्यक्तियों को रिहा किया जाए। इन लोगों को रिहा करने के लिए जो प्रयास, जिनकी मुझे मुख्यमंत्री और सरकार द्वारा जानकारी दी गयी थी, किए गए थे तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जो प्रबन्ध किए गए थे उनसे मैं संतुष्ट था। जब मैं वहां था तो उस दिन मैं नहीं जानता कि ऐसा इससे पहले दिन भी हुआ था असम में सभी राजनैतिक दलों ने मुख्यमंत्री लिखित में अपील की थी कि इन लोगों को रिहा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जायें।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : क्या आप एक मिनट चुप रहकर शिष्टता दिखायेंगे ? बहुत-बहुत धन्यवाद। असम की स्थिति के बारे में तथ्यपूर्ण जानकारी देने के लिए हम मन्त्री महोदय के बहुत आभारी हैं। हमे असम की स्थिति के बारे में पर्याप्त जानकारी है। फिर भी हमारी सामूहिक चिन्ता आपसे यह मालूम करने की है कि सरकारी असम की स्थिति का ब्यौरा देने के बजाए इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है। इस विवाद को सुलझाने के लिए जो कदम, जिन पर 30 करोड़ रुपए प्रतिदिन की लागत आ रही है, उठा रही है उनके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की हत्या

पहले ही की जा चुकी है और अनेक व्यक्तियों का अपहरण किया जा रहा है। आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री वी० शंकरानन्द : मैंने सभा को आंदोलन की विस्तार से जानकारी देना उचित समझा। बजाए इसके···

श्री सोमनाथ चटर्जी : ताकि यह पता चल सके कि सरकार भी इस बात को समझती है।

श्री वी० शंकरानन्द : इसके पश्चात मैंने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यचारी संघ के साथ विचार-विमर्श किया। जैसाकि मैंने पहले ही बताया है कि संघ की मुख्य मांग यह है कि बन्धक व्यक्तियों और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के इन्जीनियरों, जिन्हें अल्फा ने बन्धक बना रखा था, को रिहा किया जाए। निस्सदेह, हड़ताल के लिए उन्होंने कुछ और शर्तें रखी हैं—कर्मचारियों के स्थानान्तरण की नीति में परिवर्तन, कर्मचारियों के लिए सुरक्षा प्रबन्ध और अन्य बहुत सी बातों का वर्तमान हड़ताल से सीधा सम्बन्ध नहीं है।

श्री चित बसु : उसमें क्षतिपूर्ति का प्रश्न उठाया गया था। (व्यवधान)

श्री वी० शंकरानन्द : यह क्षतिपूर्ति का मामला नहीं है जिसके कारण उन्होंने हड़ताल की है। हमें यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि हड़ताल क्षतिपूर्ति के लिए नहीं की गई है। यह बात नहीं है। उनकी पहली मांग कर्मचारियों को रिहा करने और उनकी सुरक्षा की है। (व्यवधान)

मैंने मुख्यमन्त्री से बातचीत की थी उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि इन लोगों को रिहा करने के लिए उनकी ओर से भरसक प्रयास किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि बन्धकों की अदला-बदली के लिए भी बन्धक व्यक्तियों को रिहा किया जाएगा तो उसी समय 'टाडा' के अन्तर्गत बन्द अल्फा उग्रवादियों को भी रहा किया जा सकता है क्योंकि एक बार अल्फा उग्रवादियों ने चालाकी की थी बातचीत के दौरान उन्होंने इन्जीनियर की हत्या कर दी थी। जहां तक इस पहलू का सम्बन्ध है, उनकी विश्वासनीयता खत्म हो गयी है। इसलिए मुख्यमन्त्री ने यह शर्त लगायी है, "जी हां, हम इन लोगों को रिहा करवाने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं, परन्तु यदि वे सोचते हैं कि उनके लोग रिहा कर दिये जायें तो ऐसा एक साथ होना चाहिए अन्यथा नहीं। यह प्रस्ताव अभी भी है।" मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह प्रस्ताव अभी भी है। मुझे आशा है कि सभा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गये कदमों की प्रशंसा करेगी।

कल मैंने अधिकारियों से बातचीत की थी। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की केन्द्रीय समिति के सदस्यों ने कल मुझसे भेंट की थी। मैंने उनसे विस्तार से बातचीत की थी। मैंने देखा कि वे बहुत उत्तेजित थे। शायद उत्तेजना की मनःस्थिति के कारण वे उद्देश्यपूर्ण चर्चा के लिए कुछ शर्तों को पूरा नहीं कर पाये। यद्यपि उन्होंने यह बता दिया है कि वे कल हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे, मुझे सभा को यह सूचित करते हुए खुशी है कि वे आज पुनः मुझसे भेंट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वे बन्धक अधिकारियों को सुरक्षापूर्वक रिहा करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में हमारा सहयोग देंगे?

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें कब तक प्रतिक्षा करनी पड़ेगी? उनका अपहरण कितने दिनों के लिए किया गया है?

श्री वी० शंकरानन्द : आज बैठक हो रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सरकार की कार्यवाही की गम्भीरता पर ध्यान दिया जाना चाहिए ?

श्री वी० शंकरानन्द : लोगों की सुरक्षा के लिए समस्याएं पैदा मत कीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उनकी सुरक्षा के लिए समस्याएं पैदा नहीं कर रहा हूं। परन्तु सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कुमारी विमला वर्मा बोलें।

[**हिन्दी**]

कुमारी विमला वर्मा (सिवनी) : अध्यक्ष महोदय, अमर शहीद श्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अमेठी उत्तर प्रदेश से लगभग एक सौ पदयात्रियों का दल राजीव जी के शहीद स्थल श्रीपेरूम्बदुर जा रहा था। 11 तारीख को यह पदयात्री दल मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से जा रहा था कि सनाइ डोंगरी ग्राम में कुछ तत्वों ने उन पर हमला किया जिसमें तीन पदयात्री घायल हो गए। पदयात्रियों ने वहां प्रतीकात्मक धरना भी दिया। श्री जगदीश पीयूष जो इस पदयात्री दल का संयोजन कर रहे थे उन्होंने तथा सभी ग्रामवासियों जिले के अन्य लोगों ने इस शांतिपूर्ण ढंग की श्रद्धांजलि पदयात्रा पर हमले निन्दा की है। ये घटना गत चुनाव में हुई हिंसक घटनाओं, मतदान केन्द्रों पर सशस्त्र कब्जा करने की घटनाओं आदि पर कड़ी कार्यवाही न होने के कारण और संभवतः उन घटनाओं पर एक दल विशेष के दबाव के कारण हुई है। मध्य प्रदेश सरकार इस निन्दनीय कार्य की छानबीन करे और अपराधियों को कड़ा दंड दे तथा चुनाव में हुई हिंसक, सशस्त्र घटनाओं की भी गहराई से छानबीन करे और उचित कार्यवाही करे। इस हेतु केन्द्रीय सरकार से निवेदन है।

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : श्री राजवीर सिंह बोलें। श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अपना स्थान श्री राजवीर सिंह को दे दिया है। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष जी, हम लोगों को बोलने का चांस नहीं मिलता है जबकि हम भी इस सदन के सदस्य हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने के लिए टाईम दूंगा। एक-एक को ही बोलने का टाइम दिया जा सकता है। आप बैठ जाइये।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, 13 सितम्बर को काठमांडू नेपाल में विश्व के कई देशों का आयुर्वेद सम्मेलन हुआ। भारत के प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डा० दिनेश जौहरी कर रहे थे। उनका काठमांडू जाने के लिए 12 तारीख को चार बजे हवाई-अड्डे पर चैकिंग हो गया लेकिन उन्हें वी० आई० पी० लॉज में बैठा दिया गया। साढ़े 6 बजे की फ्लाइट थी। उनको कहा गया कि वह फ्लाइट नहीं जा रही है। उनको 8-साढ़े 8 बजे सैन्टूर होटल में ठहरा दिया गया

और कहा गया कि अभी तय होना है। रात भर उनको कहा गया कि हवाई-जहाज जाएगा, अभी हवाई-जहाज जाएगा। कल प्रातःकाल दस बजे कह दिया गया कि हवाई जहाज नहीं जा सकता है और आप भी नहीं जा सकते हैं, आपको जाने की अनुमति नहीं मिली है जबकि उनको पहले अनुमति मिल चुकी थी। एक पहलू यह है कि उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान का प्रतिनिधित्व डाक्टर दिनेश जोहरी जोकि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मन्त्री थे, वह कर रहे थे। मुझे लगता है कि केन्द्र सरकार के कुछ लोगों को इस बात पर आपत्ति रही है कि बी. जे. पी. का स्वास्थ्य मन्त्री इस सम्मेलन में क्यों जा रहा है और नेतृत्व क्यों कर रहा है ? दिन भर बीत जाने के बाद, कल शाम को पांच बजे जब उद्घाटन हो गया, तो उनके पास पत्र आया कि अब आप जा सकते हैं और रात्रि की 8 बजे की फ्लाइट पकड़कर वह जा सकते हैं। पूरे प्रतिनिधिमंडल ने इसके विरोध स्वरूप उस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। हिन्दुस्तान का कोई भी प्रतिनिधि उस आयुर्वेद सम्मेलन में नहीं गया···(व्यवधान)···विश्व के आयुर्वेद सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधिमण्डल के नहीं जाने के कारण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं हो सका। इसके लिए कौन दोषी है, किसने उनको रोका, इसके बारे में सरकार को यहां बताना चाहिए। इससे भारत की छवि खराब हुई। इसलिए कि वह भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि था और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में स्वास्थ्य मंत्री था इसलिए केन्द्रीय सरकार ने उन्हें रोक दिया। कौन से ऐसे कारण हैं जिससे उनको रोका गया और क्या कारण बन गए कि उद्घाटन के बाद उनको अनुमति दे दी गई ?

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि किन कारणों से उन्हें 24 घण्टे तक हवाई अड्डे पर रोका गया कौन से कारण खत्म हो गए उनको जाने की अनुमति दे दी गई ? इसके पीछे केवल राजनीतिक द्वेष था। उसको यह लगा कि हिन्दुस्तान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का स्वास्थ्य मन्त्री क्यों कर रहा है ? इसलिए उनको रोका गया है।

अध्यक्ष जी, यह एक महत्वपूर्ण मामला है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर अपना बयान दें। यह बहुत अपमानजनक बात है···(व्यवधान)···जहां से आयुर्वेद का जन्म हुआ है, वहां का इस सम्मेलन में कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। इसलिए इसका बहुत महत्व है। यह एक दुखद सवाल है। आप आज ही सरकार से इस बारे में बयान देने को कहें···(व्यवधान)···

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : क्या ऐसे मामले में भी राजनीति आएगी ? (व्यवधान)

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष जी, यह भारत का अपमान हुआ है।

(व्यवधान)

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : हवाई जहाज खराब हो गया होगा···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। मैंने पहले भी हाउस में कहा था कि जो सदस्य कोई प्रश्न नहीं उठाते हैं, उनको उठाने का मौका दिया जाएगा। आडवाणी जी का लेटर होने बाद भी उन्होंने राजवीर सिंह जी को बोलने के लिए दिया। उनका बोलना खत्म होने से पहले ही आप सब बोल रहे हैं जिससे वह जो कुछ बोल रहे हैं, वह सुनायी नहीं दे रहा है। ऐसे अच्छा नहीं है। जैसे उनको चांस दिया गया है वैसे दूसरे मैम्बरों को भी चांस देने दीजिए। आपने मुद्दा जो उठाया है, गवर्नमेंट ने नोट किया होगा, अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है तो उनकी तरफ से है मगर आप एक मुद्दे को लेकर बोलते रहेंगे तो दूसरे मैम्बर बोल नहीं सकेंगे। श्री छेदी पासवान (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने छेदी पासवान जी को बुलाया है ।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं कोई बात नहीं कह रहा हूं, मैं केवल यह कह रहा हूं कि यह केवल एक दल का मामला नहीं है। आयुर्वेद के लिए अगर हम विश्व सम्मेलन में नहीं जा सकते हैं तो इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए । यह गम्भीर मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे कहेंगे कि मैं उनको जवाब दे दूं और मैं अगर कुछ···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा : वहां पर दूसरी गवर्नमेंट है, इसलिए ऐसा हो रहा है···(**व्यवधान**)

श्री राजबीर सिंह : इस पर गवर्नमेंट को निर्देश दे दें, शाम को जवाब मिल जाय ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : इसमें मैं भी जाने वाला था लेकिन मैंने ऐन समय पर इसको रद्द कर दिया ।

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं यह मामला उठाना चाहता हूं कि 11 सितम्बर से बिहार की सरकार के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा आन्दोलन चलाया जा रहा है । आंदोलन में यहां से केन्द्र के केबिनेट मन्त्री श्री राजेश पायलट, जो बिहार विधान सभा परिसर का प्रतिबन्धित इलाका है, वहां के कांग्रेस (ई) के लोगों ने वहां परमीशन मांगी मीटिंग करने की लेकिन विधान सभा के अध्यक्ष महोदय ने इसकी परमीशन नहीं दी, उस प्रतिबन्धित इलाके में मीटिंग करने की, उसके बाद धारा 144 को तोड़ कर राजेश पायलट, जो यहां केन्द्रीय मन्त्री हैं, उस प्रतिबन्धित इलाके में गये और वहां जाकर विधान सभा परिसर में उन्होंने मीटिंग की और आन्दोलन का नेतृत्व किया ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यहां पर स्मरण है कि 1979 में चौधरी चरण सिंह की सरकार में जब कैबिनेट मन्त्री श्री राज नारायण जी थे तो हिमाचल प्रदेश में जो प्रतिबन्धित इलाका था, उसमें धारा 144 को तोड़कर उन्होंने उस प्रतिबन्धित इलाके में जाने का काम किया था जिससे क्षुब्ध होकर तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री चौधरी चरण सिंह जी ने उनको कैबिनेट मन्त्री के पद से हटाने का काम किया था । यह कैबिनेट मन्त्री जी संविधान की शपथ इस सदन में लेते हैं और राष्ट्रपति के सामने लेते हैं, खुले आम संविधान का उल्लंघन करते हैं । मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे संविधान विरोधी मन्त्री को तत्काल कैबिनेट मंत्री के पद से बर्खास्त किया जाय और लोकतन्त्र की जो एक साफ सुथरी प्रणाली बनी हुई है, उस पवित्र प्रणाली को बरकरार रखते हुए श्री राजेश पायलट, मन्त्री को तत्काल मन्त्री पद से बर्खास्त करने का आदेश दिया जाए । (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, यह मामला तो बहुत गम्भीर है, यह फैडरल स्ट्रक्चर का सीधा हस्तक्षेप है । यहां मन्त्री इस तरह एक सरकार के खिलाफ पार्टी में काम करें···

श्री भोगेन्द्र झा : धारा 144 को तोड़ने के आरोप में बिहार सरकार इनको गिरफ्तार करे; यह भी कह दीजिए ।

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : माननीय अध्यक्ष जी, बिहार में दूसरी बार बाढ़ आई है। एक बार 15 दिन तक बाढ़ रही और दो दिन के बाद फिर आज 15 दिनों से बाढ़ वहां है। बिहार के करीब-करीब 18-19 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बिहार सरकार के पास जो भी धन है, उस धन से बिहार सरकार बाढ़ से जो लोग पीड़ित हैं, उनकी रक्षा कर रही है लेकिन अगर सच पूछा जाय तो बिहार सरकार के पास बहुत कम मात्रा में सहायता देने लायक सामग्री है जिससे मैं समझता हूं कि बिहार सरकार बाढ़ से पीड़ित लोगों की रक्षा करने में असमर्थ है। बिहार का भोजपुर जिला, बक्सर जिला, पटना जिला, मुंगेर जिला, वैशाली जिला, गोपालगंज जिला, मधुबनी जिला, भागलपुर जिला वगैरह-वगैरह तमाम जिले के लोग वहां तबाह हैं, लोगों को सवारी नहीं मिल रही है। जलाने के लिए कैरोसीन तेल नहीं मिल रहा है, राशन की दुकान पर राशन नहीं है, दवा भी नहीं है और मवेशियों को खिलाने के लिए चारा वगैरह भी नहीं है। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि बिहार सरकार संविधान के मुताबिक तमाम चीजों को पूरा करती है, इस देश में रहने की लेकिन अभी आज तक भारत सरकार की तरफ से एक नये पैसे की भी सहायता नहीं दी गई है। आज एक महीने से बिहार के सभी जिले बाढ़ की चपेट में हैं और बिहार सरकार अकेले उनको राहत देने का काम कर रही है···भारत सरकार को चाहिए था कि वह भी बिहार के लोगों को जिन्दा रखने के लिए दवा, राशन, सलाई, कैरोसिन ऑयल वगैरह-वगैरह का इन्तजाम करे। इस समय भारत सरकार से मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी भारत सरकार राहत कार्य के लिए बिहार सरकार की सहायता करे।

दूसरी बात गंगा नदी का कटाव बहुत दिनों से जारी है। बक्सर जिले के गंगा नदी पर जो तटबन्ध बना है, वह तटबन्ध कई जगह से टूट गया है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि गंगा के कटाव में बक्सर और भोजपुर जिले के हजारों गांव उसकी चपेट में हैं। अभी भी कटाव जारी है। इसलिए दूसरी बात भारत सरकार से मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार बक्सर जिले, भोजपुर जिले में गंगा के कटाव को रोकने का इन्तजाम करे। साथ ही साथ बिहार में जहां गंगा का कटाव हो रहा है, तमाम कटावों को रोकने के लिए जल्दी से जल्दी से इन्तजाम करे। जिससे बिहार की जनता अमन-चैन से रह सके। इन शब्दों के साथ मैं फिर भारत सरकार से मांग करता हूं कि बिहार की जनता के लिए जल्दी राहत कार्य में सहायता प्रदान करे, जिससे बिहार की जनता को राहत मिल सके।

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम (पूर्व दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष पूर्वी दिल्ली जिसकी आबादी 36 लाख है और दिल्ली का हर तीसरा आदमी मेरी कांसटीचूयेंसी के अन्दर रहता है। उनकी भयानक परिस्थिति मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पूर्वी दिल्ली के अन्दर पिछले एक महीने में पांच डकैतियां और तीन कत्ल हुए है। इनमें तीन माताओं को मार दिया गया है। ये डकैतियां 25 लाख, 14 लाख और छह लाख रुपए की हुई हैं। आज तक कोई ट्रेस नहीं हुआ है। इसके अलावा वहां बिजली की भयानक परिस्थिति है, वहां तीन-तीन दिन लगातार बिजली गुम रहती है। तीन दिन पहले दो नौजवान त्रिलोकपुरी में बिजली के छू जाने से, स्ट्रीट-लाइट के गिर जाने से मर गए। इसलिए, मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि उन गरीब परिवारों को एक-एक लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र दिल्ली के अन्दर 11 हजार कम्पलेंट्स मेरे पास आई हैं। दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी के कान बहरे हो चुके हैं। अनेक कम्पलेंट्स हुई हैं। मुझे लगता है अगर दिल्ली के अन्दर, पूर्वी दिल्ली में विशेष रूप से, समस्याओं का हल नहीं हुआ तो वहां की जनता रिवोल्ट करने के कगार पर है। अगर आप वहां शांति चाहते हैं तो कारपोरेशन के चुनाव जल्दी हों। आज मैं एम० पी० होने के नाते चौबीस

घण्टे में से 19 घण्टे काम करता हूं। मेरा निवेदन है कि पूर्वी दिल्ली की विशेष परिस्थिति को देखते हुए सरकार दिल्ली के चुनाव कराए।

दिल्ली में राशन नहीं है। राशन की दुकानें खुलती हैं तो वहां लड़ाइयां होती हैं। अगर कहीं राशन है तो चीनी-चावल है और वह मिट्टी से भरा हुआ है। पूर्वी दिल्ली आज वास्तव में नरक की स्थिति से गुजर रही है। मैं आपके माध्यम से इन बातों को सदन में रखना चाहता था, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने दो महीने में पहली बार मुझे बोलने का समय दिया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल भवानी लाल वर्मा का वक्तव्य ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भवानी लाल वर्मा (जांजगीर) : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष पिछले दो माह से जिला बिलासपुर मध्य प्रदेश में घातक बीमारी आंत्रशोध एवं हैजा प्रायः सभी ग्रामों में संक्रामक रूप से फैल चुका है। उक्त बीमारी से अब तक पांच हजार लोग प्रभावित हो चुके हैं तथा लगभग 1800 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उक्त बीमारी की चपेट में मुख्यत हरिजन, आदिवासी एवं गरीब तबके के लोग जो दूरदराज एवं पहाड़ी इलाके में निवास करते हैं, आ चुके हैं। एक से दूसरे गांव में आना-जाना बन्द हो चुका है। लोग अर्थी उठाने में भयभीत हैं। मृतक संस्कार बन्द हैं तथा अनेक लोग पालयन कर रहे हैं। कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है और लोगों में भय व्याप्त है।

जिला प्रशासन एवं चिकित्सा अधिकारी अपनी ओर से भरसक बीमारी को काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों, अन्य कर्मचारी, उपकरण, वाहन तथा दवाईयों के अभाव में उनके नियंत्रण से स्थिति बाहर हो रही है। प्रदेश की सरकार को लगातार जानकारी दी जा रही है मगर सरकार में उदासीनता के कारण स्थिति संभल नहीं रही है। अनेक ग्रामों में शुद्ध पेयजल का अभाव है तथा नदी एवं तालाबों के गन्दे पानी पर निर्भर रहना पड़ रहा है। स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है। उक्त स्थिति को काबू करने के लिए केन्द्र शासन एवं सहयोग देने तथा प्रदेश की सरकार पर स्थिति पर काबू पाने के लिए दबाव डाले। तत्काल कार्यवाही की जरूरत है। सकती तहसील के अनेक गांवों में इस समय आंत्रशोध का प्रकोप है। (व्यवधान) ग्राम जाजंग में भी आंत्रशोध से अनेक व्यक्ति प्रभावित हो गए जिनमें से एक की मृत्यु भी हो गयी। इसी प्रकार डोंडकी में कै-दस्त से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। ग्राम आमनदुला में पिछले चार दिनों से हैजा से मरने वालों की संख्या चार तक पहुंच गयी है। (व्यवधान) इस रोग से मरने वालों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आप में से कुछ लोगों को आज ही बोलने की अनुमति दूंगा और कुछ लोगों को परसों बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

● **श्री निर्मल कांति चटर्जी** (दमदम) : आप हमें भी उस प्रश्न को उठाने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आपके लिए सभा में भी लोकतन्त्र है। हर बार वरिष्ठ सदस्य बोलते रहे हैं आप दूसरे सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। आपको दूसरों का भी कुछ ख्याल होना चाहिए। बैठे जाइए।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमें एक मिनट का समय दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : निर्मल कांति चटर्जी जी आज नहीं बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

(व्यवधान)

श्री भवानीलाल वर्मा : इस बीमारी से लोग इतने भयभीत हो गए हैं कि वे मृतक के देह शरीर को श्मशान घाट ले जाने हेतु अर्थी ओ कधा देने से भी डरने लगे है। इन पीड़ित गांवों में उनके मेहमान लोगों ने भी जाना बंद कर दिया है और कोई भी व्यक्ति उसके दशकर्म में जाने के लिए डरता है क्योंकि वह सोचते हैं कि अगर हम वहां जाएंगे तो हमको भी यह बीमारी लग सकती है। (व्यवधान)

जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी दी है कि इस क्षेत्र के अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाओं में वाहन उपलब्ध नहीं होने के कारण नियंत्रण कार्य में अनेक प्रकार की कठिनाइयां सामने आती हैं तथा असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। प्रा० स्वा० केन्द्र अकलतरा में वाहन नहीं हैं। जांजगीर में कोई वाहन उपलब्ध नहीं है, यहां तक कि उनके स्वयं के पास भी वाहन नहीं है, फिर भी संक्रामक रोगों का नियंत्रण कार्य यथासमय पर किया जा रहा है। यदि वाहन उपलब्ध होता तो संक्रामक रोगों का और भी त्वरित गति एवं प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया जा सकता है। (व्यवधान) अनेक समाचार-पत्रों में प्रतिदिन ये खबरें छप रही हैं कि जिले में आंत्रशोथ और हैजे की बीमारी दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया जा रहा है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि प्रदेश शासन से इस बीमारी की रोकथाम हेतु आवंटन मांगा गया था, मगर अभी तक अपर्याप्त है। बिलासपुर जिले के अलावा बस्तर, रायगढ़ आदि जिलों में भी यह बीमारी बड़े व्यापक पैमाने पर फैली हुई है। इसलिए मेरी मांग है कि तत्काल इसके लिए कोई उचित एवं आवश्यक कार्यवाही करे ताकि लोगों को राहत मिल सके। (व्यवधान)

[अनुवाद]

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : महोदय, दुर्गापूजा पूरे भारत विशेषतः पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा आकर्षक त्यौहार है । सभी वर्गों के लोग अपनी जाति और धर्म को नजरअंदाज करते हुए उचित ढंग के यह त्यौहार मनाने के लिए एकत्रित होते हैं । इस प्रकार वे एक दूसरे के प्रतिबन्धुत्व, एकता, निष्ठा, प्रेम और सम्मान दिखाते हैं । पश्चिम बंगाल की सरकार के श्रम मन्त्री ने सभी निजी और सरकारी क्षेत्रों के प्रबन्धों से सिफारिश की है कि पिछली प्रथा के अनुसार 8 अक्तूबर, 1991 तक वार्षिक बोनस का भुगतान कर दें ताकि श्रमिक बाजार में वर्तमान अधिक मूल्य और अधिक होने से पहले अपनी आवश्यक वस्तुएं खरीद सकें । जहां तक मैं समझता हूं कि किसी भी सरकारी क्षेत्र ने इस बोनस का भुगतान नहीं किया है । इसलिए मेरा सम्बन्धित मन्त्रियों से अनुरोध है कि अनावश्यक श्रमिक आंदोलन को टालने के लिए और बेईमान व्यापारियों की लूट से श्रमिकों को बचाने के लिए तत्काल बोनस का भुगतान करने हेतु अपनी सम्बन्धित एककों को सलाह दें । (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष जी, इस देश के अन्दर होम्योपैथिक दवाओं का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है परन्तु इस समय पिछले कुछ दिनों से उनके मूल्य इतने बढ़ गए हैं कि साधारण मूल्य जो निर्धारित होते हैं उनसे 354 गुना ज्यादा मूल्य बेचने वाले लेते हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि होम्योपैथिक दवाएं मूल रूप से विदेशों से आयात की जाती हैं और कुछ मुख्य दवाएं हैं जैसे

[अनुवाद]

मदर टिन्चर, विभिन्न क्षमता की घुलनशील दवाएं, बायो-कैमिक दवाएं, कोम्बीनेशन्स सक्सस सिनेरिया आई० ड्राप, अल्फाल्फा टॉनिक सुगर ऑफ मिल्क ।

[हिन्दी]

आदि मुख्यतः जर्मनी, स्विटजरलैंड, यू० के० तथा यू० एस० से आयात की जाती हैं । इन पर 65 प्रतिशत ड्यूटी लगती है और जो हमारे यहां के व्यापारियों को देनी पड़ती है । इसके अलावा स्थानीय खर्च और ये सब मिलाकर 3-4 गुना ज्यादा मूल्यों पर ये दवायें हिन्दुस्तान में बेची जाती हैं ।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि देश की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि होम्योपैथिक दवाएं आम आदमी के जीवन में इतनी जुड़ गई हैं कि हर आदमी इन दवाओं का इस्तेमाल करना चाहता है ।

परन्तु इतने अधिक मूल्यों के कारण उनकी क्रयशक्ति से बाहर ये दवाएं हो रही हैं । मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे और होम्योपैथिक दवाओं की ड्यूटी फ्री करे, ताकि ये दवाएं कम से कम मूल्य पर देश के नागरिकों को मिल सकें, इस प्रकार की व्यवस्था करने का कष्ट करें ।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, मैं प्रधानमन्त्री को उनकी सक्रियता के लिए बधाई देता हूं । पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जंगबीर सिंह को बोलने के लिए बुलाता हूं।

श्री जंगबीर सिंह (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा सरकार की इस मांग का समर्थन करता हूं कि हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जाए। उन्हें अत्याधुनिक, आधुनिक और अन्य आधुनिक उपकरणों जैसे वाहन, वायर लैस सैट आदि की सप्लाई की जाए। यह हरियाणा में आतंकवादियों की गतिविधियों में वृद्धि की दृष्टि से आवश्यक है। राज्य में हाल की घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं। इन विचारों पर जोर देते हुए मैं इस बात पर बल देता हूं कि पुलिस में भर्ती, जो हरियाणा राज्य तक सीमित है, का तरीका केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और अन्य अर्धसैनिक बलों के समान होना चाहिए। बल्कि हरियाणा सरकार के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि वह भर्ती की सूचना राष्ट्रीय और स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशित करे, ताकि पुलिस में भर्ती के लिए इच्छुक प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को अवसर मिल सके। मुझे विश्वास है कि इससे पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया में साम्प्रदायिकता, भाई-भतीजावाद और जातिवाद समाप्त होगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल से हाथ उठा रही हूं, आज आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश में कोयले की कमी के कारण कई छोटे-बड़े उद्योग संकट में हैं। अध्यक्ष महोदय, पूरे मालवांचल और खासकर इंदौर में बहुत सी कपड़ा मिले हैं और कोल इण्डिया लिमिटेड ने वहां पर एक भण्डारगृह भी स्थापित किया हुआ है, लेकिन उस भण्डार गृह में गत दो वर्षों से पर्याप्त कोयला उपलब्ध नहीं है। यहां का कोटा 4 रेक्स का अर्थात 120 बाक्स वेगनों का तय किया गया था लेकिन गत दो वर्षों से इस कोटे को आधा कर दिया गया है और वहां पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं मिल रहा है। गत चार महीनों की स्थिति मैं आपको बताना चाहती हूं कि मई में केवल 30 प्रतिशत कोयले का कोटा मिला था और उसके बाद के महीनों में क्रमशः 28, 22 और 16 प्रतिशत रह गया।

अध्यक्ष महोदय, यदि कोयला उपलब्ध नहीं होता है और रेल द्वारा पर्याप्त कोयला नहीं लाया जाता है तो इदौर के लोगों को रोड से कोयला लाने का परमिट प्राप्त करने के लिए बिलासपुर जाना पड़ता है। वहां भी कोयला मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारण्टी नहीं रहती है। ऐसे संकट काल में बाहर से कोयला लें तो उसके दाम बहुत अधिक हैं। कोटे का जो कोयला प्राप्त होता है, वह लगभग 900 रुपए प्रति टन होता है और बाजार से यदि उसको खरीदा जाए तो 16-17 सौ रुपए प्रति टन देना पड़ता है। इस संकट के कारण सारा कपड़ा उद्योग संकट में पड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कोयला मन्त्री बयान देते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है, रेल मंत्री बयान देते हैं कि जितने वैगन चाहिए उतने हम उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में कहीं न कहीं कोआर्डिनेशन की कमी है। यह तो उसी तरह की बात है कि पिता कहता है कि मैं सारी कमाई घर में दे रहा हूं, माता कहती है।

[हिन्दी]

कि मैं बराबर रोटियां बना रही हूं, लेकिन बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। इसका मतलब यह होता है कि कहीं न कहीं कोआर्डिनेशन की कमी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि रेल मन्त्री और कोयला मन्त्री आपस में बैठें और और इंदौर में कोयले की भयंकर कमी के कारण वहां का कपड़ा उद्योग जो आज संकट से गुजर रहा है, श्रमिकों में असंतोष फैल रहा है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हुए शीघ्र कार्यवाही करें।

श्री उदय प्रताप सिंह (मैनपुरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत सार्वजनिक महत्व का और नीति विषयक मामला इस सदन में उठाना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश भारत का औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। पिछले वर्षों में सरकार की औद्योगिक नीति में बहुत असंतुलन रहा है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अधिक पिछड़े हुओं की तरफ अधिक ध्यान देने की नीति का पालन नहीं किया जा रहा है। कुछ ऐसे बी० आई० पी० लोक सभाई क्षेत्र हैं, जिनमें अरबों रुपए की मशीनें होते हुए भी उनको उद्योगशून्य क्षेत्र घोषित किया गया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय, अमेठी, रायबरेली और फतेहपुर। लेकिन एक बात यह है कि मैनपुरी, आजमगढ़ और बलिया पिछड़े हुए जिले हैं, जिनकी कभी भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित नहीं किया गया है। मान्यवर, मैंने तीन नाम जो लिए हैं वे उदाहरण के लिए हैं। ऐसे बहुत से पिछड़े हुए जिले हैं, जिनमें उद्योग बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मुझे पता है कि अभी हाल में प्लानिंग कमीशन ने उद्योग शून्य नीति की घोषणा में जरूर कहा है। कई कारणों में से एक कारण यह भी था कि उत्तर प्रदेश के विकास में जिलों में असंतुलन रहा।

मैं मैनपुरी की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो मेरा लोकसभाई क्षेत्र है। वहां 26 हजार हैक्टेयर जमीन ऊसर पड़ी है, इसका हाल में विभाजन हुआ। केवल मैनपुरी में दो फैक्टरियां थी, वे दोनों फैक्टरियां फरीदाबाद में चली गयीं। फैक्टरियों को छोड़ दिया जाए तो 10 मजदूरों की इकाई भी पूरे जिले में नहीं है।

खेती का यह हाल है कि 26 हजार हैक्टेयर जमीन ऊसर है, सिंचाई के साधन नहीं, आमदनी का कोई जरिया नहीं। नतीजा क्या होता है, आपको पता है। अभी कुछ वर्षों पूर्व तक मैनपुरी का अपराधिक ग्राफ हिन्दुस्तान में सबसे ऊपर था। जब अशिक्षा होगी, बेरोजगारी और बेकारी होगी और आमदनी का कोई जरिया नहीं होगा तो हम अपराध की तरफ इन जिलों को धकेल रहे हैं। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो पिछड़े हुए जिले हैं उनके औद्योगिक विकास की ओर ध्यान देने की कृपा करें। मैं एक निवेदन इस कविता की चार पंक्तियां पढ़ कर करना चाहता हूं :—

यह अपनी-अपनी किस्मत है कुछ कलियां खिलतीं हैं ऊपर,
और दूसरी मुरझा जाती झुके-झुके जीवन भर भूपर।

मानव बदकिस्मत हैं लेकिन क्या ये महक नहीं सकती हैं,
अगर मिले अवसर अंगारों सी क्या दहक नहीं सकती हैं।
धूप रोशनी अगर चमन में ऊपर ही ऊपर बंट जाए,
माली तुम्हीं फैसला कर दो हम किसको दोषी ठहरायें।

श्री प्रकाश नारायण त्रिपाठी (बांदा) : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट का समय दिया जाए। हमसे क्षेत्र में लोग पूछेंगे कि क्या आपने संसद में कहा तो हम बतायेंगे कि हमने हल्ला मचाया। जो काम हमने मंत्री जी को लिखकर दिया कि माननीय इस पर कोई आदेश दें, वह होता नहीं है। लोग हमें कहते हैं कि यही करा कर लाए हो। हम लोग मंत्री जी को क्षेत्र की शिकायतों के सम्बन्ध में जो देते हैं तो सैक्रेटरी लिख देते हैं कि कार्यवाही हो रही है, देख रहे हैं। कार्यवाही कितने साल होगी ? हम लोगों पर, माननीय सदस्यों पर दया करके मंत्री जी से अध्यक्ष महोदय, आप कह दीजिए कि यदि जन समस्याओं के सम्बन्ध हम कोई काम दें तो मन्त्री जी हमारा काम कम से कम 10 परसेंट कर दिया करें।

अध्यक्ष महोदय : 10 परसेंट नहीं 100 परसेंट।

श्री प्रकाश नारायण त्रिपाठी : बड़ी दया होगी। हम लोग अपने जिले में जाकर क्या मुंह दिखाएंगे यदि उचित काम भी नहीं होता है। मेरी सरकार से और मन्त्रियों से प्रार्थना है कि भाजपा सदस्यों की उपेक्षा न की जाए। अगर हम किसी को लिखें तो कम से कम इतना तो करें कि पार्लियामेंट मैंबर ने लिखा है, उसको पढ़ तो लें। लेकिन ये देखते भी नहीं हैं। यह मेरी प्रार्थना है, कोई कहने की बात नहीं है।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कुमारमंगलम रंगराजन) : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय सदस्य की भावनाओं को समझते हैं। हम निश्चित रूप से संसदीय कार्य मन्त्रालय के द्वारा सभी मंत्रियों को सूचित कर देंगे कि वे यथा-शीघ्र जवाब दें और यदि सम्भव हो तो तत्काल जवाब दें। हमने मन्त्रियों को यह भी बता दिया है कि जब किसी सदस्य का कोई संदेश आए तो उसकी पावती भेजी जानी चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि यह सत्र व्यस्त रहा है। (व्यवधान) हम निश्चित रूप से जवाब देंगे।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को इतना आश्वासन दे सकता हूं कि वे लिखें और हम न पढ़ें, यह गलती हमसे नहीं हो सकती। पढ़ेंगे जरूर, जवाब कोई देता है, लेकिन पढ़े बगैर नहीं जाने देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा बहुत अहम है और आपकी मांग सिर्फ दस परसेंट काम की है। मैं तो कहूंगा कि आपका सही काम सौ परसेंट होना चाहिए और दूसरी बात यह है कि जहां तक मेरी

मालूमात है, सारे सदस्यों के पत्रों के उत्तर सिर्फ मन्त्री महोदय के दस्तखत से ही जाते हैं, सेक्रेटरी के दस्तखत से नहीं जाते हैं। जहां तक मेरी मालूमात है, ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता है तो ऐसा ही होना चाहिए, यह हमारी प्रार्थना रहेगी।

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार के अधिकांश औद्योगिक पिछड़े जिले आज से 15 वर्ष पूर्व घोषित किए गए थे। लेकिन, दुर्भाग्य है कि नाथ बिहार के सारे जिले औद्योगिक पिछड़े जिले घोषित होने के बावजूद अभी तक कोई औद्योगिक कारखाना नहीं लगाया गया है। मेरे संसदीय क्षेत्र के बैजनाथपुर में 10-15 वर्ष पहले एक पेपर फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। अध्यक्ष महोदय, आप जरा इधर-उधर करते हैं तो हमें हल्ला सुनाई देता है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे लिए नहीं उनके लिए बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण यादव : उस फैक्ट्री में राज्य सरकार और भारत सरकार का भी हिस्सा है। 15-20 करोड़ रुपए की मशीन रूस से मंगाई गई और वहां पर लगाई गई। सैकण्ड हैंड मशीन मंगाई गई जबकि फर्स्ट हैंड मशीन नहीं मिलती है। वह मशीन 15 वर्ष से रखी हुई है। राज्य सरकार के लिखने के बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा सहायता न देने के कारण 15-20 करोड़ रुपए का बरबाद हो रहा है। आप अतिशीघ्र फैक्ट्री को लगाना चाहते हैं और मशीन को बचाना चाहते हैं और जिले को औद्योगिक दृष्टि से आगे लेना चाहते हैं तो आप वित्तीय संकट से उसको उबारें और फैक्ट्री को शुरू करें और लोगों के साथ धोखा न करें। फैक्ट्री नहीं चलाना चाहते तो कृपया मशीन उठा लें और इस क्षति को बचाएं, यही मेरी विनती है।

[अनुवाद]

प्रो० के० पी० चामस (एरणाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को एक बहुत महत्वपूर्ण मामले की जानकारी देना चाहता हूं। देश के विभिन्न भागों से मरीज अच्छा इलाज कराने के लिए दिल्ली आते हैं और उन्हें यहां के अस्पतालों में भर्ती किया जाता हैं। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि डाक्टर मरीजों का बड़ी लापरवाही से इलाज करते हैं। कुछ दिन पहले श्रीमती डी० कुज, जो दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, दिल्ली में स्टाफ नर्स हैं, का इलाज चल रहा था। एक गलत दवाई दी गई जिससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। हम इन बातों को हर बार सरकार को बता रहे हैं। वस्तु अभी तक कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि हम जब कभी सरकार को इन बातों की विशेषतः उन मामलों की जानकारी देते हैं, जिनमें मरीज डाक्टरों की लापरवाही के कारण गलत दवा देने से मर जाते हैं, तो सरकार को सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

दूसरे, मरीजों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। सरकार से मेरा यह अनुरोध है।

12.00 बजे

[हिन्दी]

डा० परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपने 2-3 दिन का समय बढ़ा दिया और मुझे बोलने का समय दिया ताकि मैं अपने क्षेत्र की बात कह सकूं।

अध्यक्ष महोदय, जैसाकि भारत सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश में सन् 1986 में एक स्कीम चलाई गयी थी कि उत्तर प्रदेश के सभी एलोपैथिक अस्पतालों में एक आयुर्वेदिक डाक्टर बर्ड एम० ओ० बनाकर नियुक्त किया गया। अब भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि हमारे पास बजट नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं इस भार का वहन करे जिसके परिणामस्वरूप उन 706 डाक्टरों का भविष्य खतरे में डाल दिया।

अध्यक्ष महोदय, उन डाक्टरों की यूनियन ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है। मार्च, 1991 अर्थात आज सात महीने हो गए हैं, उनको वेतन नहीं मिला है। आज वे 706 बर्ड एम० ओज० एक-एक पैसे तथा खाने और कपड़े को मोहताज हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार के पास बजट नहीं है जिससे वे डाक्टरों को तनख्वाह नहीं दे पा रही है। क्या भारत सरकार ने कभी सोचा है कि ये डाक्टर अपना तथा अपने परिवार की जीविका कैसे चला रहे हैं। इस स्थिति को देखकर मेरा भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुरोध है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को बजट दे ताकि वहां के डाक्टरों को पिछला वेतन दिया जा सके और आगे भी वे अपने कार्य में संलग्न कर ड्यूटी देते रहें।

अध्यक्ष महोदय, मेरी दूसरी बात यह है कि सन् 1977 में जन स्वास्थ्य रक्षक योजना चलायी गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत गांव-गांव या एक हजार आबादी पर 50 रु० वेतन प्रति रक्षक के हिसाब से रखे गए थे लेकिन जन स्वास्थ्य रक्षकों को हटा दिया गया है।

[हिन्दी]

इस प्रकार किसी-किसी प्रांत में उनको हटा दिया गया है। जैसे हरियाणा प्रांत में जन-स्वास्थ्य रक्षकों को बहाल नहीं किया गया है, अन्य जगह की भांति हरियाणा में भी जन-स्वास्थ्य रक्षकों को बहाल करके काम लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, महंगाई को देखते हुए जन स्वास्थ्य रक्षकों का वेतन प्रतिमाह 50 रु० से बढ़ाकर रु० 300 होना चाहिए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जन स्वास्थ्य रक्षकों के लिए दवायें भी बढ़ाई जायें और दवायें रखने के लिए उनको एक किट भी दी जाये ताकि उनको सुविधा मिल सके।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० सी० बालायोगी (अमलापुरम) : महोदय, आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में कोनासीमा क्षेत्र एक द्वीप की तरह है जिसकी जनसंख्या लगभग 20 लाख है और जो गोदावरी

नदी तथा आंतरिक नहरों से घिरा है । प्रति वर्ष बाढ़ से बड़ी संख्या में लोगों की जानें जाती हैं और नारियल तथा अन्य नकदी फसलों की भारी क्षति होती है । भूमि कटाव के कारण उपजाऊ भूमि नष्ट हो जाती है और तटीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नारियल के पेड़ बाढ़ में बह जाते हैं । समुचित सड़क यातायात की सुविधा के अभाव में लोगों को मुख्य भूमि पर पहुंचने के लिए नावों पर निर्भर रहना पड़ता है और अनेकों बार लोगों को नाव दुर्घटनाओं में अपनी जानें गवानी पड़ती हैं । हाल की 13 जून और 19 अगस्त, 1991 की नाव दुर्घटना ने 24 गरीब लोगों की जान ले ली ।

मुख्य भूमि पर आसानी से पहुंचने तथा दुर्घटनाएं टालने के लिए गौतम नदी पर यदुलंका यनाम नौका चलाने के स्थान पर, मुक्तेश्वरम-कोटिपल्ली और बोडासाकुर्रू-पसारलापुडी स्थानों पर पुल बनाने की आवश्यकता है। इन पुलों का निर्माण तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की बढ़ते हुए ड्रिलिंग क्रियाकलापों के लिए भी उपयोगी होगा । यदि कम से कम यदुलंका—यनाम नौका चलाने के स्थल पर एक पुल की स्वीकृति मिल जाए तो इस क्षेत्र के लोग आभारी होंगे । इस पुल निर्माण में पांडिचेरी सरकार ने भी गहरी रुचि दिखाई है और अपनी आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए धन देने की इच्छा जताई है ।

महोदय, इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के क्रियाशील वित्तीय योगदान से यदुलंका—यनाम नौका चलाने के स्थल पर पुल निर्माण के लिए स्वीकृति देने हेतु सरकार पर दबाव डालें ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार (हिंगोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से केन्द्रीय गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान पिछले 19 अगस्त को रामपुर (उत्तर प्रदेश) के एक गांव में हुई घटना की ओर दिलाना चाहता हूं । इस दिन रामपुर जिले के भमरुवा गांव के शिव मन्दिर से जब कुछ हरिजन युवतियां दर्शन करके वापस आ रही थी तो कुछ सशस्त्र मुस्लिम गुण्डों ने उनका अपहरण कर लिया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया और लूटपाट की । इस घटना में कई युवतियों का अपहरण हुआ और तीन दिनों तक वे मुस्लिम गुण्डो के चंगुल में फंसी रहीं । इस काण्ड में एक हरिजन युवती ने दम तोड़ दिया तथा दो की हालत अब भी गम्भीर बनी हुई है । इस कांड का सरगना बाबर पुत्र बब्बर निवासी ग्राम बगी, थाना पुरानागंज, जिला रामपुर था । इसके साथ लगभग 20-25 और मुस्लिम गुण्डे थे ।

घटना की रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में बड़ी मुश्किल से तब लिखी गई जब शिव सेना और कुछ अन्य हिन्दू संगठनों जैसे बजरंग दल के लोगों ने रास्ता रोका तथा आन्दोलन पर उतर आए । इसके बावजूद पुलिस ने इसे मामूली लूटपाट की घटना के रूप में दर्ज किया है। आज तक कोई भी गिरफ्तार नहीं किया गया और अपराधी खुलेआम घूम रहे है तथा अपने खिलाफ बोलने वाले को धमकी दे रहे है । सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि क्षेत्र का विधायक जो पूर्व में उत्तर प्रदेश में मन्त्री भी था, अपराधियों को खुला संरक्षण दे रहा है । एक पूर्व सांसद जो कहीं राज्यपाल बनने के प्रयास में हैं, भी अपराधियों को खुला संरक्षण दे रहे हैं ।

मेरी इस सदन के माध्यम से मांग है कि केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश दे।

श्री राम सागर (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन और सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। भारत सरकार की सहायता से चल रही बाल विकास परियोजनाओं में पिछले कई माह से नियमित पोषाहार और दवाओं का वितरण नहीं हो रहा है। यहां तक कि परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को संतोषजनक वेतन, भत्ता तक नहीं दिया जा रहा है और कई माह से बकाया पड़ा है। इस कारण इन परियोजनाओं में संलग्न कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। परियोजनाओं का कार्य ठप्प हो रहा है। सरकार को इस महत्वपूर्ण मामले की ओर ध्यान देना चाहिए। एक बात इसमें और कहना चाहता हूं कि पिछली बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से देश व्यापी स्तर पर एक प्रदर्शन हुआ था और पिछली सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि हम उनका नियमितिकरण करा देंगे, लेकिन वह आश्वासन अभी तक सरकार ने नोटिस में नहीं लिया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो बाल विकास परियोजना के कार्यकर्ता हैं, इनको नियमित नहीं किया जा रहा है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : मान्यवर, अररिया से हम आए हैं जो बिहार के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है। हम लोगों के यहां अररिया, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा आदि जिलों में जूट की खेती विस्तार-पूर्वक होती है, लेकिन पिछले वर्ष वहां जूट की कीमत 500 से 800 रुपए प्रति क्विंटल थी, लेकिन इस वर्ष जूट की कीमत मात्र 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल है। मैंने मन्त्री महोदय से भी आग्रह किया। मन्त्री महोदय से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जे० सी० आई० का क्रय केन्द्र खुल गया है लेकिन मैंने वहां टेलीफोन किया तो वहां अभी तक नहीं खुल पाया है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वहां जूट का क्रय केन्द्र खोला जाए और जूट की कीमत 800 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल की जाए।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : अध्यक्ष जी, अभी तक तो मैं सदन में अपने शारीरिक पराक्रम से बोला करता था। आपकी दया के पराक्रम से आज बोलने का आदेश प्राप्त हुआ, इसलिए मैं आपको नमन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह बौद्धिक अखाड़ा है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : जहां शारीरिक स्वास्थ्य होता है, वहीं बौद्धिक शक्ति की कल्पना की जा सकती है। अध्यक्ष जी, मैं मिर्जापुर के सोनभद्र में जहां कनाडिया केमिकल का कारखाना है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां का तमाम कचरा उसके समीप रिहंद डैम के पानी में पड़ता है और वही पानी वहां के 5-6 लाख लोगों को पीने को मिलता है जिससे उनकी शारीरिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है और तमाम चिट्ठी-पत्री भी सरकार से हुई, लेकिन उस प्रदूषण को रोकने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं हुए। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कनाडिया केमिकल के कचरे को, जो रिहंद डैम में गिरता है, उसको रोकने का प्रयास होना चाहिए और इसके लिए निर्देश जारी होने चाहिए।

[अनुवाद]

श्री के० मुरलीधरन (कालीकट) : श्रीमन्, मैं केन्द्रीय विद्यालयों के कार्य-घंटों के बारे में मामला

उठाना चाहता हूं। सभी सरकारी कार्यालय एक सप्ताह में पांच दिन ही कार्य करते हैं लेकिन केन्द्रीय विद्यालय सप्ताह में छः दिन कार्य करते हैं। अनुरोध है कि पांच दिन का सप्ताह केन्द्रीय विद्यालयों में भी लागू किया जाय तथा छात्रों की सुविधा के लिए सामाजिक अध्ययन के शिक्षण माध्यम को हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी कर दिया जाय।

[हिन्दी]

श्री राम नारायण बैरवा (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा टोंक जिला मुख्यालय के अन्तर्गत जो जयपुर सवाई माधोपुर ब्रॉड गेज लाइन बन रही है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने कई बार कहा है। आज आप दूसरों को बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम नारायण बैरवा : उस लाइन को टोंक से जोड़ा जाए। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पिंडारी डेकॉइट्स को सेटल करने के लिए अंग्रेजों ने दो स्टेट दी थीं। एक टोंक की स्टेट दी गई और दूसरी भोपाल की दी गई। श्रीमन् आजादी के 44 वर्ष गुजरने के बाद भी टोंक में अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग ऐसे रहते हैं जिन्होंने अभी तक रेल के दर्शन नहीं किए हैं। हमारे यहां रेलवे के विस्तार के बाद औद्योगिक विकास की काफी गुंजाइश है परन्तु रेलवे के अभाव में इस क्षेत्र का विकास रुका पड़ा है जिसके कारण गरीबी, बेकारी और पिछड़ापन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। टोंक जिला मुख्यालय को रेलवे लाईन से जोड़ने के लिए सर्वे कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, 1957 में तत्कालीन रेल मंत्री बाबू जगजीवन राम ने टोंक में एक सार्वजनिक सभा में टोंक को रेल सेवा से जोड़ने का आश्वासन दिया था, कहा था कि शीघ्र ही इस अल्पसंख्यक समुदाय बाहुल्य क्षेत्र को रेल लाईन से जोड़ दिया जाएगा परन्तु आज तक उस आश्वासन को क्रियान्वित करने की ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। आर्थिक संकट का बहाना बनाकर टोंक को रेल सेवा से वंचित रखना वहां की जनता के साथ जबर्दस्त अन्याय होगा। मेरी आपके माध्यम से रेल मन्त्री जी से मांग है कि जयपुर-सवाई माधोपुर जो रेलवे लाईन जा रही है, उससे टोंक शहर मुख्यालय को ब्रोडगेज लाईन से जोड़ दिया जाए और इसके लिए वर्तमान बजट में आवश्यक प्रावधान किए जायें। इसका सर्वे पहले ही हो चुका है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पाला के० एम० मैथ्यू (इदुक्की) : महोदय, मैं आपका ध्यान, सोवियत संघ में हुए हाल के भारी परिवर्तन के परिणामस्वरूप वहां रह रहे भारतीय छात्रों की दयनीय स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां के विभिन्न गणतन्त्रों में लगभग 4000 भारतीय छात्र बिखरे पड़े हैं। विभिन्न गणतन्त्र अब भारतीय छात्रों से अपना शुल्क दुर्लभ मुद्रा में देने के लिए कह रहे हैं। भारतीय छात्रों को 100 रूबल प्रतिमाह दी जाने वाली छात्रवृत्ति भी बन्द कर दी गई है और वे उनसे शुल्क दुर्लभ मुद्रा में देने के लिए कह रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में वे अपना शुल्क दुर्लभ मुद्रा में देने योग्य नहीं हैं।

दूसरी समस्या यह है कि उन्हें वहां के अनेक कालेजों और शिक्षा-संस्थानों में प्रवेश देने से मना किया जा रहा है। यदि उन्हें देश छोड़कर भारत आने के लिए कहा जाता है तो उन्हें यहां प्रवेश लेने में कठिनाई होगी क्योंकि यहां और वहां की शिक्षा प्रणाली में अन्तर है। यदि उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है तो वे पूरी तरह से बर्बाद हो जायेंगे क्योंकि उन्हें यहां उन कक्षाओं में प्रवेश नहीं मिलेगा जो कि सोवियत संघ में उनकी शिक्षा और कक्षाओं के बराबर हैं।

इसलिए, सोवियत संघ में भारतीय छात्रों को जिन दो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वे हैं—प्रवेश और दुर्लभ मुद्रा में शुल्क का भुगतान। हममें से कुछ साथियों के पास इन छात्रों और अभिभावकों के बहुत से पत्र और टेलीफोन आ रहे हैं। सोवियत संघ में लगभग 4000 भारतीय छात्र हैं। यहां के दूतावास में इन छात्रों और उनके अभिभावकों से उनकी सहायता के लिए टेलीफोन आ रहे हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण मामला है जिस पर भारत सरकार और विशेषकर विदेश मन्त्रालय को ध्यान देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय विदेश मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर तुरन्त ध्यान दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : अध्यक्ष महोदय, विश्वकर्मा इस देश के आर्टिसन्स के सिम्बल माने जाते हैं। उन्होंने गांव के छोटे आर्टिसन्स के उपयोग हेतु अनेक औजार और टूल्स निर्मित किए हैं जिनका बड़े पैमाने पर आज भी उपयोग होता है। भारत में जितने आर्टिसन्स हैं—जैसे कोबलर्स, पॉट मेकर्स, गोल्डस्मिथ, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर आदि, वे विश्वकर्मा को भगवान के रूप में पूजते हैं। हमारा ग्रामीण फोक, विशेषकर ग्रामीण आर्टिसन विश्वकर्मा द्वारा तैयार किए गए औजारों पर ही ज्यादातर डिपेंड करता है। विश्वकर्मा जी की जयन्ती 17 सितम्बर को आ रही है। मेरा आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि इस दिन को "नेशनल लेबर डे" के रूप में मनाया जाये। अभी तक हम "मई दिवस" को इस रूप में मनाते आए हैं परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका महत्व लुप्त प्रायः हो गया है जबकि विश्वकर्मा की जयन्ती को "नेशनल लेबर डे" के रूप में मनाने का औचित्य अधिक प्रतीत होता है। मुझे आशा है कि सरकार 17 सितम्बर को विश्वकर्मा जयन्ती मनाए जाने की शीघ्र घोषणा करेगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, यह सदन को और आपको भी पता है कि उत्तरी बंगाल में बाढ़ की स्थिति बड़ी गम्भीर है।

अध्यक्ष महोदय : हमने वरिष्ठ सदस्यों को न बोलने देने का निश्चय किया हुआ है। क्या आप वरिष्ठ सदस्यों में शामिल होना पसन्द नहीं करते ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यहां कल आधी रात तक और प्रातःकाल उपस्थित रहकर मैंने अपने को पिछड़ा साबित कर दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है आज आप बोल सकते हैं । अब प्रारम्भ कीजिए ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उत्तरी बंगाल में बाढ़ की स्थिति बड़ी भयंकर है । तथ्यों से यह पता चलता है कि 17 लोगों जी जान जा चुकी है । (व्यवधान) लगता है कि यह संख्या 42 तक पहुंच गई है । आपने उसे आज का समाचारपत्र पढ़ने की अनुमति नहीं दी । इसलिए, मुझे अद्यतन आंकड़ा पता नहीं ।

महोदय, यह आवश्यक है कि बंगाल को तुरन्त सहायता की जाए । एक केन्द्रीय दल क्षेत्र का दौरा करे और राज्य सरकार के साथ स्थिति से निपटे । माननीय प्रधानमन्त्री ने तुरन्त जवानी कार्यवाही की है । उन्होंने अपने राहत कोष से पहले ही कुछ राशि स्वीकृत की है । दुर्भाग्य से, एक औचित्य का मामला उनके ध्यान में नहीं आया । श्रीमन, देश की संसदीय संस्था का औचित्य मांग करता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता, चाहे वह प्रधानमन्त्री राहत कोष से ही क्यों नहीं दी जाय, राज्य सरकार के माध्यम से ही दी जाय । लेकिन हमें मालूम हुआ है कि उसके स्थान पर जिलों में जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से धन बांटने के लिए एक माननीय मन्त्री को नियुक्त किया गया हैं । श्रीमान जी, जैसाकि आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ है, वह इसलिए कि पंचायत संस्थाएं दृढ़ता से कार्य कर रही हैं और गांव स्तर से लेकर राज्य स्तर के चुने हुए प्रतिनिधि प्रशासन का दृढ़ता से पथ-प्रदर्शन कर रहे हैं । इन परिस्थितियों में मैं आपके माध्यम से प्रधानमन्त्री का ध्यान आकृष्ट करता हूं और निवेदन करता हूं कि वे उत्तरी बंगाल में प्रभावित लोगों को जो भी सहायतार्थ देना चाहते हों वह राज्य सरकार के माध्यम से ही दिया जाय और किसी और के द्वारा नहीं । मैं उन पर राजनीतिक पक्षपात का आरोप नहीं लगाता । मैं उन्वे एक सज्जन व्यक्ति समझता हूं, हो सकता है उनसे यह भूल हो गई हो । उनसे यह अनुरोध किया जाय कि वह इस भूल से बचें । मैं यही कहना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

डा० देवी प्रसाद पाल (उत्तरी-पश्चिमी कलकत्ता) : यदि प्रधानमन्त्री राहत कोष से दी जाने वाली सहायता एक केन्द्रीय मन्त्री के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बांटने के लिए भेजी गई तो न तो इसमें कोई बुराई है और नहीं गैर-परम्परागत है । यह मुद्दा उठाने वाले सदस्य महोदय को इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए और माननीय प्रधानमन्त्री के कार्य में दोष निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए । मैं यहां यह बता दूं कि यह हमारा अनुभव रहा है कि यदि धन को राज्य सरकार के अधिकरणों के माध्यम से वितरित किया जाता है तो कभी-कभी राजनैतिक और अन्य तरह के पक्षपात का वर्चस्व हो जाता है और सहायता राशि उनको नहीं मिल पाती जिनको इसकी अधिकतम आवश्यकता होती है बल्कि ऐसे लोगों तक पहुंच जाती है जो किसी खास समूह अथवा राजनीतिक दल से सम्बद्ध होते हैं । इसलिए, प्रधानमन्त्री जी ने एक केन्द्रीय मन्त्री के माध्यम से धन आवंटित कराकर सही किया है ।

श्री अमर रामप्रधान (कूच बिहार) : श्रीमानजी, बंगाल के लगभग एक करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हैं । उनकी जान बचाने के लिए सहायता की तुरन्त आवश्यकता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि बंगाल में तुरन्त एक केन्द्रीय दल भेजें । पश्चिम बंगाल

सरकार को सहायता कार्य के लिए कम से कम 2९ करोड़ रुपए का तदर्थ अनुदान दिया जाना चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं जो सवाल उठाने जा रहा हूं, उसमें सचमुच मेरे मन में अभी भी यह हिचक है कि मैं इस सवाल को उठाऊं या नहीं । इसलिए मैं आपकी गाइड लाइन चाहता हूं । मैं अपने दोस्त, सी० पी० आई० के सदस्य श्री लोक नाथ चौधरी के साथ भुवनेश्वर जाने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचा ।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं भुवनेश्वर आपको जाना था, आप नहीं जा पाए । वहां पर बी० पी० एस० टी० की तरफ से ओरिएनटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम था । मैंने वहां जाने से पहले फारुख साहब से निवेदन किया कि आप हाउस में रहना । हवाई जहाज 477 टाइम पर भुवनेश्वर की तरफ रवाना हुआ । वह जहाज भुवनेश्वर रायपुर होकर जाता है । वह रायपुर होकर भुवनेश्वर की तरफ गया । हम और श्री लोकनाथ चौधरी जब उतरने लगे तो देखा कि फिर रायपुर आ गया है । हम दोनों सो गए थे ।...(व्यवधान) श्री चेटर्जी हंस रहे हैं लेकिन अभी उनकी तकलीफ का समय आ रहा है । हमारे जहाज के साथ दो दुर्घटनाएं हुईं । मैंने कैप्टन को बुलाकर पूछा कि हम यहां पर कैसे आ गए । उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर का वैदर ठीक नहीं था इसलिए हम यहां आ गए । हमने पूछा कि यहां से कहां जाएंगे । उन्होंने कहा कि दिल्ली चलेंगे । दिल्ली से एक रिलीफ प्लेन से आपको भुवनेश्वर भेजा जाएगा ।

दूसरी दुर्घटना की बारी आ रही है । दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने से पहले रास्ते में ऐलान किया गया कि अभी खतरा है और लगता है कि क्रैश लैंडिंग, ऐमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी । सारी तैयारियां हो गई थीं । लोकनाथ जी और हम दोनों क्लास-फैलो हैं । हमने उनसे हंसकर बोला कि हम दोनों की 64 साल उम्र पार हो गई है । अब तो बैली लैंडिंग के लिए दिमाग तय करना पड़ेगा । हमारा अनुभव बैली लैंडिंग के बारे में नहीं था । बैली लैंडिंग के बारे में चौधरी जी का अनुभव एक बार चौदह साल पहले हुआ था, यह उन्होंने बताया था । चौदह साल पहले बैली लैंडिंग करते समय चार लोग मर गए थे । मैं कहना चाहता हूं कि श्री थोम्पक सिंह का एयर क्रैश में मणिपुर में जब देहान्त हुआ था तो उस जहाज में कोई नहीं बचा था । वे भले ही कांग्रेस के थे लेकिन हमारे दोस्त थे । श्री जार्ज फर्नान्डीज के भी दोस्त थे । मैंने चौधरी जी से कहा कि हो सकता है कहीं श्री थोम्पक सिंह जैसी हालत हम दोनों की न हो जाए । उस जहाज में पचास प्रतिशत विदेशी पर्यटक थे । शुक्र है कि बैली लैंडिंग के लिए तैयारी हो गई । सब लोग भगवान का नाम ले रहे थे . अन्त में लैंडिंग ठीक ढंग से हो गई । हम लोग बच गए ।

मैं आज आपके समक्ष यह बात इसलिए उठा रहा हूं कि जब मैं भुवनेश्वर पहुंचा तो वहां के वाइस चांसलर कहने लगे कि पिछले एक साल के दरम्यान कलकत्ता में ऐसा ही हुआ करता है । यह तो साधारण तौर पर होता है । आज मैंने अखबार में देखा कि बंगलौर में बैली लैंडिंग करते समय कोई मरा नहीं लेकिन आज एक फिर हादसा हो गया है । मैं यह बात उठा रहा हूं क्योंकि हमारी इंडियन एयरलाइन्स का इन्तजाम, सन्तोष मोहन जी हैं, क्योंकि नार्थ-ईस्ट में ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, श्री

मोरारजी देसाई के साथ दुर्घटना हुई आप जानते हैं। जो दुर्घटनाएं होती हैं क्या यह सिर्फ मकैनिकल फाल्ट होता है ? इन्तजाम नहीं होता है, देखभाल नहीं होती है, हमारे जो पुराने नाम्स हैं उनके खिलाफ जाते हैं इसलिए यह होता है।

कोई यह सोचे कि यह पर्सनल मामला है लेकिन यह पर्सनल मामला नहीं है, यह सार्वजनिक है। इसलिए मैंने आपकी गाईडेंस मांगी कि मैं इस सवाल को उठाऊं या नहीं उठाऊं। फारूख साहब बैठे हैं। हमारे साथ एक जहाज में दो दुर्घटनाएं हो गईं। मेरा सरकार से कहना है कि यह संसद सदस्यों का मामला नहीं है, यह सारे देश और विदेशी पर्यटकों का मामला है। इसलिए सरकार इस मामले में अन्तर्मुखी होकर इण्डियन एयरलाइन्स के जहाजों के इन्तजाम में व्यापक तौर पर जो खराबी होती है उस तरफ ज्यादा ध्यान दे ताकि इस तरह की चीजें न हों।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मेरे साथ पूरा सदन जहाज में सवार सदस्यों तथा अन्य लोगों के दीर्घायु की कामना करेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी मैं सिर्फ 2-3 मैम्बरों को चांस दे रहा हूं और उसमें से सीनियर मैम्बर्स भी होंगे। अगर उन्होंने नहीं बोला तो मामला अधूरा रह जाएगा। पीछे जो मैम्बर बैठे हुए हैं, वे उसी जगह बैठ जाएं। मैं उनको फिर चांस दे दूंगा। राम विलास पासवान जी, आप आंध्र प्रदेश जा रहे हैं इसलिए मैं आपको चांस दे रहा हूं। आप दो मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैंने आपको कष्ट दिया। आपने कहा है कि आज जूनियर मैम्बरों का दिन है लेकिन खास कर चूंकि आन्ध्र प्रदेश में जो दलित संहार हुआ है, उसके विरोध में तमाम देश के जो दलित संगठन हैं, उनकी रैली होने जा रही है और मुझे भी उसमें जाना है, इसलिए आपसे आग्रह किया कि मुझे आज ही इस विषय पर बोलने की अनुमति दी जाए। अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि 17 तारीख के बाद पार्लियामेंट का सैशन खत्म होने जा रहा है और फिर हम नवम्बर में मिलेंगे। 26 सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट में मण्डल कमीशन के ऊपर तारीख लगी हुई है। तीन महीने हो चुके हैं और इस दौरान सरकार ने अपना स्टैंड क्लैरिफाई नहीं किया है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं जब इस विभाग का मन्त्री था तो मन्त्री की हैसियत से हमने 14 स्टेट्स में कैबिनेट सेक्रेट्री के निर्देशानुसार ज्वॉइंट सेक्रेट्रीज का कामन लिस्ट तैयार कर लिया था लेकिन अभी तक पालिसी तय नहीं हो पाई है। प्रधान मन्त्री जी ने भी बार-बार कहा है कि हम विरोधी दल के नेताओं के साथ बैठकर इस मामले में आम सहमति स्थापित करने का काम करेंगे। 26 तारीख का डेट लगा हुआ है, दो बार एडजर्न हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में डेट लिया जा चुका है लेकिन अभी तक अपोजिशन पार्टी के किसी नेता के साथ इस सम्बन्ध में बातचीत नहीं हो पाई है। इस गम्भीर मामले को सरकार जान-बूझ कर टालना चाहती है। सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार चाहती है कि किसी तरीके से

मण्डल कमीशन जोकि कोर्ट में पड़ा हुआ है, वह बहाना मिलकर कोर्ट में मामला खत्म हो जाए। जो बैकवर्ड क्लासिज के इन्टरस्ट का मामला है और देश के 52 फीसदी (व्यवधान)···आप बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, यह सुनते नहीं हैं। मैं इन पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : श्रीमन, वस्तुतः यह असत्य है।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : श्रीमन, वह गलत वक्तव्य दे रहे हैं, कि यह सूची उन्होंने तब बनाई थी जब वह सत्ता में थे।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही में शामिल नहीं किया जा रहा है।* (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आपके गुस्से की वजह से टाइम खराब हो रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पाणिग्रही जी, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप भी उधर से उठ गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सेशन समाप्त होने को जा रहा है। सब कुछ हंसी-खुशी से चलने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पाणिग्रही जी, आप कभी गुस्से में नहीं होते हैं, आज क्यों गुस्से में आ गए हैं।

जो कुछ भी कहा गया है···(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पाणिग्रही जी, कृपया ध्यान दीजिए। वहां क्या हो रहा है ? उन्होंने जो कहा उसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं उस विभाग का मिनिस्टर था और मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ कहता हूं··· (**व्यवधान**)···ये लोग तो समझते ही नहीं हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि कामन लिस्ट तैयार थी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रधानमन्त्री जी ने सदन के भीतर और बाहर कहा है कि हम सभी नेताओं से मिलकर एक राष्ट्रीय आम सहमति कायम करना चाहते हैं।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : वह गलत वक्तव्य दे रहे हैं। वह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : मण्डल का मुद्दा गम्भीर मुद्दा है। ये लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं ?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह मामला अध्यक्ष को निपटाने दीजिए जोकि बेंच से बोल रहा है और जो पीठासीन भी है। यदि अन्य लोग सहायता करने की कोशिश करेंगे तो भ्रम पैदा होगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : प्रेसीडेंट के एड्रेस में सरकार ने साफ तौर पर यहां कहा था कि हम मण्डल कमीशन की सिफारिश को लागू करेंगे। प्रधानमन्त्री ने बार-बार यहां कहा कि हम मण्डल कमीशन की सिफारिश लागू करेंगे। कैसे करेंगे ? उनका अलग नजरिया है। उन्होंने कहा कि हम तमाम दल के नेताओं से इस सम्बन्ध में बातचीत करके एक आम सहमति कायम करने का काम करेंगे, यह सारा का सारा रिकार्ड पर है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी तक नेताओं से, किसी भी नेता से बातचीत नहीं हो पाई है। खासतौर से लेफ्ट फ्रण्ट और नेशनल फ्रण्ट के किसी नेता से बातचीत नहीं हुई है, मैं समझता हूं बी० जे० पी० के नेताओं से भी बातचीत नहीं हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में 26 तारीख को (**व्यवधान**) मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मामला तय है और उसके पहले भी सरकार अपनी नीति को स्पष्ट नहीं करती है तो इसका मतलब है कि सरकार इसके प्रति सीरियस नहीं है और मण्डल कमीशन को लागू नहीं करना चाहती है। इसलिए सरकार के कोई भी मन्त्री हों, हम इनसे आग्रह करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि सरकार की मण्डल कमीशन के प्रति क्या नीति है और 26 तारीख के पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्थिति को स्पष्ट करने जा रही है या नहीं ? यह मैं जानना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन सभी सदस्यों का नाम नोट कर लिया है जो इस विषय पर बोलना चाहते हैं। सदन में घोषणा की है कि आप लोग परसों भी इन्हीं सीटों में बैठेंगे ताकि मैं आपके नाम पुकार सकूं। जो सदस्य अभी तक नहीं बोले हैं, मैं उनके नाम परसों पुकारूंगा। अभी मैं एक या दो सदस्यों को बोलने की अनुमति दे रहा हूं। कृपया इस बात को ध्यान मे रखें कि हम यहां 12 बजे तक बैठेंगे। ऐसा समय की कमी के कारण किया गया है। यदि ऐसे ही नोंक-झोंक चलती रही तो मैं समझता हूं कि कार्यसूची पर दर्ज मदों के स्थान पर हम अन्य बातों पर समय गंवा देंगे। कृपया अपना सहयोग दें। अब, मैं केवल दो सदस्यों को बोलने की अनुमति दे रहा हूं। एक महिला सदस्य बोलना चाहती थी, मैं उन्हें अवसर दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण-दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आपके सामने बार-बार एक बात कहनी पड़ती है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता है। तीन महीने से यह सैशन चल रहा है और एक बात का भी जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया है कि दिल्ली का भविष्य क्या है। दिल्ली को ये क्या ढांचा देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं। चुनाव होने वाले है या नहीं होने वाले हैं। अगर नहीं होने वाले हैं तो दिल्ली की समस्याओं, जैसे, लॉ-एंड-आर्डर—जिसका जिक्र अभी मेरे मित्र ने किया, दिल्ली की राशन की दुकानें खाली पड़ी हैं। दिल्ली की सारी अफसरशाही जिस तरह से हाथ में है, इलैक्टेड मैम्बर की से नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इलैक्टेड मैम्बर कहां जाए। बार-बार खड़े होकर हम अपनी बात जीरो-आवर में कह लेते हैं और सारी बात आपके सामने रख देते हैं। मुझे विश्वास था कि यहां पर दो-ढाई घण्टे चर्चा होगी। कोई एक निर्णय होगा, कोई हमको बताएगा। लेकिन हो क्या रहा है, एक हफ्ते में जैसे एक बार हम यहां कर्मकांड की तरह यहां खड़े हो जाते हैं और दो मिनट अपनी कह लेते हैं। उसके बाद यहां जवाब नहीं आता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। अध्यक्ष जी, मैं बहुत दुखी मन से कहना चाहता हूं, हमको लगता यह है, जैसे कोई हम यहां भीख मांगने आए हुए हैं। जैसे हम बैग करने आए हुए हैं। मेरा निवेदन इतना ही है कि ··

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब आप नियमों का पालन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।

श्री मदन लाल खुराना : दिया हुआ है। कालिंग एटैंशन में दिया हुआ है और नियम 193 में दिया हुआ है। आप और बता दीजिए कि किस रूल में दें ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको नहीं बता सकता हूं।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, हम उम्मीद करते थे कि दिल्ली के बारे में यहां चर्चा

होगी, क्योंकि दिल्ली में कोई ऐसे बॉडी नहीं है, कोई मैट्रोपोलिटन काउन्सिल नहीं है। दिल्ली की समस्याओं को इस हिन्दुस्तान में किस मंच पर डिसकस किया जाए। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मैं पिछड़े वर्ग का हूं। हम सभी पिछड़े समुदाय के कल्याण के लिए समान रूप से चिन्तित हैं। किसी एक सदस्य को सदन में पिछड़े समुदायों के हितों की बात करने का एकाधिकार नहीं है। (व्यवधान)

जब पूर्व प्रधानमन्त्री, श्री वी० पी० सिंह ने सदन में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के सम्बन्ध में स्वतः एक वक्तव्य दिया तो उन्होंने आरक्षण के योग्य पिछड़े समुदायों की कोई सूची प्रस्तुत नहीं की थी। यही कारण था कि उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण-कार्यवाही पर रोक लगा दी, मंडल आयोग की रिपोर्ट में 3,743 समुदायों को पिछड़े समुदायों में शामिल किया गया हैं। अपने स्वतः दिए गए वक्तव्य में श्री वी० पी० सिंह ने बताया कि राज्य सरकारों से परामर्श लेकर आरक्षण के योग्य समुदायों की एक नई सूची बनाई जाए। इस प्रकार की सूची बनाने में कुछ कठिनाइयां आती हैं। उदाहरण के लिए केरल में पुलाया समुदाय अनुसूचित जाति में शामिल हैं परन्तु मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यह पिछड़े समुदाय में है। अतः पुलाया जाति के लोग यह आग्रह कर रहे हैं कि उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में ही रहने दिया जाए। इसमें इस प्रकार की कई विसंगतियां हैं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : इससे पहले कि आप दूसरा विषय लें, कृपया मेरी बात सुनें क्योंकि मैं आपको इस विषय पर चार दिनों से लिखता आ रहा हूं। यह विषय ऐसा नहीं है कि किसने क्या किया चाहे यह स्वतः दिया वक्तव्य था या कुछ और। हम इस सदन और सदन के माध्यम से सरकार व प्रधानमन्त्री के ध्यान में यह बात लाना चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने वहां पर चल रहे मंडल आयोग रिपोर्ट के मामले पर सरकार से विशेष रूप से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। वर्ना उच्चतम न्यायालय यह समझेगा कि सरकार मंडल आयोग की सिफारिशों के पक्ष में नहीं है। भारत सरकार ने यह कहते हुए समय मांगा था कि वे इस विषय पर सहमति जुटाकर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और न्यायालय ने विशेष रूप से निर्देश दिया था कि ज्ञापन देने के लिए 26 सितम्बर के दिन सरकार के लिए अन्तिम दिन होगा। यदि सरकार मंडल आयोग की सिफारिशें प्रस्तुत करने में असमर्थ रही तो उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय दे देगा।

प्रधानमन्त्री ने इस सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण का उत्तर देते हुए प्रत्येक दल के चुनाव घोषणा-पत्र का जानबूझकर उल्लेख किया और कहा कि सिवाए भा०ज०पा० के प्रत्येक दल ने सहमति व्यक्त की थी। इस मुद्दे पर श्री लाल कृष्ण आडवाणी तथा श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खड़े होकर कहा कि "नहीं, हम भी रिपोर्ट का समर्थन करते हैं।"

आपको स्मरण होगा कि मैंने यहां अपनी सीट पर खड़े होकर कहा था, "प्रधानमन्त्री महोदय, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में राष्ट्रीय सहमति है। इसलिए यह एक ऐसा विषय है जिसका सम्बन्ध

हमारी 52 प्रतिशत जनसंख्या को प्रशासन में उनका हिस्सा देने को पूरा करने से है जिसका अधिकार उन्हें संविधान से प्राप्त है और गत 41 वर्षों से इसके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है।"

भारत के राष्ट्रपति द्वारा दो उच्च-शक्ति प्राप्त आयोगों की नियुक्ति किए जाने के बावजूद भी कुछ नहीं किया गया है। वी० पी० सिंह सरकार ने सही निर्णय लिया, यह कहना गलत होगा कि वी० पी० सिंह सरकार ने किसी से परामर्श नहीं किया। यदि आप सलाह मशविरा करना चाहते हैं तो करिए। पर अब समय नहीं है। एक सप्ताह के भीतर आपको उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करना है। वर्ना यह समझा जाएगा कि सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया है और यह आपके दल के लिए भी हानिकर होगा। हम कांग्रेस पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं परन्तु हमारा आग्रह यह है कि बहुत कम समय बचा है और प्रधानमन्त्री, जिन्होंने बार-बार वक्तव्य दिए हैं, उन्हें सभी राजनैतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाकर आम सहमति जुटानी चाहिए और यदि ऐसा सम्भव हुआ तो हम सहमति का स्वागत करते हैं। पर हम यह जरूर चाहते हैं कि सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण देना ही होगा। इसके साथ हमने इससे सम्बन्धित और मुद्दों को भी उठाया है। यहां पर आपने देखा था कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के एक सौ सदस्य राजनैतिक दलों से अपनी सम्बद्धता को भूलकर बहुत से विषयों पर उद्वेलित हो रहे थे। और इनमें से एक विषय यह भी था कि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण भी पूरा नहीं किया जाता है और इसके लिए भी संवैधानिक समर्थन की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : हमने इस विषय पर दस घंटे चर्चा की है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। वह दस घंटे की चर्चा अत्याचारों के बारे में की गई थी।

मैं यह कह रहा हूं कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। यह किसी वर्ग की समस्या नहीं है। यह किसी जाति का प्रश्न नहीं है। इसका सम्बन्ध हमारे देश की 85 प्रतिशत जनसंख्या से है। इसलिए आपके माध्यम से हम सरकार तथा प्रधानमन्त्री से आग्रह करना चाहते हैं कि वे यदि संभव हो सके तो सहमति जुटाने के लिए एक बैठक बुलाएं। वर्ना, संविधान के अनुसार उन्हें उच्चतम न्यायालय को केन्द्रीय सरकार से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को सभी स्तरों पर 27 प्रतिशत आरक्षण जारी रखने के सरकार के निर्णय से आगाह करना चाहिए। मेरा कहने का आशय यह है।

श्री एंगराजन कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार ने विषय पर अपनी नीति को अभी अन्तिम रूप न दिए जाने के आधार पर स्थगन की मांग नहीं । इसके विपरीत, सरकार ने एक वक्तव्य देकर मंडल मुद्दे पर अपना पक्ष क्रमबद्ध तरीके से र स्पष्ट कर दिया था किन्तु हुआ यह कि उच्चतम न्यायालय जानना चाहता था कि क्या जिन निदेशों को चुनौती दी गई है, उन्हें बदला जाएगा, यदि हां, तो वे निदेश कौन से हैं जिनके इन्हें बदला जाएगा और उन्होंने इस सम्बन्ध में एक विशेष ज्ञापन की मांग की थी जिस पर । था कि कोई ज्ञापन परिचालित करने से पूर्व हम सभी दलों से सलाह मशविरा करके इस र राष्ट्रीय सहमति जुटाने का प्रयास करेंगे ताकि सभी दलों के दृष्टिकोणों पर विचार किया जा र इस मामले को किसी स्तर पर कोई विद्वेष उत्पन्न किए बिना सहमति द्वारा निपटाया जाए वास्तविक रूप मे पिछड़े वर्गों को बिना किसी विद्वेष के वह सब दिया जाए जिसके लिए वे बहुत

समय से संघर्ष कर रहे हैं। अब तो निश्चित रूप से परामर्श किया जाएगा। हम जानते हैं कि निर्णय की तारीख बहुत करीब है। प्रत्येक व्यक्ति यह भी जानता है कि प्रतिदिन के आधार पर अनेक समस्याओं को लेकर कैसे दिन गुजर जाते हैं। इस पर उनको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

कुमारी दीपिका चिखलिया (बड़ौदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अन्तर्गत गुजरात की राज्य सरकार ने कृषि तथा ग्रामीण सहकारी ऋण राहत योजना, 1990 आरम्भ की है। योजना के अन्तर्गत भारत सरकार तथा राज्य सरकार को 50:50 के अनुपात में वित्तीय भार वहन करना होगा। 348 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय भार में केन्द्रीय सरकार का अंश 174 करोड़ रुपए का है और राज्य सरकार का अंश भी इतना ही, यानि, 174 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार का अंश भारत सरकार से 'नाबार्ड' के माध्यम से प्राप्त ऋण के रूप में योजना के अन्तर्गत धनराशि वहन करनी पड़ेगी।

भारत सरकार ने अब तक 'नाबार्ड' के माध्यम से राज्य के अंश के तौर पर 66.50 करोड़ रुपए की अनुदान राशि तथा इतनी ही ऋण राशि जारी की है। अत, कुल 133 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है जो राज्य सहकारी बैंक को जारी की गई है।

अब केन्द्रीय सरकार द्वारा 'नाबार्ड' के माध्यम से कुल 215 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाती है जिसका आधा भाग अनुदान राशि के रूप में तथा आधा ऋण के रूप में प्राप्त होना है। गुजरात सरकार ने इस बारे में बहुत बार आग्रह किया है पर अब तक कुछ नहीं किया गया।

उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री महोदय से एक बार पुन आग्रह करना चाहती हूं कि राज्य सरकार को यह अनुदान राशि तत्काल जारी की जाए।

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र को लिया जाएगा।

श्री एम० ओ० एच० फारूक।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, सभा पटल पर इनके पत्र रखने से पूर्व मैं एक बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह सभा पटल में पत्र रखने पर आपत्ति उठा रहे हैं। उन्होंने नोटिस दिए हैं।

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मद 2(1) तथा 2(3) पर चर्चा कर रहा हूं। मुझे यह बात मालूम है कि सामान्यत: एक साधारण सदस्य सभा पटल पर पत्र रखने पर आपत्ति नहीं कर सकता है और मेरी आपत्तियां तो वैसे भी सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति निपटाएंगे किन्तु, महोदय, मैं इस सम्बन्ध में सदन के विचारों से सहमत होना चाहता हूं कि सरकार सभा प पर वर्ष 1986-87 की पवन हंस लिमिटेड की समीक्षा और वर्ष 1986-87 के परीक्षित लेखाओं सा, पवन हंस लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट और इसी प्रकार राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की वर्ष 1986-87 की समीक्षा व इसी वर्ष के परीक्षित लेखाओं को रख रही है।

इस विलम्ब के कारणों की व्याख्या करने वाले सरकार के वक्तव्य को मैंने पढ़ा है।

मैंने उस विवरण से पढ़ा है जिसमें सरकार ने विलम्ब के कारणों का ब्यौरा दर्शाया गया है।

जहां तक पवन हंस लिमिटेड से सम्बन्धित वक्तव्य का सम्बन्ध है, वह सरकार की ओर से अपनी पूर्ण अक्षमता को स्वीकार करने वाला दस्तावेज है।

जहां तक राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण से सम्बन्धित वक्तव्य का सम्बन्ध है, वह विलम्ब का ऐसा दस्तावेज है जिसमें विलम्ब क्यों हुआ इसके बारे में बहुत कम दर्शाया गया है।

महोदय, पवन हंस लिमिटेड तथा राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण से सम्बन्धित लेखाओं को पांच वर्ष पश्चात् संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वर्ष 1986-87 के लेखाओं को पांच वर्ष के विलम्ब के पश्चात सदन पटल पर रखा जा रहा है। लेखापरीक्षा में भी पांच वर्ष का विलम्ब हुआ है।

मुझे विश्वास है कि इस सदन के प्रत्येक वर्ग को इस बात की चिन्ता होगी। सरकारी निकायों को अपनी समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखने में पांच वर्ष का विलम्ब करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस वक्तव्य में किसी भी बात का खुलासा नहीं किया गया है।

महोदय, मेरा यह अभिमत है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से समिति इस मामले की जांच करेगी।

12.50 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पवन हंस लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : महोदय, श्री माधवराव सिंधिया की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) पवन हंस लि०, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पवन हंस लि०, नई दिल्ली का वर्ष 1996-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 659/91]

(3) (एक) राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 25 के अन्तर्गत राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 660/91]

(5) (एक) भारतीय विमान परिचारिकाओं की वर्ष में दो बार डाक्टरी जांच के बारे में श्री सैफुद्दीन चौधरी, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 4258 के 10 अप्रैल, 1990 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 661/91]

वायुदूत लिमिटेड नई दिल्ली इत्यादि का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) वायुदूत लि०, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) वायुदूत लि०, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 539/91]

31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : महोदय, श्री दलबीर सिंह की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (1991 का सं० 1)—केन्द्रीय सरकार (अन्य स्वायत्त निकाय) की एक-एक प्रतिलिपि (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 663/91]

12.51 म० प०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 12 सितम्बर, 1991 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 10 सितम्बर, 1991 को हुई बैठक में पारित किए गए, उपासना स्थल (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1991 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क कानून (संशोधन) विधेयक, 1991 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 10 सितम्बर, 1991 को हुई बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापिस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

12.52 बजे

कार्यमंत्रणा समिति

छठा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा दिनांक 13 सितम्बर, 1991 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्यमन्त्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि यह सभा दिनांक 13 सितम्बर, 1991 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्यमन्त्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.53 बजे

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय : वाद-विवाद के अन्त में मैं नियम 377 के अन्तर्गत आने वाले मामलों को लेना चाहूंगा। हमें अब चर्चा वित्त मन्त्री के उत्तर से प्रारम्भ करनी चाहिए।

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन में हर पक्ष के सम्मानीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने वित्त विधेयक पर हुई बहस में भाग लिया है। वित्त विधेयक समग्र बजट का एक हिस्सा है, भले ही वह बजट में केवल कर सम्बन्धी प्रावधानों से ही सम्बन्धित है। इसलिए यह बिल्कुल स्वाभाविक ही था कि कई सम्मानीय सदस्यों ने नीतियों सम्बन्धी सामान्य मुद्दों को उठाया, और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे देश के भविष्य के लिए अत्यधिक महत्व के हैं। उदाहरणार्थ, कृषि की प्रमुखता का हवाला दिया गया। श्री चन्द्राकर ने हमारे देश में भूमि और जल की स्थिति में आयी गिरावट की भारी समस्या का ब्यौरा दिया जिसे यदि सम्भाला नहीं गया तो वह हमारे देश के उन करोड़ों किसानों के जीवन-स्तर पर चोट करेगी जो किसी तरह अपनी गुजर-बसर कर रहे हैं। श्री आर्जे फर्नान्डीज ने क्षेत्रीय असंतुलनों का मुद्दा उठाया और ये क्षेत्रीय असन्तुलन सदन के सभी वर्गों के लिए चिंता का विषय होने चाहिए। बेरोजगारी की बढ़ती समस्या का हवाला दिया गया। यह भी एक ऐसा ही मुद्दा है जिस पर सदन के सभी वर्गों को चिंता होनी चाहिए। तो, इन सारी समस्याओं का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार श्री जार्ज फर्नान्डीज ने बिहार में बिजली सम्बन्धी अधोसंरचना की अपर्याप्तता का विशेष रूप से जिक्र किया है—कि वह किस प्रकार से क्षमता की दृष्टि से संघ के एक अति समृद्ध राज्य के निरन्तर जारी पिछड़ेपन में योगदान कर रही है। ये सभी बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं और यदि देश को अपनी पूरी विकास क्षमता को प्राप्त करना है, यदि एक बेहतर भविष्य के लिए देश के लोगों की आकांक्षाओं को एक जीवंत वास्तविकता बनना है तो उन समस्त मुद्दों को सुलझाया जाना चाहिए।

लेकिन यह कैसे होगा ? मैं इस सम्मानित सदन से निवेदन करता हूं कि यदि वित्तीय अव्यवस्था को ठीक नहीं किया जाता, जिसमें हम फंसे हुए हैं, तो इन आकांक्षाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता है।

आज भारत न पाटे जा सकने वाले वित्तीय घाटा के दौर से गुजर रहा है और यही वह मुद्दा है जिस पर हर तरह का जनमत, और सारे अर्थशास्त्री—चाहे वे वामपंथी हों अथवा दक्षिणपंथी अथवा मध्यममार्गी—सहमत हैं। आप इस बात पर बहस कर सकते हैं कि यह वित्तीय घाटा हुआ कैसे, यह न पाटा जा सकने वाला विदेशी मुद्रा घाटा किस प्रकार हुआ। मेरे विचार से हम इस (बहस) पर काफी समय लगा सकते हैं। किन्तु आज हमारे समक्ष वास्तविक मुद्दा यह है, इस संकट में पड़ने के बाद, हम ऐसे क्या कदम उठा रहे हैं जिनसे संकट को बढ़ने से रोका जा सके और निर्धारित समयावधि के पश्चात इस प्रक्रिया को उलटा जा सके और इस संकट को, वस्तुतः एक सुअवसर बनाकर उन सुधारात्मक शक्तियों को गतिमान किया जा सके केवल जिनसे ही इस देश की महान विकासात्मक क्षमता, जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, मेरे विचार से, को हकीकत बनाया जा सकता है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि इस सदन में यह बजट छह या आठ सप्ताह पूर्व प्रस्तुत करके, मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि मैंने बड़ा तीर मार लिया है। किन्तु, यदि आप उस स्थिति पर गौर करें जो इस सरकार को विरासत में मिली थी—चाहे किन्हीं कारणों से रही हो जिसमें चाहे हमारे दल अथवा अन्य दलों का भी योगदान रहा हो—वह अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों के प्रति कतिपय गलतियों से उत्पन्न स्थिति थी। यदि हमने उस तरह कार्रवाई न की होती जिस तरह हमने की है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत को अब तक दिवालिया घोषित कर दिया गया होता। दिवालियेपन के क्या परिणाम होते हैं? दिवालियेपन के परिणाम जानने के लिए हमें चारों ओर दृष्टिपात करना होगा। लैटिन अमेरिका में क्या हुआ है? अफ्रीका में क्या हुआ? यदि एक बार देश अपने अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं कर पाता है, तो कोई उसकी ओर देखेगा भी नहीं। "नकद भुगतान पर माल उठाने" के आधार पर आयात किया जाता है। कोई ऋण नहीं देता। इसके बाद भी, मेरे विचार से, देर या सवेर, इन देशों को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा पेरिस क्लब अथवा लन्दन क्लब में अपने अन्तर्राष्ट्रीय महाजनों के समक्ष भीख का कटोरा लेकर जाना पड़ता है। मेरे विचार से हमने उस स्थिति को आने से रोका है। यह मेरा तथा मेरी सरकार का गम्भीर प्रयास रहा है कि हमें किसी भी प्रकार से इस देश के सम्मान को अक्षुण्ण बनाए रखना है तथा अपनी सारी प्रतिबद्धताओं को अक्षुण्ण बनाए रखने के बेदाग रिकार्ड को भी कायम रखना है।

मैं आपसे यह अनुरोध अवश्य करूंगा कि हमें ऐसा करने में सफलता मिली है। किन्तु, मैं आपसे यह वायदा नहीं कर रहा हूं कि यदि यह देश पहले की तरह ही खर्च करता रहा और यदि हर कोई यह कहे कि राजसहायता में वृद्धि की जाए और हर कोई यह कहे कि कर की दरों को घटाया जाए और यदि इस देश में पूंजी निवेश की उत्पादकता आज की भांति कम बनी रहे, तो मैं आपसे यह वायदा नहीं करता कि ऐसा कोई दैवी विधान है जिससे यह सुनिश्चित हो कि भारत दिवालिया नहीं होगा।

अतएव, मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि मैंने कुछ समय की मोहलत ली है। यह समय है जिसमें हमें आत्मावलोकन करना चाहिए ताकि उन सुधारात्मक प्रक्रियाओं को गतिमान किया जा सके जिनसे यह संकट की घड़ी एक सुअवसर में बदल जाएगी। यदि हम यह नहीं करते, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कि ऐसी बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का सामना करना होगा जो आपने इस देश में पहले कभी नहीं देखी होगी।

उर्वरकों पर राजसहायता कम करके मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। यह कटौती तो धीरे-धीरे करके पहले ही कर दी जानी चाहिए थी। कल माननीय सदस्य श्री देवगौडा ने एक प्रसिद्ध कृषि सचिव और कर्नाटक के एक सज्जन—श्री जी० वी० के० राव, जिनके प्रति मेरे हृदय में बड़ा सम्मान है—की एक रिपोर्ट का उल्लेख किया था, इसमें स्पष्ट रूप से यह सिफारिश की गई थी कि उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि की जाए तथा यह वृद्धि निश्चित अवधि में थोड़ा-थोड़ा करके की जानी चाहिए। परन्तु, यदि पिछले दशक के दौरान उर्वरकों की कीमतें नहीं बढ़ाई गईं और यहां मुझे बजट में 7000 करोड़ रुपए की राजसहायता का प्रावधान रखना पड़ रहा है तो अगर मैं इसमें कटौती न करूं तो मुझे इस देश का वित्त मन्त्री कहलाने का हक नहीं है। आप चाहे मुझे कितना ही दोष दें अथवा भला-बुरा कहें, मैं समझता हूं कि राजसहायता में कटौती करके मैंने सही काम किया है। मैं यह महसूस करता हूं कि हमने उर्वरकों के दाम बढ़ाए हैं, पर खरीद का मूल्य बढ़ाकर किसानों की प्रतिपूर्ति भी कर दी है। मेरे प्रिय साथी—कृषि मन्त्री यहां मौजूद हैं। कृषक समुदाय के कल्याण के प्रति वचनबद्ध हैं और आगामी महीनों में यदि कोई और समस्या आती है तो हम उन पर ध्यान देंगे।

1.00 म० प०

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमें अर्थव्यवस्था में आमूल परिवर्तन करना होगा। हमें व्यापार प्रणाली में परिवर्तन करना है ताकि हमें विदेशियों के समक्ष हाथ न फैलाना पड़े। और सच तो यह है कि विश्व मुद्राकोष अथवा विश्व बैंक अथवा अन्य किसी विदेशी के पास भारत सरीखे विशाल देश की समस्याओं का हल नहीं है और यदि आप यह समझते हैं कि वे हमें उधार देने को उत्सुक हैं तो मेरी राय में यह गलत धारणा है। मैं समझता हूं कि विश्व के अन्य देशों ने इतना कड़ा रुख अपना रखा है कि वे चाहते हैं 'यदि भारत स्थिति में स्वयं कोई सुधार नहीं लाता है तो उसकी मर्जी, उन्हें इसकी कोई चिन्ता नहीं।' अतः हम जो कुछ कर रहे हैं वह विश्व मुद्राकोष की सन्तुष्टि के लिए नहीं कर रहे हैं, आज हमें विश्व मुद्राकोष की सहायता की आवश्यकता है क्योंकि साख का संकट हमारे सामने है—जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय बैंकर्स, जिनसे हम अरबों डालर के अल्पकालिक ऋण ले चुके हैं—हमारी साख के प्रति चिन्तित हैं। वह आश्वस्त होना चाहते हैं कि भारत का दिवालिया नहीं निकलने वाला है। हमारे पास अनिवासी भारतीयों के 11 अरब डालर जमा हैं और वे लोग घबराकर इस पैसे को इस देश से बाहर लेकर जा रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों में, इसमें से एक अरब डालर देश से बाहर जा चुका है और यदि यह क्रम और एक-दो महीने जारी रहा तो देश के पास संचित धनराशि बिल्कुल नहीं रहेगी और बिना पैसे के देश की क्या स्थिति होगी?

देश में लगभग 20 लाख टन उर्वरक की खपत होती है। इसमें से 30 लाख टन उर्वरक विदेश से आता है और यदि भारत इसमें दोषी है और यदि हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं है तो देश में उर्वरकों का निश्चित रूप से अभाव हो जाएगा और इसकी कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हो जाएगी।

पेट्रोलियम उत्पादों की इस समय खपत 600 लाख टन है। हम देश में 340 लाख टन उत्पादन करते हैं और हम जो भी कहते रहें 30-40 लाख टन की कमी तो आगे बनी ही रहेगी और आज हमारे पास इन पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने के लिए नगद विदेशी मुद्रा नहीं है। हम इनका आयात ऋण के आधार पर कर रहे हैं। हमारे पास अखबारी कागज का नगद आयात करने के लिए भी पैसा नहीं है, हमने इसका ऋण के आधार पर आयात किया है। यदि कोई देश समय से ऋण नहीं

चुकाता तो उसे ऋण कौन देगा ? और यदि हम ऋण चुकाने में चूक गए होते तो भारत की परिवहन व्यवस्था ठप्प पड़ जाती जिसके औद्योगिक उत्पादन तथा कृषि उत्पादन के लिए भयकर परिणाम होते। आप इन सब बातों को ध्यान में रखकर इस बजट पर नजर डालें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह एक आदर्श बजट है, इस बजट के लिए तो मुझे 15 दिन से ज्यादा का भी समय नहीं मिला क्योंकि मुझे कुछ अत्यावश्यक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर तत्काल ध्यान देना पड़ा था। चाहे कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया हो कि इतिहास मुझे सबसे बड़ा अपराधी करार देगा—परन्तु मेरा यह दावा है कि भारत की सदाशयता कायम रखने के लिए मैंने कुछ सही और सार्थक निर्णय लिए हैं और मैं सभा में इन बातों का जिक्र आरम्भ में कर चुका हूं।

अब, कई कर-सम्बन्धी प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। निर्धन समाज में तो प्राय: हर व्यक्ति की सरकार से कोई न कोई उचित शिकायत होती है, और हमारा समाज तो वैसे ही अभावों से भरा है। पंडित जी कहा करते थे—तब हमारी जनसंख्या लगभग 35 करोड़ थी—कि हर व्यक्ति की एक समस्या है और हो सकता है वह उचित हो। एक गरीब देश में शिक्षा के प्रसार और विश्व में होने वाली घटनाओं के कारण जनता की आकांक्षाएं भी बढ़ गई हैं और वे परिवर्तन के लिए उतावले हो रहे हैं। हमारी व्यवस्था इतनी सक्षम नहीं हुई है जो इन बढ़ी हुई आकांक्षाओं को पूरा कर सके। इससे असन्तोष पैदा हो रहा है। और थोड़े समय बाद इससे निराशा पैदा होती है और यह निराशा गुस्से और आतंकवाद आदि को जन्म देती है। यदि मेरा हाथ तंग न होता, यदि व्यय कम करने की मजबूरी न होती तो मैं सभा में उठाई गई कई मांगों को सहर्ष स्वीकार कर लेता। सभा में व्यक्त की गई भावनाओं का चाहे वे इस पक्ष की हों या उस पक्ष की, मैं आदर करता हूं। वित्त मन्त्री के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उन सभी मुद्दों पर विचार करूं जो इस सदन में उठाए गए हैं। हो सकता है इस बजट में कुछ मांगों को पूरा करना सम्भव न हो अगला बजट आने में केवल पांच महीने बाकी हैं और जो मुद्दे यहां उठाए गए हैं मैं उन पर गम्भीरता से विचार करूंगा और अगले वर्ष जब मैं सदन के समक्ष आऊंगा तो बजट में उन मुद्दों के लिए व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा।

यह मांग निरन्तर की जा रही है कि आय कर छूट की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। यदि इस मुद्दे को अलग से देखें तो यह उचित लगता है। मैं चाहूंगा कि आप मौजूदा आपात स्थिति तक जिसमें हम छोटे-से-छोटे किसान पर भी बोझ लाद रहे हैं, को ध्यान में रखकर इस समस्या पर गौर करेंगे। साथ ही जब छूट सीमा का हवाला दिया जाता है तो लोग यह भूल जाते हैं कि इस देश में आयकर दाता एक मायने में विशिष्ट वर्ग है जिसके पास सुरक्षित नौकरी है जबकि यहां अधिकांश लोगों को दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। 22000 रुपए की आय बिल्कुल कर मुक्त है और इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की कुल आय 33000 रुपए है तो उसमें 12000 रुपए की मानक कटौती की व्यवस्था है।

अत:, वेतनभोगी कर्मचारी पर 33000 रुपए की आय तक कोई कर नहीं लगता है। इसके अलावा यदि उसके पास 13000 रुपए तक वित्तीय परिसम्पत्ति है, तो उसे कर से छूट भी मिलती है, और फिर भविष्य निधि में जीवन बीमा निगम आदि में अंशदान के रूप में बचत पर 20 प्रतिशत का लाभ भी मिलता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में व्याप्त गरीबी को और संसाधनों पर बढ़ते बोझ को ध्यान में रखते हुए इस समय इस सीमा को बढ़ाकर 50000 रुपए अथवा 48000 रुपए करना उचित नहीं है। परन्तु मैं यह मानता हूं कि मूल्य वृद्धि से कई समस्याएं पैदा हो गई है, न केवल

मध्यवर्गीय श्रेणी के लिए बल्कि दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले उन लोगों के लिए भी जिनके पास सुरक्षित नौकरी नहीं है और जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ भी प्राप्त नहीं है। दुर्भाग्यवश हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली सर्वाधिक अभावग्रस्त लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है। उनके पास एक-दो सप्ताह का राशन खरीदने का साधन अथवा क्षमता भी नहीं है। अतः हमें देश की समस्याओं को इस सन्दर्भ में देखना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन विष्णु राबले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं। आयकर की सीमा में 36,000 तक छूट न बढ़ाने के विरोध में हम शिव सेना के सदस्य वाक आउट करते हैं।

[अनुवाद]

[तत्पश्चात् श्री मोहन विष्णु राबले और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से उठकर चले गए।]

श्री मनमोहन सिंह : कई सदस्यों ने मूल्य वृद्धि का प्रश्न उठाया है। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि बजट के कारण मूल्यवृद्धि हो रही है। मैं मूल्यवृद्धि के बारे में बहुत चिन्तित हूं। सभा के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों की चिन्ता में मैं उनका साझीदार हूं। पर यह स्थिति कैसे पैदा हुई ? मैंने यह बताया है कि किस तरह पिछले वर्ष 13 से 14 प्रतिशत की मुद्रास्फीति की औसत दर बनी हुई थी। आमतौर पर सरकार द्वारा बजट फरवरी में पेश किया जाता है और बजट के फलस्वरूप ही हमारी जैसी अर्थव्यवस्था वाले देश में मूल्यों में कुछ वृद्धि अवश्य होती है। फरवरी में बजट पेश नहीं हुआ। बजट जुलाई में आया। जुलाई से सितम्बर के मौसम में आमतौर पर मूल्यवृद्धि होती है चाहे पैदावार साधारण ही हो। और फिर मुद्रा विनियम दर में भी परिवर्तन हुआ जोकि अपरिहार्य था। इन तीनों कारणों से कम अवधि में भी मुद्रास्फीति हुई।

पर यकीन मानिए कि यदि वित्तीय नीति सख्त रही तो हमारी आर्थिक नीति कठोर रहेगी। कल एक माननीय सदस्य—श्री झा ने कहा था कि हमें व्यापार हेतु ऋण लेने पर नियन्त्रण रखना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले सप्ताह खाद्यान्नों—चावल और गेहूं पर ऋण स्थिति को कड़ा कर ऐसी ही कार्यवाही की है। मैं आशा करता हूं कि जैसे ही अक्तूबर के आरम्भ में मण्डियों में फसल आने लगेगी तो कीमतें कम होने लगेंगी। साथ ही जैसे ही हमारी भुगतान सन्तुलन स्थिति बेहतर होगी, कुछ वस्तुओं की सप्लाई भी बेहतर हो जाएगी।

पिछले एक वर्ष में हम वनस्पति तेल का आयात नहीं कर पाए हैं। लेकिन गत 10 वर्षों के दौरान हमारे देश को 9 मिलियन टन वनस्पति तेल का आयात करना पड़ा। आज हमारे पास वनस्पति तेल का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से इसके मूल्य में वृद्धि होगी। यद्यपि हमारे पास स्रोतों का अभाव है फिर भी हमने वनस्पति तेल का आयात करने के लिए कुछ साधन जुटाए हैं। मुझे आशा है और पूरा विश्वास है कि अक्तूबर के मध्य तक आप प्रस्तुत की गई बजट सम्बन्धी नीति के फलस्वरूप मूल्य-स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पाएंगे।

मैं उठाए गए विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करूंगा। ये श्री निर्मल चटर्जी थे जिन्होंने कहा था कि जब एक ओर आप आपात स्थिति की बात कर रहे हैं तो आप इसे आयात की अनुमति क्यों दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस सामान को लाने से 873 करोड़ रुपए का सीमा शुल्क राजस्व वसूल किया जा रहा है। और यह सामान इस देश में वापस आने वाले लोगों का ही होता है। जो आंकड़े उन्होंने बताए तथा जो आशय वे व्यक्त करना चाहते थे वह यह है कि मैंने उदार रियायतें दी हैं लेकिन संयोगवश यह बात उचित नहीं है। यह वृद्धि सामान्यतया विनिमय दर में परिवर्तन के कारण हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हम आपात स्थिति से गुजर रहे हैं तो हम भारी मात्रा में आयात की अनुमति क्यों दे रहे हैं? मैं किस आयात की अनुमति दे रहा हूं? मैंने कहा कि इस देश को गत वर्ष के बराबर तेल खर्च पर ही गुजारा करना पड़ेगा। वास्तविकता यह है कि इस वर्ष के लिए आयोजित विदेशी मुद्रा में आयात की मात्रा गत वर्ष से कम है। पिछले वर्ष ही हमने आयात में भारी कटौती कर दी थी और मैं तो इस आयात स्थिरता के प्रभावों के बारे में अति चिन्तित हूं। लेकिन ऐसा कहना कि मैं देश को गुमराह कर रहा हूं—एक तरफ मैं आपात स्थिति की बात कर रहा हूं तथा दूसरी ओर इसके साथ ही मैं भारी आयात की अनुमति दे रहा हूं —मैं समझता हूं कि वस्तु स्थिति को देखते हुए अनुचित है।

ये श्री निर्मल चटर्जी हैं जिन्होंने कहा कि मैंने राज्यों के लिए कुछ नहीं किया है। वास्तव में यदि आप मेरे मूल बजट भाषण को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने केन्द्र से राज्यों को संसाधनों के अन्तरण की स्थिति में भारी सुधार किया है।

बजट में 2600 करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधन संग्रहण में से 612 करोड़ रुपए के संसाधन राज्य सरकारों के लिए हैं। राज्य सरकारों के लिए मैंने इतना संसाधन संग्रहण किया है यद्यपि इससे वित्त विधेयक के संशोधनों में मामूली सा अन्तर आएगा। वर्ष 1991-92 में राज्यों की करों एवं शुल्कों में भागीदारी 16,255 करोड़ रुपए है जो 1991 में संशोधित आकलनों 14,535 करोड़ रुपए की तुलना में अधिक है। इस प्रकार समग्र रूप से वर्ष 1991-92 के बजट आकलनों में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल प्रस्तावित संसाधन अन्तरण 42,360 करोड़ रुपए है जबकि 1990-91 के संशोधित आकलनों में यह राशि 37,332 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार इसमें 5000 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि हुई है। मुझे सभा में एक पहलू पर चर्चा करने दें। यह मुझे भारी दबाववश कहना पड़ा है कि जिस स्थिति में आप हैं उसमें आपको राज्यों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता में कम से कम कटौती करनी चाहिए। मैंने कहा कि यथासम्भव कटौती न करने का प्रयास करूंगा। देश के समक्ष विद्यमान आपात स्थिति के बावजूद मैं राज्यों को इस प्रकार की कटौती से पृथक रखने में सफल रहा हूं।

महोदय, मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि यदि केन्द्रीय सरकार का वित्तीय घाटा चलता रहे और राज्य सरकारों का रवैया पहले जैसा रहे तथा उनका कामकाज पहले जैसा ही चलता रहे, यदि राज्यों में सार्वजनिक उद्यमों को भलीभांति न चलाया जाए तो इस देश में वित्तीय अनुशासन नहीं रह सकता। इसलिए हमारा एक कर्तव्य है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को एक साथ बैठकर देश की वित्तीय व्यवस्था पर बातचीत करनी चाहिए, केवल तभी इसमें सुधार किया जा सकता है···

(व्यवधान)

मैं आपको आश्वासन देता हूं कि वित्त मन्त्री के रूप में केन्द्र-राज्यों की समस्याओं को निपटाने में सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने हेतु मेरा पूरा सहयोग रहेगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मैंने खेप कर और लघु बचत का उल्लेख किया है। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मनमोहन सिंह : लघु बचतों के बारे में मैं आपसे एवं पश्चिम बंगाल से प्राप्त हुए सुझावों के प्रत्युत्तर में यह बताना चाहूंगा कि मेरे पास राष्ट्रीय लघु बचत प्रमाणपत्र VIII शृंखला में धारा 80 एल का लाभ देने के लिए एक विशेष संशोधन है। यह भी मांग की गई है लघु बचतों पर ब्याज दर में वृद्धि की जाए। कल दूसरे सदन में मेरे सहयोगी से भी यही बात पूछी गई और उन्होंने सदन को बताया कि एक अक्तूबर से विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज की दर बढ़ाई जा रही है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : खेप कर के मामले में क्या हुआ ? इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मनमोहन सिंह : ठीक है, खेप कर के बारे में मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री से लम्बी बातचीत की है और मैं समझता हूं हमने सम्बन्धित प्रक्रिया शुरू कर ली है। 2-3 महीनों के अन्दर, मुझे उम्मीद है कि हम एक ऐसा समाधान ढूंढ़ निकालेंगे जो सभी राज्यों को स्वीकार्य होगा। आपको यह नहीं भूलना चाहिए, कि इस मामले पर मतभेद हैं। लेकिन मैं यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं कि इन मतभेदों को आगामी दो-तीन महीनों में सन्तोषजनक ढंग से सुलझा लिया जाए। मैंने यह बात मुख्य मन्त्री जी को सविस्तार स्पष्ट कर दी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उनका कहना है कि उन्हें इसके लिए 2-3 महीने का समय चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उनका स्वागत है।

श्री मनमोहन सिंह : मैं सहकारी बैंकों के बारे में सोचता हूं। इस सभा पटल पर जो कुछ कहा गया मैंने उस पर गौर किया है। जहां तक कृषि सहकारी बैंकों का सवाल है, जहां तक प्राथमिक सहकारी बैंकों का सम्बन्ध है, जहां तक भूमि-बंधक बैंकों (लैन्ड मोर्टगेज बैंक) का सवाल है, मैंने उन्हें कर कटौती तथा ब्याज कर के दायरे से पूर्णतया अलग कर दिया है।

कई सदस्यों ने विशेषकर महाराष्ट्र और गुजरात के सदस्यों ने—क्योंकि इन राज्यों में शहरी सहकारी बैंकों का कार्य जोरों पर है—कुछ कठिनाइयों की ओर मेरा ध्यान दिलाया है। यद्यपि मैं आज इस स्थिति में नहीं हूं कि उक्त कठिनाइयों के समाधान का ठोस आश्वासन दूं लेकिन फिर भी उनके द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा।

मेरा सहकारी आन्दोलन को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है चाहे यह आन्दोलन शहरी क्षेत्रों में हो अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारे देश में एक स्वास्थ्य सहकारी आन्दोलन हमारे समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को संरक्षण प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति है।

कुछ अन्य मुद्दे भी उठाए गए हैं। श्री काशीराम राणा ने उल्लेख किया कि कपड़े पर उत्पादन शुल्क में अभिवंचन को रोकने के लिए सूती धागे पर बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जाए। इस मामले पर कई राज्यों से बातचीत की गई। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री ने सुझाव दिया है इस मामले पर कोई निर्णय लेने से पहले इस अन्तर्राज्यीय परिषद में आगे चर्चा होनी चाहिए। इस प्रकार जब इस बारे में अन्तर्राज्यीय परिषद में कोई निर्णय लिया जाएगा तभी हम इस मामले में आगे कार्यवाही करेंगे।

हमारे देश में शीशा उद्योग पर कराधान का मामला श्रीमती वसुन्धरा राजे ने उठाया। जहां तक मुझे याद है मैंने इस उद्योग पर कोई अतिरिक्त कराधान लागू नहीं किया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वर्तमान श्रेणी को ज्यादा समझा जा रहा है और इसलिए मैं आपको वर्तमान स्थिति की पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा। 'माउथ ब्लोन' पद्धति से कांच का उत्पादन करने वाले उद्योगों में इस समय उत्पादन शुल्क केवल 15 प्रतिशत है। स्वचालित क्षेत्र में डिब्बों (कन्टेनरस) पर उत्पादन शुल्क निसन्देह 40 प्रतिशत है। लेकिन इन कन्टेनरों की अधिकांश खपत शराब उद्योग में है। इस पर उत्पादन शुल्क में कटौती करने से राजस्व की हानि होगी जो पूरे वर्ष में 120 करोड़ रुपए होगी।

जहां तक प्लास्टिक कन्टेनरों का सवाल है, यदि इन पर संशोधित मूल्य वर्धित कराधान (मोडवेट) को लागू किया जाता, तो इन पर केवल 75 प्रतिशत कर लगता है। लेकिन प्लास्टिक बाने पर 30 प्रतिशत शुल्क लगता है।

जहां तक काग़ज के डिब्बों (पेपर कन्टेनर) का सवाल है—रद्दी कागज पर उत्पादन शुल्क 30 प्रतिशत है। वर्तमान जब क्षेत्र में शीशे के कन्टेनरों के प्रयोगकर्त्ताओं को, शुल्क योग्य औषधों, सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री पर 'मोडवेट' का लाभ मिलेगा। इसलिए उन्हें इस 40 प्रतिशत के बारे में चिन्तित नहीं होना चाहिए। इसमें कटौती करने से 'माउथ ब्लोन' पद्धति से कांच का उत्पादन करने वाले शीशा उद्योग को होने वाले शुल्क लाभ में भी कमी आ जाएगी। वर्तमान स्थिति ऐसी है। इसलिए मुझे खेद है कि मैं शीशा उद्योग के लिए आगे कुछ करने में असमर्थ हूं। लेकिन आने वाले महीनों यदि वास्तव में कुछ करने की आवश्यकता हुई तो मैं करूंगा।

कुछ सदस्यों ने 'पेनल डोर्स' की समस्या उठाई और कहा कि लघु उद्योग क्षेत्र में इस प्रकार का कराधान है। 'पेनल डोर' के बारे में स्थिति यह है कि इन पर 30 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगाया गया है क्योंकि ऐसे दरवाजे कार्यात्मक हैं और इनकी मूल्य-वार 'फ्लश डोर' से तुलना की जा सकती है जिन पर कि पहले से ही 30 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। फिर भी मूल्य-वार 'फ्लश डोर' और 'पेनल डोर' एक ही श्रेणी में आते हैं। यह बात सही है कि सामान्यतया 'पेनल डोर्स' का निर्माण लघु उद्योग क्षेत्र में किया जाता है और इस प्रकार यह मद लघु उद्योग छूट योजना के अन्तर्गत आती है जिसमें 20 लाख रुपए तक पहली निकासी पर उत्पादन शुल्क की पूरी छूट होती है। तदन्तर 'पेनल डोर्स' की 75 लाख रुपए मूल्य तक निकासी पर 20 प्रतिशत की रियायत दर से उत्पादन शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।

कई सदस्यों ने यह सवाल उठाया—मैं समझता हूं सभा के उस पक्ष से डा० देवी प्रसाद पाल ने मूल्यह्रास का मामला उठाया—कि मैंने मूल्यह्रास दर में कमी क्यों की है। ईमानदारी की बात तो यह है कि मैंने संसाधन जुटाने के एक उपाय के रूप में मूल्यह्रास दर में की है। यदि संसाधन की

स्थिति में सुधार होता है तो मैं मूल्यह्रास दर में परिवर्तन करने पर विचार कर सकता हूं क्योंकि मेरा किसी भी प्रकार से यह कोई इरादा नहीं है कि भारतीय उद्योग को कोई नुकसान पहुंचे। ऐसा इस देश में अधिक धन पैदा करने से ही हो पाएगा ताकि हम गरीबी और अल्प-विकास की मूल्य समस्याओं का समाधान कर सकें। लेकिन मेरे समक्ष ऐसी आपात स्थिति है जिसमें निगमित लाभ तो बढ़ रहा है लेकिन राज्य में राजस्व घट रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि निगमित क्षेत्र में थोड़ी कटौती करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

जहां तक मैं समझता हूं। शेयर बाजार ने इसे भली-भांति लिया है। उन्होंने इसे उत्साह से ग्रहण किया है। इसलिए को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है कि मैंने जो मूल्यह्रास के मामले में जो किया है उससे हमारे देश में निवेश कोई फर्क पड़ेगा।

कई, सदस्यों ने शेयरों के मूल्यांकन का प्रश्न उठाया है और वहां मैंने कुछ संशोधन किए हैं। मैंने औसत सिद्धांतों को लागू किया है जो मेरा विश्वास है कि इस विषय पर डा० देवी प्रसाद पाल और कुछ अन्य सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का पर्याप्त समाधान करेंगे।

वातानुकूलित रैस्टोरेंटों में व्यय कर के बारे में, मेरे विचार में यह आलोचना सही थी कि इस बारे में योग्य होने सम्बन्धी मानदंडों में शायद संशोधन की आवश्यकता है। सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए मैंने अब स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल वातानुकूलित रैस्टोरेंटों पर ही यह कर लागू होगा। मैं यह भी मानता हूं कि कभी-कभी वातानुकूलन करना भी आवश्यक होता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें रैस्टोरेंटो को वातानुकूलित नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा यह मानना है कि हमारे जैसे गरीब देश में, जो लोग वातानुकूलित रैस्टोरेंटों में जाने का सामर्थ्य रखते हैं उन्हें अपने खर्च का एक हिस्सा सरकार को भी देना चाहिए, अगर इसमें कोई प्रशासनिक समस्याए हैं तो हम सतर्क रहेंगे। मैं ईमानदार करदाता को तंग नहीं करना चाहता हूं, अगर इस कराधान को कार्यान्वित करने में कोई प्रशासनिक समस्या मेरी जानकारी में आती है तो मैं सतर्क रहूंगा। (व्यवधान)

कई सदस्यों ने ब्याज कर की आवश्यकता पर प्रश्न चिह्न लगाया है। अब वर्तमान स्थिति में जब मुद्रा-स्फीति 15 प्रतिशत की दर पर है। अगर हम अपने बैंक उद्योग की व्यवहार्यता बनाए रखना चाहते हैं तो ब्याज की दरों में वृद्धि करनी आवश्यक है। कई सदस्यों ने यहां उल्लेख किया है कि कई बैंक रुग्ण हैं। अब अगर बैंक जमाराशि पर प्रतियोगी ब्याज दरों पर भुगतान करते हैं और अगर वे ऋण लेने वालों से समान दरों पर ब्याज नहीं लेते हैं और अगर ऋणों मेलों अथवा ऋण माफी के कारण ऋणों की हानि यूं ही बढ़ती रहती है तो इसका हमारी बैंकिंग प्रणाली पर गम्भीर प्रभाव पड़ेंगे। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि कुल मिलाकर स्थिति इतनी शोचनीय नहीं है लेकिन मैं भारतीय बैंकिंग प्रणाली के कार्यकरण से भी प्रसन्न नहीं हूं। अगर हम अपने तरीके नहीं बदलते हैं मैं समझता हूं कि वह महत्वपूर्ण उद्योग भी अत्यन्त रुग्ण उद्योग बन जाएगा। जब वित्तीय क्षेत्र रुग्ण बन जाता है तो बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले विकासात्मक लक्ष्य भी बाधित हो जाएंगे। इसलिए, मैं इस मामले में सदन का सहयोग चाहता हूं कि बैंकिंग प्रणाली जहां तक सम्भव हो सके राजनीतिकरण से अलग-थलग रहे और बैंकों में उच्च पदों पर नियुक्तियां गुणों के आधार पर हों, राजनीतिक आधार पर बैंक ऋण न दिए जाएं, केवल इसी प्रकार से ही हम अपनी बैंकिंग प्रणाली को स्वस्थ रख सकते हैं।

जहां तक ब्याज कर का सवाल है यह एक आपातकालीन उपाय है। यह धन के प्रभाव के साथ किया जाने वाला एक वित्तीय उपाय है। यह वर्ष 1974 में लगाया गया था, जब मुद्रास्फीति की स्थिति सुधर गई तो इसे हटा दिया गया था। वर्ष 1980 में इसे दोबारा से लगाया गया था, मुद्रास्फीति की स्थिति सुधारने पर इसे फिर हटा दिया गया था। मेरा विचार है कि अगर आप मेरी सलाह मानें तो अगले तीन वर्षों के समय में इस देश में मुद्रास्फीति की दर किसी अन्य देश के समान ही होगी। अगर मैं इसमें सफल हो जाऊं, अगर मैं ब्याज दर को घटाकर उसे 7% तक ले आऊं तो भारत की प्रगति के इतिहास में यह एक नए युग का सूत्रपात होगा। लेकिन हमारे देश की दुसाध्य समस्याओं का कोई तत्काल उपचार नहीं है। वर्ष-प्रति-वर्ष हमारे देश की उत्पादकता कम होती जा रही है, इसे ठीक होने में काफी समय लगेगा। वित्तीय व्यवस्था भी खराब चल रही है। कर प्रशासन भी कई मायनों में अपूर्ण है। इन सबमें थोड़ा समय लगेगा। इस बीच देश को धैर्य रखना होगा। इसे वित्तीय अनुशासन की बात को स्वीकार करना होगा क्योंकि वित्तीय अनुशासन के बिना कोई सामाजिक न्याय सम्भव नहीं है। हमें आज युगास्लाविया में जो हो रहा है उससे सीख लेनी चाहिए। हमें सोवियत संघ की घटनाओं से सीख लेनी चाहिए। उनकी राजनीतिक समस्याएं और एक स्पंदनशील समाज का राजनीतिक विखण्डन समाज के सही तरह से कार्य न करने के मूल में छिपे हैं। और अगर हम इन दोषों को जड़ से दूर नहीं करते हैं तो कल जैसा श्री फर्नान्डीज ने कहा था कि बिहार भी असम का रास्ता अपनाएगा और स्थिति और खराब हो जाएगी, और मुझे भी इस बात की चिंता है।

पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने पूर्वोत्तर भारत की समस्याओं के बारे में कहा है। ये वो राज्य हैं जो अपने प्रशासन को चलाने और विकास कार्यों हेतु धन के लिए पूरी तरह केन्द्र सरकार पर आश्रित हैं। आज जम्मू और कश्मीर केन्द्रीय सरकार के लिए एक भार बन गया है। साथ ही पंजाब जैसी सम्पन्न राज्य भी राजकोष के लिए भार बन गया है। एक दिवालिया केन्द्रीय सत्ता पूर्वोत्तर राज्यों की सहायता कैसे करेगी? ये जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए संसाधनों को कैसे जुटाएगी? ये क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के लिए साधन कैसे जुटाएगी, जिनका कल श्री फर्नान्डीज ने जिक्र किया था? मैं समझता हूं कि यह हम सबकी संयुक्त जिम्मेवारी है कि हम इस वित्तीय स्थिति को सुधारें और यह कोशिश करें कि भारत की वित्तीय प्रणाली पूर्ववत हो जाए। मेरी इच्छा है कि घरेलू उत्पाद में घाटे को 6.5 प्रतिशत तक कम कर दिया जाए। मैं इसे करना चाहता हूं क्योंकि मेरी विश्वसनीयता दाव पर लगी हुई है अगर मैं इसमें सफल नहीं होता हूं तो यह एक नकारात्मक बात होगी। मैं यहां नहीं रुकना चाहता हूं। मेरा इरादा है कि इस रास्ते पर मैं अगले दो-तीन वर्षों तक बढ़ता रहूंगा। आने वाले वर्षों में मेरा सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 5 प्रतिशत तक इस घाटे को कम करने का विचार है। इसे और समेकित करके तीसरे वर्ष के अन्त तक भारत की वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करने का इरादा है ताकि यह हमारी योजना प्रक्रिया को सुगठित करने के लिए एक शक्ति स्रोत बन सके।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे द्वारा शुरू की गई ढांचागत सुधार प्रक्रिया केवल एक-पक्षीय मामला नहीं है। वित्तीय समेकन इसकी पहली शर्त है। लेकिन व्यापार प्रणाली में इसके पश्चात सुधार अवश्य किए जाने चाहिए। हमने यह प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है।

अब हम यहां नहीं रुक सकते हैं। मैं जैनेवा गया था जहां "गैट" (जी० ए० टी० टी०) स्थित है, मैं जहां कहीं भी गया लोगों ने मुझसे हमारे सीमा शुल्क के बारे में पूछा और तब मैंने बताया कि हमारा सीमा शुल्क कभी 500 प्रतिशत होता है तो कभी 300 प्रतिशत, कभी 150 प्रतिशत तो

कभी 100 प्रतिशत लोग इस इस बात पर हंसते थे। विश्व में बहुत परिवर्तन हो चुका है और भारत भी अलग-थलग नहीं रह सकता है। इसलिए, हमें परिवर्तन की हवाओं का ध्यान रखना है।

यूरोप में, साझाबाजार है, सम्पूर्ण यूरोप एक साझाबाजार बन रहा है जिसमें टैरिफ की बाधाएं नहीं है।

अमरीका, मेक्सिको और यहां तक कि लैटिन अमरीका की साझाबाजार की बात कर रहे हैं। पूर्व एशिया, जापान और सम्पूर्ण पैसिफिक क्षेत्र एक साझाबाजार बनने जा रहा है। अगर आप लोग सोचते हैं आप सारे विश्व में जो घट रहा है उसके अपवाद हो सकते हैं और यद्यपि शेष समस्त संसार टैरिफ की बाधा को समाप्त कर सकता है और अपनी टैरिफ प्रणाली के आधार पर हमारा देश अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है, समृद्धि प्राप्त कर सकता है और अपने राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है तो मेरे विचार से आप गलत हैं। जब हम विदेश जाएंगे तो लोग कहेंगे कि ये लोग मंगल ग्रह से आए हैं। इसलिए हमें अपनी टैरिफ प्रणाली को आधुनिक बनाना चाहिए मेरा आशय है कि अगले पांच वर्षों में मैं भारतीय उद्योग का प्राप्त संरक्षण की मात्रा में कमी करूंगा।

श्री फर्नान्डीज ने गरीबी की समस्या का उल्लेख किया था। भारत गरीब कैसे बना? जब हम इस देश में गरीबी के मूल कारणों की बात करते हैं तो चुप्पी छा जाती हैं। इन बीस वर्षों के दौरान नियोजित विकास के नाम पर हमने भारतीय उद्योग को अव्यवस्थित रूप से संरक्षण दिया है, और जब आप किसी को संरक्षण देते हैं तो यह संरक्षण किसी अन्य की कीमत पर दिया जाता है। भारतीय उद्योग को दिए गए अन्धाधुन्ध संरक्षण का शिकार ग्रामीण क्षेत्र हुआ है जिसके कारण इस देश के किसान अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। (व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : इन वर्षों के दौरान इस देश में कांग्रेस का शासन रहा है, उनका इसमें क्या योगदान रहा है? (व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : लोग उर्वरकों के मूल्य की बात करते हैं। उर्वरक उद्योग अन्य उद्योगों की तरह अकुशल क्यों है? सभी उद्योगों को अत्यधिक संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। उनका लागत को कम करने का इरादा नहीं है और वे अलग रहकर कार्य करते हैं, अगर हमारी और अधिक प्रतियोगी अर्थव्यवस्था होती तो वे अपने आपको बाजार में उचित सिद्ध कर सकते थे। अगर वे कुशल नहीं हैं और अगर हमारा समाज उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति जिम्मेवार है तो आप पायेंगे कि इस प्रक्रिया में आप शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बीच बढ़ रहे अन्तर को कम कर पाएंगे। अतएव, संरक्षण प्रणाली में सुधार, सुधार प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है।

इसी प्रकार वित्तीय प्रणाली के सुधार की बात है। मैंने पहले ही बैंकिंग प्रणाली की हालत का उल्लेख किया था। सदन में किसी ऋण मेलों का उल्लेख किया था। ऋण मेलों के योगदान को मैं नहीं नकारता, लेकिन मेरे विचार में ऋण माफी की भारी भरकम योजना भी इसके लिए भयंकर रूप से उत्तरदायी है जिससे ऋण लेने की साख को धक्का पहुंचा है, ऋण वापसी के चक्र को धक्का पहुंचा है जोकि एक सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली का आधार है। हमारे बैंक सामाजिक लेन-देन के प्रति प्रतिबद्ध हैं। मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं समझता हूं किसी प्रकार के भय के लिए कोई आधार नहीं होना चाहिए कि हम बैंकिंग प्रणाली के विकास के प्रमुख अस्त्र के रूप में प्रयोग करने के वायदे से मुकर रहे

हैं। इस देश में सामाजिक लेन-देन बना रहेगा। चुनौती उस वास्तविकता से मुकरने की नहीं है अपितु सामाजिक लेन-देन को लाभप्रद बनाने की है। और बैंकों को इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। बैंक को हमारे समाज की विशेषकर गरीब वर्गों, कारीगरों और लघु उद्यमियों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। परन्तु साथ ही उन्हें अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहिए क्योंकि यदि वे स्वस्थ नहीं होंगी तो वे कार्य नहीं कर सकती जिसकी हम उनसे अपेक्षा रखते हैं। इसलिए, वित्तीय सुधार बहुत आवश्यक हैं।

इसी प्रकार, प्रबन्ध की भूमिका तथा सार्वजनिक क्षेत्र का कार्यकरण सुधार प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। एक सार्वजनिक क्षेत्र जो लाभकारी है, गतिशील है और जो प्रौद्योगिकीय विकास में गति निर्धारक है, वह हमारे देश के लिए महान शक्ति का स्रोत है। परन्तु एक ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र जो वर्ष दर वर्ष संसाधनों को चूसता है और जो संसाधन पैदा नहीं करता, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि वह ना हो तो विकास में और ना ही सामाजिक न्याय के उद्देश्य को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है।

हम यह मानते हैं कि ये नाजुक मुद्दे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इन सभी समस्याओं का समाधान कर दिया है परन्तु मैंने यह किया है कि हमें इन नाजुक क्षेत्रों पर गौर करने के लिए और समय मिल गया है। आने वाले महीनों में, इस देश को और अधिक अर्थपूर्ण राष्ट्रीय सहमति ढूंढनी चाहिए ताकि हम मिलकर इन समस्याओं से निपटने के लिए एक नया भारतीय दृष्टिकोण बना सकें। यह हमारा अपने प्रति, अपने बच्चों के प्रति और अपने बच्चों के बच्चों के प्रति कर्त्तव्य है। इन समस्याओं का समाधान ढूंढ कर ही हम इस देश के लिए वह सम्मान प्राप्त कर सकते हैं जिसका यह अधिकारी है। हमारी स्थानीय भाषा, पंजाबी में एक कहावत है :

"दुनिया मांदी जोरां दीं, लखलाहनत कमजोरां दीं" गिरती हुई अर्थव्यवस्था के आधार पर आप एक स्वतन्त्र विदेश नीति नहीं अपना सकते। यदि आपकी कोई अन्तर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं—और 35 करोड़ की आबादी तथा महान सभ्यता वाला देश, जिसने विश्व को बहुत कुछ दिया है, अन्तर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं क्यों न रखे? हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाने की महत्वाकांक्षा क्यों न रखें? परन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलने से ही यह वास्तविकता नहीं बन सकती परन्तु जो हम यहां अपनी अर्थव्यवस्था को पुनःजीवित करने हेतु करते हैं उसके आधार पर वास्तविकता बन सकती है, भारत को एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए करते हैं ताकि विदेशी इसे गम्भीरता से लें कि यहां क्या होता है और हम विश्व अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जायें। हम लेन-देन करते हैं। केवल यही एक आधार है जिस पर आप बाकी विश्व का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, यह बजट इस रणनीति का हिस्सा है।

इन शब्दों के साथ मैं इस वित्त विधेयक को इस महान सभा को सौंपता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। चूंकि खण्ड 2, 3 और 4 के लिए कोई संशोधन नहीं हैं, मैं अब खण्ड 2 से 4 का सभा के मतदान हेतु रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 5—(धारा 10 का संशोधन)

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 5 के लिए एक संशोधन है, जिसका सुझाव श्री गिरधारी लाल भार्गव ने दिया है। भार्गव जी, क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 7—

"बोनस" के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए :—

"और "मनी बैंक स्कीम" में समय-समय पर प्राप्त राशि"। (20)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री भार्गव द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रस्ताव रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 6 का कोई संशोधत नहीं है।

अब प्रश्न यह है कि :

खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 7 (धारा 12क में संशोधन)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 7, पंक्ति 13 से 15 के स्थान पर निम्नलिखित रख :—

'7. आय-कर अधिनियम की धारा 12क खंड (क) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक 1 अक्तूबर, 1991 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु जहां न्यास या संस्थान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पूर्वोक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् किया जाता है वहां धारा 11 और धारा 12 के उपबन्ध ऐसे न्यास या संस्था की आय के सम्बन्ध में,—

(i) यदि मुख्य आयुक्त या आयुक्त का, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह समाधान हो जाता है कि आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति पूर्वोक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व आवेदन करने से पर्याप्त कारणों से प्रतिविरत रहा था तो न्यास के सृजन या संस्था की स्थापना की तारीख से;

(ii) यदि मुख्य आयुक्त या आयुक्त का इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो उस वित्तीय वर्ष के जिसमें आवेदन किया जाता है, प्रथम दिन से, लागू होंगे;" ।' । (49)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 7, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 8 में कोई संशोधन नहीं है :

प्रश्न यह है कि :

खण्ड 8 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 9 (धारा 17 का संशोधन)

अध्यक्ष महोदय : डा० देवी प्रसाद पाल ने एक संशोधन का सुझाव दिया है। क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

डा० देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7, पंक्तियां 30 और 31,—

"अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्" के स्थान पर—

"1 अप्रैल, 1982 से" अन्तःस्थापित किया गया, अर्थात्" प्रतिस्थापित किया जाए। (37)

पृष्ठ 8, पंक्ति 5,—

"पंचहत्तर हजार रुपए" के स्थान पर

"सीमा जैसी कि विहित की जाए"

प्रतिस्थापित किया जाए। (38)

अध्यक्ष महोदय : सरकारी संशोधन भी हैं।

श्री मनमोहन सिंह

पृष्ठ 7, पंक्ति 43 और 44 में 'कर्मचारी की दशा में पांच हजार रुपए और उसके कुटुम्ब की दशा में अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक नहीं हो' के स्थान पर 'दस हजार रुपए से अधिक नहीं हो' रखें। (50)

पृष्ठ 8, पंक्ति 5, में, "पचहत्तर हजार रुपए" के स्थान पर "एक लाख रुपए" रखें। (51)
(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 37 और 38 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन 37 और 38 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9, यथासंशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 10 पर कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड II

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त सिंह, डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री द्वारा सुझाए गए कुछ संशोधन हैं। श्री जसवन्त सिंह, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 8,—

पंक्ति 25 से 30 तक का लोप किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : एक सरकारी संशोधन भी है।

श्री मनमोहन सिंह।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 8, पंक्ति 18 से 23 तक के स्थान पर निम्नलिखित रखें,—

(क) दूसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात :—

'परन्तु यह और कि—

(क) भारत के बाहर विनिर्मित किसी मोटरकार की बाबत और जहां कोई मोटरकार निर्धारिती द्वारा 28 फरवरी, 1975 के पश्चात् अर्जित की जाती है और जब तक कि उसका प्रयोग —

(i) पर्यटकों के लिए किराए पर चलाए जाने के कारबार के लिए नहीं किया जाता है; या

(ii) भारत के बाहर किसी अन्य देश में अपने कारबार या वृत्ति में नहीं किया जाता है; और

(ख) किसी मशीन या संयंत्र की बाबत, यदि उसकी वास्तविक लागत धारा 42 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए किसी करार के अधीन एक वर्ष या अधिक वर्षों में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाती है,

इस खण्ड की अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।" ।' । (52)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जसवन्त सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं० 8 का सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 8 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11, यथासंशोधित विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 11, यथासंशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 12 से 14 पर कोई संशोधन नहीं हैं । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 से 14 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 12 से 14 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 15—नई धारा 43घ का अन्तःस्थापन

अध्यक्ष महोदय : एक सरकारी संशोधन भी है ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 9, पंक्ति 35 में से, '1 अप्रैल, 1992 से' का लोप करें । (53)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15, यथासंशोधित विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 15, यथासंशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 16 से 18 पर कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 से 18 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 19 से 18 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 16—धारा 48 का संशोधन

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 10, पंक्ति 18,—

"पन्द्रह हजार रुपए" के स्थान पर

'तीस हजार रुपए" प्रतिस्थापित किया जाए । (21)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 21 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 19 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 20 से 25

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 20 से 25 में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 20 से 25 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 20 से 25 तक विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 26—धारा 80 जी का संशोधन

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 11,—

पंक्ति 18 से 21 का लोप किया जाए। (22)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 22 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 22 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 26 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 27 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 27 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 28—धारा 80 एच०, एच० सी० का संशोधन

खण्ड-28

श्री बसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 12,—

पंक्ति 23 से 27 तक का लोप किया जाए। (9)

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 12,—

पंक्ति 23 से 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

'खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा', अर्थात् :—

"(कक) होटलों तथा भ्रमण आपरेटरों के बारे में आयकर अधिनियम की धारा 80जजघ के उपबंध, "भारत के बाहर निर्यात" के अन्तर्गत भारत में स्थित किसी दुकान, इम्पोरियम या किसी अन्य स्थापन में विदेशी मुद्रा में विक्रय धनराशि, पर भी लागू होंगे।" (31)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 12,—

पंक्ति 23 से 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

(कक) "भारत के बाहर निर्यात" में भारत में स्थित किसी दुकान, इम्पोरियम या किसी अन्य स्थापन में विक्रय के रूप में अन्यथा किसी विदेशी पर्यटक को परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के बदले सामान भारत से बाहर ले जाने के लिए परिवचन देना भी सम्मिलित होगा । (59)

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 11, पंक्ति 34 के पश्चात् निम्नलिखित अंत स्थापित करें,—

'परन्तु इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन संगणित लाभ में उतनी रकम बढ़ा दी जाएगी जिसका धारा 28 के खंड (iii क) में निर्दिष्ट किसी राशि (जो किसी अन्य व्यक्ति से अर्जित की गई किसी अनुज्ञप्ति के विक्रय से लाभ नहीं है) और खण्ड (iii ख) और खंड (iii ग) में निर्दिष्ट किसी राशि के सम्बे प्रतिशत से वही अनुपात है जो निर्यात आवर्त का निर्धारिती द्वारा चलाए जाने वाले कारबार के कुल आवर्त से है ।'। (54)

पृष्ठ 12, पंक्ति 39 में 'दलाली, कमीशन' के पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें,—

"धारा 28 के खंड (iii क), (iii ख) और (iii) में निर्दिष्ट किसी राशि का या।" (55)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जसवंत सिंह द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 9, श्री भगवान शंकर रावत द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 31 तथा श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा रखे गए संशोधन सं० 39 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन 9, 31 और 39 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 28, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 28, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 29—धारा 80 एच० एच० डी० का संशोधन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 13, पंक्ति 38 से 46 तक का लोप करें। (56)

पृष्ठ 13, पंक्ति 47 में '(ङ)' के स्थान पर '(च)' रखें। (57)

पृष्ठ 13, पंक्ति 50 और 51 में, "जैसे कि वे उपधारा (3) के परंतुक में निर्दिष्ट अन्य निर्धारिती को उसके द्वारा किए गए संदायों को कम करके आएं, कुल रकम" का लोप करें। (58)

पृष्ठ 13, पंक्ति 53 में, '(च)' के स्थान पर '(ङ)' रखें। (59)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 29, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 29, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 30—नई धारा एच० एच० ई० को अन्तःस्थापन

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 30, श्री मनमोहन सिंह एक संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 14, पंक्ति 20 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें,—

"स्पष्टीकरण—उक्त प्रतिफल वहां भारत में प्राप्त किया गया समझा जाएगा जहां वह निर्धारिती द्वारा भारत के बाहर किसी बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से उस प्रयोजन के लिए रखे गए पृथक खाते में जमा किया जाता है।" (60)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 30, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 30, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 31 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि :

खण्ड 31 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 32—नई धारा 80-Iए का अन्तःस्थापन

अध्यक्ष महोदय : खंड 32 पर एक संशोधन संख्या 61 है ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 17, पंक्ति 57 में, 'पैंतीस' के स्थान पर 'साठ' रखें । (61)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 32 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 32, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मनमोहन सिंह ।

श्री मनमोहन सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (एक), जहां तक इसमें यह अपेक्षा की जाती है कि कोई संशोधन विधेयक के क्षेत्र में होगा और उस खण्ड की विषयवस्तु से संगत होगा जिससे यह सम्बद्ध है, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1991 में सरकारी संशोधन संख्या 62 में इसके लागू होने का सम्बन्ध है, का निलम्बन करती है और इस संशोधन को पेश किये जाने की अनुमति दी जाए ।" (87)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के निमय 80 के खण्ड (एक), जहां तक इसमें यह अपेक्षा की जाती है कि कोई संशोधन विधेयक के क्षेत्र में होगा और उस खण्ड की विषयवस्तु से संगत होगा जिससे यह सम्बद्ध है, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1991 में सरकारी संशोधन संख्या 85* में इसके लागू होने का सम्बन्ध है, का निलम्बन करती है और कि इस संशोधन को पेश किये जाने की अनुमति दी जाये ।" (89)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नया खण्ड 32क

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 18, पंक्ति 2 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित करें,—

32क, आय-कर अधिनियम की धारा 80ठ की उपधारा (1) में, उपखंड (1क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड 1 अप्रैल, 1992 से रखा जाएगा, अर्थात :—

"(1क) सरकारी बचत-पत्र अधिनियम, 1959 के अधीन पुरोद्भूत राष्ट्रीय बचत पत्र (छठा परोधरण) या राष्ट्रीय बचत पत्र (सातवां पुरोधरण) या राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवां पुरोधरण) पर ब्याज।" (62)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खण्ड 32क विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 32क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 33—धारा 80ण का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 18, खण्ड 33 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,—

'33. आय-कर अधिनियम की धारा 80ण में, 1 अप्रैल, 1992 से,—

(क) 'जो भारतीय कम्पनी' शब्दों के पश्चात् 'या (कम्पनी से भिन्न) कोई व्यक्ति है जो भारत में निवासी है' शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) 'तकनीकी सेवाएं' शब्दों के स्थान पर 'तकनीकी या वृत्तिक सेवाएं' शब्द रखे जायेंगे;

(ग) 'इस निमित्त मुख्य आयुक्त या महानिदेशक द्वारा अनुमोदित करार के अधीन' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(घ) पहले और दूसरे परन्तुकों का लोप किया जाएगा;

(ङ) तीसरे परन्तुक में 'परन्तु यह और भी' के स्थान पर 'परन्तु यह' रखा जाएगा।'

(च) स्पष्टीकरण में, खण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात—

(iii) भारत के बाहर की गई या करने के लिए करार पाई गई सेवाओं के अन्तर्गत भारत से की गई सेवाएं होंगी किंतु भारत में की गई सेवाएं नहीं होंगी।" ।'

(63)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 33, संशोधन रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 33, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 34 से 36 में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि :

खंड 34 से 36 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड संख्या 34 से 36 तक विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 37—धारा 88 का संशोधन

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ 18,—

पंक्ति 53 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए—

"(ग) कोई लघु उद्योग इकाई।" (15)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री भोगेन्द्र झा द्वारा रखे गये संशोधन संख्या 15 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 15 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

2.00 म० प०

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 37 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 37 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : खंड 38 से खण्ड 50 पर कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि :

खंड 38 से 50 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड संख्या 38 से 50 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 51—धारा 144क का संशोधन

श्री राम कापसे (ठाणे) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ, 21—

खण्ड 51 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"51. आयकर अधिनियम की धारा 194क की उपधारा (3) के खण्ड (vii) में 'किसी ऐसी बैंककारी कम्पनी में, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (जिसके अन्तर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में विनिर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है)' शब्दों, अंकों तथा कोष्ठकों का 1 अक्तूबर, 1991 से लोप किया जाएगा।" (1)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 21, खण्ड 51 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएं—

'51. आयकर अधिनियम की धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (vii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड 1 अक्तूबर, 1991 से प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—

(vii) ऐसी आय को लागू नहीं होंगे जो किसी बैंककारी कम्पनी में, जिसे बैंककारी अधिनियम, 1949 लागू होता है (जिसके अन्तर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंककारी संस्था भी है), निक्षेपों (सावधि निक्षेपों से भिन्न) की बाबत खाते में जमा की गई या संदत्त की गई है;

(viiक) ऐसी आय को लागू नहीं होंगे जो,—

(क) बैंककारी के कारबार में लगी किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक प्रत्यय सोसाइटी या सहकारी भूमि बन्धक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक में निक्षेपों;

(ख) बैंककारी के कारबार में लगी किसी सहकारी सोसाइटी में, जो उपखंड (क) में निर्दिष्ट कोई सहकारी सोसाइटी या बैंक से भिन्न है, निक्षेपों

(सावधि निक्षेपों से भिन्न), की बाबत खाते में जमा की गई या संदत्त की गई है ।

स्पष्टीकरण—खंड (vii) और खंड (viiक) के प्रयोजनों के लिए 'सावधि निक्षेप' से नियत अवधियों की समाप्ति पर प्रतिदेय निक्षेप (जिनके अंतर्गत आवर्ती निक्षेप नहीं है) अभिप्रेत है ।"

(64)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री राम कापसे द्वारा खंड 51 में संशोधन के लिए पेश किये गये संशोधन संख्या 1 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 1 सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 51 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 51, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 52—धारा 194खख का संशोधन

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 21—

खंड 52 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"52, आय कर अधिनियम की धारा 194खख में "पांच हजार रुपये" शब्दों के स्थापन पर "दस हजार रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।" (23)

[अनुवाद]

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 21, खण्ड 52 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थाप्ति किया जाए,—

'52. आयकर अधिनियम की धारा 194खख में 'पांच हजार रुपए' के स्थान पर 'दो हजार पांच सौ रुपए' 1 अक्तूबर, 1991 से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।' (65)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा खंड 52 में संशोधन के लिए पेश किये गये संशोधन संख्या 23 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 23 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 52 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 52, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 53—धारा 194 उ० उ० का संशोधन

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 22, पंक्ति 2,—

"दो हजार पांच सौ रुपए" के स्थान पर "पच्चीस हजार रुपए" प्रतिस्थापित किया जाए।" (2)

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 22,—

पंक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"परन्तु यह भी कि इस धारा की कोई उक्त राशि के भुगतान पर उस दशा में लागू नहीं होगी जब कोई व्यक्ति यह घोषणा कर देता है कि ब्याज के रूप कुल आय पर विचार करने के पश्चात् उसने कर का अग्रिम भुगतान कर दिया है।" (3)

श्री बसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 22, पंक्ति 2,—

"दो हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर "दस हजार पांच सौ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए।" (10)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 22, पंक्ति 2,—

"दो हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर "बीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किये जाये।" (24)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री राम नाईक और श्री अन्ना जोशी द्वारा खण्ड 53 में संशोधन के लिए पेश किये गये संशोधन संख्या 2 और 3 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 2 और 3 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जसवन्त सिंह द्वारा खण्ड 53 में संशोधन के लिए पेश किए गये संशोधन संख्या 10 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 10 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 24 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 24 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 53 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 53 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 54—नई धारा 194 जी० और 194 एच० का अन्तःस्थापन

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 22, पंक्ति 11,—

"दस प्रतिशत" के स्थान पर "पांच प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए। (25)

पृष्ठ 22, पंक्ति 20 और 21,—

"दस प्रतिशत" के स्थान पर "पांच प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए। (26)

पृष्ठ 2, पंक्ति 24,—

"दो हजार पांच सौ रुपए" के स्थान पर "दस हजार रुपए" प्रतिस्थापित किया जाए। (27)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 42 और 44 संशोधन संख्या 27 की ही तरह के हैं। अतः इन्हें पेश नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 22,—

पंक्ति 21 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"परन्तु कमीशन या दलाली करने वाला व्यक्ति, जो उक्त कमीशन या दलाली की राशि को अपने पास रखता है या उक्त कमीशन या दलाली के संदाय के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा संदत्त किए बिना उक्त राशि को किसी अन्य रूप में प्राप्त करता है, कमीशन या दलाली की अपने पास रखी गई या प्राप्त की गई राशि पर दस प्रतिशत की दर से स्रोत पर आयकर की कटौती करके उसे जमा कराएगा और कमीशन या दलाली के संदाय के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर लागू होने वाले सभी उपबंध इस कमीशन या दलाली को पाने वाले ऐसे व्यक्ति पर भी तदनुसार लागू होंगे।" (43)

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 22, पंक्ति 9 में "किसी आय का" **के स्थान पर** "एक हजार रुपए से अधिक रकम की किसी आय का" प्रतिस्थापित किया जाए। (66)

पृष्ठ 22, पंक्ति 22 से 25 तक **के स्थान पर**, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

'(2) उपधारा (1) के उपबंध—

(क) ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग या वर्गों को लागू नहीं होंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार, उन्हें हुई या होनी सम्भाविक असुविधा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा राजस्व के हितों के प्रतिकूल नहीं होगा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें;

(ख) वहां लागू नहीं होंगे जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा, वित्तीय वर्ष के दौरान पाने वाले के खाते में जमा की गई या उसको संदत्त की गई अथवा जमा किए जाने या संदत्त किए जाने के लिए संभाव्य यथास्थिति, ऐसी आय की रकम या ऐसी आय की कुल रकम दो हजार पांच सौ रुपए से अधिक नहीं है।' (67)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा खण्ड 54 में संशोधन के लिए पेश किये गये संशोधन संख्या 25, 26 और 27 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 25, 26 और 27 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री दाऊ दयाल जोशी द्वारा खण्ड 54 में संशोधन के लिए पेश किए गए संशोधन संख्या 43 को मतदान के लिए सभा में रखता हूं।

संशोधन संख्या 43 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सरकारी संशोधन संख्या 66 और 67 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 22, पंक्ति 9 में "किसी आय का" के स्थान पर "एक हजार रुपए से अधिक रकम की किसी आय का" प्रतिस्थापित किया जाए। (66)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 22, पंक्ति 22 से 25 तक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

'(2) उपधारा (1) के उपबन्ध—

(क) ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग या वर्गों को लागू नहीं होंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार, उन्हें हुई या होनी संभावित असुविधा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा राजस्व के हितों के प्रतिकूल नहीं होगा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें;

(ख) वहां लागू नहीं होंगे जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा, वित्तीय वर्ष के दौरान, पाने वाले के खाते में जमा की गई या उसको संदत्त की गई अथवा जमा किए जाने के लिए सम्भाव्य यथास्थिति, ऐसी आय की रकम या ऐसी आय की कुल रकम दो हजार पांच सौ रुपए से अधिक नहीं है।' (67)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 54, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 54 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 55 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि :

खण्ड 55 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 55, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नया खंड 55क

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (एक), जहां तक इसमें यह अपेक्षा की जाती है कि कोई संशोधन विधेयक के क्षेत्र में होगा और उस खण्ड की विषयवस्तु से संगत होगा जिससे यह सम्बद्ध है, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1991 में सरकारी संशोधन संख्या 68 में इसके लागू होने का सम्बन्ध है, का निलम्बन करती है और कि इस संशोधन को पेश किये जाने की अनुमति दी जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (एक), जहां तक इसमें यह अपेक्षा की जाती है कि कोई संशोधन विधेयक के क्षेत्र में होगा और उस खण्ड की विषयवस्तु से संगत होगा जिससे यह सम्बद्ध है, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1991 में सरकारी संशोधन संख्या 68 में इसके लागू होने का सम्बन्ध है, का निलम्बन करती है और कि इस संशोधन को पेश किये जाने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 22, पंक्ति 42 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें,—

"55क. आयकर अधिनियम की धारा 196क की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अक्तूबर, 1991 से अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात :

"(3) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भारतीय यूनीट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट की किसी स्कीम के अधीन पुरोधृत यूनिटों की बाबत किसी संस्था या निधि को संदेय किसी आय से वहां कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी जहां ऐसी आय धारा 11 और धारा 12 या धारा 10 के खण्ड (22) या खण्ड (22क) या खंड (23) या खण्ड (23कक) या खंड (23ग) के उपबन्धों के अधीन उसकी कुल आय में सम्मिलित किए जाने के लिए दायी नहीं है ।" ।' । (68)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खण्ड 55क विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नए खण्ड 55क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 56 से 58 तक विधेयक में जोड़ दिए गए ।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 56 से 58 तक कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

कि खण्ड 56 से 58 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 56 और 58 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 59—धारा 204 मेंसंशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 23, पंक्ति 5 से 10 तक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

'59. आय-कर अधिनियम की धारा 204 के आरम्भिक भाग में, 'धारा 194ङ' शब्द अंकों और अक्षर के पश्चात् 'धारा 194ङङ, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज' शब्द अंक और अक्षर 1 अक्तूबर, 1991 से अंत:स्थापित किए जाएंगे ।' । (69)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 59, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 59, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : संशोधन 60 से 62 पर कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 60 से 62 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 60 से 62 तक विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 63—धारा 245 खक में संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 23, पंक्ति 24 और 25 में से 'अन्य न्यायपीठों की बाबत विनिर्दिष्ट स्थानों में से'का लोप करें। (70)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 63, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 63, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 64—धारा 245ध में संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 23, पंक्ति 23 में 'छह मास' के स्थान पर 'एक सौ बीस दिन प्रतिस्थापित किया जाए। (71)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 64, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 64, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : खंड 65 से 66 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि :

खण्ड 65 और 66 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 65 और 66 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 67—धारा 273क में संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 23, पंक्ति 48 में "ऐसा आदेश किए जाने के पश्चात् किसी भी समय" के स्थान पर "यदि

वह उपधारा (4) में निर्दिष्ट आय कर प्राधिकारी को 1 अप्रैल, 1992 के पूर्व किसी भी समय आवेदन करता है तो, प्रतिस्थापित किया जाए।" (72)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 67, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 67, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 68—धारा 279 में संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 24, पंक्ति 51 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

'मुख्य आयुक्त या महानिदेशक द्वारा किया जा सकेगा।' (73)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 68, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 68, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 69—12वीं अनुसूची का अन्तःस्थापन

संशोधन प्रस्तुत हुआ :

पृष्ठ 24, पंक्ति 43 में "यांत्रिक कुटाई द्वारा और शुष्क प्रक्रिया के माध्यम से परिदर्शन द्वारा" के स्थान पर "यांत्रिक छनाई द्वारा या शुष्क प्रक्रिया के माध्यम से कुटाई और छनाई द्वारा" प्रतिस्थापित किया जाए। (74)

पृष्ठ 24, पंक्ति 47 में "और शैल" के स्थान पर "और शैल जिनके अन्तर्गत काटा गया और तराशा गया ग्रेनाइट भी है" प्रतिस्थापित किया जाए। (75)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 69, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 69, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 70—परिणामस्वरूप संशोधित

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 70 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 70 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 71—धारा 5 में संशोधन

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 25,—

पंक्ति 27 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

'(क) खण्ड (viii) के स्पष्टीकरण I के उप-खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु प्रत्येक विवाहित महिला के लिए 1,000 ग्राम स्वर्ण के मूल्य के समकक्ष या मूल्यवान, अर्द्ध-मूल्यवान आभूषण या धातु निर्मित आभूषण तथा चांदी, प्लेटिनम जैसी अन्य मूल्यवान धातु से निर्मित आभूषण के समकक्ष मूल्य के आभूषण स्त्रीधन का अंग नहीं होंगे।"।'
(45)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री दाऊ दयाल जोशी द्वारा प्रस्तुत संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 45 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 71 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 72 और 73 में कोई संशोधन नहीं।
प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 72 और 73 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 72 और 73 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 74—धारा 18ख में संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 26, पंक्ति 4 में 'ऐसा आदेश किए जाने के पश्चात् किसी भी समय' के स्थान पर "यदि वह उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट धन-कर प्राधिकारी को 1 अप्रैल, 1992 के पूर्व किसी भी समय आवेदन करता है तो, प्रतिस्थापित किया जाए।" (76)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 74, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 74, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 75—धारा 22खक में संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 26, पंक्ति 12 और 13 में से 'अन्य न्यायपीठों की बाबत विनिर्दिष्ट स्थानों में से' का लोप करें। (77)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 75, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 75, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 76—धारा 22घ में संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 26, पंक्ति 19 में 'छह मास' के स्थान पर 'एक सौ बीस दिन' प्रतिस्थापित किया जाए। (78)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 76, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 76, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 77 और 78 में कोई संशोधन नहीं हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 77 से 78 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 77 और 78 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 79—35 आई में संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 25 पंक्ति 14 के स्थान पर निम्नलिखित मुख्य आयुक्त या महानिदेशक के द्वारा किया जा सकेगा । (79)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 7०, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 80 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 80 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 81—अनुसूची III में संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 26, पंक्ति 45 और 46 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,—

'(क) नियम 9क में,

(i) "निर्धारिती" शब्द के स्थान पर "निर्धारिती या कोई कम्पनी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "चार निर्धारण वर्ष" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आएं, "नौ निर्धारण वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;' । (80)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 81, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 81, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 82 से 87 में कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 82 से 87 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 82 से 87 तक विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 88—धारा 35 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 27, पंक्ति 44 और 45 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,—

"(4) ऐसे किसी अपराध का प्रशमन, कार्यवाही संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् मुख्य आयुक्त या महानिदेशक द्वारा किया जा सकेगा ।"; (81)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 88, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 88, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 89—धारा 2 में संशोधन

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 28,—

पंक्ति 8 से 11 का लोप किया जाए । (4)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 28, पंक्ति 9 से 11 में निम्नलिखित शब्दों का लोप किया जाए :—

"अथवा कोई सहकारी सोसाइटी जो बैंककारी का कारबार करती है (जिसके अन्तर्गत सहकारी भूमि बन्धक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक है)" (5)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 28, पंक्ति 10 और 11 में "(जिसके अन्तर्गत सहकारी भूमि बंधक विकास बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक है)" के स्थान पर "और जो किसानों या ग्राम के कारीगरों को उधार सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली सहकारी सोसाइटी नहीं है" प्रतिस्थापित किया जाए । (82)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री भगवान शंकर रावत द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब संशोधन संख्या 5 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 5 मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 89, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 89, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 90 में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 90 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 90 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 91— धारा 4 में संशोधन

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 27, पंक्ति 44—

"तीन प्रतिशत" के स्थान पर "दो प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए। (29)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 29 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 29 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 91 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 91 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 92—धारा : के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 29, पंक्ति 22 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,—

'उस पूर्व वर्ष में उस प्रत्यय संस्था को प्रोद्भूत या उद्भूत होता है :

परन्तु आय-कर अधिनियम की धारा 43ब में निर्दिष्ट डूबन्त या शंकास्पद ऋणों के प्रवर्गों के सम्बन्ध में कोई ब्याज प्रत्यय संस्था को उस पूर्व वर्ष में प्रोद्भूत या उद्भूत हुआ समझा जाएगा जिसमें वह प्रत्यय संस्था द्वारा, यथास्थिति, उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है या प्रत्यय संस्था द्वारा वास्तव में प्राप्त किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।"।'। (83)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 92, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 92, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 93 से 107 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 93 से 107 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 93 से 107 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 108—धारा 23 से 26 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 35, पंक्ति 9 और 10 में से 'बोर्ड या' का लोप करें। (84)

(श्री मनमोहन सिंह)

नियम 80 (एक) के निलम्बन के लिए प्रस्ताव

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 80 के खण्ड (एक) को, जहां उसमें यह अपेक्षा की गई है कि कोई संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका सम्बन्ध हो उसके विषय से संगत होगा, उसे वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1991 में सरकारी संशोधन संख्या 85 पर लागू होने से निलम्बित करती है और कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 80 के खण्ड (एक) को, जहां उसमें यह अपेक्षा की गई है कि कोई संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका सम्बन्ध हो, उसके विषय से संगत होगा, उसे वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1991 में सरकारी संशोधन संख्या 85 पर लागू होने से निलम्बित करती है और कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 35, पंक्ति 14 **के पश्चात्**, निम्नलिखित **अन्तःस्थापित करें**,—

'26ग. किसी करार में, जिसके अधीन किसी प्रत्यय संस्था द्वारा 1 अक्तूबर, 1991 से पूर्व कोई सावधि उधार मंजूर किया गया है, किसी बात के होते हुए भी, प्रत्यय संस्था के लिए

करार में ऐसा फेर-फार करना विधिपूर्ण होगा जिससे कि उसमें नियत ब्याज की दर में उस विस्तार तक वृद्धि की जा सके जिस तक ऐसी संस्था उस सावधि उधार पर, जो प्रत्यय संस्था को देय है, ब्याज की रकम के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन ब्याज-कर का संदाय करने के लिए दायी है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "सावधि उधार" से ऐसा उधार अभिप्रेत है जो मांग पर प्रतिदेय नहीं है ।' (85)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 108, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 108, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 109 से 111 में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 109 से 111 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 109 से 111 तक विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 112—धारा 2 का संशोधन

श्री राम नाइक (बम्बई-उत्तर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

पृष्ठ 35, पंक्ति 3 से 40,—

"या जिनमें निम्नलिखित में से कोई तीन सुविधाएं हैं, अर्थात् :—

(i) उनमें वातानुकूलन के लिए उपस्कर लगे हैं या वे उनकी पहुंच में हैं;

(ii) उनमें आधुनिक स्वच्छता फिटिंगों से युक्त कम से कम दो प्रसाधन कक्ष हैं;

(iii) उनमें टेलीफोन लगा है;

(iv) उनमें प्रशीतन या गहन फ्रीजिंग के लिए उपस्कर लगे है या वे उनकी पहुंच में हैं," शब्दों का लोप किया जाए । (12)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

पृष्ठ 35,—

पंक्ति 39 और 40 का लोप किया जाए । (18)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

पृष्ठ 35,—

पंक्ति 40, के पश्चात् "[V] उनमें केन्द्रीयकृत बीडियो लगे है," अन्तःस्थापित किया जाए । (30)

[अनुवाद]

संशोधन किया गया :

पृष्ट 35, पंक्ति 34 से 40 तक के स्थान पर निम्नलिखित रखें,—

"है जिनमें जनता को खाद्य या पेय के विक्रय का कारबार चलाया जाता है और ऐसे परिसर किसी मास के आरम्भ में, वातानुकूलन की सुविधाओं से युक्त हैं या उनमें वे उपलब्ध हैं;" ।' । (86)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री राम नाइक, श्री भोगेन्द्र झा और श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 12, 18 और 30 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 12, 18 और 30 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 112, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 112, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 113—धारा 345 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

पृष्ठ 36,—

पंक्ति 25 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए ।

"स्पष्टीकरण"—विदेशी मुद्रा में माल की बिक्री के लिए ऐसे होटल में भाड़े या पट्टे पर ली गई जगह के लिए किराए पर खर्च की गई धनराशि को उससे छूट दी जाएगी।" (32)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री भगवान शंकर रावत द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 32 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 32 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 113 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 113 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 114 से 124 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 114 से 124 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 114 से 124 तक, विधेयक में जोड़ दिए गए।

प्रथम अनुसूची

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : वित्त मंत्री जी अभी भी पुनर्विचार करने को तैयार होंगे, इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट के बारे में ? आप से अनुरोध है कि आज कर दें तो अच्छा होगा।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, हम उस पर विचार करेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रथम अनुसूची में कई संशोधन हैं।

श्री रामनाईक : मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

पृष्ठ 39,— प्रथम अनुसूची

पंक्ति 10 से 19 के स्थान पर, निम्नलिखित
प्रतिस्थापित किया जाए :—

"आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 48,000 रु० से अधिक नहीं है	कुछ नहीं;
(2) जहां कुल आय 48,000 रु० से अधिक है किन्तु 60,000 रु० से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत जिससे कुल आय 48,000 रु० से अधिक है;
(3) जहां कुल आय 60,000 रु० से अधिक है किन्तु 75,000 रु० से अधिक नहीं है	1,200 रु० धन उस रकम का 15 प्रतिशत जिससे कुल आय 60,000 रु० से अधिक है;
(4) जहां कुल आय 75,000 रु० से अधिक है किन्तु 1,00,00 रु० से अधिक नहीं है	3450 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 75,000 रु० से अधिक है;
(5) जहां कुल आय 1,00,000 रु० से अधिक है	8,450 रु० धन उस रकम का 50 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,00,000 रु० से अधिक है।"

(13)

[हिन्दी]

48,000 रु० तक लिमिट बढ़ाएंगे इसलिए मैं यह मूव कर रहा हूं।

[अनुवाद]

मैं सरकार से सकारात्मक जवाब की आशा करता हूं। (6)

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 39,— पहली अनुसूची

पंक्ति 10 से 19 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 48,000 रु० से अधिक नहीं है	कुछ नहीं;
(2) जहां कुल आय 48,000 रु० से अधिक है किन्तु 60,000 रु० से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 48,000 रु० से अधिक है;

(3) जहां कुल आय 60,000 रु० से अधिक है किन्तु 80,000 रु० से अधिक नहीं है	2,400 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 60,000 रु० से अधिक है;
(4) जहां कुल आय 80,000 रु० से अधिक है किन्तु 1,00,000 रु० से अधिक नहीं है	8,400 रु० धन उस रकम का 35 प्रतिशत जिससे कुल आय 80,000 रु० से अधिक है;
(5) जहां कुल आय 1,00,000 रु० से अधिक है	15,400 रु० धन उस रकम का 40 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,00,000 रु० से अधिक है ।" (13)

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 39,—

पंक्ति 10 से 17 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 48,000 रु० से अधिक नहीं है	कुछ नहीं;
(2) जहां कुल आय 48,000 रु० से अधिक है किन्तु 56,000 रु० से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 48,000 रु० से अधिक है;
(3) जहां कुल आय 56,000 रु० से अधिक है किन्तु 76,000 रु० से अधिक नहीं है	1,600 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 56,000 रु० से अधिक है;
(4) जहां कुल आय 76,000 रु० से अधिक है किन्तु 1,00,000 रु० से अधिक नहीं है	7,600 रु० धन उस रकम का 40 प्रतिशत जिससे कुल आय 76,000 रु० से अधिक है;
(5) जहां कुल आय 1,00,000 रु० से अधिक नहीं है	17,200 रु० धन उस रकम का 50 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,00,000 रु० से अधिक है ।" (33)

पृष्ठ 39, पंक्ति 29,—

"जिसका पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय कम से कम एक सदस्य ऐसा है" के स्थान पर "जिसके पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय कम से कम आधे सदस्य ऐसे हैं" प्रतिस्थापित किया जाए। (34)

पृष्ठ 39, पंक्ति 30,—

"22,000 रु०" के स्थान पर, "48,000 रु०" प्रतिस्थापित किया जाए। (35)

पृष्ठ 39,—

पंक्ति 31 से 41 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 48,000 रु० से अधिक नहीं है	कुछ नहीं;
(2) जहां कुल आय 48,000 रु० से अधिक है किन्तु 56,000 रु० से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 48,000 रु० से अधिक है;
(3) जहां कुल आय 56,000 रु० से अधिक है किन्तु 76,000 रु० से अधिक नहीं है	1,600 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 56,000 रु० से अधिक है;
(4) जहां कुल आय 76,000 रु० से अधिक है किन्तु 1,00,000 रु० से अधिक नहीं	7,600 रु० धन उस रकम का 40 प्रतिशत जिससे कुल आय 76,000 रु० से अधिक है;
(5) जहां कुल आय 1,00,000 रु० से अधिक नहीं है	17,200 रु० धन उस रकम का 50 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,00,000 रु० से अधिक है।"

(36)

मैं सूब करता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार हठधर्मी छोड़े। जिस तरह से महंगाई बढ़ाई है, जिस तरह से रुपए का अवमूल्यन हुआ है, जिस प्रकार से रुपए की वैल्यू गिरी है, उसके ऊपर हिन्दुस्तान के मेहनतकश लोगों के साथ, कर्मचारियों के साथ यह जो ज्यादती की जा रही है, सरकार अपनी इस हठधर्मी को छोड़े।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 37,—

पंक्ति 9 से 18 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 48,000 रु० से अधिक नहीं है	कुछ नहीं;
(2) जहां कुल आय 48,000 रु० से अधिक है किन्तु 1,00,000 रु० से अधिक नहीं है	उस रकम का 25 प्रतिशत जिससे कुल आय 48,000 रु० से अधिक है;
(3) जहां कुल आय 1,00,000 रु० से अधिक है	13,000 रु० में उस रकम का 40 प्रतिशत जोड़कर जिससे कुल आय 1,00,000 रु० से अधिक है।" (40)

पृष्ठ 40,—

पंक्तियां 3 से 8 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 25,000 रु० से अधिक नहीं है	कुछ नहीं;
(2) जहां कुल आय 25,000 रु० से अधिक है किन्तु 50,000 रु० से अधिक नहीं है	उस रकम का 6 प्रतिशत जिससे कुल आय 25,000 रु० से अधिक है;
(3) जहां कुल आय 50,000 रु० से अधिक है किन्तु 1,00,000 रु० से अधिक नहीं है	1,500 रु० में उस रकम का 12 प्रतिशत जोड़कर जिससे कुल आय 50,000 रु० से अधिक है;
(4) जहां कुल आय 1,00,000 रु० से अधिक है	7,500 रु० में उस रकम का 18 प्रतिशत जोड़कर जिससे कुल आय 1,00,000 रु० से अधिक है।" (41)

मैं कठोर शब्दों में इस प्रस्ताव को परिचालित करने का प्रस्ताव रख रहा हूं और मैं माननीय

वित्त मन्त्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि 22 हजार से 48 हजार रुपए की सीमा वाला हमारा जो प्रस्ताव है, वह निश्चित रूप से मानेंगे। महंगाई बढ़ रही है, लोग दुखी हैं इसलिए निश्चित रूप से 48 हजार रुपए का प्रस्ताव मानें और ऐसा न कर सकें तो 22 से 30 हजार तो अवश्य ही करेंगे।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 44,—

पंक्ति 13 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"परन्तु यह और कि जहां कुल आय 75,000 रुपए से अधिक हो, वहां देय आय-कर पर अधिभार आय-कर योग्य कुल आय तथा 75,000 रुपए की राशि के अन्तर के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।" (46)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी सहमति से मैं प्रथम अनुसूची के ये सभी संशोधन अर्थात् संशोधन संख्या 6, 13, 33, 34, 35, 36, 40, 41 और 46 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 6, 13, 33, 34, 35, 36, 40 और 41 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रथम अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रथम अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

अध्यक्ष महोदय : दूसरी अनुसूची तथा तीसरी अनुसूची पर कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि दूसरी अनुसूची तथा तीसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दूसरी अनुसूची तथा तीसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

चौथी अनुसूची

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 55,—

पंक्ति 16 और 17 का लोप किया जाए। (19)

संशोधन किए गए :

डा० मनमोहन सिंह :

पृष्ठ 56, पंक्ति 1 में "74.12" के स्थान पर "74.11" प्रतिस्थापित किया जाए। (47)

पृष्ठ 56, पंक्ति 17-18 में, "बाडी बनाने या गढ़ने या आरोपण करने या उस पर संरचना या उपस्कर फिट करने के कार्य" के स्थान पर "कोई बाडी बनाना या गढ़ना या आरोपण करना या उस पर संरचना या उपस्कर फिट करना" प्रतिस्थापित किया जाए। (48)

(श्री मनमोहन सिंह)

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री भोगेन्द्र झा द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 19 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 19 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चौथी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

चौथी अनुसूची संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पांचवी अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पांचवीं अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैंने बोलने की पूर्व सूचना दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, बजट की प्रक्रिया का आज अन्त होने जा रहा है, इस वित्त विधेयक के इस प्रस्ताव के साथ। मुझे स्मरण है कि जब जुलाई के महीने में नए वित्त मन्त्री ने बजट प्रस्तुत किया था, उस समय के उनके बजट भाषण ने हमको बहुत निराश किया था। मैं आरम्भ में ही यह कहना चाहूंगा कि आज वित्त विधेयक की आम बहस के उत्तर में जो वक्तव्य वित्त मन्त्री जी ने दिया, उसमें से जो एक प्रमाणिकता टपकती है, आज इस अर्थव्यवस्था और आर्थिक स्थिति के दोषों के बारे में, उस प्रमाणिकता का मैं आदर करता हूं। जबकि बजट अधिवेशन और बजट स्पीच में मुझे लगता था कि सरकार के नए मन्त्री बने हैं और इसीलिए जो कमियां मूलतः उस पार्टी की रण-नीति के सामूहिक परिणाम हैं और उसका दोष केवल पिछली सरकार पर देना चाहते हैं। पूरी देर पिछली सरकार को दोष देते रहे, जैसे मानी कि आज का जो आर्थिक संकट है, वह कोई साल भर में पैदा हो गया है, जब से कांग्रेस पार्टी पद से हट गई है। आज ऐसी बात मुझे नहीं दिखायी दी और इसी लिए उन्होंने शुरू में जब कहा, किसी का भी दोष हो, किसी भी पार्टी का दोष हो—इस पार्टी का हो, मेरी पार्टी का हो या उस पार्टी का हो—लेकिन वस्तुस्थिति को सारे देश को पहचानना चाहिए। उस वस्तुस्थिति में से हम कैसे निकल सकते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। एक बात और भी जो अच्छी उन्होंने कही, वह यह कि मैंने बजट के द्वारा उन सारे दोषों का निदान दे दिया है, देश का, ऐसा भी मैं दावा नहीं करता। मैंने अधिक से अधिक टाइम मार्क करने की गुंजाइश दी है, जैसे देश उसमें से निकल सके। अब यह जो प्रमाणित करता है उसी का मैं आदर कर रहा हूं। यद्यपि बजट से मेरा संतोष नहीं है, बजट से मुझे असन्तोष है, लेकिन जो दृष्टिकोण प्रस्तुत हुए, आज के इस जनरल बहस के उत्तर में, इस वित्त विधेयक के, उसके बारे में मैं समझता हूं कि हम सबको सोचना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि आज उद्योगपति, जिसको लेकर के हिन्दुस्तान का राजनेता पूरी देर उनको दोष देता रहता है या उसके खिलाफ बोलता रहता है, तो वास्तव में आज की स्थिति के लिए जितनी सरकार अपराधी है, उद्योगपति उससे कम अपराधी नहीं हैं और विगत इन 40 सालों में जो संरक्षण मिला, इस व्यवस्था के कारण, उस संरक्षण का उन्होंने पूरा लाभ उठाने की कोशिश की है। आज मैं जानता हूं कि जब लिबरलाइजेशन की बात सबसे अधिक होती है तब भी बहुत सारे उद्योगपति कहते हैं कि लिबरलाइजेशन बहुत अच्छा है, लेकिन जिस क्षेत्र में मैं हूं वहां लिबरलाइजेशन नहीं होना चाहिए, बाकी क्षेत्रों में तो लिबरलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि स्पर्धा जो होगी, उस स्पर्धा में आम जनता को फायदा पहुंचेगा, वह गरीब को फायदा पहुंचाएगी, हर उद्योगपति को फायदा पहुंचाए, यह जरूरी नहीं है।

लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें से उबरने की स्थिति पैदा हुई है, हम उबरे नहीं हैं, संकट अभी भी महाभयंकर है और आज उस संकट का परिणाम समाज के कमजोर वर्गों को, मध्यम दर्जे के वर्गों

को सबसे अधिक भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए मैं उम्मीद करता था कि कुछ मामले में यह सरकार, कुछ बातें जो बिल्कुल साफ हैं, उनके बारे में जरूर सोचेगी। कल उन्होंने कुछ राहत दे दी, आप कह सकते थे कि मैं राहत नहीं दे सकता और जो निर्णय मैंने शुरू में किया था उसी पर स्टीक करूंगा, लेकिन उन्होंने राहत दी, तो उनको लगा कि यह इल्लोजिकल है, इररेशनल है, और उनके इक्वीलेंट के कारण हमको थोड़ा-बहुत घाटा हुआ।

आज यहां पर मेरे साथियों मे से बहुत लोगों ने इस बात पर आग्रह किया, जब हम यहां पर बहस कर रहे थे, तो मैं समझता हूं कि सभी वर्गों ने आग्रह किया कि महंगाई सभी वर्गों को प्रभावित करती है, लेकिन बंधी-बंधाई आमदनी वाले व्यक्ति को सबसे अधिक प्रभावित करती है। मुझे याद है कि पिछले साल हमने वित्त मन्त्री को कहा कि आप 18 हजार रुपए से बढ़ा कर 30 हजार करिए, तो उन्होंने बात नहीं मानी थी, एग्जम्पशन लिमिट के बारे मे उन्होंने 18 हजार रु० से बढ़ा करके 22 हजार रु० किया था, मैंने तब भी कहा था जब 18 हजार रु० तय हुए थे। तब रुपए की जो कीमत थी, अगर उस हिसाब से हम सोचेंगे तो हमको कहीं 50 हजार तक जाना पड़ेगा और जिसके आधार पर हमने 48 हजार का एक संशोधन दिया है। लेकिन मैं तो वित्त मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगर आप 48 हजार तक नहीं जाते, तो 22 हजार तक, जो पिछले साल मेरे साथ श्री दंडवते जी ने किया था, उसका इक्वीलेंट भी करना चाहूंगा तो भी 30 हजार का एक फेयर एक्जम्पशन लिमिट होगा। जिसको मैं उम्मीद करता था कि जरूर आप हल करेंगे। आज उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि आप पांच महीने इन्तजार करिए, ऐसी कई चीजें हैं जो शायद पांच महीने बाद मैं कर लूं। कितना अच्छा होगा कि पांच महीने से जो छोटी सी आपको राशि प्राप्त होगी, इस माध्यम में से, इस शेड्यूल के राष्ट्रीय प्रावधान में से, उसकी बजाए आप सारे सदन की इच्छाओं का आदर करते हुए 48 हजार नहीं तो कम से कम 30 हजार का न्यूनतम कर देते, तो उससे घाटा नहीं होता। लेकिन उससे देश को यह जरूर कम्युनिकेट हो जाता है कि हम चाहते हैं इस आर्थिक व्यवस्था में अच्छे से अच्छा सुधार हो, लेकिन इसके साथ-साथ हम यह भी चाहते हैं कि जहां तक सम्भव हो, जिसको उन्होंने कहा, ह्यूमन फेस को, हमारी आर्थिक पालिसी को, उस ह्यूमन फेस का परिचय होगा, अगर आप मेरी बात मानेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से अनुरोध करता हूं कि वित्त मन्त्री जी हमारी इस बात को लेट स्टेज पर ही मान लें, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो मेरे पास इसके सिवाए कोई चारा नहीं रहेगा कि इस मामले में अपना शोक और रोष प्रकट करने के लिए इस मतदान में साथ न दूं।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, मुझे खेद है कि माननीय वित्त मन्त्री, श्री मनमोहन सिंह के आकर्षक भाषण के बावजूद मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं। वह आशावादी हैं, किन्तु मैं उनके आशावाद का पूरी तरह से भागीदार नहीं बन सकता। यह अच्छी बात है कि इस देश के वित्त मन्त्री यथोचित समय में अर्थव्यवस्था का प्रबन्धन करने हेतु इस चरण में आत्म-विश्वास से परिपूर्ण हैं।

मेरा विरोध मुख्यत: बजट प्रस्तुत करने के तरीके के बारे में है। जब से बजट प्रस्तुत हुआ है,

मूल्य आकाश छूने लगे है। बाजार में जाकर आम उपभोक्ता को पता लगता है कि मूल्यों में लगभग 20-25 प्रतिशत वृद्धि हुई है और प्रत्येक सप्ताह मूल्यों में .5 प्रतिशत की दर से अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। मैं उनके इस आशावाद से सहमत नहीं हूं कि हम यथोचित समय में बढ़ते मूल्यों पर नियन्त्रण पाएंगे। मूल्यवृद्धि भी अनियंत्रित हो गई है। इसने पहले कभी भी इतना गम्भीर रूप धारण नहीं किया जितना कि आज है।

सरकार ने बजट के साथ-साथ नई औद्योगिक नीति प्रस्तुत करके बहुत बड़ी गलती की है। दोनों ने मिलकर बहुत अनिश्चितता पैदा कर दी है और सारा वातावरण दूषित हो गया है। एक ऐसा माहौल पैदा किया गया है जिसमें लोगो को यह पता नहीं हैं कि अब क्या होने वाला है और हमारा आर्थिक विश्वास अनिश्चितत से ग्रस्त है। मैं आपको बता दूं कि सरकार द्वारा विदेशी पूंजीनिवेशकों को सभी तरह के आश्वासन दिए जाने के बावजूद विदेशी निवेशक अभी भी आशंकित हैं। वे इस नीति के बारे में बहुत आशंकित हैं कि क्या यह नीति जारी रहेगी और स्थिर होगी। जर्मनी की अपनी हाल की यात्रा के दौरान, प्रधानमन्त्री को जर्मनी के निवेशकों के सामने इस स्थिति से दो-चार होना पड़ा था। जर्मनी के निवेशक प्रधानमन्त्री से निरन्तर पूछते जा रहे थे : "आप अपनी नीति के जारी रहने की गारन्टी किस प्रकार देते हैं?" मैं सरकार का ध्यान इस समय विद्यमान इस प्रकार की अनिश्चितता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

एक अन्य गलती सदन के शीर्ष से नहीं अपितु देश के शीर्ष से की गई। वित्त मन्त्री तथा अन्य कई मन्त्रीगण पूरे विश्व में ढोल पीटते जा रहे थे कि हम दिवालिया हो चुके हैं और यह आभास दे रहे थे जैसे कि अपने देश को बचाने के लिए वे भीख का कटोरा लिए फिर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे भी गलत धारणा बनी है।

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : ऐसी श्री वी० पी० सिंह ने कहा था। (**व्यवधान**) स्मरण रहे श्री वी० पी० सिंह। (**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव : वित्त मन्त्री ने भी, सम्भवतः, ईमानदारी से आंकलन करके, सदन में कहा है कि हम एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहे हैं। यह संकट हमारे स्वतन्त्र भारत का सबसे बड़ा संकट है। यह उनका आंकलन था। आप इस पर आपत्ति क्यों कर रहे हैं? (**व्यवधान**) हम सब चिन्तित हैं क्योंकि हम इसे एक राष्ट्रीय समस्या समझते हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह एक दलीय समस्या है। हम तो कहते हैं कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है और भारत जैसे देश को इसका सामना करना है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय वित्त मन्त्री जी, कि "कृपया इस बात पर ज्यादा बल न दें कि हम विश्व अर्थव्यवस्था का एक अंग बन गए हैं, विश्व अर्थव्यवस्था का एक अखण्ड अंग। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। हम अलग-थलग होकर नहीं रह सकते। भारत ने मुख्य भूमिका निभाई थी, आपने भी दक्षिण-दक्षिण सहयोग के महासचिव के रूप में अपना उत्तम सेवादान दिया है। मुझे लगता है कि आपने भी बहुत से उपाय सुझाये हैं कि नए स्वतन्त्र हुए राष्ट्रों, तीसरे विश्व के देशों, को भी सामूहिक निर्णय लेने चाहिएं। उन्हें सामूहिक रूप से कार्य करना चाहिए। हमें अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था की ओर धकेला नहीं जा सकता है।

वर्तमान परिस्थिति में हम यह आपत्ति नहीं कर रहे हैं कि आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण न लें। सबको समय-समय पर ऋण लेना पड़ता है। यह बात नहीं है कि हम आपके ऋण लेने के निर्णय

की आलोचना कर रहे हैं। किन्तु हमें यह याद रखना है कि यह निर्णय कैसे बना। हमने यह संकेत दिया है कि सम्भवतः हम आर्थिक रूप से टूटने के कगार पर हैं, अतः यह ऋण हमारे लिए अपरिहार्य है।

दो-तीन बातें कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा क्योंकि मैं लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता। वित्त मन्त्री ने कहा है कि हमारा उत्पादन गिरता जा रहा है। मेरा विचार है कि अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें आगामी महीनों में कुछ ठोस उपाय करने चाहिए। यह एक राष्ट्रीय समस्या है।

भारत अपनी अर्थव्यवस्था का प्रबन्धन करने में असमर्थ है। हम संसाधनों के धनी हैं। किन्तु एस० टी० सी०, एम० एम० टी० सी० जैसे हमारे कुछ संगठनों को कारगर बनाने की आवश्यकता है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कैसे काम किया जाना चाहिए, वे नहीं जानते। कभी कभार हम बहुत कम मूल्यों पर निर्यात करते हैं। कभी हम उत्तम अवसर खो देते हैं। कभी हमें यह नहीं पता होता कि अपनी वस्तुओं का विज्ञापन कैसे किया जाए। जब मैं यूरोप अथवा किसी अन्य देश में जाता हूं···

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब और विस्तार में न जाएं।

श्री चन्द्रजीत यादव : जब कभी मैं देखता हूं कि भारतीय चाय श्रीलंका की चाय के नाम से बेची जाती है तो मेरा राष्ट्रीय गौरव आहत होता है। मेरा विचार है कि अब समय आ गया है जबकि हमें बचत के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिएं। हम अभी तक बचत का माहौल बनाने में सफल नहीं हुए।

अब मैं अन्तिम बात पर आता हूं। मेरा विचार है कि आम उपभोक्ता को बचाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी कार्यकरण के लिए आवश्यक प्रभावी कदम उठाने होंगे ताकि आम उपभोक्ता पर पड़े वित्तीय बोझ में और वृद्धि न हो। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल कान्ति चटर्जी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने अच्छा भाषण दिया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसमें सुधार करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, आप मुझसे कहना क्या चाहते हैं? आपने मुझे इस आशंका में डाल दिया है कि जैसे ही मैं बोलने के लिए उठूंगा, आप कोरम पूरा न होने की बात कहेंगे। जब मैं बोला था, आप अनुपस्थित थे। अतः, मैं अपना भाषण जारी रखूंगा।

महोदय, अपने वित्त मन्त्री की बात सुनकर मुझे वास्तव में दुख हुआ है। उन्होंने देख लिया है कि कीमतें बढ़ गई हैं। यहां तक कि उन्होंने इस बात को स्वीकार भी कर लिया है कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष मूल्य वृद्धि की दर अधिक रही है। उन्हें कहना चाहिए था कि केवल इसकी दर ही अधिक नहीं है बल्कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कीमतें भी कुछ अधिक ही बढ़ी हैं। हमारे लोगों के जीवन स्तर पर इसका भारी प्रभाव पड़ा है। दुर्भाग्यवश, उन्होंने इसका केवल यही उत्तर दिया है कि हम मौसम और ईश्वर के सहारे रह गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल कान्ति चटर्जी, एक अच्छा संसदविज्ञ होने के नाते, आपको पता होना चाहिए कि आपको उनके भाषण की आलोचना नहीं करनी है। लेकिन आपको हमें बताना है विधेयक क्यों पारित किया जाना चाहिए और क्यों पारित नहीं किया जाना चाहिए।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : इसीलिए मैं कह रहा हूं। (व्यवधान) यदि वह सभा को इस बात से आश्वस्त कर सकते कि मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि होने की इस आशंका के विपरीत वह पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करेंगे, तो मुझे प्रसन्नता हुई होती। वह उक्त वायदा करने में विफल रहे हैं।

दूसरे, जब श्री फर्नान्डीज बोले, तो उनका मजाक उड़ाया गया। वह यहां पर उपस्थित हैं। उन्होंने भाषण जोरदार दिया था और वह बिहार की स्थिति का वर्णन कर रहे थे तथा वित्त मन्त्री महोदय ने उनका भाषण सुना भी था। चूंकि वह अन्य मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भाड़ा समकरण नीति के बारे में जिक्र नहीं किया। पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के क्षेत्रों और मध्य प्रदेश तथा बिहार के कुछ भागों को, जहां अत्यन्त गरीबी है, प्रकृति प्रदत्त सुविधाओं से वंचित रखा गया है। इस सम्बन्ध में हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया है। प्रकृति ने उन्हें जो सुविधाएं प्रदान की हैं, सरकार के नेताओं ने उन्हें ये सुविधाएं देने से इनकार कर दिया है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और उक्त राज्यों को ये सुविधाएं प्रदान कर देनी चाहिए। उन्होंने भाड़ा समकरण को विखंडित करने के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है। महोदय, वित्त विधेयक का समर्थन करने से हमारे लिए यह कठिनाई उत्पन्न हो गई है।

महोदय, यदि लोगों से कहा गया होता कि मूल्य वृद्धि को किसी न किसी प्रकार रोका जाएगा, तो मुझे प्रसन्नता होती।

उन्होंने केवल ऐसे ही लोगों को दुःख नहीं पहुंचाया है बल्कि शीर्षस्थ समूहों और छोटे-छोटे ऋण प्राप्त कर्ताओं को भी संकट में डाल दिया है। उन्होंने ब्याज पर कर लगाया है। मैंने इस मुद्दे पर कल भी बहस की थी। बैंकों को अपनी ब्याज दरों में वृद्धि करके ब्याज कर वसूल करने के लिए कहा गया है। मैंने कहा कि बाजार का ब्याज दर नियम उन लोगों के लिए हैं जो ऋण लेते रहते हैं और उन्हें कम ब्याज पर ऋण मिल सकता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसे दोहराना आवश्यक है ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : नहीं महोदय। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं। मैंने उन्हें रात बता दिया था। और मैं अभी भी सकारात्मक उत्तर मिलने की आशा कर रहा हूं। वह शायद रात के अन्धकार में भूल गए होंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किन्तु आपकी बात सुनने के लिए मैं यहां पर था।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं जानता था कि मुझे आपके साथ रहना है।

मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि छोटे ऋण प्राप्तकर्ताओं के सम्बन्ध में ब्याज दर ढांचे को लागू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें इस सभा में कम से कम यह आश्वासन तो देना ही चाहिए कि उच्च दर पर लिया जाने वाला ब्याज केवल बड़े ऋण प्राप्तकर्ताओं से ही लिया जाएगा न कि देश के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से।

अध्यक्ष महोदय : निर्मल कान्ति चटर्जी, कल और आज शून्य काल में बोलना समाजवादी-भक्ति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं सिर्फ एक मुद्दे का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि वह खेप कर के बारे में मान गए हैं। उनके वक्तव्य का सबसे खतरनाक भाग हमारी-अर्थव्यवस्था के बारे में है जोकि विश्व की अर्थव्यवस्था के अनुरूप संघटित की जा रही है। यह चिन्ता का विषय है जो उन्हें एक वर्ष अथवा कुछ महीनों के बाद समझ में आएगा। महोदय, कम से कम कुछ लोग तो कहते ही हैं कि विश्व दक्षिण और उत्तर में विभाजित हो गया है। कम से कम दो विश्व तो हैं ही। काफी समय से हमें बताया जा रहा है कि उत्तरी दुनिया में दो महा शक्तियां हैं और अब ऐसी स्थिति कोई दूर नहीं है। यदि उत्तरी दुनिया के विरुद्ध संघटित होना पड़ा, तो दक्षिणी दुनिया देशों में एकता स्थापित करके और उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करके आपसी सहयोग द्वारा सम्भव हो सकेगा। इसे छोड़िए, यदि आप विश्व अर्थव्यवस्था में एकरूपता लाने का प्रयास करते हैं, तो इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए रास्ता है, विश्व बैंक से ऋण ले सकते हैं, विश्व की नम्बर एक महाशक्ति अर्थात् साम्राज्यवादी अमरीका से ऋण ले सकते हैं। चूंकि वित्त मन्त्री जी के भाषण में जो हमारे देश के प्रत्येक नागरिक उबाऊ ही लगना चाहिए, इस प्रकार की स्थिति का कोई जिक्र नहीं है इसलिए उन्हें अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए एक बार फिर कमर कसनी होगी और पुनः उसी प्रकार संघर्ष करना पड़ेगा जैसा 1947 से पहले किया था। महोदय, हमारे लिए

3.00 म० प० बहुत बड़ी आशंका उत्पन्न हो गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे देश को क्या होने जा रहा है। पिछले अनेक वर्षों की आर्थिक नीतियां हमें ऐसी स्थिति में जाने के लिए बाध्य कर रही हैं···(व्यवधान)

आपने हमारे देश की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष नहीं किया है। आप स्वतन्त्रता सेनानी नहीं हैं। आपको पता ही नहीं है कि उपनिवेशवाद क्या होता है। आपको नहीं पता कि गोरों के बूट क्या होते हैं। 1947 से पहले की बातों का आप में से कुछ लोगों को कोई अनुभव नहीं है। यदि आप में अन्तरात्मा है, तो मैं उस अन्तरात्मा से अनुरोध करता हूं। 1943 में मैं कलकत्ता में था और मैंने देखा कि विदेशी सिपाहियों द्वारा हमारी महिलाओं पर प्रहार किया जाता था। इसलिए, मैं सचेत करता हूं कि इस प्रश्न पर हमें सावधान रहना चाहिए और उदारीकरण तथा साम्राज्यवाद

का दरवाजा खोलने और विश्व बैंक से सहायता मांगते रहने की सम्पूर्ण नीति का विरोध किया जाना चाहिए। यदि यह वायदा नहीं जाता है, तो हमें अलग होना पड़ेगा और वित्त विधेयक के विरुद्ध सभा से उठकर चले जाना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं। कृपया सभा से उठकर मत जाइये।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ठीक है। यदि वह मतदान कराना चाहते हैं, तो हम यह भी कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नाथू राम मिर्धा (नागौर) : माननीय अध्यक्ष जी, इस लोक सभा में जो वित्त मन्त्री जी ने विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिस प्रकार से हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी के बारे में इस सदन के अन्दर और इस सदन के बाहर पार्टी में सुनने को मिलता है कि ये राजनीतिज्ञ नहीं हैं और राजनीतिज्ञ नहीं होने से राजनीति की बात नहीं जानते हैं। यद्यपि मैं इस सदन में कई बार सदस्य रह चुका हूं और कई दफा बोला भी लेकिन आज पहली दफा बोल रहा हूं··· मैं जानता हूं कि मेरे बोलने की वजह से आप आज 86 से 117 हो गए हैं···

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : आपने बड़ी मेहनत की है···(**व्यवधान**)

श्री नाथू राम मिर्धा : आप मेरी बात तो सुन लें। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि कई बार अच्छे-अच्छे लोगों से यह कहते सुना कि वित्त मन्त्री जी राजनीतिज्ञ नहीं हैं और जो बजट उन्होंने पेश किया है, वह ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि वे दुनिया के माने हुए अर्थशास्त्री हैं और कांग्रेस की सरकार आने के बाद जितना कम समय उनको मिला, उस समय में उन्होंने इतना बढ़िया बजट पेश किया कि मेरे ख्याल से आज तक कोई नहीं कर सका है और न कर सकेगा। (**व्यवधान**)

श्री नाथू राम मिर्धा : इनको एक-एक चीज का ज्ञान है जिनको सीखने में हमें सौ वर्ष लगेंगे। इसलिए उन्होंने जिस मेहनत के साथ पेश किया है, देश के डूबते हुए हालात को उभारने के लिए जो शुरुआत की है और जिस भाव से इस बहस में इस बिल पर जवाब दिया है, वह मैं महसूस करता हूं और यहां तक कि श्री आडवाणी जी ने भी महसूस किया है कि अब की बार इन्होंने असली बात कही है। जब पहले बजट पेश किया था तो उनको संतोष नहीं था और अब है तो मैं यह कहूंगा कि विपक्ष के नेता को सन्तोष होना बहुत बड़ी बात है। मैं तो यह कहता हूं कि मुझे तो उस दिन सन्तोष था क्योंकि यदि ये नहीं आते तो कोई ऐसा बढ़िया बजट बनाकर पेश न करता। यह मेरे दिल की आवाज है··· (**व्यवधान**) मैंने सारी उमर किसानों की वकालत की। (**व्यवधान**) मेरी कांस्टीट्यूएंसी तो आप सब जानते हैं। जहां मैं कहता हूं वहीं छाप लगाते हैं। मैं कह दूं इधर लगाओ तो इधर लगाएंगे। मैं अब बहुत बुड्ढा हो गया हूं, मैं तो जल्दी ये सब छोड़ दूंगा। आप सुन लें। मनमोहन सिंह जी तो अभी जवान हैं। मैं इस सदन के बुड्ढे आदमियों में से हूं। मैं कहना चाहता हूं कि देश खतरे में है। इस देश की कृषि का उत्पादन एक हैक्टेयर में दो टन के बराबर है जबकि दुनिया सात पर पहुंच गई है।

[अनुवाद]

अब मैं उत्पादकता के बारे में बात कर रहा हूं।

[हिन्दी]

किसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। इस देश में इण्डस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी के बारे में बात की। बचाव-बचाव, शेल्टर-शेल्टर, कोई कम्पीटीशन नहीं, दुनिया में खूब पैसा कमाया और आराम से फायदा उठाया। उनके लिए भी कम्पीटीशन में लाने की बात कह रहा हूं और मैं सोचता हूं वह शेल्टर नहीं रहना चाहिए। इसलिए इण्डस्ट्रीज को भी कुछ दिशाओं में जाना है, कृषि को भी कुछ दिशाओं में जाना है। आपने बहुत सी कमियां निकालीं। बहुत सी कमियां हैं और मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहना चाहता हूं कि यह मेलेडी जो उस बजट में है और जिस स्थिति में हम पहुंचे हैं, यह थोड़े दिनों की मेलेडी नहीं है, लम्बे दिनों की मेलेडी है। हमने 18 लाख टन तेल का इम्पोर्ट किया जब हमारे किसानों का तिल डूब गया था और इस वजह से किसानों ने तिलहन का प्रोडक्शन नहीं किया। जी हां, मैं आयल सीड्स की बात कर रहा हूं।

हमने दालें खूब मंगाई और अभी भी मंगा रहे है। हमको महंगी दालें खाने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी दुनिया के बहुत अच्छे-अच्छे देशों में कोई सबसे सस्ता देश है तो ये हिन्दुस्तान है। (व्यवधान) महंगाई बढ़ाना क्या आपके मेरे हाथ में है ! महंगाई बढ़ती है जब इन्सान ज्यादा बढ़ते है। महंगाई को रोकना किसी के हाथ मे नहीं है। आप अगर महंगाई को रोक दोगे तो मैं आपको राज दे दूंगा। दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। आप आबादी बढ़ा रहे हो और पैदावार करते नहीं है, महंगाई नहीं बढ़ेगी तो और क्या होगा? इसलिए महंगाई को रोकना आसान काम नहीं है। आप बातें करते हैं। अगर आप चीजें सस्ती कर दें तो मैं आपको राज दे दूंगा। फालतू बातें करते हो। थोड़े दिनों में सस्ताई नहीं होती है। पैदावार बढ़ानी पड़ेगी, जनसंख्या पर रोक लगानी पड़ेगी और बेरोजगारों को मिटाना पड़ेगा। तब जाकर कुछ मंहगाई की कमी की तरफ आएंगे। ये सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। मैं आप बहुत इकोनामिक्स जानते हैं। मैंने कृषि आयोग की रिपोर्ट लिखी है···ये बैठे किसान हैं, ये उसको देखेंगे। पर आज आप देखिए कि एक एल० पी० जी० का गैस का सिलेन्डर 140 रुपए में बनता है और 70 रुपए तक उसको देते हैं। आखिर कितने दिन तक कहां-कहां सब्सिडी देंगे। पेट्रोल पर खर्चा इतना होता है···(व्यवधान)···अरे ! अंबानी को और तुमको भी मैं जानता हूं। एक अंबानी से हल नहीं होगा। देश के सब लोगों को धन बढ़ाना पड़ेगा तब जाकर देश की इकानामी सुधरेगी। यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : हमको मालूम नहीं था।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको सब मालूम है पर जान-बूझकर कौवे लेते हो। आप जान-बूझकर करते हो। अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री जी ने जो एक शुरूआत की है, हम सब लोगों को उसका समर्थन करना चाहिए—इस पार्टी वालों को भी और उनको भी। यह आदमी जब नान-पोलिटिकल होने से देश को सुधारेगा, यह मुझे विश्वास है। इसलिए आपको और हमको इन पर थोड़ा विश्वास करके इनकी पो० थपथपानी चाहिए कि इन्होंने अच्छे कदम उठाए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : कांग्रेस पार्टी में क्यों घुसे थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किसी पार्टी में भी घुस सकते हैं। आपकी पार्टी होती तो देश के हित के लिए आपकी पार्टी में आते।

ये तो बड़े देशभक्त आदमी है । इन्हें पार्टी से कुछ लेना-देना नहीं है । यदि इन्हें लेना-देना है तो सिर्फ देश की हालत को सुधारने से लेना-देना है । इसलिए आप इन्हें तहेदिल से धन्यवाद दें और जिस तरह से आपने बजट पास किया, उसमें दो हजार करोड़ रुपए के आसपास के टैक्स लगाए गए, उसके बावजूद भी आज हमारी कई कमियों की पूर्ति नहीं हो पा रही है । आज भी हमें सबसिडी काटनी पड़ेगी, फिर काटनी पड़ेगी क्योंकि सारे देश की हालत खराब है। हमें और आपको, सब को मिलकर इसे सुधारना पड़ेगा । किसानों को अपनी पैदावार और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी । इण्डस्ट्रियलिस्ट को अपने कारखाने का उत्पादन बढ़ाना होगा और दुनिया के कम्पटीशन में अपने प्रोडक्ट को लाना होगा । ये रास्ते मिले-जुले हैं । मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता परन्तु आडवाणी जी ने जैसा अभी कहा कि इन्कम टैक्स की सीमा बढ़ाकर 30 हजार रुपए कर दो, आडवाणी जी इस देश में तीन हजार आमदनी वाले लोग भी हैं, उन बेचारों ने भी जिन्दा रहना है । बाईस हजार से तीस हजार कमवाने वालों के प्रति आपकी हमदर्दी हो सकती है, वह काफी बड़ा सैक्शन है । उन्हें राजी रखना हम राजनीतिज्ञों का काम है लेकिन आज राजी रखने की बात न करो, इन्साफ की बात करो । मैं आपको आत्मा से कहता हूं कि उन्हें राजी रखना हम भी चाहते हैं, आप भी उन्हें राजी रखना चाहते हो परन्तु देश की हालत खराब है । इसलिए वित्त मन्त्री जी ने जो कुछ कहा, आज 22 हजार की हालत से आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, ऐसी स्थिति में मैं तैयार नहीं हूं, आगे सोचूंगा, इसलिए आपको और हमको उसमें बाधा नहीं उठानी चाहिए । हम सब को मिलकर इस वित्त विधेयक को पास करना चाहिए, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, वित्त मन्त्री जी के बजट से उस दिन मुझे जितनी निराशा हुई थीं, उससे कम निराशा इस वक्त नहीं है क्योंकि जो भाषण आपने किया, उसमें समस्याओं का वर्णन तो आपने ठीक किया लेकिन इलाज की जो बात आपने कही, उस इलाज को हम मान नहीं सकते हैं । यह जो सारी कल्पना है कि भारत की अर्थ-व्यवस्था को विश्व की अर्थ-व्यवस्था के साथ जोड़ने से, हम लोगों की हालत सुधरेगी, मैं आर्थिक दृष्टि से इसे मान नहीं सकता हूं, और न अन्य किसी दृष्टि से मान सकता हूं । विश्व की अर्थव्यवस्था का मतलब हम 7 मुल्कों की अर्थव्यवस्था से लगाते हैं जिनकी आबादी, मेरे ख्याल से विश्व की आबादी का 12 प्रतिशत है और जहां विश्व के कुल उत्पादन का 70 प्रतिशत उत्पादन उनके हाथों में है । उन मुल्कों की अर्थव्यवस्था के समक्ष हम अपने गरीब मुल्क की अर्थव्यवस्था को कैसे ला सकते हैं जबकि हमारी फी आदमी औसतन आमदनी रुपए के हिसाब से लगभग 4 हजार रुपए है, जबकि अमेरिका की औसतन फी आदमी आमदनी 5 लाख के आसपास है और जिन 7 मुल्कों का हमने जिक्र किया, उनकी औसतन फी आदमी आमदनी 4 से 5 लाख के बीच में है । हम सिर्फ 4 हजार रुपए पर हैं । हमारी समस्याएं, हमारी जरूरतें, इस देश के 10-90 प्रतिशत लोगों की इस क्षण की और अगले 10-20 सालों की जरूरतों और अमेरिका, जापान, ब्रिटेन आदि की जरूरतों में भारी अन्तर है, जहां से हम लोग आकर बोलते हैं कि जापान ने अमुक किया, हम क्यों नहीं करते हैं, अमेरिका में अमुक होता है, हमने देखा तो हम यहां क्यों वैसा नहीं करते हैं, हमारे यहां क्यों नहीं होता है, इसलिए पिज्जा, मैकडोनल्ड और उस्तरबर्ग आते हैं । ऐसे कार्य जो हम विदेशों में जाकर देखकर आते हैं और सोचते हैं कि अपनी हालत भी वैसी ही होनी चाहिए, हमारी यह सोच देश के लिए घातक है, यह मुझे एक बार फिर यहां कहना है ।

इसलिए हमारे वित्त मन्त्री जी की जो सोच है, न तो उससे मैं सहमत हो सकता हूं और न उनकी राय से अपनी राय मिला सकता हूं ।

अध्यक्ष जी, मैंने वित्त मन्त्री जी के भाषण को सुना । उन्होंने वही बात कही कि अगर हम अपने कर्ज को वापस करने की स्थिति में नहीं रहते, तो हमारी हालत लेटिन अमरीका के देशों की जैसी होती, इसको एक नहीं अधिक बार आपने जिक्र किया । मुझे उस लैटिन अमरीका की ही चिन्ता हो रही है इस वक्त कि जिस लैटिन अमरीका की स्थिति का डर वित्त मन्त्री को है और यह डर होना चाहिए, तो लैटिन अमरीका की जो अर्थव्यवस्था है वह विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ इण्टरनेशनल मॉनिटरी फण्ड और वर्ल्ड बैंक और ऐसी जो भी दुनिया की वित्तीय संस्थाएं हैं और इनके जरिए और उनके मल्टी नैशनल्स हैं, उनके जरिए जुड़ी है और उनके साथ जोड़ने के बाद लैटिन अमरीका की यह स्थिति है । इसलिए मुझे समूचे देश को आगाह करना है अध्यक्ष जी, मैं कह देता हूं, कांग्रेस के लोग इसमें राजनीति मात्र देख सकते हैं, मैं उनसे विवाद नहीं करूंगा, लेकिन देश को तो बात निश्चित तौर पर आगाह करना चाहता हूं कि इस वित्त विधेयक को पारित करके सरकार जो दिशा पकड़ने जा रही है, वह दिशा इस देश के लिए सबसे खतरनाक साबित होगी और इस देश की राजनैतिक मुख्तारी की जो व्यवस्था हम लोगों की रही, उससे भिन्न अवस्था हम लोगों की नहीं रहेगी, अगर इसे देश की जनता इसे बदलने के तत्काल कदम नहीं उठाती ।

अध्यक्ष जी, हम लोगों का स्वराज्य का आन्दोलन स्वदेशी और स्वावलम्बन के साथ जुड़ा हुआ था । वह महात्मा गांधी का आन्दोलन था । उस आन्दोलन को बहुत लोगों ने देखा नहीं, जो आज इस सदन में हैं । उनकी उम्र नहीं थी उस आन्दोलन को देखने की । उस आन्दोलन का जो उद्देश्य था, लक्ष्य था और विशेषकर इस देश के निर्माण की कल्पनाएं थीं, हो सकता है हमारे स्कूलों में वह नहीं पढ़ाया जाता हो और राजनीति में हमको समझने की कोई जरूरत ही महसूस नहीं होती हो, लेकिन हम यह मानते हैं कि स्वदेशी और स्वावलम्बन, जो हमारे स्वराज्य की मुख्य कल्पनाएं थीं, अगर वे कल्पनाएं आज आप छोड़ देते हैं, जैसा आपने इस वित्तीय विधेयक से छोड़ दिया है, आप जानते हैं कि इसे पारित करने से कोई नहीं रोक सकेगा, लेकिन हम इस वित्त विधेयक और इन नीतियों के साथ अपने को जोड़ नहीं सकते हैं और विशेषकर आपके बजट आने के बाद से बढ़ते दाम और उसके साथ किसानों की जो अर्थव्यवस्था बन गई, आपके फर्टिलाइजर के मामले को लेकर और जिस मुद्दे का वित्त मन्त्री जी ने बार-बार जिक्र किया क्षेत्रीय प्रश्न बताकर, तो अध्यक्ष जी, मुझे डर लगता है कि इस देश को आपकी यह नीति और बजट कहां ले जाएगा, किस दिशा में ले जाएगा, कितनी टूटन की ओर ले जा सकता है ? हमें डर लगता है और इन तीनों मुद्दों पर आपको जिस प्रकार का समाधान करके उत्तर देना चाहिए था, वह नहीं दिया । इसलिए हम आपके वित्तीय विधेयक का विरोध करते हैं और इसके समर्थन करने का कोई सवाल हमारे लिए नहीं उठता है ।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, मैं वित्त मन्त्री के जवाब के बाद बहुत निराश हुआ हूं । जिस समय अध्यक्ष जी, मीर जाफर ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को व्यापार करने की छूट दी, उसने नहीं सोचा था कि इसका कोई राजनीतिक असर भी होगा । उसने समझा था कि यह एक व्यापारिक कम्पनी है । हमारे एक ऊंचे मन्त्री थे, नाम में मैं नहीं जाऊंगा, जिन्होंने अमरीका में जाकर कहा था कि भारत माता का गर्भ अमरीकी पूंजी के प्रवेश के लिए हम खोलेंगे । खैर वे नहीं खोल सके, लेकिन अभी

जिस नीति के बारे में हमारे वित्त मन्त्री बोले हैं वह ऐसा खतरनाक घण्टा है, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। उसकी आडवाणी जी ने भी तारीफ की, उससे मुझे और भी निराशा हुई है। क्या टाटा, बिड़ला जिनके खिलाफ हम लड़ते हैं कि देश पर कब्जा किए हुए हैं, इनकी सामर्थ्य है कि रॉक फेलर और फोर्ड का मुकाबला कर लेंगे, क्या दुनिया की उन आर्थिक कम्पनियों का मुकाबला कर लेंगे ? इसलिए यह खतरे की घण्टी है। हमारे अर्थ तन्त्र के लिए, पूंजीवादी तन्त्र के लिए भी खतरे की घण्टी इस बजट के जरिए और इस वित्त विधेयक के जरिए बजाई गई है। जो उद्योगपति आज नहीं समझ रहे हैं, कल वे पछताएंगे कि इस स्वावलम्बन और अर्थ नीति का क्या मतलब होता है।

अध्यक्ष जी, मैं इसी के साथ कहने जा रहा हूं कि उत्पादन की बात जरूर है कि वह बढ़ाना है। आडवाणी जी ने भी कहा है कि उद्योगपतियों ने फायदा उठाया। क्या उत्पादन बढ़ाने के लिए फायदा उठाया ? उन्होंने उत्पादन के लिए पैसा दिया था। राजकीय कोष के पैसे का दुरुपयोग किया है। किन कामों में लगेगा पैसा ? होटलों में, तस्करी में, गैर-उत्पादक कामों में लगाया। अगर यह सिर्फ उत्पादन में लगाया होता तो वह देशभक्ति का काम होता, देश का उत्पादन बढ़ता। अभी जो देश की हालत है, जो हमारे मित्र श्री फर्नान्डीज ने कहा है कि हमारे देश के लिए उत्पादन को, उत्पादकता को बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे यह निराशा हुई कि जो मैंने कल आग्रह किया था कि हमारे 170 करोड़ हाथों के लिए आप कौन-सी राहत दे रहे हैं। लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों के लिए कौन-सी राहत दे रहे हैं जिससे उत्पादन की सबसे बड़ी मानव शक्ति का उपयोग हो। उसपर इस विधेयक में बहुत नगण्य ध्यान दिया गया है।

हमारे देश में बैंक बहुत हैं। उसके प्रधान वित्त मन्त्री रहे हैं। जब राष्ट्रीयकरण किया था तो 14 अलग-अलग बैंक थे। अभी एक-एक नगर में, एक-एक प्रखंड में बैंकों की अलग-अलग शाखाएं हैं। उस पर कई गुणा खर्च होता है। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आज इसकी जरूरत नहीं है कि सभी बैंकों को मिलाकर एक बैंक कर दें ? देशभर के बैंक इम्प्लाइज ऐसोसिएशन ने मांग की है कि उनको एक करना चाहिए। आज बैंकों में फिजूलखर्ची करा रहे हैं, उसकी आज जरूरत नहीं थी। 1969 में उसकी एक जरूरत थी।

ऐसे ही आयकर की बात उठी है। मैं जानता हूं कि आयकर लेना चाहिए और वैसे ही लेना चाहिए जैसी हमारी नीति रही है। लेकिन एक बार महंगाई के अनुपात में तय कर दीजिए कि इसका अलग-अलग मांग न उठने पाए। महंगाई लगातार बढ़ रही है और आयकर लग रहा है। वित्त मंत्री इस पर भी कुछ करें।

तीन तारीख को आपने भी सदन में कहा था। हम लोग वित्त मंत्री से मिले थे जब बिहार के कम्युनिस्ट विधायक और सांसद धरने पर बैठे थे। हमने वित्त मंत्री से सारी बातें की। उन्होंने क्या कहा मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन भाड़े की समता के चलते, जिसका हमारे मित्र श्री चन्द्रजीत ने जिक्र किया है, जिससे बड़ा नुकसान हो रहा है, उस पर वित्त मंत्री अभी कुछ बोलें ताकि कोयले पर रायल्टी का मामला मूल्य पर आधारित हो वजन पर आधारित नहीं होना चाहिए। खनिज रखने वाले सभी राज्यों के लिए यह आवश्यक है।

आखिरी बात उर्वरक के लिए है। हमें खुशी है कि हमारी एक जीत हुई कि लघु और सीमान्त किसानों के लिए छूट दी गई। लेकिन उत्पादन बढ़ाने के हित में है कि सभी किसानों को यह अनुदान

देने की स्कीम चालू रखिए । जब आप कहते हैं कि पांच महीने बाद रखेंगे तो पांच महीने बाद फिर विचार करेंगे । आज ऐलान कीजिए कि उत्पादन बढ़ाने के लिए खेतों में उसकी छूट दें ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या मन्त्री महोदय उत्तर देने के इच्छुक हैं ?

श्री मनमोहन सिंह : मैं उन सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जो इतने विलम्ब के बाद अब बोले हैं और मैं विपक्ष के माननीय नेताओं और उन अन्य मित्रों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मेरे लिए सदाशयपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया है । इस लम्बे वाद-विवाद के पश्चात् मैं समझता हूं कि यह एक पारितोषिक है जिसका मैं बहुत कदर करता हूं और मैं उनका बड़ा आभारी हूं ।

मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं । हमारा देश वास्तव में भारी कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा है और ऐसे समय में हमें विश्व पर जिस बात के लिए जोर देना चाहिए और जो संदेश भेजना चाहिए वह यह है कि हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हैं किन्तु जब भारत के सम्मान की रक्षा करने की बात आती है, जब देश को आगे बढ़ाने का प्रश्न आता है, तो मैं समझता हूं इस सम्माननीय सभा के सभी वर्ग एकजुट हो जाते हैं । और मैं समझता हूं, यदि हम इसी प्रकार एकजुट रहे तो हमारी नीतियों के बारे में सभी अनिश्चितताएं, जैसाकि माननीय श्री चन्द्रजीत यादव कह रहे थे, दूर हो जाएंगी । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भारत से बाहर और भारत में रहने वाले लोगों के बारे में विदेशों में अनेक प्रकार से निन्दा की जाती है । आखिरकार यदि 8500 लाख लोग इस प्रकार जाग्रत हो जाए, तो मैं समझता हूं कि विदेशों में अनेक लोग चिन्तित हो जाएंगे । वे चाहते हैं कि भारत ऋण के शिकंजे में फंसा रहे । और मैं सोचता हूं कि हमें सोच-विचार कर चलना चाहिए और इस शिकंजे से निकलने के उपाय ढूंढने ही चाहिए । यहां इसकी व्यवस्था है, मैं समझता हूं लोग इससे सहमत होंगे । और यदि इस देश यह धारणा बना लेता है, तो ऐसा कोई काम नहीं है जिसे इस देश के लोग नहीं कर सकते; भारत के लोगों और भारत के श्रमिकों के बारे मे कुछ भी गलत नहीं है ।

कल श्री फर्नान्डीज ने बिहार के श्रमिकों और किसानों के बारे में कहा था । मैं बिहार के अनेक भागों में गया हूं । मैं उनकी बात से सहमत हूं । बिहार के किसानों के बारे में कुछ भी गलत नहीं है । वे पंजाब के किसानों की भांति कठोर परिश्रम करने वाले लोग हैं । गलत तो प्रणाली है—संस्थागत प्रणाली और प्रशासनिक प्रणाली । उदाहरण के लिए, यदि श्री फर्नान्डीज बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में सुधार करते हैं, तो मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि हम बिहार में विद्युत क्षेत्र में पर्याप्त धन निवेश करेंगे ।

मैं मुद्रास्फीति के प्रभाव के बारे में श्री आडवाणी जी की भावनाओं का सम्मान करता हूं, मुद्रास्फीति से किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को कठिनाई हुई है । मैं मानता हूं कि इसके कारण विशेष रूप से बंधी हुई आय वाले लोग प्रभावित हुए हैं । किन्तु मैं समझता हूं, जैसाकि मिश्राजी ने ध्यान दिलाया है, इन सब बातों पर पूरी परिस्थिति को ध्यान मे रखकर विचार करना होगा । हम इस देश को किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं ? क्या इस देश की वित्तीय स्थिति रातोरात इतनी मजबूत हो गई है कि यह दूसरों की भी मदद कर सकता है ? मैं इस प्रकार का मनोभाव पैदा करना नहीं चाहता । हमारा

देश अत्यन्त गम्भीर कठिनाइयों में है। इस देश के प्रत्येक नागरिक का यह उत्तरदायित्व है कि वह इस कठिनाई को झेलने में भागीदार बने। आप ऐसा करके ही मितव्ययता का वातावरण उत्पन्न कर सकेंगे।

महोदय, सभा के सभी सदस्यों ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं। जब मैं विश्व अर्थव्यवस्था में एकरूपता के बारे में बात करता हूं, तो मेरा अभिप्राय कदापि यह नहीं होता है कि हमारी जीवन पद्धति उसी प्रकार की होनी चाहिए जैसी कि समृद्धशाली पश्चिमी देशों की है। हम इतना अधिक व्यय वहन नहीं कर सकते। यहां तक कि यदि हम अधिक व्यय वहन भी कर सकते तब भी ऐसा रहन-सहन हमारी वर्तमान संस्कृति और सभ्यता के सर्वथा प्रतिकूल ही होगा।

लीजिए मैं विश्व-अर्थव्यवस्था में एकरूपता की ही बात करता हूं। हमें इस योग्य होना चाहिए कि हम प्रत्येक से नजर मिला सकें। हम चाहते हैं यह मांगने का खेल समाप्त किया जाए। हम विश्व के शेष देशों के साथ समान रूप से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। मैं समझता हूं, हमारे वैज्ञानिक, हमारे प्रौद्योगिकीविद्, इस काबिल हैं। हमें अपने मन मे यह हीन भावना अवश्य ही दूर कर देनी चाहिए कि हम विश्व के शेष देशों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इसी की वजह से इस देश का आत्म-विश्वास समाप्त हो गया है। मैं समझता हूं, हमें इस प्रकार का मनोभाव दूर कर ही देना चाहिए। किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि मैं मैक्डोवेल अथवा विलासिता की समस्त वस्तुएं प्रदान करना चाहता हूं। उपलब्ध संसाधनों में से भारत की जनता की मूलभूत आवश्यकताएं सबसे पहले पूरी की जानी चाहिए।

मैं श्री फर्नान्डीज को याद दिलाना चाहता हूं। कल उन्होंने साउथ कमीशन की रिपोर्ट उद्धृत की है। इस बजट में जो मैंने किया है अथवा जो आज मैं कह रहा हूं वह उस रिपोर्ट में लिखित विषय-वस्तु से इन्कार नहीं करना है। यदि आप इसे पढ़ें तो मैं समझता हूं कि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तीसरी दुनिया के देशों को अलग नहीं किया जा सकता है और तीसरी दुनिया को भी विश्व अर्थ-व्यवस्था में सम्मिलित करना होगा। मामला यह नहीं है कि आप उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं अथवा नहीं बल्कि मामला यह है कि किन शर्तों पर इसको सम्मिलित किया जायेगा। यही उत्तर-दक्षिण वार्ता में कहा गया है :

आखिरकार तीसरी दुनिया मानवता का तीन चौथाई हिस्सा है और हम कभी भी विश्व समुदाय के सामने दक्षिण के मामले को रखने हेतु तीसरी दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर कार्य करने के अपने वायदे को निभाने में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अन्य मामले की वकालत करें, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना होगा। अतः इस देश को पुनः पटरी पर लाना अति महत्वपूर्ण है, वित्तीय व्यवस्था को ठीक करने की अति महत्वपूर्ण है, अपने सार्वजनिक उद्यमों को कुशलतापूर्वक चलाना अति महत्वपूर्ण है, हमारी बैंक व्यवस्था अन्य देशों की तरह कुशल हो और हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा समाज आदर्शवाद की धारणा से प्रभावित है जिसमें हमारे लोगों की मांग और आवश्यकतानुसार उद्यमशीलता और सर्जनात्मक की भावना हो। और सिर्फ इसी से हम इस संकट से निकल सकेंगे।

इनमें से कुछ बातों का जिक्र मैंने पहले भी किया है। मैं सदन को कर सुधारों के मामलों में आश्वासन देना चाहता हूं, चाहे वह कर छूट सीमा के बारे मे हो, चाहे वह सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क सुधार जैसे मामलो के बारे मे हो, मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि भारत में कर

प्रणाली बहुत ही जटिल है। ईमानदार नागरिकों को भारी परेशानी होती है। हमें सरल प्रणाली अपनानी होगी जो साथ ही और स्वच्छ भी हो। कर कम करने संबंधी कोई मामला, स्वत्वहरण करों जिन्हें कभी प्रभावी नहीं बनाया जा सकता, की अपेक्षा कुछ हद तक ठीक हैं। अन्य बातों के साथ-साथ हम छूट, रियायतों और जो हम कर सकते हैं, उन बातों पर भी विचार करेंगे। यह मैं वायदा करता हूं। इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने हेतु मैंने पहले ही एक कर-सुधार समिति नियुक्त कर दी है। इसी प्रकार मैं भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सुधार करने हेतु अपनी शक्ति के अन्तर्गत सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। जिस प्रकार हमारे देश में बैंक कार्य कर रहे हैं उससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। मैंने बहुत से देशों का दौरा किया है। हमारे देश में, भारतीय स्टेट बैंक भी, यदि आपको खाते की विवरणी चाहिए, तो मुश्किल होगी। अधिकांश देशों में, सभी बैंकिंग कार्य टेलीफोन पर किये जाते हैं। यदि इस देश को विश्व में आगे बढ़ने की यदि कोई इच्छा है तो हमें अपने तरीके बदलने होंगे। यह सब परिवर्तन करने के लिए ऐसा वातावरण तैयार करने की जिम्मेदारी बैंकिंग प्रबन्ध, बैंकिंग व्यवस्था में ट्रेड यूनियनों, तथा सरकार की है। ये हमारे देश के सामने चुनौतिया हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे देश में इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता है। हमें स्वयं में विश्वास होना चाहिए। हमें आत्म-विश्वास में कमी नहीं आने देनी चाहिए। हमें ऐसा वातावरण नहीं बनाना चाहिए जिससे भारत की जनता अपना धैर्य खो बैठे इससे इस देश में किसी को भी लाभ नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः सदन से इस बजट को पारित करने की सिफारिश करता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अपने पहले भाषण में कहा था कि मैं सिर्फ संक्षेप में कहूंगा कि इस चर्चा के दौरान चार बातें सामने आई हैं। इसकी शुरुआत राजीव फाउंडेशन से शुरू हुई थी; इसके बाद उर्वरक राजसहायता की बात सामने आई; इसके पश्चात् 'एक रैंक एक पेंशन' का मामला उठा, और आज अन्य बातों के अतिरिक्त इस चर्चा के दौरान हमने निश्चित आय वर्ग के लोगों को राहत देने की बात को उठाने का छोटा-सा प्रयास, सिर्फ संदेश पहुंचाने के लिए, किया है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब पहले मामलों में सरकार ने कुछ जिम्मेदारी दिखाई है लेकिन आखरी मामले में मुझे निराशा हुई कि सरकार ने जिम्मेदारी नहीं दिखाई है यद्यपि वित्त मन्त्री ने इस विशेष मामले सहित संपूर्ण कराधान ढांचे को संगत बनाने का वायदा किया था। अतः, जैसाकि मैंने शुरू में कहा था, हम इस बारे में सिर्फ अपनी निराशा व्यक्त कर रहे हैं, हम इस विधेयक पर मतदान में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं।

3.34 म० प०

(इसके बाद श्री लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से उठकर चले गये।)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारा संबंध है, हमने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं और माननीय सदस्यों द्वारा प्रत्येक मामले पर उनके द्वारा दिए गये बहुत ही स्पष्ट विचारों को गौर से सुना है। मुद्रास्फीति की स्थिति से निपटने के बारे में सरकारी नीति को हमने सुना है। हमें बताया गया है कि इस नीति के प्रभाव को देखने के लिए हमें तीन वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। इन तीन वर्षों में क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है'''(व्यवधान) महोदय नये मंत्रियों के प्रति हमारी शुभकामनायें हैं। उन्हें भी संयम रखना चाहिए। (व्यवधान)

मुझे आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। देश के सामने बहुत ही बड़ी और आर्थिक समस्यायें हैं। इनका सामना अधिकांश लोग कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री ने उनके बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है। हमें नहीं मालूम। हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक शब्द भी नहीं कहा गया है सिर्फ इसके कि हमसे विदेशी मुद्रा कर्ज भुगतान की शर्तों का उल्लंघन न हो इसके लिए उपाय किये गये थे। इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया है कि इस देश की आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या है? यह नीति किसके लाभ के लिए है? देश के करोड़ों बेरोजगार युवकों का क्या होगा? इसके बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया है। इस देश के रुग्ण उद्योगों का क्या होगा? इनके बारे में कुछ नहीं बताया गया। देश में व्याप्त क्षेत्रीय असन्तुलन, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है, को दूर करने के प्रयासों का क्या होगा? कुछ नहीं बताया गया।

मैंने देखा कि सत्ता पक्ष में, कांग्रेस में, बैठे मेरे माननीय मित्र उस समय अपनी मेजें बड़े जोर-जोर से और बड़े उत्साह के साथ थपथपा रहे थे जब माननीय वित्त मंत्री अपनी पूर्व सरकारों के कार्यों की आलोचना कर रहे थे। (व्यवधान) उन्होंने उन नीतियों एवम् बजट का समर्थन किया था जिनकी वित्त मंत्री आज आलोचना कर रहे थे। (व्यवधान) आपने श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में और श्री राजीव गांधी के समय में इन बजटों का समर्थन किया था और आज भी अपनी मेजें थपथपा रहे हैं जब आज उनकी आलोचना की जा रही थी। आपकी नीति का यह सामंजस्य है। अतः मैं आपकी नीतियों पर मोहित नहीं हुआ हूं।

आज हम कुछ नई बातें सुन रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि क्या श्री नाथूराम मिर्धा ने तब भी नीतियों का समर्थन किया था। (व्यवधान) आज उन्हें बिल्कुल एक नई आशा की किरण दिखाई दे रही है। जब मैंने कहा था कि क्या उद्देश्य था तो उन्होंने सोचा कि मैं व्यक्तिगत रूप से उनका उल्लेख कर रहा हूं। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनका उल्लेख नहीं किया था।

अतः मैं कहता हूं कि यह जनवादी बजट नहीं है। यह जन विरोधी बजट है। खरीदा हुआ बजट है। भारत की सम्प्रभुता आज दूसरों के पास गिरवी रखी जा रही है अर्थात् बेची जा रही है। अच्छे वित्त मंत्री जी का व्यक्तिगत रूप से हम बहुत सम्मान करते हैं। वह यह भलीभांति जानते हैं। (व्यवधान) युवा कांग्रेस की नई भर्ती से मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग): पुरानी बातों को छोड़ो। कोई नई बात बताओ।

श्री सोमनाथ चटर्जी: देखते हैं।

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण): उम्र बढ़ गई है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: भाड़ा समकरण, जो एक महत्वपूर्ण विषय है, के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। आप उदारीकरण की बात कर रहे हैं और बाजार अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो आप भाड़ा समकरण का कैसे समर्थन कर सकते हैं? कृपया मुझे बतायें। आप किस सिद्धान्त पर इसका समर्थन करेंगे? आपकी नीति क्या है? इसके पीछे सिद्धान्त क्या है? क्या आप देश के कुछ क्षेत्रों में राज-सहायता नहीं दे रहे हैं? जब आप भौगोलिक स्थिति से जुड़े लाभों को समाप्त कर रहे हैं तो खुली प्रतिस्पर्धा कहां है? आप ऐसा नहीं कर पाये हैं।

माननीय वित्त मंत्री महोदय आप हाल ही में आये हैं। आपको हाल ही में कांग्रेस दल में शामिल किया गया है। आप अपनी आंतरिक समस्याओं से नहीं उबर सकते। दुर्भाग्य से आप स्वयं इसमें फंस गये हैं।

मूल्य कम करने अथवा बेरोजगारी दूर करने अथवा भाड़ा समकरण के बारे में कोई जिक्र नहीं है। इस देश के लोगों में व्याप्त आर्थिक विभिन्नता को समाप्त करने के लिए एक भी शब्द नहीं कहा गया है। यह बजट केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए है; इस देश के सत्ता दल के लाभार्थियों और मुरली देवड़ा के मनपसन्द लोगों के लिए बना है। वह नारीमन प्वाइंट का प्रतिनिधित्व करते हैं; लेकिन देश के 85 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

श्री मुरली देवड़ा : नारीमन प्वाइंट में भी गरीब लोग रहते हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अतः, महोदय, हमें खेद है कि हम अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को गिरवी रखने में आपका साथ नहीं दे सकते। हम वित्त मंत्री से सहमत नहीं हैं। अतः हम इस विधेयक से असहमत हैं।

3.39 म० प०

(इसके बाद श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से उठकर चले गये)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज सरकार ने अपने को आजादी के संघर्ष में तमाम मूल्यों से और स्वदेशी व स्वावलम्बन से अलग कर दिया है तथा गांधी जी के सारे सिद्धान्तों को आज त्याग दिया है। उसके निषेध में हमारे दल के लोग सभा त्याग करते हैं।

3.40 म० प०

(श्री जॉर्ज फर्नान्डीज और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभाभवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : यथासंशोधित वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1991 पारित हुआ।

[अनुवाद]

3.40½ म० प०

वि बैंक ऑफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल (ओवरसीज) लिमिटेड के बन्द होने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 9 पर विचार करेंगे। श्री जसवन्त सिंह खड़े हुए थे। अब वह अपना भाषण जारी रखें।

3.41 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री को वास्तव में सुबह से ही कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है और वे बहुत थके-थके से नजर आ रहे है। इसलिए बेहतर होगा कि हम अब 10-15 मिनट के लिए विश्राम कर लें ताकि वे स्वयं को तरोताजा कर लें और हम भी एक कप काफी ले लेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यह सही होगा कि हम लगभग 15 मिनट के लिए इसे स्थगित कर दें और पुनः चार बजे समवेत हों।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा चार बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

3.42 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 4.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

4.04 म० प०

लोक सभा 4.04 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए।)

वि बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल (ओवरसीज) लिमिटेड के बन्द होने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

—जारी

सभापति महोदय : श्री जसवन्त सिंह।

श्री जसवन्त सिंह : सभापति महोदय, हम बी० सी० सी० आई० के सम्बन्ध में अन्तराचित

प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ कर रहे हैं। गत शुक्रवार को, किसी विवादास्पद टिप्पणी पर हमने चर्चा स्थगित कर दी थी। माननीय वित्त मन्त्री ने बी० सी० सी० आई० की स्थापना के सम्बन्ध में कुछ तथ्यों की जानकारी हमें दी थी और वास्तव में ये तथ्य अलंघनीय हैं। मैं माननीय वित्त मन्त्री से पूरी तरह सहमत हूं। तथापि, इन तथ्यों की अपनी सुविधानुसार व्याख्या नहीं की जा सकती। मैं इस पर अतिशीघ्र वापस आऊंगा। हमने भी एक प्रकार की दुविधापूर्ण स्थिति का सामना किया है। सत्ता पक्ष तथा कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 1979 में भारत में बी० सी० सी० आई० के एक प्रतिनिधि कार्यालय को स्थापित करने में छद्म भय के उग्रतम विस्फोटन की जांच की थी। निःसन्देह, व्यक्तिगत रूप से मैं इस प्रदर्शन के कृत्रिम होने पर भी इसका स्वागत करता हूं क्योंकि हमारे सम्मुख बी० सी० सी० आई० के कुकृत्यों के व्यापक रूप से पर्दाफाश हुआ है एवं वास्तव में इन कुकृत्यों की विश्वव्यापी निन्दा की सच्चाई को अपनी आंखों से देखना पड़ रहा है। भारत की वर्तमान सरकार और कांग्रेस पार्टी भारत में अथवा अन्य स्थानों पर दो एजेंसियों की तरह दिखाई पड़ रहे हैं जो वस्तुतः बी० सी० सी० आई० के द्वारा की गई सभी प्रकार की अनियमितताओं और आपराधिक कृत्यों को बर्दाश्त कर रहे हैं। जहां तक बी० सी० सी० आई० का सम्बन्ध है, उस समय मैं अपने देश से सम्बन्धित विषयों पर विचार कर रहा था।

महोदय, मैं भारत के सन्दर्भ में अपनी चिन्ता को पुनः अतिसंक्षेप में व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले शुक्रवार को हस्तक्षेप करते हुए मैंने बी० सी० सी० आई० और पाकिस्तान के आई०एस०आई०, इन्टर-सर्विसेज इंटेलीजेंस के बीच स्थापित गठजोड़ के बारे में बात की थी और बी० सी० सी० आई० के ब्लैक नेटवर्क की रिपोर्ट को आई० एस० आई० से अलग नहीं किया जा सकता। हमने बी० सी० सी० आई० का मादक द्रव्यों से प्राप्त धन को सफेद में बदलने के लिए उपयोग किए जाने के बारे में कहा था। यह भी हमारी चिन्ता का विषय है। तीसरी बात है, हमने हथियारों के व्यापार में बी० सी० सी० आई० का हाथ होने के बारे में बताया था। वास्तव में, यह बैंक कुछ देशों के लिए हथियारों की खरीद के लिए एजेंट के रूप में कार्य कर रहा था। मैंने मिराज विमान की खरीद का उदाहरण दिया है। हम इस बात को लेकर भी चिन्तित हैं कि विभिन्न आतंकवादी संगठन बी० सी० सी० आई० का उपयोग अपने बैंकर के रूप में कर रहे हैं। अब यह साबित हो चुका है कि अबु निडाल ने इस उद्देश्य के लिए बी० सी० सी० आई०, लन्दन का उपयोग किया था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या अबु निडाल या जे० के० एल० एफ० या किसी अन्य सिक्ख आतंकवादी गुट या एल० टी० टी० ई० ने तो इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं प्राप्त नहीं की थीं। हम बी० सी० सी० आई० के उस रवैये से भी चिन्तित हैं जिसके अन्तर्गत यह पाकिस्तान के लिए एक प्रकार से गुप्त समाचार एकत्र करने वाली संस्था के रूप में कार्य कर रहा है जिसका मुख्यालय कराची में स्थित है। यह एक अति महत्वपूर्ण पहलू है।

इसके पश्चात्, बी० सी० सी० आई० का परमाणु-दृष्टिकोण विचारणीय है। यह उजागर हो चुका है कि बी० सी० सी० आई० ने इसके लिए न केवल धन प्रदान किया है बल्कि यह परमाणु प्रौद्योगिकी, परमाणु संयन्त्र, परमाणु उपकरण की खरीद में पाकिस्तान और लीबिया तथा ईरान के लिए भी एक प्रभावशाली मुख्तार तथा एजेंट के रूप में भी कार्य कर रहा था। भारत में बी० सी० सी० आई० के बारे में हमारी चिन्ता का विषय यह है कि यह हमारी प्रणालियों एवं संस्थाओं के विघटन में लगा हुआ है तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने राजनीतिज्ञों, उद्योगपतियों, बैंक और

भ्रष्टाचार का आपस में गठजोड़ कर रखा है। यह भी उल्लेखनीय है कि बी० सी० सी० आई० के भारत प्रवेश का सवाल पिछले शुक्रवार को पूरी तरह विवादास्पद बन गया था। सच्चाई यह है कि 1979 में इसके एक प्रतिनिधि का कार्यालय खोला गया था। माननीय वित्त मन्त्री ने मेरे कथन को दुरुस्त करते हुए बताया कि इस सम्बन्ध में स्वीकृति तत्कालीन सरकार द्वारा दी गई थी और यह मात्र एक प्रतिनिधि के कार्यालय के लिए नहीं, बल्कि एक पूर्णकालिक बैंक की स्थापना के लिए दी गयी थी। किन्तु, इससे एक अन्य प्रश्न भी पूछा जा सकता है क्योंकि पूर्णकालिक बैंक खोलने की स्वीकृति 1979 में दी गई थी और 1979 से मार्च, 1983 तक, इस स्वीकृति को कार्यान्वित नहीं किया गया, तो 1979-83 के बीच ऐसा क्या हो गया था जिससे सरकार को इस मामले में अपना विचार बदलना पड़ा। 1979 में, एक बैंक खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई। और इस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि या तो सरकार को सत्ता खोनी पड़ती या इसे सत्ता से हटा दिया गया अथवा गद्दी छोड़ दी। किन्तु, 1979-83 के बीच, मैं नहीं जानता कि सरकार के लिए क्या अनुकूल बातें घटित हुई थीं। 1983 में, जहां तक मुझे ठीक-ठीक याद है, सरकार कांग्रेस की थी और यदि मुझे ठीक तरह से याद है, तो माननीय वित्त मन्त्री, उस समय किसी अन्य पद को सुशोभित कर रहे थे। वास्तव में, यह प्रश्न तो खड़ा होता ही है। इन चार वर्षों में ऐसी क्या बात हो गई थी जिसके कारण परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी जिसके लिए साफ-साफ कहा जा सकता है कि बुरे विचार से किया गया एक कार्य तथा गलत सलाह पर दी गई स्वीकृति थी।

मैं आपके समक्ष यह रखना चाहता हूं कि भारत में यह बैंक मार्च, 1983 में इसने उद्योगपतियों के समूह में इसके प्रवेश को समर्थन एवं प्रोत्साहन प्रदान किया गया था ऐसा भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर के असहमति के बावजूद किया गया। यह कानून कुछ प्रस्तावित परिवर्तनों के बारे में था। मुझे अच्छी तरह याद है कि तत्कालीन वित्त मन्त्री वास्तव में उस सीमा तक चले गए कि उन्होंने संसद में ऐसे विधेयक पेश कर दिए गए ताकि रिजर्व बैंक से अपेक्षित अनुमति लेने की शर्त ही समाप्त हो जाए और वित्त मन्त्रालय सर्वोपरि हो जाए। यदि मुझे ठीक-ठीक याद है, रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर ने बिना किसी को परेशान करने की इच्छा से इस मामले मे एक बहुत दृढ़ रुख अख्तियार किया था। उन्होंने दृढ़ रुख क्यों अख्तियार किया। भारत में इस बैंक के प्रवेश को मना करने की इच्छा न रखने में रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर को क्या तकलीफ थी।

अंदेशा नहीं अपितु यह तथ्य सर्वविदित हो चुका है, बिना किसी पूर्वोदाहरण के, कि शेयर बाजार में एक औद्योगिक गृह का भाव काफी गिर गया था और विदेशी मुद्रा के रूप में लगभग 22 करोड़ रुपये बम्बई के शेयर बाजार में आये थे। इस 22 करोड़ रुपये के लिए तत्कालीन कानूनों के अन्तर्गत स्वीकृति लिया जाना आवश्यक था। यह 22 करोड़ रुपये बिना किसी अनुमति के आया। यह एक तथ्य है, और प्राय: ऐसा होता है कि वास्तव में, 20 अगस्त, 1982 को एक टेलेक्स सन्देश भेजा गया और इस 20 करोड़ के भारत मे आगमन को लेकर इससे संबंधित कानूनों में परिवर्तन किया गया। देश के विभिन्न एजेंसियों को सायंकल एक टेलेक्स संदेश भेजा गया और 20 अगस्त, 1982 को कानून बदल दिया गया। यदि वित्त मंत्री मेरे इस कथन को अस्वीकार कर दें, तो मुझे प्रसन्नता होगी। और दूसरे दिन 21 अगस्त, 982 को तीन अनिवासी भारतीय कम्पनियों ने शेयर बाजार में आये 22 करोड़ रुपये को वैध बनाने के लिए आवेदन दे दिया। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारी प्रणाली में जो विकृति आ गई है, यह एक प्रकार से उसी की शुरूआत थी।

अपने स्रोत के बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मेरा कहना है कि यह जो 22 करोड़ रुपये आया, यह एक लेखाबाह्य काला धन था और बाद में भारत सरकार द्वारा स्वयं जांच किए जाने पर इसकी पुष्टि भी हो गई। लगभग सात वर्षों में ये 22 करोड़ रुपये और इस 22 करोड़ रुपये से संबंधित शेयर, 76 करोड़ रुपये की राशि के लिए उस समय भारत में किसी अन्य कम्पनी को हस्तांतरित कर दिए गए। उस समय विद्यमान विनिमय-दर के हिसाब से यह 22 करोड़ रुपये लगभग 20 मिलियन अमरीकी डालर बैठता है। काले धन के रूप में यह 20 मिलियन अमरीकी डालर जून, 1989 को 76 करोड़ रुपये हो गया था उस समय विद्यमान विनिमय-दर के हिसाब से लगभग 44 मिलियन अमरीकी डालर हो गया। भारत सरकार ने कानूनों में अनेक संशोधन किए, भ्रष्टाचार का सहारा लिया ताकि देश में आये 20 मिलियन अमरीकी डालर को बदला जा सके, ताकि यह 44 मिलियन अमरीकी डालर में बदल जाये, ताकि काला, सफेद हो जाए और यह 44 करोड़ अमरीकी डालर वापस ले जाया जा सके, 24 मिलियन अमरीकी डालर का मुनाफा हुआ। जो 20 मिलियन के रूप में आया था, 44 मिलियन अमरीकी डालर के रूप में बाहर गया और यह वापस बी० सी० सी० आई० के पास गया। मैं अपने साक्ष्य के साथ एक मिनट में इस पर आ रहा हूं। क्या यह भारतीय रिजर्व बैंक की मौन या लिखित अनुमति से हुआ था? मैं वित्त मन्त्री से इसे स्पष्ट करने का अनुरोध करूंगा क्योंकि इसके बाद सरकार द्वारा जो कार्यवाही की गई, वह तो और भी विस्मयकारी है।

1989 के कराधान विधि संशोधन अधिनियम में जो उपबंध किया गया है कि उससे इस 24 मिलियन अमरीकी डालर की आय को, काले को सफेद में बदलने के लिए छूट दी गई। इस गलत तरीके से प्राप्त आय को कर से छूट देने के लिए 1989 में इसी कांग्रेस सरकार ने हमारी बैंकिंग प्रणाली प्रतिष्ठानों, हमारी संस्थाओं के साथ धोखाधड़ी की और बाद में इसे अधिनियमित कर दिया।

मैंने भारत में बी० सी० सी० आई० के सन्देहास्पद प्रवेश के तथ्य को साबित करने तथा दूसरा हमारे सार्वजनिक वित्त संस्थाओं से इसके सम्बन्ध के तथ्य को साबित करने हेतु ये उदाहरण दिए हैं। यही कारण है कि यह मामला हमारे लिए भारी चिन्ता का विषय बन गया है।

हम सार्वजनिक वित्त संस्थाओं के पहलू पर चर्चा करते हैं। माननीय वित्त मन्त्री जी ने वित्त विधेयक पर अपना भाषण समाप्त करते समय काफी स्पष्ट रूप से तथा प्रभावशाली ढंग से अपना वक्तव्य दिया। जहां तक ईमानदारी और आचरण की बात है वे आदर्शवाद पर बोले। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में आदर्शवाद पर भाषण दिया, उन्होंने बैंकिंग प्रणाली में सुधार करने की बात कही ताकि हमारे बैंकों और सार्वजनिक वित्त सस्थाओं में बराबरी लाई जा सके। मैं उनके आदर्शवाद से पूर्णतया सहमत हूं। लेकिन मैं यह वित्त मन्त्री जी पर छोड़ता हूं कि यदि इस तरह का आदर्शवाद है। यदि इस तरह की स्पष्ट ईमानदारी है, यदि इस तरह की सार्वजनिक संस्थाएं हैं जिनकी प्रतिष्ठा पर, जिनके आधार पर विश्व में कहीं भी उंगली उठाई जाती है और यदि हम इस तरह की संस्थाओं को अनावश्यक विवरण में जाए बिना इस सन्दर्भ में लें जैसा मैंने उद्धृत किया है तो यह सब वित्त मन्त्री जी की अपनी उन उद्घोषणाओं के अनुरूप नहीं है जैसा वे कहते है अथवा आकांक्षा करते हैं या करने की इच्छा रखते हैं। जिन सार्वजनिक वित्त संस्थाओं की हम बात करते हैं वे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और अन्य सार्वजनिक वित्त संस्थाएं यूनिट ट्रस्ट, जीवन बीमा निगम अथवा साधारण बीमा निगम जैसी संस्थाएं हैं। वास्तव में यह बताना प्रासंगिक है कि पहले बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया

क्योंकि मुद्रा का एक घृणित उदाहरण है जिसने बीमा कम्पनी के धन का मनमाना इस्तेमाल किया। यही कारण है कि देश में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया। ऐसा इस कारण भी किया गया क्योंकि सार्वजनिक वित्त संस्थाओं के माध्यम से जनता के धन का दुरुपयोग किया जा रहा था। जीवन बीमा निगम जैसी वित्त संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण के पीछे यही एक मूल लक्ष्य था। 60 के दशक के उत्तरार्ध में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वजह से किया गया—इसका औचित्य यह था कि लोकहित के लिए सार्वजनिक निकायों पर सार्वजनिक नियन्त्रण कायम हो। मेरा माननीय वित्त मन्त्री जी से अनुरोध है कि वे इस बारे में अपने विचार प्रकट करें। यह तो केवल एक ही उदाहरण है। मेरे पास ऐसे अनेक उदाहरण हैं। क्या यह एक अच्छा सार्वजनिक आचरण है? क्या यह लोकहित के लिए सार्वजनिक वित्त संस्थाओं पर सार्वजनिक नियन्त्रण है जिसमें सार्वजनिक वित्त संस्थाओं का इस तरह से दुरुपयोग कायम है? हमें सार्वजनिक वित्त संस्थाओं की आज की धन शक्ति के पहलू पर, जिसको वे व्यवस्था के विघटन के लिए प्रयोग कर सकते हैं; गम्भीरता से विचार करना चाहिए। सार्वजनिक वित्त संस्थाओं के पास अपार धन सम्पत्ति है। यदि शीर्षस्थ संस्थाओं की मध्यस्थता अथवा एकतरफा रुख अथवा इनके कदाचार, जो हम 80 के दशक में देखते आए हैं, इसी तरह चलते रहे तो सार्वजनिक धन एकत्र करके अपार धन सम्पत्ति पर कब्जा किए बैठी ये सार्वजनिक वित्त संस्थाएं जिनकी सभी प्रकार के औद्योगिक घरानों में भारी निवेश है, देश की समूची अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक भूमिका निभा सकती हैं। एक कामचोर सार्वजनिक वित्त संस्था स्टाक एक्सचेंज को तोड़ सकती है। कामचोर सार्वजनिक वित्त संस्थाएं विभिन्न औद्योगिक घरानों में हुए पूंजी निवेश के साथ चूहे-बिल्ली का खेल अर्थात धोखाधड़ी कर सकती है। हमारे सुझाव में यही प्रमुख बात है कि जब तक इन सार्वजनिक वित्त निगमों के संचालन के लिए समुचित मार्गनिर्देश नहीं होंगे, इस प्रकार के मार्गनिर्देश हों कि जिनका उल्लंघन होने पर इनमें दण्ड का प्रावधान भी हो—मैंने शुक्रवार को शुरुआत में भी यही बात कही थी और बड़े दुख के साथ बताया था कि जहां भी विश्व में इस तरह का कदाचार होता है तो किसी न किसी को जिम्मेवार ठहराया जाता है तथा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन केवल भारत में ही ऐसा है जहां कुछ नहीं होता चाहे कुछ भी कांड हो जाए, चाहे हम आपकी जानकारी में किसी भी प्रकार का घोटाला हो जाए, चाहे वह घोटाला बोफोर्स हो अन्य कोई और, यहां किसी को भी इसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। वित्त मन्त्री महोदय जब तक कीमत का चुकाया जाना शुरू नहीं होता आपके द्वारा व्याख्यान किया गया आदर्शवाद हासिल नहीं किया जा सकता क्योंकि सार्वजनिक वित्त संस्थाओं के मामले में क्या होता है—ये संस्थाएं इस तरह की मध्यस्थता कर रही हैं जिससे हमारी राष्ट्रीय प्रगति के प्रत्येक घटक का क्षय हो रहा है। यह राजनैतिक और वित्तीय शक्ति का अत्यन्त सार्वजनिक और खतरनाक संयोजन है। हमारी राजनीति और हमारे देश के लिए इसके परिणाम हमारे सामने हैं, मैं इन्हें पुनः नहीं दोहराना चाहता हूं यह तो अब स्वतः स्पष्ट है। हम यह नहीं देखते कि समूचे देश में क्या हो रहा है? हम इस सड़न को रोक देते, अगर हम उठ खड़े होते और कहते 'बस बहुत हो गया आगे नहीं'। अगर हम सार्वजनिक जवाबदेही के नाम पर उठ खड़े होते और हम सर्वप्रथम अपनी व्यवस्था के क्षय के प्रारम्भिक संकेतों को पहचानते।

मुझे खेद है कि आज सार्वजनिक वित्त संस्थाएं, क्योंकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जवाबदेही से पूर्णतया मुक्त हैं और राजनैतिक व्यवस्था से ही दायित्व का पूर्णतया अभाव है। यदि राजनैतिक व्यवस्था ऐसा करती है तो सार्वजनिक वित्त संस्थाएं भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगी। यदि

सार्वजनिक वित्त संस्थाएं ऐसा करेंगी तो ये संस्थाएं राष्ट्र के लिए लाभकारी नहीं हो सकती और इस प्रकार हमें इस मुद्दे पर चर्चा करनी है। इन संस्थाओं का लोकहित के बजाय व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है। विशेषकर 80 के दशक में इनका बारम्बार दुरुपयोग होने से ये भ्रष्ट हो गए हैं और प्रत्येक स्तर पर न्याय की अनदेखी कर दी जाती है और जवाबदेही से बचा जाता है। इसीलिए मैंने अपने प्रस्ताव के दूसरे हिस्से में सार्वजनिक वित्त संस्थाओं के लिए समुचित मार्गनिर्देश की मांग की है।

यदि हम इस बात पर आडिग रहें तो इसके भावी परिणाम भी हो सकते हैं। इनमें से एक जिसका मैं पहले हवाला दे चुका हूं, न्याय को विफल किया जाना, तथा राज्य का उपयोग व्यक्तिगत हित के लिए किया जाना है। मेरे पास यहां प्रवर्तन निदेशालय के रिपोर्ट की एक प्रति है। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसे सभा पटल पर रखूं। क्या मैं आपके मौन को स्वीकृति समझूं ?

[मूल हिन्दी में]

मौनं स्वीकृति लक्षणम्।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप इसे नियमानुसार प्रस्तुत करें।

श्री जसवन्त सिंह : ठीक है। मैं ऐसा नियमानुसार ही कर रहा हूं। मैं इस बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करके सभा का और अधिक समय नहीं लूंगा। फिर मैं आज हुए दुरुपयोग के सन्दर्भ में बताऊंगा। यहां छोटा-सा उद्धरण इस प्रकार है।

> "यह सौदा लगभग 22 करोड़ रुपये का हुआ और प्रारम्भिक रूप से निवेश की पूरी पूंजी लन्दन स्थित बी० सी० सी० आई० बैंक के माध्यम से भारत आई। बैंकर यह नहीं स्पष्ट कर पाए कि अनिवासी भारतीयों की ओर से ओ० ए० सी० और आर० पी० सी० फार्म किसने भरे।"

महोदय, इसमें आगे बताया गया है कि श्री पादीयार, बी० सी० सी० आई०, लन्दन के सलाहकार उक्त पूंजी निवेश का पूरा कारोबार देख रहे हैं। विदेश में जांच-पड़ताल के दौरान हमें पुनः श्री पीटर हेनबुड से मिलना पड़ा जिनके संचालन में 'आइल आफ मेन कम्पनीज' चलती हैं।

श्री दिग्विजय सिंह (रायगढ़) : यह रिपोर्ट किस वर्ष की है ?

श्री जसवन्त सिंह : मेरे पास यहां रिपोर्ट की तारीख नहीं है। जब भी मैं इसे पूरा करूंगा, मैं इसे आपको दे दूंगा।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं केवल रिपोर्ट का वर्ष जानना चाहता हूं।

श्री जसवन्त सिंह : मेरा आशय भिन्न है। मैं समझता हूं आप मेरा मतलब समझ गए हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं तो रिपोर्ट का वर्ष जानना चाहता हूं जिसमें रिपोर्ट तैयार की गई तथा प्रस्तुत की गई।

श्री जसवन्त सिंह : मैं आपकी विपत्तियों को समझ रहा हूं। यह तो इस मुद्दे की ओर इशारा है, इसमें इस बात से मतलब नहीं है कि यह रिपोर्ट कब तैयार की गई तथा किसके द्वारा तैयार की गई। ऐसा कहा गया है कि यह रिपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तैयार की गई है। लेकिन हमारी व्यवस्था और संस्थाएं ऐसी होनी चाहिए जिसमे इस तरह का सवाल ही न उठे। लेकिन मुझे खेद है कि मेरे मित्र दिग्विजय सिंह यह सवाल राजनैतिक स्वर में पूछ रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री दिग्विजय सिंह : यह पूर्णतया तथ्यपरक है। इसमें कोई राजनैतिक व्यंजना नहीं है। यह तथ्यपूर्ण जानकारी है जिसमे अपनी कार्यवाही के लिए जानना चाहता हूं।

श्री जसवन्त सिंह : मैं आपको रिपोर्ट का वर्ष बताऊंगा। महोदय, वे इस सवाल को तूल दे रहे हैं कि रिपोर्ट कब तैयार की गई। यदि यह रिपोर्ट अमुक वर्ष में तैयार की गई है तो यह स्वीकार नहीं की जा सकती। यह बात दोनों तरह से लागू होती है। मैं अपने मित्र को यह बात बताता हूं कि यह दोनों तरह से लागू होती है। जब तक भारतीय प्रवर्तन निदेशालय द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की जाती है तब तक यह रिपोर्ट 1986, 1987, 1990 अथवा 1991 में कब तैयार की गई, यह बात निरर्थक है। और आप तथा मैं दोनों को ऐसी रिपोर्ट की वैधता स्वीकार करनी चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री अन्बाराशु इरा (मद्रास सेन्ट्रल) : यदि यह रिपोर्ट हमारी सरकार के बजाय किसी अन्य सरकार द्वारा तैयार की गई है तो इसके पीछे राजनैतिक प्रयोजन हो सकता है।...(**व्यवधान**)...यह रिपोर्ट जनता दल सरकार द्वारा तैयार की गई। (**व्यवधान**)

श्री जसवंत सिंह : यह एक स्पष्ट मुद्दा है। चाहे यह रिपोर्ट स्वर्गीय राजीव गांधी की सरकार के कार्यकाल के दौरान तैयार की गई अथवा जनता पार्टी या जनता दल सरकार के कार्यकाल के दौरान तैयार की गई, जब प्रवर्तन निदेशालय जैसा भारत का कोई संस्थान एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो रिपोर्ट में इतनी महत्त्वपूर्ण होनी चाहिए कि मौजूदा सरकार इस पर गौर करे।

द्वितीयतः तत्कालीन अथवा तदन्तर हमें यहां बैठकर हमारे संस्थानों को अलग-थलग नहीं करना चाहिए तथा अपने पक्ष के लिए उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि मैं इस बारे में काफी सजग हूं और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं इसे सभा पटल प्रस्तुत करूंगा। मैं इस रिपोर्ट का उल्लेख करने के प्रति काफी सजग हूं। हमने इन संस्थानों को इतना तहस-नहस कर दिया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती और हमने इन्हें भ्रष्ट राजनीतिज्ञों, भ्रष्ट उद्योगपतियों और भ्रष्ट बैंकरों के बीच साठ-गांठ के कारण ही नष्ट किया है। महोदय जो प्रस्ताव मैंने पेश किया है उसका निचोड़ यही है। इस प्रस्ताव के पीछे कोई एक या अन्य व्यक्ति नहीं है और न ही कोई एक या अन्य सरकार है। मैं भी उसी आदर्श से सम्बद्ध हूं, जिससे माननीय वित्त मन्त्री ने इतनी भावुकता और तेजी से कहा है जब वे शेष विश्व में एक निश्चित स्थान बनाने की महत्वाकांक्षा वाले इस देश की बैंकिंग संस्थाओं के बारे में बता रहे थे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि :

"अपनी जांच के दौरान हमें पीटर हेनवुड जो किसी 'आइल आफ मैन कम्पनीज के प्रशासक हैं' और श्री पादियार, बी० सी० सी० आई०, सलाहकार से भी मिले थे जो विदेश में किए जाने वाले सभी लेन-देनों के वित्तीय पहलू और शेयर धारकों को भी देखते हैं।"

तब उस सभा का विवरण भी दिया गया था :

"सभा का आयोजन 12 सितम्बर, 1986 को किया गया था।"

चूंकि यहां वर्ष 1996 का उल्लेख किया गया है अतएव यह रिपोर्ट भी वर्ष 1986 की रिपोर्ट होगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : चूंकि यह श्री भूरे लाल की रिपोर्ट है इसलिए यह खराब है। ऐसा उनका विचार है।

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं, नहीं वह एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट थी।

श्री जसवन्त सिंह : यह बात मेरी बात से जुड़ी हुई है। श्री पादियार ने स्वीकार किया था कि मुम्बई में जांच उनके निदेशानुसार की गई थी और वह बी० सी० सी० आई० के सलाहकार थे। लेकिन उन्होंने वास्तविक निवेशकों की पहचान बताने से इन्कार कर दिया क्योंकि यह बैंकरों के व्यावसायिक सिद्धांतों के खिलाफ था। यह किसी भी बैंकर द्वारा व्यक्त किया जाने वाला स्वाभाविक उद्गार था। लेकिन इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न पहलू कुछ चिंताजनक थे। यूरोप एशियाई बैंक, मुम्बई और सिंडिकेट बैंक, मुम्बई ने उत्तर दिया था उन्होंने कोई जांच नहीं की थी। उनका कहना था कि बी० सी० सी० आई० से प्राप्त होने वाले धन के बारे में जांच नहीं की गई थी और भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अधीन ऐसे निवेशकों की जांच करनी जरूरी होती है, वह भी नहीं की गई। वे बी० सी० सी० आई०, लन्दन द्वारा की गई जांच पर ही पूर्णतया निर्भर रहे। जब श्री पादियार से पूछा गया कि क्या उन्होंने कोई जांच की थी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने कोई जांच नहीं की और वे पूर्णतया भारतीय बैंकों पर निर्भर रहे। श्री पादियार यहां भी ठीक थे जब उन्होंने यह कहा कि उनके ग्राहकों ने फार्म सीधे ही बैंकों को भेजे थे और जहां तक बी० सी० सी० आई० लन्दन का सम्बन्ध था उसके द्वारा निवेशकों की जांच का प्रश्न ही नहीं उठता था। श्री पादियार ने कहा कि उन्हें अपने ग्राहकों से जो भी निदेश मिले उन्होंने उन्हें सीधे भारत स्थित बैंकरों को यह सोच कर भेज दिया कि इन्हें भारतीय सरकार द्वारा बनाए गए तत्कालीन कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुरूप कार्यान्वित कर दिया जाएगा। इसलिए श्री पादियार अपनी जगह बिल्कुल सही थे। कहीं न कहीं कोई अन्य इस सब गलती के लिए जिम्मेवार है। कहीं-न-कहीं किसी ने गलती की है। मैं यह कहना चाहता हूं। अगर इस प्रकार का निवेश भारत में आता है और भारतीय बैंकों ने उनके निवेशकों की जांच नहीं की है और अनिवासी भारतीयों के खातों को देखने वाले विदेशी बैंकों का यह कहना है कि वे निवेशकों की जांच नहीं करते हैं क्योंकि ऐसा करना उनके लिए आवश्यक नहीं है, तब मैं चाहूंगा श्रीमान कि हम अपनी संस्थाओं के स्वास्थ्य के सम्पूर्ण पहलू को बहुत ध्यान से देखें। इसी बात की अंततः प्रवर्तन निदेशालय ने

सिफारिश की है और यह हमारी चिंता का भी द्योतक है। उपरोक्त जांच से पता चला है कि तथा-कथित अनिवासी भारतीयों द्वारा किया गया निवेश किसी या किन्हीं अज्ञात निवेशक/निवेशकों के काले धन में से की गई थी, वे अज्ञात निवेशक या तो भारत के निवासी हो सकते हैं जिन्होंने अवैध तरीकों से अथवा कम बीजक दिखाकर, अधिक बीजक दिखाकर, आयात अथवा निर्यात द्वारा भारत से बाहर काफी धन इकट्ठा किया हो अथवा वे भारत से बाहर रह रहे व्यक्ति हो सकते है जिन्होंने अवैध तरीके से धन इकट्ठा किया हो जिस घोषित किया हो अथवा किस देश के वे निवासी हों वहां उस धन पर कर लग रहा हो। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह एक नाजुक प्रश्न भी है। मेरे विचार से इसमें पूर्वी अफ्रीका, केन्या और युगांडा से भारत में आने वाला धन शामिल है जो भारत में यह सोचकर धन लगाते हैं कि उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। लेकिन इसमें एक प्रश्नचिह्न लगा हुआ है कि अगर केन्या में आपके पास इस तरह बिना हिसाब किताब का धन है तो इसका पता चलने पर सजा अनिवार्य रूप से मिलेगी। वहां राजनीतिक दबाव से सजा नहीं मिलेगी ऐसी कोई बात नहीं होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि यह देखकर प्रवर्त्तन निदेशालय का यह कहना ठीक ही है कि अगर आज आप वास्तविक निवेशक का पता लगाने में समर्थ नहीं है तो यह प्रक्रिया जारी रहेगी और एक दिन विदेशों में रह रहे अज्ञात व्यक्ति अपने अटार्नियों द्वारा भारतीय कम्पनियों को खरीद लेंगे।

मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा हूं। वास्तव में हमें भारत में आने वाले विदेशी धन और अनिवासी भारतीयों के निवेश को प्रोत्साहन देना चाहिए। लेकिन मेरे विचार से अगर हम इस प्रणाली के साथ यूं ही लापरवाही बरतते रहे तो हम इन्हें प्रोत्साहन नहीं दे पाएंगे जब तक कि हमारी प्रणाली काफी विश्वसनीय हो और निवेशकों को उस पर भरोसा हो। मेरा यह कहना है कि जिस प्रकार बी० सी० सी० आई० संस्था ने अस्सी के दशक में कार्य किया है उससे वे निवेशकों में अपनी साख नहीं जमा पाए हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैं अपनी अर्थव्यवस्था और सरकार के लिए भविष्य में संभावित परिणामों को बताने के लिए इस घटना का उल्लेख करूंगा।

मैं पहले ही कह चुका हूं कि प्रवर्त्तन निदेशालय की रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को स्वीकार करके तथा कुछ हिस्सों को अस्वीकार करके कुछ व्यक्ति शासन को हानि पहुंचाएंगे। मुझे इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। तब संस्थाएं व्यक्तियों के लिए झुक जाया करेंगी। इसके भी पर्याप्त उदाहरण हैं और ये बोफोर्स कांड से लेकर छोटे-छोटे पटवारियों के रोजमर्रा के भ्रष्टाचार तक फैले हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय अन्ततः सारे संस्थान टूट जाएंगे। हमारे कोई भी आदर्श, किसी भी प्रकार के सुधार चाहे वह वित्तीय नीति के हों अथवा व्यापार नीति अथवा औद्योगिक नीति में हो पर्याप्त नहीं होंगे अथवा सफल नहीं होंगे अगर आप जोर नहीं लगाते हैं और इन तीन मुख्य सुधारों को जिन्हें आप संसद के इस सत्र में लाए हैं, कार्यान्वित नहीं करते हैं, मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि अगर हम इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं—क्योंकि मेरी चिंता का यही केन्द्र है कि कई आई० एम० एफ० ऋणों के कारण, कई अवमूल्यनों के कारण मुझे डर है कि बाद में भारत न केवल कुछ का बंधक हो जाएगा बल्कि इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मैं दूसरों पर आश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों के विश्व से घृणा करता हूं लेकिन इससे पता चलता है कि उस आश्रित देश का निजी स्वार्थों के लिए स्वापकों, माफिया अथवा डीलरों और अवैध धन द्वारा प्रयोग किया जा रहा है।

भारत इस खतरे के बहुत करीब है। अस्सी के दशक में भारत कुछ अन्य द्वारा निहित स्वार्थों के लिए प्रयोग किए जाने के खतरे के बहुत निकट आ गया है।

इसलिए मैं वित्त मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे बी० सी० सी० आई० और वित्तीय संस्थाओं के बारे में उस तरह से सोचें जिस रूप में हम उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं, कृपया यह न सोचें कि इस सम्बन्ध में हमारी चिंता का कारण आपसे अलग है।

मुझे वित्त मन्त्री महोदय से कुछ स्पष्टीकरण लेने हैं, कुछ प्रश्न पूछने हैं तब मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे इस बात को फिर से दोहराना होगा कि वित्त मन्त्री जी का सरकारी वक्तव्य नितांत असंतोषजनक है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में सम्पूर्ण तथ्यों और विवरण के साथ आए। क्या सरकार के पास बी० सी० सी० आई० में होने वाली घटनाओं के बारे में कोई जानकारी है ? मैं केवल बी० सी० सी० आई०, मुम्बई का ही उल्लेख नहीं कर रहा हूं क्योंकि माननीय वित्त मन्त्री यह कह कर मुंह छिपा लेंगे कि बी० सी० सी० आई०, मुम्बई एक बड़े संगठन बी०सी०सी० आई० की शाखा थी।

विशेषकर, बी० सी० सी० आई०, मुम्बई एक सम्पन्न बैंक है और समाचारपत्रों में दिए गए आंकड़ों के अनुसार उसके द्वारा दिए गए ऋणों की राशि से उसकी जमाराशि कहीं अधिक है। मुझे भी कुछ सुझाव दिए गए हैं। इनमें से कुछ दिए गए ऋण वास्तव में लन्दन में दिए गए हवाला जमानत के बदले दिए गए हैं। मैं हवाला जमानत के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। माननीय मन्त्री महोदय इस बात को भली-भांति समझ सकते हैं कि भारत में बिना जमानत के 10 करोड़ की धनराशि के दिए गए ऋण के लिए बी० सी० सी० आई० लन्दन में इतनी ही राशि जमा कराई गई होगी, मुझे विश्वास है कि इस बारे में लेखा परीक्षा कराई गई है। इसके सारे कागजात अब भारतीय स्टेट बैंक के पास हैं। क्या माननीय वित्त मन्त्री ऋण की वास्तविक स्थिति के बारे में बी० सी० सी० आई०, मुम्बई में बात करेंगे ?

बी० सी० सी० आई०, मुम्बई द्वारा इस पर जाने वाले यात्रियों और एफ० डी० एस० के कलेक्शन में धन के दुरुपयोग के बारे में एक बार पहले उल्लेख किया गया है और यह अखबारों में भी छपा था। बी० सी० सी० आई०, मुम्बई एफ० सी० एन० आर० नाम की योजना के द्वारा धन का दुरुपयोग कर रही थी, इसका कुछ ब्यौरा हमारे पास है। मैं इस ब्यौरे को केवल अनुमान या अफवाहों के आधार पर नहीं देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वित्त मन्त्री जी हमें अपनी परेशानी में शरीक करें और बतायें कि क्या एफ० सी० एन० आर० डिपोजिट इस बैंक द्वारा दिए जाने वाले दुरुपयोग का एक स्रोत था।

मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से इन बैंकों द्वारा स्वापकों और नशीले पदार्थों से अर्जित धन को सफेद धन में बदलने सम्बन्धी अवसर पूछे जाने वाले प्रश्न को जानना चाहूंगा। क्या सरकार को नारकोटिक्स ब्यूरो, अन्वेषण ब्यूरो या किसी अन्य जांच एजेंसी से किसी स्तर पर कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई थी हालांकि जांच एजेंसियों की ये रिपोर्ट अस्पष्ट और असन्तोषजनक हो सकती हैं ? जब मैं एक समिति का अध्यक्ष था तो मुझे इन एजेंसियों की रिपोर्ट देखने का अवसर मिला था। मैं उनकी कुशलता से अत्यधिक प्रभावित नहीं हूं हालांकि अगर वे समस्त राष्ट्र की भांति कुशल अथवा अकुशल हों तो तब

यह सामूहिक स्थिति होने के कारण भारत सरकार के पास इस बारे में क्या सूचना है विशेषकर इस दृष्टि से कि बी० सी० सी० आई० के भूतपूर्व चेयरमैन और संस्थापक के साथ कइ नशीले औषध···ने बात की थी ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : नशीले औषधों के बैरन ।

श्री जसवन्त सिंह : बैरन शब्द का प्रयोग उन्हें राजनीतिक नेता के स्तर तक ले जाएगा इसलिए मैं इस शब्द का प्रयोग करने से हिचक रहा हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नशीले औषधों के बैरन कुछ राजनीतिक नेताओं से अधिक शक्तिशाली होते हैं ।

श्री जसवन्त सिंह : इस मामले में सामन्त ही उचित रहेगा। मैं इन रिपोर्टों के बारे में ज्यादा चिन्तित नहीं हूं कि बी० सी० सी० आई० स्वयं ऋण दे रहा था और एक तरह के एजेंट एक अटार्नी धारक, कलेक्टर के रूप में सभी उद्देश्यों के लिए, पाकिस्तान द्वारा हथियार लेने के लिए, परमाणु जानकारी हासिल करने के लिए अथवा पाकिस्तान जो कुछ करना चाहता था उन सब चीजों के लिए बी० सीं० सी० आई० को नियुक्त किया जा रहा था। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पास क्या जानकारी है ? मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इसे चौंका देने वाली रिपोर्ट के बारे में हमें जानकारी दे कि बी० सी० सी० आई० का काला जाल वास्तव में पाकिस्तान की आई० एस० आई० से अलग या भिन्न नहीं था। यह अभिन्न था और यदि यह काला जाल पूरे विश्व में फैला हुआ था तो मैं इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हूं कि यह जाल भारत में फैला हुआ नहीं था । यदि आई० एस० आई० इस काले जाल से भिन्न नहीं है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है ?

जहां तक बी० सी० सी० आई० तथा विशेषरूप से लन्दन में बी० सी० सी० आई० की समझता का सम्बन्ध है, मैं कुछ समय भारत के हितों की चर्चा पर खर्च करना चाहता हूं। यहां मैं एक दो मिनट के लिए मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। क्योंकि यह एक बहुत ही चिन्ताजनक पहलू है। यहां सरकार उद्योगपतियों या बैंकरों को उलझन में डाले बिना शायद बड़ी आसानी से ऐसा कर सकती थी।

मुझे बताया गया है कि भारतीय मूल के लोगों ने बी० सी० सी० आई० के दिवालिएपन के कारण 3-4 बिलियन अमरीकी डालर खो दिए हैं; और यदि यही धनराशि लन्दन या और कहीं भी रहने वाले विदेशी भारतीयों ने खो दी होती तो भारत ने अवश्य ही कुछ कार्यवाही शुरू कर दी होती। मुझे आशंका है कि इस सम्पूर्ण मामले में बैंक आफ इंगलैंड की भूमिका तथा व्यवहार संतोषजनक नहीं है। भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की ? मैं जानता हूं कि बैंक आफ इंगलैंड भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक का पिट्ठू नहीं है । परन्तु उन विदेशी भारतीयों, जिन्होंने 3- बिलियन अमरीकी डालर खो दिए हैं, के लिए क्या भारत सरकार ने बैंक आफ इंगलैंड के साथ कोई कार्यवाही की है ? मेरे विचार में इस बैंक के लेखापरीक्षकों का व्यवहार वास्तव में बहुत ही पेचीदा है । यहां लेखापरीक्षकों की एक फर्म है जिसने वर्ष दर वर्ष यह कहा कि यह बैंक ठीक चल रहा है और अचानक यह बैंक ठीक नहीं चलता है । क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि वहां क्या हो रहा था ? आखिरकार,

विदेशों भारतीयों ने जो 3-4 बिलयन अमरीकी डालर खोए हैं, उन विदेशी भारतीयों में से प्रत्येक भारतीय रिश्तेदार भारत में हैं, और यह भारत सरकार का दायित्व था, वास्तव में कर्त्तव्य था कि वह इस कार्य का दायित्व अपने ऊपर लेती।

मुझे यह भी बताया गया है कि आबूधाबी के शेख ने इस बैंक के बन्द होने के ठीक एक पखवाड़े पहले 1990 के घाटे को पूरा करने के लिए केवल 650 मिलियन अमरीकी डालर ही नहीं भेजे हैं, वास्तव में वह अन्य घाटों को पूरा करने के लिए भी राजी हो गया है। आबूधाबी के शेख को इस पहल को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने क्या पहल की है ? इसे कुछ पहल अवश्य करनी चाहिए थी क्योंकि इसमें बहुत से भारतीय शामिल हैं चाहे वे विदेशी भारतीय ही हैं।

इंगलैंड में न्यायालयों ने 2 दिसम्बर, 1991 तक इस बैंक के प्रापक पद पर रोक लगा दी है। मेरे विचार में सरकार, और कुछ राजनितिज्ञों, व्यवसायियों तथा पूर्व सिविल सेवा अधिकारियों अथवा वर्तमान सिविल सेवा अधिकारियों को 2 दिसम्बर तक कुछ राहत मिलेगी क्योंकि 2 दिसम्बर को जब यह प्रापक के पास जाएगा और जब प्राधिकृत परिसमापक सभी खाताधारियों की सूची प्रकाशित करेगा, तब मैं नहीं चाहता कि मेरे अच्छे दोस्त जिनके प्रति मेरे मन में बहुत अधिक सम्मान है, परेशान हों, क्यों उस सूची में जो केवल दिसम्बर में ही प्रकाशित होगी, घबरा देने वाले नाम तथा परेशान कर देने वाली धनराशि होगी। इसलिए मैं माननीय वित्त मन्त्री से निवेदन करता हू कि जो कुछ वह कहते हैं, उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस बैंक का प्रापक पद लेना अभी बाकी है।

मैंने पहले यह निवेदन किया है कि मुझे यह बात बहुत हैरान कर देने वाली लगती है कि जब बी० सी० सी० आई० के आपरण तथा अवैधता पर विश्वभर में भर्त्सना की जा रही है, केवल भारत सरकार और कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है जो बी० सी० सी० आई० तथा जो कुछ इसने किया है का समर्थन कर रही है।

श्री दिग्विजय सिंह : हमने कभी भी इसका समर्थन नहीं किया।

श्री जसवन्त सिंह : आपने कभी भी इसका समर्थन नहीं किया है। मुझे यह सुनकर बहुत राहत मिली है। फिर इसका आगे समर्थन मत करिए। मेरा निवेदन यह है कि हमने इस मामले में संयुक्त संसदीय जांच कराने तथा कुछ दिशानिर्देश जारी करने के लिए कहा है। यही कारण है कि मैं यह कहता हूं कि सरकार कम से कम इस मुद्दे पर कुछ पक्ष तो ले सकती है। हम जानना चाहते हैं : क्या आप बी० सी० सी० आई० के पक्षधर हैं ? क्या आप भ्रष्टाचार तथा अवैधता के पक्षधर हैं अथवा इसके विरुद्ध हैं ? आप दोनों तरफ नहीं हो सकते क्योंकि यदि आप कांटे पर ज्यादा दबाव डालेंगे तो कांटा आपके अन्दर घुसेगा ही; और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो।

"ब्रिटिश आर्गेनाइजेशन आफ पीपल आफ इण्डियन ओरिजन" नामक एक संगठन हैं। उन्होंने बी० सी०सी०आई० के इस पूरे घोटाले में एक अन्तर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है; और मुझे बताया गया है कि इस संगठन के अध्यक्ष या किसी और ने शायद भारत के प्रधानमन्त्री से इस निवेदन को समर्थन देने के लिए विनती की है, जो वह बी० सी० सी० आई० के दिवालिएपन में उचित जांच कराने की

आवश्यकता हेतु ब्रिटिश प्रधानमन्त्री से पहले ही कर चुके हैं। क्या भारत सरकार को ऐसा कोई निवेदन मिला है; और यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

मैं माननीय वित्त मन्त्री से यह जानना चाहता हूं और मेरे लिए यह चिन्ताजनक भी है क्योंकि मुझे यह विश्वास है कि पश्चिमी सुरक्षा सेवाएं तथा सी० आई० ए० जैसी और अन्य एजेन्सियों ने इस बैंक का दुरुपयोग किया है। उन्होंने इसका एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया है, चाहे इरान-कोट्रा मामला हो या कोई अन्य मामला हो, उन्होंने इसका दुरुपयोग किया है। यदि उन्होंने इसका दुरुपयोग किया है, निश्चित रूप से, भारत सरकार को इस बात की जानकारी रही होगी कि इसमें क्या हो रहा था।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं : आने वाले महीनों में बी० सी० सी० आई० के बन्द होने से, चाहे यह अस्थाई रूप से बन्द हुआ है, लन्दन तथा भारत में अनिवासी भारतीयों के निवेशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वह इस विषय पर अपने विचारों से हमें अवगत करायें।

मैं माननीय वित्त मन्त्री से यह भी निवेदन करता हूं कि वह संसद में यह घोषणा करें कि जहां तक बी० सी० सी० आई० की बम्बई शाखा में एक साधारण जमाकर्त्ता या निवेशकर्त्ता का सम्बन्ध है; वह क्या कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं। उसका पैसा कब तक रुका पड़ा रहेगा ? और बी० सी० सी० आई० की बम्बई शाखा में नियुक्त कर्मचारियों, जो अब अधर में लटक रहे हैं, के साथ क्या होगा ?

मुझे प्राप्त हुए पत्र को उद्धृत करते समय मुझे बहुत दुःख है। यह "दि इण्डियन मुस्लिम्स फोरम, यू० के०" नामक संस्था से प्राप्त हुआ है। मैं इसे बहुत आपत्तिजनक मानता हूं, किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि इसमें मेरे आदरणीय तथा अच्छे दोस्त, श्री जार्ज फर्नाण्डीज के बारे में जो कुछ लिखा है, उसके कारण। अब मैं यह पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि इसमें श्री जार्ज फर्नाण्डीज के बारे में क्या कहा गया है और मुझे यह बहुत ही आपत्तिजनक लगता है तथा मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और मैं चाहता हूं कि सरकार मुझे यह बताए कि इस पत्र विशेष पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें भी यह पत्र मिला है।

> "यह बहुत ही दुःखद और संशयपूर्ण बात है" इस संगठन का कहना है, "कि भारतीय संसद सदस्य श्री जार्जफर्नान्डीज जैसे भारतीय राजनैतिक नेता ने ये झूठे आरोप लगाकर, कि बी० सी० सी० आई० के माध्यम से हज यात्रा खर्च के बहाने भारत से धनराशि विदेश भेजी जा रही थी, मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का अपमान तथा उन्हें आहत किया है।"

यह एक जांच का विषय है जिसके बारे में भारत सरकार पहले ही जांच करा चुकी है। यह एक हिन्दू-मुस्लिम सवाल नहीं है। यह बैंकिंग स्वामित्व का प्रश्न है और इंगलैंड स्थित किसी संगठन को उन पर ऐसी टिप्पणियां करने का कोई अधिकार नहीं है; केवल इसलिए ही नहीं कि वह मेरे अच्छे

दोस्त और आदरणीय सहयोगी हैं। परन्तु यदि संसद के किसी सदस्य पर ऐसी कोई टिप्पणियां की जाती हैं तो मैं, जैसाकि मैं पहले करता रहा हूं, खड़ा हूंगा और इसका विरोध करूंगा। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं देता।

श्री जसवन्त सिंह : केवल एक या दो अतिरिक्त प्रश्न और पूछूंगा।

बी० सी० सी० आई० के आपत्तिजनक कार्यकरण के बारे में रिपोर्टें 1980 में ही सार्वजनिक हो गई थीं। वास्तव में मेरी यादास्त और जानकारी में इस बैंक की कुछ दक्षिण अमरीकी शाखाओं को उनके स्वापक औषध विक्रेताओं के साथ सम्बन्ध होने के कारण बन्द कर दिया गया और यदि मेरी यादास्त सही है, ये खुलासे 1983 में हुए थे। मुझे यह बड़ा अजीब लगता है कि माननीय वित्त मन्त्री ने इतनी मेहनत की होगी और इतना प्रतिवाद किया होगा कि 1979 में बैंक ने केवल एक प्रतिनिधि कार्यालय ही नहीं खोला, बल्कि यह एक सम्पूर्ण बैंकिंग संचालन था, 1953 में जब आपने उन्हें बैंक खोलने हेतु अन्तिम स्वीकृति दे दी, तो क्या स्वापक औषध विक्रेताओं के साथ इन बैंकों के सम्बन्ध होने के आरोपों के कारण दक्षिण अमरीका में इनको बन्द करने तथा भारत में इनके खोलने का कार्य साथ-साथ नहीं हुआ ? और यदि दक्षिण अमरीका में या अन्य किसी जगह बी० सी० सी० आई० को बन्द किया जा रहा था, क्योंकि यह स्वापक औषध व्यापार के लिए पैसा दे रहा था, तब भारत सरकार मार्च, 1983 में इस बैंक को भारत में खोलने हेतु अनुमति देने के लिए क्यों राजी हुई ?

इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जब इसकी शाखाएं खोलने की अनुमति दी थी तो क्या वह अन्य देशों में इसकी गतिविधियों से भिज्ञ नहीं थी ? उदाहरण के तौर पर बैंकिंग जानकारी हेतु व्यक्तिगत खातों की जानकारी के लिए नहीं, बैंक से बैंक की जानकारी के लिए लक्समबर्ग के साथ क्या प्रबन्ध किए गए हैं, क्या कुछ प्रबन्ध किए गए हैं अथवा नहीं ? तीसरे, क्या कभी हमारे किसी भी दूत—अमेरिका, ब्रिटेन, लग्जमबर्ग पेरू, पनामा, केमैन द्वीप समूह अथवा आइल आफ मैन जहां का कार्य ब्रिटेन के हमारे राजदूत करते हैं, वस्तुतः संयुक्त अरब अमीरात के संरक्षण में हैं, और वहां हमारे वाणिज्यक अताशे (राजदूत-सहायक) हैं—ने बी० सी० सी० आई० (बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल) की गतिविधियों की कोई रिपोर्ट भेजी है, विशेषकर ये रिपोर्टें वहां के अखबारों में विस्तृत रूप से छप रही हैं ? क्या इन रिपोर्टों को कभी वित्त मन्त्रालय को भेजा गया है ? यदि रिपोर्ट वित्त मन्त्रालय तक नहीं पहुंची तो क्या इस वित्त मन्त्रालय ने अपने आप कार्रवाई की ? क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी बुद्धि से अथवा पर्याप्त सतर्कता दिखाते हुए बी० सी० सी० आई० से सम्बन्धित पहलुओं की कोई जांच शुरू की ? क्या सरकार को बी० सी० सी० आई० के संस्थापक द्वारा कई बार भारत-यात्राओं के दौरान उनकी गतिविधियों के बारे में कोई और सूचना मिली है ? और उनके हमारे एक दिवंगत पूर्व प्रधानमन्त्री के समय में एक विदेशी उच्च पदाधिकारी को एशिया पुरस्कार प्रदान किये जाने सहित अनेक व्यक्तियों तक पहुंच होने की सूचना मिली है; और उनके द्वारा भारत के अन्दर अनेक गतिविधियों का वित्त पोषण किये जाने की भी सूचना है। वे गतिविधियां क्या हैं ? वे संस्थाएं कौनसी हैं ?

मुझे बताया गया है कि देश के एक प्रमुख शैक्षिक संस्थान को भी श्री आगा हसन अबेदी की उदारता हासिल हुई थी। क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया कि वास्तविकता का पता चलने के

बाद हुई दहशत जब शिखर पर थी तो उस समय जयपुर में हुए बदनाम क्रिकेट मैच के अवसर पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ श्री आगा हसन अबेदी भी उपस्थित थे ? मैं उस क्रिकेट मैच को किसी एक अथवा दूसरे मामले के साथ जोड़ना नहीं चाहता। ये मुद्दे हैं जिनसे हमें अत्यधिक चिन्ता होती है।

श्री आगा हसन अबेदी की देश के कुछ बड़े तस्करों के साथ मुलाकात— जैसा मैंने पहले ही कहा था—के समाचारों की बाबत क्या विचार है ? क्या पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम, वित्त-पोषण सहित अस्त्र-शस्त्रों के हस्तांतरण में बी० सी० सी० आई० की भूमिका के सम्बन्ध में भारत सरकार को कभी कोई सूचना मिली अथवा उसने पाने का प्रयास किया। सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के लिए बनाये गये दिशानिर्देश क्या हैं ?

मेरी केवल दो मांगें हैं। मैं निश्चय ही उन बातों का जवाब दूंगा जो वित्त मन्त्री जी तथा दूसरे लोग मेरे द्वारा उठायी गयी बातों के उत्तर में कहेंगे। किन्तु मैं माननीय वित्त मन्त्री जी तथा सरकार से इन दो मांगों को स्वीकार करने का अनुरोध करूंगा। कृपया देश की सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के लिए स्थापित दिशानिर्देशों को सभा पटल पर रखें। और दूसरे, बी० सी० सी० आई० नाम के इस बड़े घोटाले की समग्र जांच करने के लिए एक संयुक्त ससदीय समिति बैठायें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

1. "हड़पने" के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"शैल कम्पनियों के लिए एक माध्यम के रूप मे कार्य करते हुए. चुनींदा भारतीय कम्पनियों में निवेश के लिए अलेखाबद्ध मुद्रा को देश में लाने और हथियारों तथा अन्य विनिषिद्ध सामग्री के लिए वित्तपोषण करने तथा विभिन्न प्रच्छन्न कार्यों में लिप्त रहने"

2. कि प्रस्ताव में—

"सिफारिश करती है कि" के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"निगमित विवादों तथा प्रबंध ग्रहण मे किसी भी सहायता देने के मामले मे"

3. कि प्रस्ताव में,—

अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"और यह भी सिफारिश करती है कि जब तक इसमें उल्लिखित आचरण के मानदण्डों को अन्तिम रूप नहीं दिया जाता और अनुमोदित नहीं किया जाता तब तक लोक वित्तीय संस्थान ऐसा कोई कदम नहीं उठायेंगे जिससे बी० सी० सी० आई० से सम्बन्धित घोटाले में सम्मिलित कम्पनियों को कोई लाभ हो।"

श्री छोतूभाई गामित (मांडवी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"और सिफारिश करती है कि लोक वित्तीय संस्थानों के आचरण के मानदण्डों सम्बन्धी

तुरन्त घोषणा की जाए और इस मामले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाए।" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"और चाहती है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि बैंक के कार्यकलाप को बंद किये जाने को देखते हुए ऐसे भारतीयों तथा अनिवासी भारतीयों के हितों की, जिन्होंने बी० सी० सी० आई० में निवेश किया है और इस बैंक के साथ कारबार किया है, पर्याप्त सुरक्षा की जाए।"

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : महोदय, अभी-अभी सदन ने हाल के समय दीर्घतम भाषणों में से एक को सुना है, वह सत्र में कम से कम दो घण्टे से भी अधिक समय तक चली जबकि बजट को भी केवल तीन मन्त्रालयों पर चर्चा के पश्चात् गिलोटीन कराना था।

महोदय, श्री जसवन्त सिंह के शब्दों का प्रयोग करें, तो उनके मौखिक उद्गार ऊपर से अपेक्षाकृत सनसनीखेज लगते हुए भी, वस्तुतः बिल्कुल अनुपयोगी हैं।

5.00 म० प०

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस आयु में ठीक है।

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, हमें उनके दो घण्टे लम्बे भाषण को सुनना पड़ा और उन्होंने केवल एक घटनाक्रम का उल्लेख किया जिसमें इस देश के भीतर 22 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के आने तथा उसके निवेश किये जाने का उल्लेख था।

श्री जसवन्त सिंह : अन्य घटनाएं भी हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : ओह, तो और भी हैं ! महोदय, जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मुझे उनका दो घण्टे लम्बा भाषण सुनना पड़ा और मैंने उन्हें तन्मयता से सुना। 22 करोड़ रुपये की जो विदेशी मुद्रा आयी और वह भी 1986 में तत्कालीन प्रवर्तन निदेशक, कुमुदनीवत् श्वेत श्रीमान स्वच्छ, श्री भूरेलाल द्वारा, जिन्हें ग्यारह महीनों का अवसर·· (व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतराई) : महोदय, भूरेलाल कुमुदनीवत् नहीं हो सकते क्योंकि 'भूरे' का अर्थ है भूरा रंग तथा 'लाल' का अर्थ है लाल रंग।

5.01 म० प०

(श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुयीं)

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, मैं इस बात को समझता हूं। उन्होंने यह इंगित किया कुछ अनियमितता की गयी थी तथा प्रवर्त्तन निदेशालय को उस अनियमितता का पता चल गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कब ?

श्री विश्विजय सिंह : 1986 में । उन्हें तत्कालीन सरकार ने रोका होगा । किन्तु 1989 नवंबर में उन्हें किसने रोका जब उनके गुरु वी० पी० सिंह प्रधानमन्त्री बने, जब वाम मोर्चे तथा भारतीय जनता पार्टी में हमारे प्रिय मित्रगण—यदि मैं फिर से श्री जसवन्त सिंह की शब्दावलि का प्रयोग करूं—उस सरकार से सहवास कर रहे थे? श्री भूरेलाल या फिर श्री वी० पी० सिंह ने ही, उन्हीं लोगों, जिन्होंने कोई अपराध किया होगा, के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए क्या कदम उठाये ?

वर्तमान सन्दर्भ में, महोदय, हमने अभी-अभी एक विधेयक पारित किया है, जिसके द्वारा हम इस देश में विदेशी पूंजी निवेश को लाना चाहते हैं । अतः, श्री जसवन्त सिंह द्वारा अपने लम्बे भाषण में कही गयी एकमात्र बात अप्रासंगिक हो गयी है ।

मैं एक स्विस बैंकर की टिप्पणी को उद्धृत करना चाहूंगा । उन्होने कहा, मैं उदधृत करता हूं :

> "मुझे कोई बैंकर ऐसा बताइये जो करोड़ों डालर की जमाराशि को जमा करने से इन्कार कर दे, चाहे उसे उस धन के उदगम के बारे में कितने ही गंभीर सन्देह क्यों न हों। और उसे यह कैसे ज्ञात होगा कि मादक द्रव्य अथवा तोपों का कोई सौदागर जो उस धन का स्रोत हो सकता है, अब से दो वर्ष पश्चात शासन की कृपा दृष्टि का पात्र नहीं रहेगा।"

महोदय, सभी सार्वजनिक ऋणदाता संस्थाओं के घोटालों अथवा कार्यप्रणाली को यह बात ध्यान में रखकर देखा जाना चाहिये ।

प्रस्ताव जिस रूप में हैं, उसमें कहा गया है :

'कि यह सभा बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल (ओवरसीज) लिमिटेड, (बी० सी० सी० आई०) के बन्द होने को गम्भीरता से लेते हुए भारतीय कम्पनियों के स्टाक को हड़पने सहित इस बैंक द्वारा धन का दुरुपयोग से सम्बन्धित विभिन्न समाचारों पर अपनी चिन्ता व्यक्त करती है"—यह भाग-I है—"और सिफारिश करती है कि लोक वित्तीय संस्थाओं के आचरण के मानदण्डों सम्बन्धी घोषणा तुरन्त की जाए ।" भाग-II—"और इस मामले में जांच के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया जाये ।" भाग-III, यह तीन बातें इस प्रस्ताव की विषय-वस्तु हैं ।

जहां तक प्रथम भाग का प्रश्न है, हमें इस बैंक द्वारा भारतीय कम्पनियों के स्टाक सहित धन दुरुपयोग के विभिन्न समाचारों के सम्बन्ध में अपनी चिन्ता व्यक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है ।

कोई भी भारतीय कंपनी, या फिर भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति, यदि वह देश में प्रचलित किसी कानून का उल्लंघन करता है, तो मामले की जांच करनी होती है और यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी होती है। इसमें कोई शक नहीं है । हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है ।

इसका दूसरा भाग इस प्रकार है :

> "और सिफारिश करती है कि लोक वित्तीय संस्थानों के आचरण के मानदण्डों सम्बन्धी घोषणा तुरन्त की जाये ।"

मैं कहूंगा कि लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश तथा आचरण के मानदण्ड पहले ही भली-भांति बनाए जा चुके हैं, जो मेरे विचार से काफी हैं। केवल इन मानदंडों को लागू करने की इच्छा की आवश्यकता है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : हाल ही का एक परिशोधन है।

श्री दिग्विजय सिंह : दुर्भाग्यवश, इस प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य महोदय ने उन मानदंडों को परिभाषित करने की चेष्टा नहीं की है जिनका वह प्रस्ताव करना चाहते हैं और वे मानदंड तथा आचरण कौनसे हैं जो उन्हें दमनकारी ढीले-ढाले तथा अनुपस्थित पाते हैं। इसी कारण मैं कहता हूं कि उनकी दो घण्टे की चर्चा विषय-वस्तु की दृष्टि से अनुपयोगी थी।

तीसरा भाग इस प्रकार है :

"संयुक्त संसदीय समिति का गठन" हमने बोफार्स मामले में भी एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया था।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : वह भी अनुपयोगी ही थी।

श्री दिग्विजय सिंह : स्पष्ट रूप से, बाद में अनुपयोगी ही सिद्ध हुई। बोफोर्स के बारे में इतना कुछ कहा गया : "उसमें इतना भ्रष्टाचार था, अमुक-अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया, हम 15 दिनों अथवा 30 दिनों में सारे नाम बता देंगे।" श्री वी० पी० सिंह ने ऐसा कहा। अब वह कहते हैं कि उन्होंने कहा था उनके कुछ कार्यकर्त्ताओं ने ऐसा कहा होगा। हमें नहीं पता किसने ऐसा कहा। किन्तु, कम से कम, इस देश के लोगों ने उन्हें कम से कम उन लोगों के नाम बताने का अवसर जरूर दिया था जो बोफोर्स मामले में वास्तव में अन्तर्ग्रस्त थे। किन्तु वह भी निष्फल सिद्ध हुआ।

संयुक्त संसदीय समिति ने अवश्य इसकी जांच की। विपक्ष ने पहले कहा : "संयुक्त संसदीय समिति की स्थापना करो।" हमने संयुक्त संसदीय समिति की स्थापना की थी। फिर उन्होंने कहा : "नहीं, एक विपक्षी सदस्य को उसका सभापति बनाओ।"

श्री सैफुद्दीन चौधरी : नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा।

श्री दिग्विजय सिंह : ऐसा कहा गया था। मैं उस समय भी सदस्य था। मैं नहीं मानता।

फिर उन्होंने कहा : "हमें समिति में और अधिक प्रतिनिधित्व दो; सदन की सदस्य संख्या के अनुसार नहीं।" जब हम संयुक्त समिति की स्थापना करने को सहमत हो गये, तो उस समय कांग्रेस पार्टी के पास जनादेश था और आठवीं लोक सभा में सदन में प्रतिनिधित्व के अनुसार, संसदीय समिति का गठन किया गया। हमारे प्रिय मित्रगण ब्यौरों का पता लगाने में हार्दिक रुचि नहीं रखते थे। वे केवल गलत सूचना, चरित्र हनन, लांछन लगाने में रुचि रखते थे और इस काम को—मुझे उन्हें इसका श्रेय देना ही चाहिये—उन्होने बड़ी सफलतापूर्वक अंजाम दिया।

एक और बड़ा महत्वपूर्ण और सम्बद्ध मुद्दा है। श्री माइकेल हर्शमैन—मैं उनकी चर्चा कुछ देर

बाद करूंगा—ने इण्डिया टुडे (15 सितम्बर, 1991) में प्रकाशित अपने साक्षात्कार में संयुक्त संसदीय समिति के पक्षपाती होने का उल्लेख किया था। मुझे कोई मिली भगत नहीं दिखती। क्या कोई मिली भगत है? मैं ऐसा नहीं समझता। हमें उसकी जांच करनी होगी। किन्तु साथ ही, वह इस सुझाव की जांच अवश्य करते हैं कि बी० सी० सी० आई० के घोटालों का भंडाभोड़ किया जा सकता है, बशर्ते कि एक पक्षपाती संसदीय समिति का गठन किया जाये और वह भी·····मैं उन्हें उद्धृत करना चाहूंगा :

पूछा गया प्रश्न यह था : "सत्य का बखान उद्घाटन किस प्रकार किया जा सकता है?"

श्री हर्शमैन द्वारा दिया गया उत्तर था :

"एक द्विपक्षीय संसद द्वारा हम एक सशक्त, स्वतंत्र जांच कराएंगे, जिसमें जांच के लिए आवश्यक संसाधन तथा वृत्तिक कर्मचारीगण होंगे। यदि भारत में ठोस किस्म के लोग हुए जो जांच को आगे बढ़ाने के इच्छुक हों तो वे निजी संसाधनों से भी ऐसा कर सकते हैं।"

महोदय, जब माननीय सदस्य श्री जसवन्त सिंह ने शुक्रवार को बोलना शुरू किया था, वह सोमवार को चर्चा करने के लिए पहले ही अनुरोध कर सकते थे। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया।

क्योंकि 11 सितम्बर को अमेरिका में प्रतिनिधि सभा···

(व्यवधान)

मैं 26 जुलाई, 1991 के 'इकोनॉमिक टाइम्स' से उद्धृत करता हूं :

"समिति (कांग्रेशनल कमेटी) ने कहा कि 11 सितम्बर को अमेरिका के प्रथम चेयरमैन, क्लार्क क्लिफोर्ड और बैंक के प्रेसीडेंट, राबर्ट एल्टमैन पहली सुनवाई में साक्ष्य देने के लिए सहमत हुए।"

महोदय, वह सम्भवत: 11 सितम्बर, को सुनवाई होने की प्रतीक्षा करना चाहते थे।

महोदय, फेयरफैक्स और बोफोर्स घोटाले के हीरो, माइकल हर्शमैन ने स्वेच्छा से इस प्रतिष्ठित समिति के सामने साक्ष्य दिया था। परन्तु महोदय, दुर्भाग्यवश राजधानी के लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया और उन्हें समिति के समक्ष साक्ष्य देने की अनुमति नहीं दी। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। यहां हमारे मित्रों का एक स्रोत होते हुए भी उन्हें साक्ष्य देने की अनुमति नहीं दी गई। तब महोदय, श्री जसवन्त सिंह बैंक आफ इंग्लैंड के सम्बन्ध में कोर्ट के इस आदेश से एक बार फिर निराश हुए कि दिसम्बर, 1991 तक नामों की घोषणा नहीं की जा सकती है। महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। यह उचित होता यदि इस प्रस्ताव को जनवरी में पेश किया जाता क्योंकि उस समय तक श्री जार्ज फर्नान्डीज के स्रोतों ने बोफोर्स घोटाले से संबंधित नामों की सूची प्रकाशित करदी होती और यही सूची हमें तथा देश को उपलब्ध करा दी गई होती। महोदय, दुर्भाग्यवश इसमें बहुत अधिक विलम्ब हुआ है।

महोदय, संशोधन क्या है? श्री जार्ज फर्नान्डीज के पहले संशोधन के अनुसार :

"शैल कम्पनियों के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करते हुए।" (1)

मेरे विचार से यह कम्पनियां वे कम्पनियां हैं जो कराश्रय से संचालित हो रही है। क्या मेरा कहना सही है महोदय ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हां, महोदय।

श्री दिग्विजय सिंह : धन्यवाद।

"चुनींदा भारतीय कम्पनियों में निवेश के लिए अलेखाबद्ध मुद्रा को देश में लाने और हथियारों तथा अन्य विनिषिद्ध सामग्री के लिए वित्तपोषण करने तथा विभिन्न प्रच्छन्न कार्यों में लिप्त रहने।" (1)

उनके दूसरे संशोधन के अनुसार :

"निगमित विवादों तथा प्रबन्ध ग्रहण में किसी भी प्रकार की सहायता देने के मामले में।" (2)

रिलायन्स और एल० एण्ड टी०—उन्हें अपने अधिकार में लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए उन्हें रोकने के लिए कहा जाना चाहिए।

उनके तीसरे संशोधन के अनुसार :

"और यह भी सिफारिश करती है कि जब तक इसमें उल्लिखित आचरण के मानदण्डों को अन्तिम रूप नहीं दिया जाता और अनुमोदित नहीं किया जाता तब तक वित्तीय संस्थान ऐसा कोई कदम नहीं उठायेंगे जिससे बी० सी० सी० आई० से सम्बन्धित घोटाले में सम्मिलित कम्पनियों को कोई लाभ हो।"

महोदय, यह संशोधन एक मुद्दा—इस देश में रिलायन्स और बाम्बे डाइंग के बीच काफी लम्बे समय से चल रहे निगमित संघर्ष से सम्बन्धित है। महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यह सदन इस देश की दो बड़ी निगमित कम्पनियों के बीच का युद्ध स्थल बन गया है। (व्यवधान)

महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि जसवन्त सिंह जी और श्री जार्ज फर्नान्डीज जैसे अच्छे स्तर के सांसद किसी न किसी बहाने से इस अवसर और सभा का उपयोग कर रहे हैं। महोदय, इन बड़ी कम्पनियों के पास इस सभा से बाहर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। हमें उनकी लड़ाई में यहां अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हम क्यों उनके हाथों की कठपुतली बनें ?

श्री जसवन्त सिंह : वास्तव में मैंने इनमें से किसी भी कम्पनी का उल्लेख नहीं किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वह सोचते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए था।

श्री जसवन्त सिंह : वह अपनी इच्छा से कोई संशोधन करने के लिए स्वतंत्र हैं। परन्तु मैंने इनमें से किसी भी कम्पनी का उल्लेख नहीं किया है।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री जसवन्त सिंह : आपने आरोप लगाया है।

श्री दिग्विजय सिंह : यह कोई आरोप नहीं है। (व्यवधान) मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं। मैं भारतीय मूल के उन निवेशकों के पक्ष में हूं जिन्होंने बी० सी० सी० आई० में धन जमा किया है। इस विशेष बात का श्री प्रकाश पाटील और श्री गामित द्वारा दिए गए संशोधनों में भी जिक्र था। इससे उनकी चिन्ता का पता चलता है। इसलिए मैं उन्हें इस सम्पूर्ण प्रस्ताव में सही संशोधन देने के लिए बधाई देना चाहता हूं। इस संशोधन में कहा गया है कि :

"और सिफारिश करती है कि लोक वित्तीय संस्थानों के आचरण के मानदण्डों सम्बन्धी तुरन्त घोषणा की जाए और इस मामले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाए।" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"और चाहती है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि बैंक के कार्यचालन को बन्द किए जाने को देखते हुए ऐसे भारतीयों तथा अनिवासी भारतीयों के हितों की, जिन्होंने बी० सी० सी० आई० में निवेश किया है और इस बैंक के साथ कारबार किया है, पर्याप्त सुरक्षा की जाए।"

यह सभा द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता है जिसका, दुर्भाग्यवश विपक्ष में बैठे मेरे मित्रों ने उल्लेख नहीं किया था और हमें इस प्रकार का अत्यावश्यक संशोधन करना पड़ा था। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे मित्र भारतीय निवेशकों के लिए सभा की चिन्ता से वास्तव में चिन्तित नहीं हैं। परन्तु वे इस सरकार को झुकाने और राजनीतिक दुश्मनी का बदला लेने के लिए एक अन्य हथियार और छड़ी के रूप में बी० सी० सी० आई० का इस्तेमाल कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसमें क्या बुरा है ?

श्री दिग्विजय सिंह : मुझे जो कुछ कहना है उसका मुझे पूरा अधिकार है। फिर हमने वही फेयरफैक्स और बोफोर्स की तरह की कहानी शुरू कर दी है जिसमें गलत सूचना, चरित्र हनन, व्यंग्य, चापलूसी, अर्द्धसत्य, रहस्योद्घाटन, चारों ओर से कीचड़ उछालने जैसी बातें शामिल हैं, पहले बोफोर्स था और अब बी० सी० सी० आई० का मामला है। इसमें प्रमुख खिलाड़ी कौन-कौन से हैं ? ये हैं, श्री माइकल हर्शमैन, श्री वी० पी० सिंह, श्री जार्ज फर्नान्डीज, श्री गुरुमूर्ति और इण्डियन एक्सप्रेस।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : मैंने तो प्रस्ताव पेश किया है।

श्री दिग्विजय सिंह : इसीलिए मैं आपका नाम नहीं बताना चाहता था और आप आठवीं लोक सभा के भी सदस्य नहीं थे जिसका कि मैं एक सदस्य था।

श्री जसवन्त सिंह : परन्तु मुझे बोफोर्स के सम्बन्ध में बहुत कुछ करना है।

श्री दिग्विजय सिंह : तब तो मैं इसे सांठगांठ कहूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं सोचता हूं कि सूची सही समाप्त हो गई है।

श्री दिग्विजय सिंह : यह सूची अनन्त है। इस मामले में श्री सोमनाथ चटर्जी और वामपंथी दलों की प्रत्येयता के बारे में कोई सन्देह नहीं है। हम उनके विरुद्ध नहीं हैं। फेयरफैक्स के बारे में उन्होंने जो भी दृष्टिकोण अपनाया है वह एकदम स्पष्ट था और हम उसकी प्रशंसा करते हैं।

महोदया, दुर्भाग्यवश यह सांठगांठ पहले की ही तरह है और उनका लक्ष्य भी वही है—कांग्रेस पार्टी, श्री राजीव गांधी और उनका परिवार।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यही लोग उस मृत आदमी की आलोचना करने से अभी भी नहीं हिचकिचा रहे हैं जिसने देश के लिए बहादुरी से अपना जीवन न्योछावर कर दिया है। श्री राजीव गांधी के व्यक्तित्व और उनके परिवार पर लांछन लगाने का उनका प्रयास पूर्णतः निन्दनीय है और इसकी घोर निन्दा की जानी चाहिए। यह गलत सूचना श्री जसवन्त सिंह ने नहीं प्रचारित की है बल्कि इसे सांठगांठ द्वारा प्रचारित की गई है।

आप **'इंडिया टुडे'** में माइकल हर्षमैन का इन्टरव्यू पढ़िए। माइकल हर्षमैन कौन है? हमें उसके बारे में अवश्य जानना चाहिए। "वाशिंगटन बिजनेस" को 11 मई, 1987 को दिए गए अपने इन्टरव्यू में उन्होंने कहा कि लगभग सभी कर्मचारी सरकार, सी० आई० ए०, एफ० बी० आई०, आई० आर० एस०, सेना आसूचना, पुलिस विभागों से हैं और फेयरफैक्स में सेक्रेटरी सहित प्रत्येक कर्मचारी एक लाइसेंसधारी जांचकर्ता है। हर्षमैन कौन है? मैं उसके जीवनकाल का ब्यौरा बताता हूं। उसने अपना जांच-कार्य छठे दशक के अन्तिम वर्षों के दौरान आतंकवादी प्रतिकरण में विशेषता हासिल करके मिलिट्री स्पेशल एजेंट के रूप में शुरू किया था। तत्पश्चात् उसने न्यूयार्क शहर में सरकारी भ्रष्टाचार और वित्तीय धोखाधड़ियों की जांच का कार्य शुरू किया और इसके बाद वाटरगेट कांड समिति के लिए एक जांचकर्ता के रूप में कार्य किया। ये इस महान आदमी, श्री हर्षमैन का परिचय है।

फेयरफैक्स के मामले में उसे किसने भारत सरकार के लिए कार्य करने के लिए नियुक्त किया? क्या ये श्री वी० पी० सिंह, श्री भूरे लाल, श्री गुरुमूर्ति अथवा नुस्ली वाडिया हैं? यह एक सांठगांठ है जिसके कारण हम इस सभा में प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। उसे खर्चे का भुगतान किसने किया? निश्चित रूप से भारत सरकार ने नहीं किया है। ऐसा कहा गया है। उसे किसने नियुक्त किया है? एक बार फिर मैं **'इंडिया टुडे'** से माइकल हर्षमैन के इन्टरव्यू को उद्धृत करता हूं। उनसे प्रश्न किया गया कि : "आपको किस समय पता चला कि इसमें कुछ गलत था।" उनका जवाब था : "मुझे तुरन्त बाद पता चल गया था क्योंकि मुझे सूचना और फाइलें दे दी गई थीं।" किसने? यह सब वित्त मन्त्री द्वारा दिया गया था। इससे उसे पता चला कि बी० सी० सी० आई० किस सीमा तक शामिल है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि यह अन्तर्राष्ट्रीय षड्यन्त्र का एक हिस्सा है। ये मुम्बई में बी० सी० सी० आई० के सही कार्य संचालन, भारत, श्री नरसिंहराव की सरकार और सत्ता दल की निंदा करने पर तुले हैं।

श्री वी० पी० सिंह ने ठक्कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत होकर इस बात से इनकार किया है कि वह कभी भी श्री माइकल हर्षमैन से मिले है। मैं नहीं जानता कि किस पर विश्वास करें। परन्तु स्वाभाविक रूप से मैं श्री माइकल हर्षमैन के बजाय श्री वी० पी० सिंह पर विश्वास करूंगा। दोनों ही गलत सूचना के प्रचार में माहिर हैं। मैं तो केवल यही कह रहा हूं कि किस पर ज्यादा और किस पर कम विश्वास करें।

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज) : आप श्री हर्षमैन के पीछे क्यों पड़े हैं ? वह तो दुनिया में सबसे अप्रिय व्यक्ति होना चाहिए। परन्तु वह यह पता कर रहे थे कि क्या कोई विशेष व्यक्ति चोर या डाकू था। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं श्री माइकल हर्षमैन के बजाय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह पर ज्यादा विश्वास करूंगा यद्यपि दोनों गलत सूचना प्रचार में माहिर है। माइकल हर्षमैन का परिचय भूरे लाल से किसने कराया ? श्री भूरे लाल ने स्वयं कहा और एक वक्तव्य में इसकी पुष्टि की गई कि श्री गुरुमूर्ति ने भूरे लाल को माइकल हर्षमैन से मिलाया था। श्री गुरुमूर्ति कौन है ? वह आर० एस० एस० लीनिंग्स में एक चार्टर्ड एकान्टेंट है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इसीलिए वह श्री जसवन्त सिंह का मित्र है। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : इसे ठीक किया जाना है। इस सांठगांठ को ठीक किया जाना है। अपनी बात पर आता हूं। श्री गुरुमूर्ति किसके आर्थिक सलाहकार हैं ? वह इण्डियन एक्सप्रेस समूह के श्री आर० एन० गोयनका के आर्थिक सलाहकार थे, और इण्डियन एक्सप्रेस में रिलायंस समूह के खिलाफ लिखे गए लेखों के लेखक थे। परन्तु किसके लाभ के लिए यह लिखा गया था ? क्या यह प्रतिद्वन्दी निम्नस्तर कम्पनी के श्री नुस्ली वाडिया के लाभ के लिए लिखा गया था ? खैर, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं। यह किसी के लाभ के लिए हो सकता है। श्री माइकल हर्षमैन के भारत प्रवास का व्यय किसने अदा किया ? ऐसा लगता है कि वह ओबेराय कन्टिनेन्टल होटल में ठहरे थे। क्या यह संयोग ही था, बाम्बे डाइंग समूह के चेयरमैन श्री उस समय उसी होटल में ठहरे थे ? वह माननीय चेयरमैन के सम्मानित अतिथि थे।

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज) : क्या श्री जसवन्त सिंह वहां थे या नहीं ?

श्री दिग्विजय सिंह : मैं श्री जसवन्त सिंह के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। किन्तु श्री गुरुमूर्ति निश्चित रूप से वहां थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या वह फेयरफैक्स के बारे में बोले ?

श्री दिग्विजय सिंह : मुझे उन्हें सुनने का अवसर नहीं मिला। किन्तु उन्होंने उसका उल्लेख अवश्य किया था। (व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने इसीलिए पहले कहा था कि प्रस्ताव का उद्देश्य वास्तव में जमाकर्ताओं और बी० सी० सी० आई० के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना नहीं है। माननीय सदस्य श्री जसवन्त सिंह ने अपने भाषण के अन्त में एक बात जोड़ी और इसलिए इसका उद्देश्य पूर्णतः स्पष्ट हो गया। इसका उद्देश्य सत्तारूढ़ दल और सत्तारूढ़ दल के नेता को बदनाम करना है, जिसका उन्होंने पूरा प्रयास किया। किन्तु अभी तक वह ऐसा नहीं कर पाए हैं (व्यवधान) बी० सी० सी० आई० देश के बाहर सभी प्रकार के घोटालों में शामिल हो सकता है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं वास्तव में चिन्तित नहीं हूं। बी० सी० सी० आई० की मुम्बई में क्या गतिविधियां हैं? यह हमारी प्राथमिक चिन्ता है। यदि वे वास्तव में हमारे कानूनों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिए। मुझे बी० सी० सी० आई० अथवा रिलाइंस ग्रुप अथवा बोम्बे डाइंग आदि के बारे में कुछ नहीं कहना है। जिस तरह से देश की इस महान सभा के माध्यम से हमारे कार्यों पर लांछन लगाए जा रहे हैं और राजनैतिक विरोधियों की निन्दा की जा रही है, इस पर निश्चित रूप से मुझे आपत्ति है। माननीय वित्त मन्त्री ने यह पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है कि जनता पार्टी के शासन के दौरान सम्पर्क कार्यालय खोला गया था। इस पर कोई सन्देह नहीं है; जहां तक इसका सम्बन्ध है, इस पर कोई विवाद नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह : उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा है और मुझे स्पष्टीकरण करना है।

श्री दिग्विजय सिंह : आप अपने उत्तर में बता सकते हैं। (व्यवधान)

तत्कालीन राज्य मन्त्री ने कोई सिफारिश नहीं की है। तब राज्य मन्त्री कौन थे? वह श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल थे।

श्री जसवन्त सिंह : क्या वह वहां थे? कृपया ऐसा कहने से पहले तथ्य की छानबीन कर लें।

श्री दिग्विजय सिंह : यह कोई भी हो सकता है। मैं सही कह रहा हूं। किन्तु तत्कालीन वित्त राज्य मन्त्री ने कुछ सिफारिशें की हैं। किन्तु जिस नाम का मैंने उल्लेख किया है, उस पर मैं कायम हूं। वर्ष 1979 में तत्कालीन वित्त राज्य मन्त्री ने वित्त मन्त्री और प्रधान मन्त्री से यह शाखा खोलने का प्रस्ताव किया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको यह कैसे मालूम है?

श्री दिग्विजय सिंह : यह वित्त मन्त्री का वक्तव्य है। वित्त मन्त्री ने वक्तव्य दिया था। उन्होंने पिछले शुक्रवार को हस्तक्षेप किया था।

यह कुत्सित आठवां दशक था, जिसका उल्लेख माननीय श्री जसवन्त सिंह ने अपनी जानी-पहचानी शैली और शब्दावली में अपने भाषण में किया था। केवल 1983 के बाद, इसकी अनुमति दी गयी थी और वह भी छः वर्षों के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसकी कड़ी जांच और छानबीन की जानी थी और केवल उनके सन्तुष्ट होने के बाद कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन

किया जा रहा है, तभी अनुमति देनी थी। कोई स्वीकृति नहीं दी गयी थी। इस देश में अनेकों विदेशी बैंक कार्यरत हैं और वह भी देश के अनिवासी भारतीयों की विशेष सिफारिश पर, जो इस देश में बी० सी० सी० आई० की एक शाखा चाहते थे। नियमित कारोबार किया गया। मैं इसका श्रेय श्री जसवंत सिंह को देता हूं। उन्होंने स्वयं दावा किया है और कहा है कि बी० सी० सी० आई० की मुम्बई स्थित शाखा पूर्णत: ऋणशोधक्षम है। तब चिन्ता की क्या बात है? तब क्या समस्या है?

उसी नापाक गठबन्धन ने—मैं इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहता—मुम्बई में बी० सी० सी० आई० की शाखा में 18 जुलाई, 1986 को छापा मारा था। उन्होंने इस पर छापा क्यों मारा? मैं श्री माइकेल हर्षमैन को पुन: उद्धृत करता हूं। वह कहते हैं :

"हमने यह भी महसूस किया कि हमें बी० सी० सी० आई० से सहयोग नहीं मिलेगा, यह उनके सर्वोत्तम हित में नहीं था। अतः तब हमने आवश्यक सूचना पाने के लिए एक विधि के बारे में बात शुरू की। दो योजनाएं थी। पहली जांच-पड़ताल में अमरीका और ब्रिटिश सरकारों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करनी थी। दूसरा भारत में बी० सी० सी० आई० के गलत कार्यों की पूरी जानकारी एकत्रित करना था—आपराधिक रूप से उनके पीछे पड़ना तथा उन्हें सहयोग करने के लिए विवश करने की कोशिश करना था। 'उन्हें सहयोग के लिए विवश करना' शब्दो पर ध्यान दीजिए।

"भूरेलाल ने इसीलिए मुम्बई में बी० सी० सी० आई० के विरुद्ध कार्यवाही की थी।"

यह मैं नहीं कह रहा हूं। श्री माइकेल हर्षमैन इंडिया टुडे में साक्षात्कार में यह कह रहे है। मैं इण्डिया टुडे और श्री माइकेल हर्षमैन का इस बात को प्रकाश में लाने के लिए बड़ा आभारी हूं। वह आगे कहते हैं :

"आरोप महत्वपूर्ण नहीं हैं। कुछ आरोपों के समर्थन में प्रमाण होना महत्वपूर्ण है। इस तरह हम बी० सी० सी० आई० के उन कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त कर सकें, जिन पर आरोप लगाए गए थे।"

श्री भूरेलाल ने कहा है "श्री माइकेल हर्षमैन यह बहुत अच्छा विचार है। हमें आगे कार्यवाही करनी चाहिए। और उन्होंने आगे की कार्यवाही की। उन्होंने इसका क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने इण्डिया टुडे के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला और मैं उद्धृत करता हूं :

"471 जाली पासपोर्ट, 84,000 डालर नकद और ट्रैवलर्स चैक पकड़े गए। यह गिरोह प्रत्येक पासपोर्ट धारी से विदेशी यात्रा भत्ते के रूप में 500 डालर लेते थे—जो 2,35,000 डालर की थी।"

सर्वप्रथम 471 जाली पासपोर्टों का प्रश्न है। बाद की छानबीन से एक पासपोर्ट भी जाली नहीं पाया गया। हज यात्रियों के साथ यह करने की प्रथा है कि जब हज जाने पर भीड़-भाड़ होती है, वे अपना प्राप्त होने वाला विदेश यात्रा भत्ता ट्रैवल एजेंटों को नकद देते हैं।

अत: भीड़-भाड़ के समय श्री वी० पी० सिंह की सरकार के बहुत बड़े जासूस श्री भूरे लाल के मन में बी० सी० सी० आई० को पकड़ने का और उन्हें पूर्णत: असम्बद्ध बात पर सहयोग के लिए विवश करने का बहुत अच्छा विचार आया। इस सारे कार्य का यही उद्देश्य था। इसलिए मैं विरोध करता हूं क्योंकि इरादा पूर्णत: दुर्भावनापूर्ण था। यह पूर्णत: राजनैतिक निन्दा का इरादा है। यह भारतीय मूल के जमाकर्त्ताओं के लिए चिन्ता की बात नहीं थी। यह केवल राजनैतिक बैर था; ऐसा राजनैतिक बैर जो हमने 8वीं लोक सभा में देखा और अब इस सभा में इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह प्रस्ताव पूर्णत: असंगत है तथा इसका इरादा पूर्णत: राजनैतिक है। आप बी० सी० सी० आई० के ऋणदाताओं की सूची देखें। यह बहुत रोचक है। ऋणदाता कौन थे ? वह थे टाटा जिन्होंने कुल 10.77 करोड़ रुपए, बिरला—21.34 करोड़ रुपए; रिलायन्स—10.8 करोड़ रुपए; आर० पी० गोयन्का—22.69 करोड़ रुपए; गोदरेज—7.69 करोड़ रुपए तथा यूनाइटेड ग्रुप —15.20 करोड़ रुपए की धनराशि दी थी। इस देश के प्रमुख औद्योगिक गृह बी० सी० सी० आई० ऋणदाता हैं; जो बी० सी० सी० आई० के वित्त पोषण का लाभ उठा रहे है तथा समय पर अपने नियमित देयों का भुगतान कर रहे हैं। मैं बी० सी० सी० आई० के बारे में बात नहीं करता हूं। यदि उन्होंने कोई अनियमितताएं बरती हों तो उन्हें मेरी ओर से फांसी पर लटका हुआ समझिए। किन्तु, इस देश में व्यावसायिक रूप से सक्षमतापूर्वक अपना कार्य कर रहे तथा समय पर करों का भुगतान कर रहे लोगों की बुराई मत कीजिए। उनकी निन्दा तथा बुराई क्यों करें ? यही मेरी आपत्ति है।

इण्डिया टुडे, ने अपनी रिपोर्ट में स्वापक पदार्थों से इसके सम्बन्धों के बारे मे कुछ टिप्पणियां की हैं। इसकी छानबीन की जी सकती है। स्वापक ब्यूरो, वित्त मन्त्री, अथवा अनुसन्धान और विश्लेषण विंग अथवा आसूचना ब्यूरो इसकी जांच कर सकते हैं। स्वापक पदार्थों के सम्बन्ध में दो व्यक्तियों के नामों का उल्लेख श्री अबेदी के साथ सम्पर्क होने के बारे में किया गया है। मैं उनके नामों को उद्धृत करना चाहता हूं। पहला नाम शाहजहांपुर के श्री नासिर अली का है और दूसरा नाम दिल्ली के श्री रमेश चन्द्र कोछड़ का है। मैं दिल्ली के रमेश चन्द्र कोछड़ के बारे में वास्तव में नहीं जानता हूं। किन्तु हम निश्चित रूप से शाहजहांपुर के नासिर अली के बारे में जानते हैं, क्योंकि वह स्वापक पदार्थों का देश का एक कुख्यात तस्कर है और श्री वी० पी० सिंह को शाहजहांपुर में उनके मकान पर इफ्तार की दावत खाने का अवसर मिला था। वित्त मन्त्री के रूप में उन्हें देश की आर्थिक स्थिति का पूरी तरह पता था और वित्त मन्त्री के पद से त्यागपत्र देने के बाद जब वह देहाती क्षेत्रों के तूफानी दौरे पर निकले थे, तब वह इफ्तार के भोज में शामिल होने के लिए गए थे। उन्होंने श्री नासिर अली के वहां का आतिथ्य स्वीकार किया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इससे आपका अस्तित्व समाप्त हो गया था।

श्री विश्वनाथ सिंह : मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आपके सहयोग से अस्थाई रूप से केवल ग्यारह महीने के लिए। (व्यवधान) इसकी दुबारा जांच की जा सकती है। मैं इसकी जांच कराना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि वित्त मन्त्री इस बारे में स्पष्ट करें। देश में स्वापक पदार्थों की तस्करी रोकी जाए। स्वापक औषधियों का व्यापार करने वाले व्यक्तियों के साथ राजनीतिज्ञों के सम्बन्धों की बारीकी से जांच की जानी चाहिए। मेरी सहयोगी श्रीमती वसुन्धरा राजे भी मुझसे शिकायत कर रही

थीं कि स्वापक औषधियों का व्यापार करने वाले व्यक्तियों और राजनीतिज्ञों की साठगांठ से उन्हें उनके निर्वाचन क्षेत्र में कितनी परेशानी हो रही है। मैं भी व्यक्तिगतरूप से जानता हूं यद्यपि डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय यह बात स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वह अपनी पार्टी के पक्के समर्थक हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेडा) : इन्होंने वी०पी० सिंह जी का नाम लिया है और वह यहां नहीं हैं इसलिए मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं। जिस दिन की ये बात कह रहे हैं, उस दिन मैं भी साथ में था। उस दिन हमारे एक अपने एम० एल० सी० श्री श्रीवास्तव जी भी थे। उनके साथ रात में आए थे। यह जो कह रहे हैं इफ्तार में स्मगलर के यहां वी० पी० सिंह जी थे मैं समझता हूं कि यह फैक्ट्स की बैरिफाई कर लें। गैर-जिम्मेदारा ढंग से आरोप नहीं लगाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : स्वापक औषधियों का व्यापार करने वाले व्यक्तियों, तस्करों और राजनीतिज्ञों के बीच सम्बन्धों की बारीकी से जांच की जानी चाहिए। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि सम्बन्धित व्यक्ति···

श्री राम विलास पासवान : वह ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं आपको चुनौती देता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह : आप सहयोग क्यों नहीं देते हैं ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : जे० पी० सी० करिए, सब पता चल जाएगा। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालावाड़) : यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। (व्यवधान) यदि यह कार्य हो जाए तो हम बड़े आभारी होंगे ? वित्त मन्त्री महोदय भी यहां उपस्थित हैं। उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति का सुझाव दिया है। आप यही कार्य क्यों नहीं करते ? (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : ऐसा आपके सहयोग से हो सकता है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : हम पूरा सहयोग देंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं आपको अपना सहयोग देने के लिए तैयार हूं।

श्री राम विलास पासवान : कम से कम आपको इस बात पर सहमत होना चाहिए। वित्त मन्त्री महोदय यहां उपस्थित हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं श्री राम विलास पासवान की श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का, जिनके

मन्त्रिमण्डल में उन्हें ग्यारह महीने तक कार्य करने का सम्मान प्राप्त हुआ था, पक्का समर्थन करने और उनकी बड़ाई करने के लिए प्रशंसा करता हूं। क्या उन्होंने स्वापक औषधियों का व्यापार करने वाले व्यक्तियों को सजा देने के लिए कभी कोई प्रयास किया था? मैं ऐसे किसी भी उदाहरण को नहीं जानता हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हम लोगों ने नहीं किया तो हम आपको ऑफर करते हैं कि आपको यह करना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : इस बात पर मैं आपसे साथ हूं। (व्यवधान) इस देश का नागरिक और इस सम्मानित सभा का सदस्य होने के नाते मेरी चिन्ता केवल भारतीय मूल के नागरिकों, जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई और बचत बी० सी० सी० आई०, मुम्बई अथवा विश्व में इस बैंक की किसी शाखा में जमा करा दी है, के हितों तक सीमित है। वित्त मन्त्री महोदय को उनके हितों की रक्षा करने के लिए यथासम्भव प्रयास करने चाहिए। साथ ही वित्त मन्त्री महोदय को उन कर्मचारियों के हितों की रक्षा करनी चाहिए जिन्हें अनावश्यक रूप से दण्ड दिया जा रहा है। बी० सी० सी० आई० की लाभकारी तथा सम्पन्न शाखा को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह कार्य किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक—भारतीय स्टेट बैंक—अथवा किसी अन्य तरीके से जिसे वित्त मन्त्री महोदय समझते हैं, शुरू किया जा सकता है। हमारी केवल यही चिन्ता है।

मैं इस टिप्पणी के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि कुछ लोग पिछले कुछ वर्षों से अवांछनीय और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कीचड़ उछाल रहे हैं। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि उस मुद्दे पर चर्चा न करें जो पूरी तरह असम्बद्ध है। वे उन सभी गलत सूचनाओं और चरित्र हनन पर ध्यान दें जिसे बोफोर्स के मामले में देखा गया है। इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस प्रस्ताव के लिए मतदान न करें।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदया, आपने भाषण के दौरान हमारे मित्र और साथी जसवंत सिंह जी ने उस पत्र का जिक्र किया, जिसको इण्डियन मुस्लिम फोरम ने भेजा है। यह पत्र, मुझे लगता है, कि कई संसद सदस्यों को गया होगा। चूंकि प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री के नाम को लिखे पत्र के नीचे लिखा है कि सारे संसद के सदस्य, यानि लोक सभा और राज्य सभा के, उनको भेजा जा रहा है। इस पत्र में कुछ ऐसी बातें हैं, जिनके बारे में कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है।

5.47 म० प०

[राव राम सिंह पीठासीन हुए]

उनकी जो चिन्ता है, जो परेशानी है, हिन्दुस्तान के नागरिकों के बारे में इस देश में या विदेश में, जहां कहीं भी हों, जिनका पैसा इस बैंक में है तो उस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है लेकिन मुझे आपत्ति इसके दो पैराग्राफ्स को लेकर है। जहां यह कहा गया है कि—

[अनुवाद]

"यह बड़ी शोचनीय और निंदनीय बात है कि श्री जार्ज फर्नान्डीज जैसे भारतीय राजनैतिक नेता और संसद सदस्य ने भी ऐसे झूठे और तुच्छ आरोप लगाकर मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए अवसर का लाभ उठाया है कि बी० सी० सी० आई० का हज यात्रियों के खर्चे के रूप में भारत से विदेशों को धन भेजने के लिए माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। जब हमने इसकी अपने भारतीय स्रोतों से जांच की तो हमें पता चला कि यह आरोप निर्मूल है।"

[हिन्दी]

और अन्त में उन्होंने संसद सदस्यों को एक अपील की है—

[अनुवाद]

अन्तिम पैराग्राफ में यह कहा गया हैं कि "जिम्मेदार और विचारशील सदस्य भी···

सभापति महोदय : श्री फर्नान्डीज, आप किस दस्तावेज से उद्धरण दे रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह दस्तावेज प्रधानमन्त्री और वित्त मन्त्री को संबोधित भारतीय मुस्लिम मंच, नामक संगठन ने भेजा है जो ब्रिटेन (लन्दन में बरो आफ न्यूहम), 7 दनवर रोड, फोरेस्ट गेट, लन्दन ई 7 में स्थित है, इसकी प्रतियां सभी संसद सदस्यों अर्थात राज्य सभा और लोक सभा के सदस्यों को भेजी गयी हैं। यह पत्र 31 अगस्त, 1991 का है। परन्तु यह केवल दो ही व्यक्तियों को संबोधित है।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

मुझे मिला, मेरी डाक में आया। रवि राय जी की डाक में आया, उनको मिला हुआ पत्र मेरे यहां भी आया।

[अनुवाद]

सभा के जिम्मेदार और विचारशील सदस्यों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि श्री जार्ज

फर्नान्डीज जैसे सदस्यों को हज यात्रियों के विरुद्ध इस प्रकार के बेबुनियादी आरोप लगाकर इस्लाम और भारतीय मुसलमानों का अपमान करने की अनुमति न दी जाए।"

[हिन्दी]

सभापति जी, एक ही वाक्य में अगर मैं कहूं तो मैंने ऐसा आरोप कभी लगाया नहीं था, न मैं ऐसा आरोप कभी लगा सकता था और न आज भी, इस क्षण भी मैं इस प्रकार की बात को सोच सकता हूं। लेकिन चूंकि इस संगठन की ओर से यह कहा गया है कि उनके सोर्सेज हैं, हिन्दुस्तान में, जिन्होंने यह बताया है कि यह जो हमने लगाया हुआ तथाकथित आरोप गलत है तो इसका मतलब यह है कि कोई सोर्सेज यह भी होंगे, जो इस प्रकार की गलत जानकारी को, झूठी जानकारी को लोगों को देने का प्रयास भी करते होंगे।'''(व्यवधान)'''जो भी हों। मगर यह बात यहां कहना जरूरी है और हम इसका खण्डन करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि'''

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह भी वे० पी० सी० में भेज देगा।

श्री आर्थर फर्नान्डीज : ऐसा प्रचार तो कोई नहीं करेगा, जिसमें मजहब आदि को लाने का प्रयास करेंगे'''

सभापति जी, यह बहस हम लोग अच्छे ढंग से चला सकते थे, अगर वित्त मन्त्री जी ने जो अपना बयान दिया था, उस बयान के अन्तिम पैराग्राफ में जो पिछली बार कहा था, उस वायदे को या उस बात को वे अगर कुछ आगे बढ़ाते। उन्होंने यह कहा था—

[अनुवाद]

"मैंने यह बयान इस समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर दिया है। यदि और अधिक जानकारी उपलब्ध होगी तो सरकार उचित कार्यवाही करेगी।"

[हिन्दी]

अच्छा होता अगर यह बहस शुरू होने के पहले एक और बयान आता, जब वित्त मन्त्री हम लोगों को बताते कि और क्या जानकारी आ गई है और क्या कार्यवाही उनकी तरफ से हो गई। साथ ही फिर हम यह बहस को किसी सीमित दायरे में ले जाते और हो सकता है कि इस बहस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बहस को हम लोगों को अतिगहराई में जाकर चलाना है। मुझसे आशा है कि यह बहस इस तरह से चलेगी।

सभापति जी, जिस बैंक के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे है और जिस कारण को लेकर आज यहां पर चर्चा हो रही है, उसके अनेक पहलू हैं, जिनको समझना जरूरी है। पहला सवाल यह है, यह बैंक कैसे आया क्यों आया और इसको आने के लिए किसने इजाजत दी? हम चाहेंगे कि वित्त मन्त्री जी इस पर जरा स्पष्ट बातों को यहां पर रखें। मैंने उनको एक लम्बा पत्र लिखा। उस पत्र के ऊपर एक

कम्पनी के एक अफसर ने उनका एक जवाब लिखा। उनके लिखे पत्र के ऊपर रिलायंस के मालिक ने उनके अफसर के जरिए उनका जवाब लिखा और उसकी कापी मुझे भेजी तथा हमने वह पत्र लोक सभा के अध्यक्ष जी को दे दिया।

[अनुवाद]

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : मेरे विचार से मैं गलत हो सकता हूं। परन्तु आपने मेरे लिए जो पत्र लिखा था वह मेरे पास पहुंचने से पहले प्रेस को दे दिया गया।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : पत्र पहले प्रेस को नहीं भेजा गया था। बाद में इसे उनके कार्यालय में भेज दिया गया। परन्तु वे तकनीकी बातें हैं। इस चर्चा में यह महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

सभापति जी, अन्त में उस कम्पनी की तरफ से लोकसभा के अध्यक्ष को यह लिखित कहने में आया कि हमने जो पत्र लिखा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हमने वह गलत लिखा था, ऐसा पत्र हमको नहीं लिखना चाहिए था। जिन अखबारों ने भी इस पत्र को, उनके अपने पत्र के आधार पर खबर छपी थी, उसके अन्दर भी माफी मांगने का काम उस अखबार ने कर दिया। इसलिए उनका जहां तक सवाल है, वह वहां पर खत्म हो जाता है। मैंने जो पत्र वित्त मन्त्री जी को लिखा था, तो वित्त मन्त्री जी ने हम से एक बार इसी सदन के अन्दर, चूंकि बैठक शुरू होने के पांच मिनट पहले हम लोग यहां पहुंच जाते हैं, कहा—देखिए, आपने अनेक प्रश्न छेड़े हैं, अगर इन प्रश्नों का जवाब मैं देने जाऊं, तो आपकी जो सरकार थी, वह सरकार बहुत बदनाम हो जाएगी। मैंने उनसे कहा था और वह बात मैं यहां सदन में खड़े होकर दोहराना चाहता हूं। मैंने उनसे कहा—हमने यह हमेशा माना है सरकारों में कुछ न कुछ बुराइयां जरूर होती हैं। कोई सरकार ज्यादा बुराई करती है और कोई कम करती हैं।

[अनुवाद]

सभी सरकारें बुरी होती हैं। परन्तु कुछ सरकारें दूसरी सरकारों से अधिक बुरी होती हैं।

[हिन्दी]

इस बात को हमने हमेशा माना है। इसलिए हमने उनसें कहा—मैं चाहूंगा वित्त मन्त्री जो भी तथ्य हों, उन तथ्यों को सामने रखने का काम करें। उसमें कौन कितना बदनाम हो जाएगा, हमारी सरकार कितनी बदनाम हो जाएगी, वी० पी० सिंह जी कितने बदनाम हो जायेंगे, हमारे वित्त मन्त्री जी कितने बदनाम हो जाएंगे, आप किसी भी चीज की फिक्र मत करिए। अगर आप यह नहीं मानते हो कि जो हुआ है, वह गलत हुआ है, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस बैंक को जो आने दिया गया है, वह गलत दिया गया है। रिजर्व बैंक गवर्नर को लिखित कहने के बाद और मुझे यह भी बताया गया है कि मेरे पत्र में जो हमने पाटिल का नाम लिखा था, वह गवर्नर पाटिल का नाम लिखा था। वह तो कह दिया कि जार्ज फर्नान्डीज ने जो नाम दिए हैं या जो चिट्ठियां बतायीं हैं, वे बिल्कुल गलत हैं। हो सकता है, क्योंकि सरकारी दफ्तर तो मेरे हाथ में नहीं है, सरकार की कोई जानकारी मेरे हाथ में नहीं

है। मेरे पास लोग जा जाते हैं, जानकारी देते हैं और उस जानकारी के आधार पर हम कुछ बातों को लिख देते हैं, तो गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उन टैक्नीकैलिटीज में जाकर, जो असली सवाल है, उस सवाल को टालने का काम करेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह बात न हो। हम जानना चाहेंगे, जब रिजर्व बैंक के गवर्नर ने लिखकर रखा था, यह बैंक ने सबसे पहले मांग की, हम हिन्दुस्तान में अपनी शाखा खोलेंगे तो किसने उस आदेश को तोड़कर अथवा उस आदेश के बाहर जाकर, इस बैंक को आने की इजाजत देने का काम किया? अब यहां पर आपने बहुत नाम लिए हैं, दिग्विजय सिंह जी ने बहुत नाम लिए हैं। किसी साथी ने मुझे सदन में कहा कि लोगों के नाम सदन में आ रहे हैं, इस पर आपत्ति उठानी चाहिए, पर मैंने कहा कि आपत्ति नहीं उठाई जाए क्योंकि हम चाहेंगे कि बहुत से नाम आज हमने भी देने हैं, इसलिए हमने कह दिया कि इस पर आपत्ति नहीं उठाई जाए।

तो हम जानना चाहेंगे कि अमर रिजवी का इसमें कितना हाथ था, इस बैंक को हिन्दुस्तान में लाने के लिए। हो सकता है कि हमारे पास जो जानकारी है वह सब गलत हो, क्योंकि हमारे पास जानकारी है कि किसने, कितनी मेहनत की और कहां-कहां जाकर मेहनत की। आपके इस स्टेटमेंट में, वित्त मन्त्री जी के इस बयान में लिखा है, एक बहुत अहम बात यहां पर लिखी है, वह यह है कि—

[अनुवाद]

"1988 में खुफिया एजेंसी ने भी रिपोर्ट दी थी कि बी० सी० सी० आई० ने सम्पत्ति अधिग्रहण के लिए प्रयास किया है और अमर रिजवी के साथ लखनऊ और मुम्बई में होटल तथा वास्तविक सम्पदा व्यापार में भागीदारी के लिए प्रयास कर रही है।"

श्री मनमोहन सिंह : परन्तु मैंने भी कहा था कि कुछ नहीं मिला था।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं मन्त्री महोदय का वक्तव्य पढ़ रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं...

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : कृपया इसे पूरा पढ़िये, आंशिक रूप से नहीं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने इसे पूरा पढ़ा है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है।

"भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मामले की जांच की थी और बी० सी० सी० आई०, मुम्बई शाखा की भारतीय रिजर्व बैंक की जांच से वित्तीय/वास्तविक सम्पदा व्यापार/सम्पत्ति के अधिग्रहण का पता नहीं चला।"

निस्संदेह ऐसा नहीं हुआ क्योंकि खुफिया एजेंसी का यह विचार था कि यह प्रतिभूति जोखिम पर शुल्क है। भारतीय रिजर्व बैंक से पहले वित्त मन्त्री और खुफिया एजेंसी प्रकाश में आ गये। यह आपका वक्तव्य है। मुझे खुफिया एजेंसी की यह रिपोर्ट नहीं मिली है। यह आपका वक्तव्य है जिसे मैं उद्धृत कर रहा था।

श्री मनमोहन सिंह : आप वक्तव्य को गलत ढंग से उद्धृत कर रहे हैं। मैंने कहा था कि हमारी

खुफिया एजेंसी को इस आशय की कुछ सूचना मिली है। उन्होंने कहा था कि इसकी जांच की जाए। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी जांच की और उन्होंने कहा कि इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मुझे इस बात की जानकारी है कि वास्तविक सम्पदा के अधिग्रहण के लिए प्रयास किया गया था। मैं यह बयान पूरी जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूं कि वास्तविक सम्पदा के अधिग्रहण के लिए प्रयास किए गए थे, खुफिया एजेंसी ने ऐसी ही रिपोर्ट दी थी और भारतीय रिजर्व बैंक ने भी ऐसा ही बयान दिया था जिसका अभी वित्त मन्त्री महोदय ने उल्लेख किया है।

सभापति महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज, जरा-सा अन्तर है। आप कह रहे हैं कि खुफिया एजेंसी इसकी जांच कर रही थी इसलिए इसे बन्द कर दिया गया। परन्तु वित्त मन्त्री कह रहे हैं कि उन्हें ज्यों ही इसके बारे में पता चला त्यों ही उन्होंने इसे बन्द कर दिया।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैंने शुरू में ही कह दिया था कि मैं व्यक्तियों, तारीखों आदि के बारे में कुछ गलतियां कर सकता हूं। तो अध्यक्ष महोदय, हम इसलिए यह जानना चाहते हैं कि किस की तरफ से और किसके दबाव से, किसके वजन से उनको इजाजत दी गई और किस व्यक्ति की तरफ से इजाजत दी गई, जब रिजर्व बैंक का यह फैसला था कि इनको आने नहीं देना है। क्या यह सही नहीं है कि एक सेक्रेटरीयों की कमेटी बिठाकर विदेशी बैंक के हिन्दुस्तान में आने के जो भी तौर-तरीके हैं, जो भी नियम हैं, उन नियमों को बदलने का प्रयास किया गया ? क्या यह सही नहीं है कि तत्कालीन रिजर्व बैंक के गवर्नर ने उस मीटिंग में आने से इनकार किया, क्या यह सही नहीं है कि इसके बावजूद यह फैसला हो गया, बैंक को आने के लिए कह दिया और क्या यह सही नहीं है कि तत्कालीन रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस निर्णय को बहुत ही गलत निर्णय करके मान लिया और इस बैंक के ऊपर विशेष निगरानी रखने का फैसला कर दिया।

अध्यक्ष जी, 1983 में, अब शायद दिग्विजय सिंह जी साहब तो चले गए, पर उनको तो यहां रहना चाहिए, चूंकि उन्होंने आपत्ति उठाई, वह बोले कि हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व को, हम पार्टी की चर्चा यहां पर नहीं कर रहे।

6.00 म० प०

लेकिन अगर मैं कहूं कि इन्दिरा गांधी जी जब प्रधान मन्त्री थीं, तब लाइसेंस दिया गया, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के गवर्नर के कहने के बावजूद लाइसेंस दिया गया तो यह कहने में कोई आपत्ति नहीं उठा सकता, क्योंकि यह तथ्य है। जैसे वी० पी० सिंह ने क्या कदम उठाए क्या नहीं उठाए और यह तर्क आएगा मैं जानता हूं, लेकिन जब 1986 की रिपोर्ट थी कि बी० सी० सी० आई० और हिन्दुस्तान के आयल-आफ-मैन ने बी०सी०सी०आई० के, रिलायंस के शेयर खरीदने के लिए, ऐसी कम्पनियों के द्वारा जो कम्पनियां 200 पाउंड की पूंजी पर 2-2 करोड़ रुपए के शेयर खरीदने लगीं और जब उसकी जांच हुई थी तो उसकी रिपोर्ट पर अमल करने का काम 1987 में क्यों नहीं हुआ, 1988 में क्यों नहीं हुआ, इन सारी बातों को भूलकर यह प्रश्न पूछा जाता है कि वी० पी० सिंह ने उस पर अमल क्यों नहीं किया। तो जब यह प्रश्न पूछा जाता है तो मैं यहां पर इस बात को कहूं कि

1983 में लाइसेंस देने का काम श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार द्वारा किया गया था, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती है।

सभापति महोदय, हम चाहेंगे कि हमें इन प्रश्नों के जवाब यहां पर मिलें। सबसे अहम सवाल है कि कैसे यह बैंक हिन्दुस्तान में आया।

सभापति महोदय, दूसरा चर्चा का विषय यह है कि यह बैंक हिन्दुस्तान में क्या कर रहा है। मेरे पास यहां पर कुछ पत्र हैं। पहला पत्र है उस बैंक के कर्मचारियों की यूनियन का। वे लोग आकर हमसे मिले और भी कई माननीय सदस्यों से मिले होंगे। उन्होंने अपनी-अपनी परेशानियां बताईं, लेकिन परेशानियों के साथ एक खतरनाक बात भी इस पत्र में है। उन्होंने यह पत्र लिखा है रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर को और इसका पहला वाक्य है—

[अनुवाद]

"हम, बी० सी० सी० आई० के समस्त कर्मचारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक को जटिल परिस्थिति में डालने के लिए शुरू में ही क्षमा याचना करना चाहते हैं।"

[हिन्दी]

हालांकि उन्होंने कोई आकवर्ड सिचुएशन में नहीं डाला, वे तो भारत के गरीब कर्मचारी हैं, उन्होंने क्या गलत काम किया, वे तो वहां काम रहे थे। आज उनकी नौकरी नहीं है, उनका आगे भविष्य क्या होगा, इस चीज की चिंता ही व्यक्त नहीं की है, बल्कि उन्होंने यह भी चिंता व्यक्त की है कि जिन डिपाजिटर्स का पैसा है, जिन्होंने धंधे के लिए पैसा लिया था, जिन्होंने धंधे के लिए पैसा लेना था, जिनका धंधा रुका हुआ है, उन सबके बारे में चिंता व्यक्त की है, लेकिन एक जरा खतरनाक बात भी उन लोगों ने की है। वे लोग अदालत में गए हैं और अदालत में उन लोगों ने बम्बई हाईकोर्ट में—

[अनुवाद]

मुंबई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में, साधारण मूल अधिकार क्षेत्र, 1991 की कम्पनी याचिका संख्या 389।

[हिन्दी]

यह आर० बी० आई० के खिलाफ है। इसमें सभापति महोदय, यह कह दिया है जिन्होंने इस पिटीशन को फाइल किया है, कर्मचारियों की ओर से, उनका नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है—

[अनुवाद]

"हम भारत के वित्त मन्त्री द्वारा दिनांक 7-8-91 को दिए गए वक्तव्य पर विश्वास करेंगे कि बी० सी० सी० आई० की मुंबई शाखा के कार्यकरण में कुछ भी अवैध या अनियमित नहीं पाया गया।"

[हिन्दी]

यह अदालत के सामने उन्होंने दिया है। एक तो उनकी यह चिट्ठी है, हमारी सहानुभूति भी उन कर्मचारियों के साथ है। दूसरा मेरे पास पत्र है बी० सी० सी० आई० मुंबई ब्रांच डिपाजिटर्स फोरम केयर आफ मुम्बई क्रिकेट एसोसिएशन, जिस पर हस्ताक्षर हैं माधव मन्त्री, प्रेसीडेंट मुंबई क्रिकेट असोसिएशन, एम० आर० पई, प्रेसीडेंट आल इण्डिया डेपाजिटर्स एसोसिएशन, ए० एन० पारिक और ए० लोबी के, 4 लोगों के हस्ताक्षर हैं। एक मीटिंग करने के बाद लिखा हुआ यह पत्र है। उनके पत्र में आर० बी० आई० के बारे में ऐसी कुछ टिप्पणियां की हैं, उन पर वित्त मन्त्री जी को सोचना चाहिए। इस मायने में नहीं कि उनकी टिप्पणियां नाजायज हैं और मैं आपको सोचने के लिए कह रहा हूं, वे केवल बी० सी० सी० आई० के सन्दर्भ में नहीं हैं, क्योंकि वे कह रहे हैं कि आर० बी० आई० जैसे देशी बैंकों की जांच करता है, वैसे ही, वह इस बैंक की भी जांच करता रहा, उनको सर्टिफिकेट देता रहा और आर० बी० आई० ने उनको भारत में धंधा करने के लिए लाइसेंस दिया, उनके अकाउंट्स आडिट करता रहा और—

[अनुवाद]

"चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक की पर्याप्त सांविधिक कोष अनुरक्षण के माध्यम से भारत में कार्यरत सभी बैंकों के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने की एक प्रतिष्ठा प्राप्त है, इसलिए हममें से किसी को भी इस बात का अनुमान नहीं था कि हम अपने धन के दोहरे अवरोध के कारण बर्बाद हो जायेंगे।"

[हिन्दी]

और क्या-क्या परेशानियां हैं उन लोगों को यह उन्होंने लिखा है और उनकी अपेक्षा है कि आर० बी० आई० इसमें कुछ पहल करे और उनके दर्द को, उनकी परेशानियों को मैं समझता हूं, पूरा सदन समझेगा। जिस व्यक्ति ने, किसी नागरिक ने, उस बैंक के इर्द-गिर्द काम करने वालों ने या किन्हीं संस्थाओं ने, क्योंकि यह बैंक अच्छे विज्ञापन दे रहा था, ब्याज ज्यादा दे रहा था···। कुछ हाथ में भी डालने का काम कर रहा था यह बैंक। इसलिए जिन लोगों ने वहां पर पैसा रख दिया, जिनकी कोई गलती नहीं है, पैसा रख दिया है, रिजर्व बैंक के सर्टीफिकेट के चलते उन लोगों ने पैसा रखने का काम किया अध्यक्ष जी, उनकी चिन्ता हम लोगों को करनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि वित्त मन्त्री इस पर विशेष ध्यान देने का काम करें।

एक पत्र मेरे पास है, जिसका जिक्र मेरे साथ जसवन्त सिंह जी ने यहां पर किया। ब्रिटिश आर्गेनाइजेशन आफ पीपुल आफ इण्डियन आरिजन। इस पत्र को जिन्होंने हमारे पास भेजा है, भेजने वाले व्यक्ति का नाम प्रफुल्ल पटेल। ये सदस्य हैं इण्डियन गवर्नमेंट कंसलटेटिव कमेटी फार एन० आर० आई० इन्वेस्टमेंट्स। इस कमेटी के सदस्य के नाते ये इनकी तरफ से आए हुए तीन-चार दस्तावेज हैं। इसमें जो दो बातें हैं, एक वह यह कहते हैं—

[अनुवाद]

आबूधाबी के शेख ने लन्दन, लग्जेमबर्ग और केमन द्वीप समूह में संचालक अधिकारियों को लिखित हलफनामा दिया था कि वे सभी घाटों को पूरा करेंगे। वे सभी कमियों को दूर करने के लिए सहमत थे।

[हिन्दी]

अगर यह बात सही है तो हम जानना चाहेंगे वित्त मन्त्री महोदय से कि आपके पास क्या इसकी कोई जानकारी है कि आबूधाबी के शेख ने जो घाटा हुआ भी है, क्योंकि इस पत्र में यह भी लिखा है कि लगभग 10 हजार करोड़ रुपया भारत के नागरिकों का हिन्दुस्तान में और इंगलैंड में दब गया। अगर यह तथ्य है तो फिर जब आबूधाबी के शेख ने पैसा डालने की तैयारी करके ऐलान किया था, हम जानना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने क्या किया? लेकिन इसमें जो दूसरी बात इन्होंने लिखी है, वह अधिक महत्व रखती है। वे यह कहते हैं कि इंगलिस्तान की सरकार ने जो कमेटी बैठायी है उसका नाम बिगम इन्क्वायरी है। यह वाइट-वाश करने वाली कमेटी है। इससे काम नहीं चलेगा। जो कमेटी अधिक गहराई में जाकर जांच कर पाएगी ऐसी कमेटी को बैठाना चाहिए। यह उनका कहना है। फिर वे बोलते हैं कि सरकार क्या करेगी।

[अनुवाद]

भारत सरकार इस मुद्दे पर कम से कम संसद में एक दृष्टिकोण अपना सकती है और राजनयिक माध्यम से वह सब कर सकती है जो आवश्यक है जिससे कि जमाकर्ताओं की उनकी जमा राशि वापस मिल सके। आखिरकार भोले-भाले जमाकर्ताओं को उन कुछ पाकिस्तानी धूर्तों और कानून तोड़ने वालों की सजा क्यों मिले जिन्होंने एक बैंक के अन्तर्गत यह बैंक चलाया और लाखों डालर पार कर गए।

[हिन्दी]

अब उनका कहना है कि आप इस पर कुछ बहस करें। मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि जो भारत के नागरिकों का पैसा जहां-जहां भी है, उनके जो कर्मचारी हैं उनके सवालों के बारे में सरकार विशेष ध्यान देने का काम करे और कुछ रास्ता निकालने में उनकी मदद करे।

अध्यक्ष जी, इस बैंक में कुछ ऐसे लोगों के भी पैसे रहे जिनके नाम अभी यहां दिग्विजय सिंह जी ने पढ़कर सुनाए। जिसमें टाटा है, बिरला है, यूनाइटेड ग्रुप है, रिलायंस है और अनेक लोगों का पैसा है, यह बात भी उन्होंने लिखकर बतायी। इसमें किसके पैसे का क्या हिसाब-किताब है, हमें मतलब नहीं है। किसने कितना पैसा लिया है, किसने कितना पैसा वहां रखा है यह जो जांच करने के बाद पता लगेगा। रिजर्व बैंक के सामने आज सारा मामला आपने आडिट के लिए रखा होगा और उन्होंने रिसीवर अपाइंट किया होगा, तो निश्चय ही कुछ जानकारी उसके चलते हम लोगों को मिलेगी। लेकिन इस बैंक के जो और काम रहे उसमें से बहुत से कामों पर हमें आपत्ति है। उसमें एक तो यहां

पर कहा गया, मैंने जो संशोधन दिया है इस प्रस्ताव पर, वह संशोधन यह बताता है कि हम कुछ ऐसे काम करने जा रहे हैं, लोगों के समर्थन में मैंने संशोधन दिया है, अपने संशोधन में मैंने यह कहा है कि जहां वह कम्पनी शब्द खत्म हो जाता है, मैं पूरा प्रस्ताव नहीं पढ़ूंगा, उसके लिए समय नहीं है, उसमें मैंने यह कहा है।

[अनुवाद]

मैंने सुझाव दिया था कि—

"शैल कम्पनियों के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करते हुए, चुनींदा भारतीय कम्पनियों में प्रवेश के लिए अलेखाबद्ध मुद्रा को देश में लाने, और हथियारों तथा अन्य विनिषिद्ध सामग्री के लिए वित्तपोषण करने तथा विभिन्न प्रच्छन्न कार्यों में लिप्त रहने।"

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह : इस पर आपत्ति नहीं है, आखिरी दो पर है।

श्री आर्चे फर्नान्डीज : आपने यह कहा कि नहीं, यह जुमला ठीक है। पहले पैराग्राफ में आपको आपत्ति नहीं है। "शल" कम्पनी का पैसा विदेशों से हिन्दुस्तान में लाने का काम कर रही है और अन्य सब-रोजा एक्टीविटीज में जो काम कर रहे हैं, वह बिल्कुल ठीक है। मुझे खुशी है कि इस पर आपको कोई आपत्ति नहीं है। एक बात यहां पर आ गई कि जो पैसा 1986 में जब रेड हो गई थी तो वित्त मन्त्री ने यहां पर लिखा है :

[अनुवाद]

"बी० सी० सी० आई० 1986 में विवाद में फंसी थी जब प्रवर्तन निदेशालय ने जांच में यह खुलासा किया कि बैंक विदेश यात्रा योजना के लिए यात्रा करने वाले लोगों के हस्ताक्षरों की पुष्टि किये बिना ट्रैवेल एजेंटों को विदेशी मुद्रा जारी कर रहे थे।" इसके परिणामस्वरूप जाली और झूठे हस्ताक्षरों वाले फार्मों की संख्या के आधार पर पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा जारी की गई।

[हिन्दी]

यहां पर श्री दिग्विजय सिंह ने यह कहा कि यह बात सही नहीं है कि यह सब कोई हज के लिए पैसा जुटाया था। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : "मैंने केवल यह कहा था कि जांच करने पर पारपत्र जाली पाए गए।"

श्री मनमोहन सिंह : और यह सच है।

[हिन्दी]

श्री आर्चे फर्नान्डीज : यह कांड हो गया और जिसका जिक्र वित्त मन्त्री ने यहां पर किया है। यह कन्ट्रोवर्सी हो गई और इस प्रकार के उनके ऊपर आरोप लगाए गए···(व्यवधान)

[अनुवाद]

कुछ कर्मचारियों को 'कोफेपोसा' अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया।

[हिन्दी]

वित्त मन्त्री ने यहां पर आंकड़े दिए हैं। जो रेड हो गई, उसी रेड में यू० एस० डालर का एक लाख 32 हजार और हिन्दुस्तानी रुपया 17 लाख 57, इतना पकड़ा गया। हमने वित्त मन्त्री को यह सूचना दी है और हमारा यह कहना है कि आपने जो यह पैसा पकड़ा, यह एक दिन का था और इस कम्पनी ने सालभर में यह धंधा करना शुरू कर दिया था, पासपोर्ट बनवा दो, फेक और डमी टिकट इश्यू करो और 500 डालर को वसूल करने का काम करो। ढाई करोड़ डालर इस कम्पनी ने बनाए हैं···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : यह सब पूरी तरह अप्रमाणित है।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : यह एक रोमांचक कल्पना है। माननीय सदस्य को रोमांचक उपन्यास लिखना शुरू कर देना चाहिए। वह अच्छा कर लेंगे।

[हिन्दी]

आप, फैक्ट्स दे दीजिए।···(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपके पास फैक्ट्स हैं तो हमें दे दीजिए। हमारे पास जो जानकारी है, वह दे देंगे। मेरे ख्याल से बी० सी० सी० आई० का जो कांड है, इसमें दुनिया के 70 मुल्कों में, इस बारे में विचार चल रहा है। जहां पर तानाशाह हैं, जहां पर धंधा करने वाले राष्ट्रपति बना रहे थे, जहां पर बंदूक लेकर राजनीति करने वाले लोग थे और ऐसे मुल्कों को छोड़कर दुनिया के हर मुल्क में आज बी० सी० सी० आई० पर जांच हो रही है। हमारे यहां भी जांच करने का काम हो रहा है। लेकिन सरकारी पार्टी हमको यह कह रही है कि यहां पर मनगढ़न्त बातों को और फिक्शन को यहां पर रख रहे हो और डिस-इन्फारमेशन यहां पर रख रहे हो। यहां पर बी० सी० सी० आई० को बचाने का काम हो रहा है। दुनिया आज इस बैंक का मामला सब लोगों के सामने रख रही है··· (व्यवधान)···मैं इसे समझ नहीं पाया।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : जांच तभी कराई जा सकती है जब कुछ तथ्य दिये गए हों। यदि माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी हो तो उसे प्रस्तुत करें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : तथ्य पता ही हैं जांच शुरू होनी चाहिए। यही उनका कहना है।

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, यह एकदम सत्य है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच करानी चाहिए। वित्त मन्त्रालय भी करा सकता है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे विश्वास है कि आप लोग जो कह रहे हैं, वित्त मन्त्री उसे गंभीरता से ले रहे हैं।

श्री आर्थर फर्नान्डीज : श्रीमान् वह जवाब देने में पूरी तरह सक्षम हैं···

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया उन्हें मत टोकिये।

[हिन्दी]

श्री आर्थर फर्नान्डीज : ठीक बात है, मैं समझ सकता हूं कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं।··· आप हमें टोक क्यों रहे हो। मुझे अपनी बात बोलने दो। वित्त मन्त्री जी जवाब देंगे, उनके पास कोई जानकारी होगी तो वे रखें। (व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : कोयलों की दलाली में मुंह काला···

श्री आर्थर फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, परेशानी का कारण इतना है कि बैंक के 6 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया जो कोफेपोसा के तहत की गयी थी। एक तो उनमें से भाग गया और अन्य लोगों को गिरफ्तार करके रखा गया। (व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : फर्नान्डीज जी आप यह कैसे कह सकते हैं कि पूर्व प्रधानमन्त्री ने उन्हें छोड़ने का आदेश दिया है।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : महोदय, मैं सभा में एक मुद्दा उठाना चाहता था। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को कुछ लोगों की लिखित सूची दी थी जिन्हें जब वी० पी० सिंह वित्त मन्त्री थे तब 'कोफेपोसा' के अन्तर्गत छोड़ दिया गया था। मैंने सम्बन्धित कागजात और फाइलें जमा की थीं। मुझे अभी तक यह मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी गई।

श्रीमान्, यदि माननीय श्री फर्नान्डीज के पास दस्तावेज हैं तो उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए। वह तभी दोषारोपण कर सकते हैं।

(व्यवधान)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से विकास किया गया।

सभापति महोदय : फर्नान्डीज जी, आपने वक्तव्य दिया है कि पूर्व प्रधानमन्त्री ने उन्हें छोड़ दिया। क्या यह कहीं दर्ज है ? क्या यह केवल आपकी अटकल थी ?

श्री मनमोहन सिंह : सभापति महोदय, यह पूर्णतः अप्रमाणित है तो श्री फर्नान्डीज ने कहा है···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया जब मैं बोल रहा हूं तो आप चुप रहिए।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : फर्नान्डीज जी, मेरा विश्वास है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि तब तक झूठा दोषारोपण नहीं करना चाहिए जब तक कि आपके पास कोई ऐसा तथ्य न हो जिससे आप इसे सत्यापित न कर सकें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं अपने आरोप पर कायम हूं···(**व्यवधान**) महोदय, श्री दिग्विजय सिंह की बात यह है कि उन्होंने अध्यक्ष महोदय को लिखकर दिया है कि श्री वी० पी० सिंह वित्त मन्त्री थे और उन्होंने 'कोफेपोसा' के इन बन्दियों को छोड़ने का आदेश दिया था। (**व्यवधान**)

श्री दिग्विजय सिंह : हां, मैंने यही कहा और मैं उस पर कायम हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : बहुत अच्छा। मैं अपने मित्र श्री दिग्विजय सिंह को इस पुष्टि के लिए धन्यवाद देता हूं। श्री राजीव गांधी स्वयं वित्त मन्त्री थे जब उन्होंने इन बन्दियों को छोड़ने का आदेश दिया। (**व्यवधान**)

श्री दिग्विजय सिंह : श्रीमान् ! मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज की बात को ठीक करना चाहता हूं। मैंने जो कागजात पेश किये हैं वे उस समय के हैं जब माननीय वी० पी० सिंह इस देश के वित्त मन्त्री थे और उन्होंने छोड़ने के आदेश पर दस्तखत किये थे। (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : उस समय प्रधान मन्त्री कौन था ?···(**व्यवधान**)

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : सभापति महोदय, जब तक माननीय सदस्य, श्री जार्ज फर्नान्डीज, कोई दस्तावेज नहीं प्रस्तुत करते तब तक श्री राजीव गांधी के विरुद्ध कोई आरोप कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैंने पहले ही यह निर्णय दे दिया है कि जब तक श्री जार्ज फर्नान्डीज अपनी बात का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते और अध्यक्ष महोदय के कक्ष में जाकर उनकी जानकारी में नहीं लाते तब तक पूर्व प्रधानमन्त्री का कोई उल्लेख कि उन्होंने किसी को छोड़ने का आदेश दिया था; कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय कुछ समय पूर्व पीठासीन नहीं थे जब श्री दिग्विजय सिंह ने इतने सारे नाम लिए। क्या उन्होंने इनमें से किसी को प्रमाणित करने का प्रयास किया।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री जार्ज फर्नान्डीज जी आप लोग वरिष्ट सांसद हैं। मेरे विचार से यह जानी मानी परम्परा है कि ··

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया जब मैं बोल रहा हूं तब आप बात न करें। जब किसी वर्तमान या भूतपूर्व सदस्य अथवा पूर्व प्रधानमन्त्री के खिलाफ कोई आरोप लगाना हो तो इस आशय की एक सूचना माननीय अध्यक्ष महोदय को दी जानी चाहिए और इसकी अनुमति लेने के बाद ही कि किसी वर्तमान सदस्य या मन्त्री, प्रधानमन्त्री अथवा पूर्व प्रधानमन्त्री अथवा इस प्रकार के किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस तरह का गम्भीर आरोप लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा सकता है। मेरे विचार से आप मुझसे सहमत होंगे कि इस परम्परा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसलिए मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज से निवेदन करता हूं कि यदि पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी करने जैसी कोई बात है, यदि उनके द्वारा प्रमाणित नहीं होगा, तो उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : जो उन्होंने एलीगेशन लगाए हैं, उसका क्या होगा ? (व्यवधान)

श्री जगदीश टाइटलर : ऊपर क्यों देखते हो ? चेयरमैन से बात करो। ऊपर क्या आप न्यूज दे रहे हो ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री दिग्विजय सिंह ने जो कहा है वह मेरी जानकारी में नहीं है। मैं केवल यह कह सकता हूं कि यदि आप लोग उसका गम्भीरता से विरोध कर रहे हैं तो मेरी पहली टिप्पणी यह होगी कि आपको इसका उसी समय विरोध करना चाहिए था। दूसरे, यदि आपने उस समय विरोध

नहीं किया और आप उसका अब विरोध कर रहे हैं तो, मैं यही कहूंगा कि उस दस्तावेज की जांच अध्यक्ष महोदय कर सकते हैं और यदि कोई आपत्तिजनक चीज है तो मेरे विचार से अध्यक्ष महोदय उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देंगे।

इस चरण पर मैं केवल यही एक विनिर्णय दे सकता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, मेरा आपसे एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : यदि इनके पास कोई दस्तावेज है, तो यह उसे सदन में पेश क्यों नहीं कर रहे हैं ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था न डालें। मैंने श्री राम विलास पासवान को बोलने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं आपसे सिर्फ इतनी व्यवस्था चाहता हूं कि अभी तक जितने भी डिसकशंस हुए हैं और जिन-जिन लोगों ने भूतपूर्व प्रधानमन्त्री या अन्य मन्त्रियों के खिलाफ एलीगेशंस लगाए हैं, उन पर भी आपके द्वारा दी हुई व्यवस्था लागू होगी।

सभापति महोदय : देखिए पासवान जी, मैं इतना ब्लैंकेट आर्डर देने की तो अथारिटी नहीं रखता हूं कि जो पिछले पांच साल में किसी प्रधानमन्त्री के खिलाफ एलीगेशन हों उन्हें हटा दूं।

श्री राम विलास पासवान : यह पांच साल की बात नहीं है, यह अभी की बात है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं नहीं जानता। हो सकता है कि कुछ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रियों के विरुद्ध कोई प्रामाणित आरोप लगाए गए हों।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : परन्तु मैं यही कह सकता हूं कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान में क्या हो रहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मालिनी जी चेयर पर थीं···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : किसी भी भूतपूर्व प्रधानमन्त्री—श्री राजीव गांधी अथवा श्री वी० पी० सिंह—के विरुद्ध चाहे जो भी टिप्पणी की गई हो, उसे कार्यवाही वृत्तांत से हटा दिया जाना चाहिए ।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री जगदीश टाइटलर : दस्तावेज कहां हैं ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे खेद है । इस विनिर्णय का यह अर्थ नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में कही गई बात की अकारण कांट छांट कर दी जाए ।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

सभापति महोदय : एक बार एक सदस्य बोले । मैंने श्री पवन कुमार बंसल को बोलने की अनुमति दी है । उन्हें बोलने दें ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : बंसल जी, आप बोलिए ।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : * (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं इनसे उस समय पीठासीन सभापति के विरुद्ध कोई टिप्पणी न करने का आग्रह करूंगा । कृपया पीठाध्यक्ष के प्रति इतना आदर भाव तो रखें कि यदि श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य अथवा कोई अन्य सदस्य पीठासीन है तो उस पर कृपया लांछन न लगाएं । श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य के विरुद्ध की गई कोई टिप्पणी दर्ज नहीं होगी ।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मेरा यह कहना है कि श्री दिग्विजय सिंह और श्री जार्ज फर्नान्डीज, दोनों ने जो कहा है उसके तात्पर्य में मौलिक अन्तर है । जो कुछ दिग्विजय सिंह जी ने कहा वह उस समय के सन्दर्भ में कहा जब श्री वी० पी० सिंह के वित्त मन्त्रित्वकाल में कुछ घटनाएं घटी थीं जबकि श्री फर्नान्डीज ने अप्रमाणिक तथा अन्धाधुन्ध आरोप लगाए हैं ।

*कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया ।

सभापति महोदय : श्री दिग्विजय सिंह यहां मौजूद हैं। उन्हें जो कुछ कहना है वह कह सकते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : फर्नान्डीज जी, क्या आप अपना वक्तव्य जारी रखना चाहेंगे ?

श्री पवन कुमार बंसल : श्री फर्नान्डीज ने निराधार आरोप लगाए हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, आपकी व्यवस्था क्या रही क्योंकि मैंने भी सदन में मामला उठाया था।

सभापति महोदय : आपने जो व्यवस्था का मामला उठाया था, उस पर मैंने रूलिंग दे दी है कि मैं कोई ब्लैंकेट रूलिंग नहीं दे सकता कि जिस प्रधानमन्त्री का नाम पहले आया है, उस सबको इरेज कर दो। मैं इस किस्म की कोई रूलिंग नहीं दे सकता। परन्तु जो रूलिंग मैंने इस वक्त दी है कि मिस्टर जार्ज फर्नान्डीज ने जो कहा···

[अनुवाद]

भूतपूर्व प्रधान मन्त्री के बारे में, उसे रिकार्ड से हटा दिया जाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जो बात मेरी जानकारी में है, मैं उसी पर विनिर्णय दे सकता हूं। जो मेरे सामने हुआ, मैं उसी पर विनिर्णय दे सकता हूं। श्री राम विलास पासवान जी, मैं गत वर्ष अथवा उससे पहले जो हुआ, उस पर विनिर्णय नहीं दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : यानी दिग्विजय सिंह जी वाला रिकार्ड पर रहेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : खैर मैंने अपनी विनिर्णय दे दी है। मैं कोई ब्लैंकेट रूलिंग नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : जार्ज फर्नान्डीज साहब से पहले, दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा

था कि वी० पी० सिंह जी नेशनल फ्रंट के साथ थे, वह रिकार्ड पर जाएगा-और जो इन्होंने कहा कि वी० पी० सिंह जी जब फाइनैंस मिनिस्टर थे तो वे प्रधानमन्त्री थे, वह रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उस पर भी मैं रूलिंग दे चुका हूं कि अगर मिस्टर दिग्विजय सिंह ने कोई ऐलिगेशन ऐसा लगाया है, किसी के ऊपर भी, जो अनसब्सटैन्शियेटिड हो, तो स्पीकर साहब, उस रिकार्ड को देखकर, अगर किसी के ऊपर इस किस्म का इल्जाम है तो स्पीकर साहब उसे इरेज कर देंगे। मेरे सामने वह बात नहीं हुई। स्पीकर साहब उसको देखें, मैंने पहले ही यह रूलिंग दे दी है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि इस चर्चा के लिए समय का नियतन नहीं किया गया था। मैं इस सम्बन्ध में सभा की भावना जानना चाहता हूं।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : हम देर तक बैठने के लिए तैयार हैं। आज इसे समाप्त कर दें।

सभापति महोदय इसका निर्णय सभा करेगी कि इस पर आप कितना समय व्यय करेंगे।

श्री संतोष मोहन देव : हम इसे आज ही समाप्त करना चाहते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरा विचार है कि हमने इस विषय पर पहले ही साढ़े तीन घंटे तक चर्चा की है। जसवन्त सिंह जी, क्या आप कोई समय सुझाना चाहेंगे ?

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, जब इस चर्चा के लिए समय निर्धारित किया गया था...

सभापति महोदय : कोई समय निर्धारित नहीं किया गया था।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, कार्य मन्त्रणा समिति में भी तथा माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ भी इस पर चर्चा हुई थी। यह निर्णय लिया गया था कि आज एक बजे मेरे प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ होगी। पूर्वानुमान यह था कि वित्त विधेयक पर माननीय वित्त मन्त्री का उत्तर 11 बजे आरम्भ होकर एक बजे तक समाप्त होगा। और यह चर्चा एक बजे आरम्भ होगी और 4.30 बजे तक चलेगी। उस रूप में देखा जाए तो साढ़े तीन घंटे नियत किए गए हैं। किन्तु यह चर्चा चार बजे ही आरम्भ हुई है।

सभापति महोदय : हां, यह चार बजे आरम्भ हुई। इसका अर्थ है कि केवल एक घंटा बचा है।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : सभापति महोदय, माननीय संसदीय कार्य मन्त्री कहीं गए हुए हैं और जैसाकि श्री जसवंत सिंह जी ने ठीक ही कहा कि मन्त्री जी ने जाने से पहले कहा कि यह चर्चा तीन घण्टे चलेगी और यदि जरूरी हुआ तो श्री जसवंत सिंह तथा अन्य सदस्यों की सहमति से इसे एक घन्टे और बढ़ाया जा सकता है। किन्तु यह आज समाप्त हो जाए तो अच्छा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्षरत हैं और हमें आशा है कि यह चर्चा को रोकेंगे नहीं। (व्यवधान) महोदय, कांग्रेस इस चर्चा को दबाना चाहती है।

श्री संतोष मोहन देव : आप जब तक बोलना चाहें, बोलें। हम आपको सुनेंगे। किन्तु यह न कहें कि कांग्रेस इस चर्चा को दबाना चाहती है।

सभापति महोदय : मैं कहूंगा कि श्री संतोष मोहन देव बहुत ही उदारचरित है। अतः हमें समय निर्धारित करना चाहिए। श्री जसवंत सिंह के अनुसार यह 7.30 बजे का है, इसलिए, मैं समझता हूं कि हम 8 बजे तक बैठ सकेंगे।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : महोदय, कृपया प्रत्येक वक्ता के लिए भी समय निर्धारित करें क्योंकि बहुत से सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मन्दसौर) : सभापति जी, यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि केवल यह बी० सी० सी० आई० ही आज होगा और दूसरा कोई बिजनैस नहीं होगा ?

सभापति महोदय : तो फिर जो दूसरा बिजनैस बचा है वह कब होगा ?

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : सभापति महोदय, सोमवार को होगा।

सभापति महोदय : बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में सब पार्टीज के लीडर ने यह माना हुआ है कि 4 घन्टे इस पर डिस्कशन होगा।

[अनुवाद]

मेरा विचार है कि सोमवार तथा मंगलवार की कार्यसूची पूरी है।

[हिन्दी]

अब चूंकि यह शाम 4 बजे शुरू हुआ है, तो 4 घन्टे के हिसाब से इसको 8 बजे, साढ़े 8 बजे तक कर लो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम अनावश्यक रूप में सदन का समय बरबाद कर रहे हैं। अब श्री जार्ज फर्नान्डीज अपना वक्तव्य जारी रखेंगे। फर्नान्डीज जी, आपने बहुत से मुद्दों पर प्रकाश डाला है। इन्हें उन मुद्दों पर चिन्तन करने दें।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति जी, हम वित्त मन्त्री से जो बातें जानना चाहेंगे, उनमें एक तो यह है कि हिन्दुस्तान के किन-किन बैंकों का क्या-क्या रिश्ता इससे रहा है, विशेषकर हम इसमें आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो बैंक आफ इंग्लैंड एक्ट की धारा 41 के अन्तर्गत जो ऑडिट रिपोर्ट बन गयी और जिस ऑडिट रिपोर्ट के कुछ हिस्से तो प्रकाशित हो गए। अपने देश के अखबारों ने उसको नहीं छापा, लेकिन इंग्लैंड में तो प्रकाशित हुई और जो कुछ हिस्से उसके बचे उनको भी उन्होंने सेंसर करने का प्रयत्न किया, तो क्या भारत सरकार ने इंग्लैंड की सरकार से इस रिपोर्ट को मांगने का काम किया है? क्या वह रिपोर्ट लाए हैं। क्या उसमें यह बात है कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने बी० सी० सी० आई० को कर्ज देने का काम किया था? 50 मिलियन डालर या पांच करोड़ डालर स्टेट बैंक ने बी० सी० सी० आई० को देने का काम किया था। किन-किन कामों के लिए उस पैसे का इस्तेमाल हुआ, किन शर्तों पर वह पैसा दिया गया? क्या यह सही है कि बी० सी० सी० आई० ने उस पैसे को उनके अपने जो एकाउन्ट्स हैं, उन एकाउन्ट्स को सर्विस करने के लिए इस्तेमाल करने का काम किया? गुप्त विभाग जिसको ब्रिटिश सरकार ने सैंसर किया है और अभी तक प्रकाशित नहीं किया है उसमें स्टेट बैंक और बी० सी० सी० आई० के बारे में क्या रिश्ते हैं, हम उस पर भी स्पष्ट खुलासा वित्त मन्त्री से चाहते हैं। उससे भी अधिक खुलासा सिंडीकेट बैंक और बी० सी० सी० आई० के रिश्ते के बारे में चाहते हैं। हिन्दुस्तान के राष्ट्रीकृत बैंकों में सबसे बीमार बैंक सिंडीकेट बैंक माना जाता है। इससे अधिक बीमार यदि कोई और बैंक हो तो वित्त मन्त्री जाकर बता सकते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह विषय से हटकर है। यह विषय चर्चा से बाहर है।

श्री दिग्विजय सिंह : यही तो है जिस पर वे चर्चा कर रहे हैं। सिंडिकेट बैंक को बी० सी० सी० आई० का एक नया पैसा भी देय नहीं है। यह लिखित रूप में बताया गया है।

सभापति महोदय : मेरा विचार है कि इससे चर्चा का कोई सरोकार नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : बी० सी० सी० आई० पर जब इंगलिस्तान और अमरीका में आक्रमण शुरू हुआ तब भी बी० सी० सी० आई० ने वही किया जो आज ये कर रहे हैं। उन सब लोगों ने यही कहा था, दुनिया में हर जगह पर उन्होंने यही कहा था अभी जो यहां पर बचाव में कहा जा रहा है। बी० सी० सी० आई० सारी दुनिया में शैतान है और हिन्दुस्तान में साधु है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप एक घंटा बोले हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : श्री दिग्विजय सिंह ने अपना वक्तव्य पौने छः बजे समाप्त किया है। वह लगातार एक घंटा पांच मिनट बोलते रहे।

मेरा आधा समय कांग्रेस वालों ने लिया।

[हिन्दी]

हम जानना चाहते हैं कि अभी श्री दिग्विजय सिंह ने यहां पर जो कहा, सिंडीकेट बैंक की तरफ से अखबार की क्लिपिंग के तौर पर यह बात कही, वह मैंने पढ़ी है। दोनों पढ़ी हैं। (व्यवधान) इसके बाद हम कह रहे हैं कि आज बी० सी० सी० आई० के चलते सिंडीकेट बैंक का, हो सकता है कि 200 मिलियन डालर का घाटा हो।'''(व्यवधान) कम या ज्यादा हो सकता है लेकिन हमारा अन्दाजा 200 मिलियन डालर का है।

श्री जगदीश टाइटलर : गुड हैडिंग टुमारो।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : बी० सी० सी० आई० ने कारपोरेशन बैंक के तौर पर सिंडीकेट बैंक में काम किया। मेरे पास सिंडीकेट बैंक की बैलेंस सीट है। यह 1990-91 की बैलेंस शीट है।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं बी० सी० सी० आई० और भारतीय बैंकों के सम्पर्कों सम्बन्धी प्रश्न उठा रहा हूं।

[हिन्दी]

इसकी हिन्दुस्तान में कितनी शाखाएं हैं मुझे याद नहीं। 900-1000 होंगी, मुझे नहीं मालूम। सिंडीकेट बैंक एक जमाने में हिन्दुस्तान का सबसे बढ़िया बैंक माना जाता था। इन्हीं की सरकार में रेल मन्त्री थे, उद्योग मन्त्री थे, पैट्रोलियम मन्त्री थे, श्री टी० ए० पई। उस व्यक्ति ने इस बैंक को, जिस तरह से अपने बच्चे को बड़ा किया जाता है उस तरह से बड़ा करने का काम किया था। वह इतना खूबसूरत बैंक था, सारे हिन्दुस्तान में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बैंक था। आज यह बर्बाद हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह : सभापति महोदय, मैं आपसे माननीय सदस्यों को भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विरुद्ध भद्दे आरोप लगाने से रोकने का आग्रह करना चाहता हूं। पिछली बार श्री जसवन्त सिंह जी ने बीच में बोलते हुए वित्तीय संस्थानों तथा रिजर्व बैंक के विरुद्ध ऐसे ही आरोप लगाए।

महोदय, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसी बातों से इस देश की वित्तीय प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति होगी। माननीय सदस्यों को ऐसे अन्धाधुन्ध आरोप लगाते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जगदीश टाइटलर : यह कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कही है। इसमें कुछ फायदा नहीं है। यह उन्होंने देश की भलाई की बात कही है। (व्यवधान)

श्री आर्क फर्नान्डीज : मैं वित्त मन्त्री की यातना समझ सकता हूं। उन्होंने आज फाइनान्स बिल पर अपना भाषण समाप्त करते हुए वित्तीय संस्थाओं की अवस्था पर टिप्पणी की। मैं मानता हूं कि वह इस बात से बहुत परेशान हैं और उनकी परेशानी को चूंकि मेरी यह मान्यता है कि बहुत कम लोग परेशान होते हैं। हमारे जितने भी वित्त मन्त्री आए वे सभी वित्तीय संस्थाओं को लेकर परेशान थे। मैं इस बात को इन्कार नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जो हमारे बैंकों की असली अवस्था है, उनके बारे में सोचा गया है। उसके ऊपर बहस करने से अभी रोकने का काम करोगे तो फिर एक अर्से से बैंकों की बरबादी का जो सिलसिला चला हुआ है, वह बढ़ता चला जाएगा और कभी दुरुस्त नहीं हो पाएगा। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी बैंकों के एकाउन्ट को नहीं देख सकती, पब्लिक अण्डरटेकिंग्स कमेटी भी उसको नहीं देख सकती है, सी० ए० जी० डीपेस तक को देख सकता है लेकिन बैंक वाले इतने सुपर ह्यूमन हो गए हैं (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : मुझे नहीं पता कि माननीय सदस्य किस सौदे विशेष का जिक्र कर रहे हैं, किन्तु मेरे पास जो जानकारी उपलब्ध है, उसके अनुसार इस आरोप का कोई आधार नहीं है। (व्यवधान) मैं उन्हें और इस देश को भी आश्वासन देता हूं कि इन सब बातों की पुनः जांच की जाएगी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे नहीं पता कि क्या उन्हें सही तुलनपत्र मिला है अथवा नहीं। यदि वह बैंक के तुलनपत्र से उद्धरण दे रहे हैं, तो मैं इसे नहीं रोक सकता।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाडा) : सभापति महोदय, मैं सारी विवाद सुन रहा था। दो बार वित्त मन्त्री जी खड़े हुए। अभी वित्त मन्त्री जी ने जो इन्टरवीन किया उसके बारे में आपकी राय चाहता हूं। वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण के दरम्यान यह कहा हैं। और इन्डियन बैंकिंग सिस्टम पर टिप्पणी करके यह कहा कि लोन मेला चला कर बैंकिंग सिस्टम को क्षति पहुंची है। क्या वह इस बात को मानते हैं कि उनकी इस बात से बैंकिंग सिस्टम दुनिया में बदनाम होगा। मैं इतना कह सकता हूं कि आर्ज--साहब के पास जो आंकड़े है और जो तथ्य हैं उनसे वे सहमत नहीं हो सकते हैं। वह इतना ही कह दें (व्यवधान) कि वह उनकी बात से सहमत नहीं हैं।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे यकीन है आपकी बात पर वह गम्भीरता से ध्यान दे रहे हैं और वह समुचित उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज, अब मुझे आपको अपना भाषण बन्द करने के लिए कहना होगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मुझे कोई बोलने नहीं दे रहा है। कृपया मुझे थोड़ी देर बोलने दीजिए।

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में आप तीन घण्टे की चर्चा के लिए सहमत हो गए थे। इस समय में वृद्धि करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। आपने इतने आश्चर्यजनक मुद्दों की ओर ध्यान दिलाया है। इतना ही पर्याप्त है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मुझे अभी कुछ और आश्चर्यजनक मुद्दे सामने रखने हैं।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : सभापति महोदय, वस्तुतः यह चर्चा। बजे आरम्भ होनी थी और 4 बजे समाप्त होनी थी तथा कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्ट जोकि इस सभा द्वारा स्वीकार की गयी है के अनुसार भी यहां किया जाना था। माननीय सदस्यों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाने के कारण हम वित्त विधेयक पर 11 बजे चर्चा आरम्भ नहीं कर सके जैसाकि शुरू में हमारा विचार था। इसके लिए तीन घण्टे का समय निर्धारित किया गया है। हमने 4 बजे वाद-विवाद आरम्भ किया है। हमें यह 7 बजे समाप्त कर देना चाहिए। हमें और कार्यवाही भी करानी है···(व्यवधान)। मैं स्थिति स्पष्ट कर दूंगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, तथा बैठक में सर्वसम्मति से किए गए किसी निर्णय का अर्थ ही नहीं रह जाता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप क्या बात कर रहे हैं ? मैं समझता हूं, माननीय मन्त्री का इरादा अब 15 मिनट के समय में ही चर्चा बन्द कराने का है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं वाद-विवाद बन्द करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैंने यह नहीं कहा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि उनका ऐसा ही इरादा है, तो आइए हम बाहर चलें। यदि आप 7 बजे वाद-विवाद बन्द करना चाहते हैं, तो पीठासीन अधिकारी ने समय विनियमित क्यों नहीं किया (व्यवधान) यदि आप एक सदस्य को एक घण्टा बोलने की अनुमति देते हैं, तो पीठासीन अधिकारी को

इसे विनियमित करना चाहिए था। (व्यवधान) और आप कहते हैं कि बी० सी० सी० आई० के बारे में चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढ़ाना) : आप श्री फर्नाण्डीज से कहिए कि वह अपना भाषण समाप्त करें। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं श्री चटर्जी की बात मान लेता हूं। यदि तीन घण्टे का समय आवंटित किया गया था, तो इसे तदनुसार विनियमित किया जाना चाहिए था।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उस समय संसदीय कार्य मन्त्री कहां थे ? आप कहां थे ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : अब मैं केवल यही कहता हूं कि स्थिति को ठीक करने और समय बचाने की दृष्टि से, सदस्यों को पन्द्रह मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए। फर्नाण्डीज जी, आप से मेरा अनुरोध है कि आप अपना भाषण पांच मिनट में समाप्त कर दें।

(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं यह नहीं कहता कि आप पांच मिनट, दस मिनट अथवा पन्द्रह मिनट बोलें। किन्तु, मैं समझता हूं, यह पता होना आवश्यक है कि एक सदस्य को कितनी देर बोलना चाहिए। यह एक लम्बी चर्चा थी, सभी दलों के नेताओं तथा कार्य मंत्रणा समिति के बीच एक बैठक हुई थी जिसमें सभा के लिए कार्य सूची तैयार की गई थी। यह निर्णय किया गया था कि आज दो अन्य महत्वपूर्ण मामलों—एक जम्मू और कश्मीर परतथा दूसरा स्वैच्छिक जमा योजना पर—पर चर्चा पूरी की जाए। इतने परिश्रम के बाद हमने सभा की बैठक एक दिन के लिए बढ़ाई। बड़ी कठिनाई के बाद, लोक सभा सचिवालय हमें एक और दिन देने के लिए राजी हुआ। आज आप सभा की कार्यवाही 7 बजे, 8 बजे अथवा 9 बजे समाप्त करते हैं, सवाल यह नहीं है। वास्तव में सवाल तो यह है कि हमें आज वह कार्य पूरा करना है जो हमारी कार्यसूची में है। मेरा यही कहना है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : इस विषय पर आपे और चर्चा नहीं की जाएगी। कृपया बैठ जाइए। मैं इस विषय पर अब कोई चर्चा नहीं करने दूंगा।

(व्यवधान)

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : उन्होंने गलत जानकारी दी है।

सभापति महोदय : क्या कार्य मंत्रणा समिति में आप मौजूद थे ?

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : जी हां। उस दिन यह तय हुआ था कि हम इसको एक बजे से लेकर 4 बजे तक पूरा करेंगे और 4 बजे के बाद हम जम्मू-कश्मीर को शुरू करेंगे और साढ़े पांच बजे

तक उसको खत्म करेंगे।···(व्यवधान)···मैं बता रहा हूं, उसके आधे घण्टे बाद बालेण्टरी डिपाजिट स्कीम को शुरू करेंगे और अगर कहीं जरूरत हुई तो थोड़े समय हम और बैठ सकते हैं। इसका अर्थ यह था कि यदि 6 के बजाय साढ़े 6 बजे तक हम बैठें तो बैठ सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं था कि हम रात भर या 9, 10, 11, या 12 बजे तक बैठें।···(व्यवधान)·· आप पूरी बात सुन लीजिए। लेकिन चूंकि यह बी० सी० सी० आई० ही लेट शुरू हुआ तो इसमें दो तीन घण्टे जो भी हमारे हुए, साढ़े सात बजे तक इसको समाप्त कर दिया जाए और दूसरा बिजनेस आज लेने का कोई मतलब नहीं है और यह कहीं एग्रीड नहीं था कि सारा बिजनेस···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यह बिल्कुल गलत बात है। सुबह शून्य काल के दौरान मामले उठाए जाने में दो घण्टे का समय लगाया गया। सभी दलों के बीच इस बारे में विशिष्ट समझौता हुआ था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस समझौते का उल्लंघन किया गया था। किसके द्वारा ? मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता···। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं समझता हूं, हम इस प्रकार समय नष्ट कर रहे हैं। आइए अब हम काम करें। मैं सभा के सभी वर्गों से अनुरोध करता हूं कि वे पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग करें ताकि आज समस्त कार्य पूरा किया जा सके। यदि आप आधी रात तक रुकना चाहते हैं, तो हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन कृपया आइए कार्य करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : आज डिनर का क्या इन्तजाम है, खाना है क्या ? 12 बजे रात तक बैठेंगे तो खाने की व्यवस्था है क्या ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : जार्ज साहिब, मुझे मालूम है आपसे विचार प्रवाह कई बार टूटा है। किन्तु मुझे आशा है कि आप एक सक्षम वक्ता होने के नाते अपना भाषण पांच मिनट में पूरा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : केवल मुझे आवंटित समय तोड़ा जा रहा है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति जी, मैं सिण्डीकेट बैंक के बारे में वित्त मन्त्री जी से जो जानना चाहता हूं उसमें चूंकि बात यहां पर आई है, तो मैं दो बातों को रखना चाहूंगा। मैंने इस बैंक का जो अतीत था, उसकी तारीफ की है। नम्बर एक, यह 31-3-91 की बैंक की बैलेंस शीट है। उम्मीद है, वित्त मन्त्री जी ने उसको देखा नहीं होगा, वे कहां देखने बैठेंगे। 3,600 करोड़ रुपए का इसका एडवांस है। इस टोटल, 3,600 करोड़ रुपए के एडवांस में से मार्च महीने में 5,79,12,96,89। रुपए का ओवरसीज एडवांस है। इस

ओवरसीज की एक ही शाखा लन्दन में है, जहां बी० सी० सी० आई० का हिन्दुस्तान के शाखा का सारा आपरेशन केन्द्र है ।

[अनुवाद]

एक राष्ट्रीयकृत बैंक, जो बी० सी० सी० आई० का समवर्ती बैंक है, के ऋणों का छठा भाग लन्दन में है ।

तुलनपत्र के अनुसार खाता संख्या 2ग की टिप्पणियां विदेशी बैंकों, एजेन्सियों, और वित्तीय संस्थाओं सहित अन्य बैंकों में खातों का समाधान किया जाना बाकी है ।

[हिन्दी]

हम जानना चाहेंगे, कितना पैसा आया और क्या हो रहा है ? हमारा बैंक से क्या रिश्ता है···

(व्यवधान)

श्री जगदीश टाइटलर : बी० सी० सी० आई० से ।

(व्यवधान)

श्री आर्ज फर्नान्डीज : सिंडीकेट बैंक और बी० सी० सी० आई० हम वित मन्त्री जी से जानना चाहेंगे ? (व्यवधान)

सभापति महोदय, मेरे पहले के वक्ता ने एक आरोप लगाया था कि यहां पर कारपोरेट वार को लेकर चर्चा चल रही है और हम तो इन सारी चीजों में नहीं जाएंगे ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री फर्नाण्डीज, आपको इसका आखिरी छोर कभी नहीं मिल पाएगा ।

[हिन्दी]

श्री आर्ज फर्नाण्डीज : हम उन सारी चीजों में नहीं जाएंगे । लेकिन कल मुझ से वक्त मांग कर, जिस कम्पनी का नाम आपने लिया, उस कम्पनी के अध्यक्ष मिलने आए थे और उन्होंने ये दस्तावेज दिए ।

[अनुवाद]

इससे एक रिलायन्स उद्योग में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश के बारे में पृष्ठाधार टिप्पण का आरोप वर्ष 1982-83 से सम्बन्धित है ।

इसमें आपने देखा ही होगा कि यह कितना लम्बा है ।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : मुझे नहीं मिले ।

[अनुवाद]

बी० सी० सी० आई० के साथ मेरा कोई सम्पर्क नहीं है ।

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान मत कीजिए ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : इस दस्तावेज में जो सारी चर्चा है, वह चर्चा है तीन आपके इन्फोर्समेंट ब्रांच की रिपोर्ट को लेकर है । यह बताया जाता है कि 22 करोड़ रुपया आयल-आफ-मैन की ग्यारह कम्पनियों के जरिए 1982 में बी० सी० सी० आई० के माध्यम से हिन्दुस्तान में लाने का काम हुआ और जिसमें सिंडिकेट बैंक और मेरे ख्याल से बैंक मिडिल ईस्ट, ये दो बैंक बम्बई में, चूंकि बी०सी०सी० आई० की उन दिनों शाखा नहीं थी, इसलिए उनके बिचौलिएपन का काम करता रहा । इन चीजों की जांच हो गई । जिस जांच की सारी चर्चाओं में कहा गया है, उस जांच के तीन मुमले आपके सामने रख रहा हूं । क्योंकि बाकी चीजों को···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : यह फिर श्री घूरेलाल की रिपोर्ट से लिया गया है ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : आपकी सरकार की रिपोर्ट है । जांच की रिपोर्ट के आखिरी पैराग्राफ में है,

[अनुवाद]

"एक अन्य मुद्दा जिसकी बारीकी से विस्तृत जांच किए जाने की आवश्यकता है, वह है बी० सी० सी० आई०, लन्दन तथा ई० ए० बी०, हमबर्ग द्वारा प्रदान की गई उस धनराशि का स्रोत जो विदेशी फर्मों की ओर से रिलाइंस के शेयरों की खरीद के लिए कोलम्बो शाखा के जरिए प्रदान की गई थी । जांच में उन वास्तविक व्यक्तियों का पता लग सकता है जिन्होंने ऋण के लिए ई० ए० बी० अथवा बी० सी० सी० आई० को 'लैटर आफ कम्फोर्ट' अथवा व्यक्तिगत गारंटी दी थी । यदि बी० सी० सी० आई०, लन्दन के बारे में विस्तृत जांच-पड़ताल की जाती है, तो इस बात का पता लग सकता है कि बी० सी० सी० आई०, लन्दन को उक्त प्रयोजन हेतु भारत में भेजने के लिए धनराशि कैसे प्राप्त हुई, और विदेशी कम्पनियों को वास्तविक रूप से भुगतान किए गए ब्याज/लाभांश तथा डिबेंचरों की बिक्री की राशि भारत के किस व्यक्ति को प्राप्त हुई । इस प्रकार की जांच से उन वास्तविक व्यक्तियों का पता लग सकता है जिनका उक्त सौदे में हाथ है ।"

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, क्या माननीय सदस्य सम्पूर्ण विपक्ष की तरफ से बोल रहे हैं अथवा सम्पूर्ण सभा की ओर से बोल रहे हैं ? (व्यवधान) अनेक अन्य सदस्य हैं जिन्हें बोलना है। (व्यवधान) क्या आप स्वीकार करते हैं—पूरे विपक्ष की ओर से बोल रहे हैं ?

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : हां ।

श्री गुलाम नबी आजाद : यदि सम्पूर्ण विपक्ष यह स्वीकार करता है तो ठीक है। (**व्यवधान**) मैं नहीं समझता कि सदन ने ऐसा कहने के लिए आपको प्राधिकृत किया है । (**व्यवधान**)

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : आपको भी सभा द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया है। (**व्यवधान**)

श्री गुलाम नबी आजाद : जी हां, अधिकारिक तौर से मैं प्राधिकृत हूं । आप अधिकारिक तौर से प्राधिकृत नहीं हैं । (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं इसका विरोध करना चाहता हूं । (**व्यवधान**) मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं । (**व्यवधान**)

श्री गुलाम नबी आजाद : इस सभा पर किसी का एकाधिकार नहीं होने दिया जाना चाहिए ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, आपको मुझे सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए ।

श्री गुलाम नबी आजाद : अन्य संसद सदस्य भी बोलना चाहते हैं । सभा पर किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होना चाहिए । (**व्यवधान**) कल आप 12 घटे तक बोले थे । आज भी आप बोले हैं ।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें । मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज से अनुरोध करूंगा कि वह दो मिनट में अपनी बात पूरी कर दें । (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान नहीं डालें ।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : जितना आप व्यवधान डालेंगे उतना ही अधिक समय लगेगा । श्री जार्ज फर्नान्डीज, कृपया दो मिनट में अपनी बात पूरी करें ।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति महोदय, हम दो मिनट बोलते हैं तो इसका मतलब 20 मिनट होता है ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं जानता हूं कि व्यवधान डाले गए थे ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : इनके पांच मिनट आप पचास मिनट मत समझिए ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज, आप जैसे वरिष्ठ सदस्य को बार-बार समय की याद दिलाना मुझे अच्छा नहीं लगता । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मुझे परेशानी मे नहीं डालेंगे । आप कृपया दो मिनट में अपना भाषण पूरा कर दें ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा । (व्यवधान) यदि ऐसा आपका निर्देश है तो मैं नहीं बोलूंगा । (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात पूरी करें ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने निवेदन किया है कि मैं नहीं बोल रहा । (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि इन्होंने कितने मिनट भाषण दिया है । ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इन्हें बोलने से रोका गया ।

सभापति महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज ने 5.45 म० प० बोलना शुरू किया था और अब 7.00 म० प० बजे हैं ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे मालूम है कि काफी बार व्यवधान डाला गया है ।

श्री गुलाम नबी आजाद : आवंटित किए गए तीन घंटे में से यदि एक सदस्य एक घंटे और पन्द्रह मिनट बोलेगा तो मैं समझता हूं कि जो मैंने कहा है वह ठीक कहा है । (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इस प्रकार के व्यवधान की भी हद है (व्यवधान) मैंने 1½ घंटा लिया इससे आप क्या कहना चाहते हैं । (व्यवधान)

सभापति महोदय : शब्द ** कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आपने जार्ज साहब का टाइम तो बता दिया है, दिग्विजय सिंह जी का टाइम भी आप बता दीजिए

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपको सभी का समय बता दूंगा ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया सुनिये ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए । श्री जसवन्त सिंह ने 4 बजे म० प० बोलना शुरू किया था और 5 बजे म० प० समाप्त कर दिया था । श्री दिग्विजय सिंह ने 5 बजे म० प० बोलना शुरू किया था और 5.45 म० प० पर अपना भाषण समाप्त किया था और श्री जार्ज फर्नान्डीज ने 5.45 म० प० पर बोलना आरम्भ किया था ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं उनसे दो मिनट में अपनी बात समाप्त करने का अनुरोध करूंगा । जार्ज फर्नान्डीज जी शुरू कीजिए ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नहीं महोदय, मैं नहीं बोलूंगा ।

श्री भीकान्त जेना : महोदय, सत्ता पक्ष ने कितनी बार व्यवधान डाला ? (व्यवधान) यदि अध्यक्षपीठ का यह रुख है और वह यदि संसदीय कार्य मन्त्री की ही बातों को मानते हैं तो हम चर्चा में भाग नहीं लेंगे, सम्पूर्ण दल वाद-विवाद में भाग नहीं लेगा । (व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ऐसी कोई बात नहीं है ।

[अनुवाद]

मैं अपनी ओर से यथाशक्ति वाद-विवाद को निष्पक्ष ढंग से चलाने की कोशिश कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जेना जी, कृपया व्यवधान न डालें । जब मैं खड़ा हूं तो कृपया आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : आप उन्हें भी नियन्त्रित कीजिए। क्या सदन को इस प्रकार से चलाया जाता है ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सज्जनों मैं अपनी तरफ से सभा को निष्पक्ष रूप से चलाने का पूर्ण प्रयास कर रहा हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि श्री फर्नान्डीज को बार-बार टोका गया था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब आप बोल लीजिए मि० जैना, मैं बैठ जाता हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

यदि आप जोर देते हैं तो आप बोल लीजिए। मैं बैठ जाता हूं। आप बोल लीजिए।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : आप उनसे टोकाटोकी न करने के लिए क्यों नहीं कहते ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अशोक आनन्द राव देशमुख (परभनी) : सभापति महोदय, बहुत इंटरप्लंस हुए थे, इसलिए हम चाहते थे कि थोड़ा समय और देना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज को बार-बार टोका गया था। परन्तु मेरी भी यह राय है कि व्यवधान के बावजूद श्री फर्नान्डीज ने लगभग 45 मिनट लिए हैं। और मेरे विचार से सभा के किसी भी सदस्य द्वारा लिए गए समय से अधिक है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज से एक बार पुनः निवेदन करूंगा···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप लोग बीच में बोलकर समय जाया कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अतः मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि अध्यक्षपीठ द्वारा दिए गए किसी निर्णय पर बुरा न मानें और कृपया अपना भाषण दो मिनट में पूरा कर लें। मेरा यही निवेदन है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति महोदय, मुझे अफसोस है कि आपको इतनी बात कहनी पड़ी, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जब कुर्सी पर बैठते हैं तो सदन को इतने बढ़िया ढंग से चलाते हैं और वह ढंग इस कुर्सी पर बैठने वाले किसी व्यक्ति से कम नहीं है। मैं यह भी जानता हूं कि हर सदस्य की तरफ आप बिल्कुल निष्पक्ष नजर से देखते हैं, कोई पक्षपात नहीं करते हैं, इसलिए आपको कभी यह नहीं समझना चाहिए कि मेरे मन में आपके बारे में या आपके किसी फैसले के बारे में किंचितमात्र भी नाराजगी है। ऐसी कोई बात नहीं है।

सभापति महोदय (राम राव सिंह) : थैंक्यू। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ और जिस तरह से मुझे रोकने का काम किया गया, उससे मुझे विचार प्रकट करने में रुकावट आई। इसके बाद जब यह कहा गया कि 2 मिनट में खत्म करना चाहिए तो यह मेरे लिए सम्भव नहीं था, इसलिए मैं बैठ गया।

सभापति महोदय, अब मैं कुछ मोटी-मोटी बातों के बारे में प्रश्न रख कर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि 1986 में डिपार्टमेंट आफ एनफोर्समेंट द्वारा जो जांच की गई थी और उसकी एक नहीं तीन रिपोर्टें आ गई थीं और अन्तिम रिपोर्ट में जो सुझाव दिए थे कि इन लोगों की फारेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत जांच होनी चाहिए। इसमें जिन लोगों के नाम थे, उनको नाम आप कहें तो मैं लिखकर दे दूंगा, यहां पर पढ़कर भी सुना सकता हूं, जिनके बारे में कहा गया था कि इनसे तत्काल पूछताछ करना जरूरी है—

[अनुवाद]

भारत और विदेशों में आइल आफ मैन की अनिवासी भारतीय कम्पनियों द्वारा "रिलायन्स शेयरों" की खरीद में लिप्त संदिग्ध व्यक्तियों की सूची का सुझाव दिया गया था कि इन लोगों की जांच होनी चाहिए। मैं नाम पढ़कर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नाम पढ़ दीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उनके नाम इस प्रकार हैं—

[अनुवाद]

1. श्री धीरूभाई अम्बानी,

   रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक।

2. श्री विनोद अम्बानी,

   रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के कम्पनी सचिव।

3. श्री सी० एच० चौकसी,

   प्रभात फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड स्टालियन प्राइवेट लिमिटेड के एक निदेशक।

   —रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के श्री धीरूभाई अम्बानी के एक करीबी मित्र।

4. श्री पंकज ईश्वरलाल कापड़िया—शेयर ब्रोकर

4. श्री डी० चतुर्वेदी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट

6. श्री वाई० डी० पाडियार, एडवाइजर, बी० सी० सी० आई०

7. आईल आफ मैन कम्पनियों के शेयरधारी, अर्थात्,

   (1) श्री कृष्णकान्त शाह और ब्रिटेन में अनेक परिवार के सदस्य।

   (2) जिबौती के श्री यू० सी० खमानी,

   (3) अमरीका के श्री प्रफुल शाह,

8. श्री पी० एस० डब्लू हेल्मुड,

   'आईल आफ मैन' की विदेश स्थित कम्पनियों के कान्सटिट्यूटिड अटार्नी।

[हिन्दी]

क्या उनके बारे में जो जांच का फैसला हुआ था और फारेन एक्सचेंज रैगूलेशन एक्ट के अन्तर्गत उनको नोटिस देने की बात हुई थी, चूंकि पैसा हिन्दुस्तान से रिलायंस के द्वारा बाहर ले जाया गया, पैसा पडियार के जरिए, बी० सी० सी० आई० के जरिए देश में लाने का काम हुआ, स्पष्ट इस प्रकार का आरोप लगाकर जब जांच की बात कही गयी, क्या यह जांच हुई ? अगर जांच हुई है तो उसके क्या तथ्य निकले ? उस पर कौन-सा एक्शन लेने का काम सरकार करने जा रही है या सरकार कर चुकी है ? एक मेरा यह प्रश्न है।

दूसरा मेरा प्रश्न है, चूंकि मैंने संशोधन में यह बात रखी है कि कारपोरेट टेक-ओवर आदि को नहीं छोड़ना है। मैं इस बात को छिपाना नहीं चाहता हूं कि लारसन और टूब्रो हमारे जो न्यूक्लीयर प्लांट हैं, उस काम को कर रहा है। लारसन एण्ड टूब्रो साढ़े तीन साल के पहले अम्बानी कम्पनी ने अपने कब्जे में लिया था। लेकिन भारत सरकार की तरफ से चलायी जाने वाली वित्तीय संस्थाओं ने, लाईफ इन्श्योरेंस कारपोरेशन ने उस कम्पनी की सबसे पहले मिटिंग बुला

कर, चुने हुए जो अम्बानी परिवार के लोग थे, उनको बाकायदा कम्पनी की स्पेशल मिटिंग बुलाकर निकाल बाहर कर दिया। क्यों निकाल बाहर कर दिया ? अगर वजह थी तो क्या आज वह वजह खत्म हो गयी ? दूसरा, जो कम्पनी आज हिन्दुस्तान के रक्षा विभाग का, हिन्दुस्तान के ऐसे क्षेत्रों का, विशेष कर अणु शक्ति के इलाके में, क्या-क्या काम एल० एण्ड टी० ने किए, यहां पर नहीं कहूंगा, क्योंकि उसको टाप-सिक्रेट माना जाता है। लेकिन वित्त मन्त्री जी इस बात को जानते हैं। अगर वे चाहेंगे तो हम बताने का भी काम कर सकते हैं। क्या जिस कम्पनी के सबसे बड़े व्यक्ति से लेकर, पडियार नाम का आदमी है, जो लंदन में बैठकर बी० सी० सी० आई० के काम को करता रहा, जिसका रिलायंस था, विदेश के सारे पैसे को लाने का जिसका सीधा सम्बन्ध रहा, क्या आप इस कम्पनी को ऐसे लोगों के हाथों में देंगे ? अब आप आ ही रहे हो उस मुद्दे पर तो आज के इण्डियन एक्सप्रेस का जिक्र मैं नहीं करूंगा। लेकिन क्या यह बात सही नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इरा अम्बारासु : महोदय, वह सभा का उपयोग गलत प्रयोजन हेतु कर रहे हैं। मुद्दों पर चर्चा करने का यह तरीका नहीं है। नुस्ली वाडिया और अम्बानी की लड़ाई के लिए ये इस मंच का क्यों प्रयोग कर रहे हैं ? मैं इस पर आपत्ति करता हूं।

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जब पिछले महीने में इस कम्पनी की मिटिंग होनी थी, 26 अगस्त को इस कम्पनी की मिटिंग होनी थी, एल० आई० सी० ने किस आधार पर स्थगित करने के लिए प्रस्ताव दे रखा था ? मैं आखरी प्रश्न पूछ कर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। क्या यह सही नहीं है कि एल० आई० सी० ने प्रस्ताव दे रखा था कि इस मिटिंग को स्थगित किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए ? ताकि जो प्रोकसिज की बात चल रही है, वह प्रोकसिज की जांच हमको करनी है, वह जांच करने के लिए समय नहीं मिला है। इसलिए मिटिंग को आगे बढ़ा दिया जाए। क्या एल० आई० सी० ने यह पत्र 26 अगस्त को नहीं लिखा था और उसके आधार पर पिछली मिटिंग पोस्ट-पोन नहीं हुई थी ? इसके बाद जब इस बार मिटिंग को 16 अगस्त को रखते का काम हुआ, क्या एल० आई० सी० ने फिर, हमें जांच करने के लिए मौका मिलना चाहिए, यह कम्पनी को नहीं लिखा ? अध्यक्ष जी, क्या उस पर कम्पनी के सैक्रेटरी ने एल० आई० सी० को यह लिख कर नहीं बताया कि हमारे पास अब समय नहीं है ये सारी प्रोकसिज की जांच करने के लिए, क्योंकि मिटिंग तो 16 को होनी है और हमारे पास पूरा इन्तजाम नहीं था इसलिए हम आपको जांच करने के लिए नहीं देंगे ? अध्यक्ष जी, बम्बई हाई-कोर्ट में पेश किए हुए दस्तावेज को मैं इस सदन में पेश करना चाहता हूं। क्यों नहीं एल० आई० सी० का पैसा, इस देश के बैंक का पैसा और विदेशी बैंकों के साथ रिश्ते जोड़कर, तस्करों के साथ रिश्ते जोड़कर, मैं इस देश का उद्योग मन्त्री रहा हूं, दिग्विजय सिंह जी, आपको यह बात मालूम नहीं होगी, इस देश के उद्योग मन्त्री के नाते इस कम्पनी को मैंने ब्लैकलिस्ट किया था और एक ही वाक्य पर ब्लैकलिस्ट किया था। उस एक वाक्य के ऊपर मैंने ब्लैकलिस्ट किया था। कम्पनी के मालिक ने कहा था—

[अनुवाद]

"किसी भी राजनीतिज्ञ को खरीदा जा सकता है यदि आप उचित कीमत दें।"

[हिन्दी]

इस एक वाक्य के ऊपर मैंने उनको ब्लैकलिस्ट किया था, यह बताने के लिए कि—

[अनुवाद]

ऐसे राजनीतिज्ञ भी हैं जिनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती।

आज बंबई के हाईकोर्ट में एफीडेविट दाखिल हुई है···(व्यवधान) लार्सन एंड टुब्रो के जो चेयरमैन थे, उन्होंने पत्र लिखकर दिया है कि मेरे और मेरे परिवार के दस्तखत करके, फोर्ज करके आज इस कम्पनी को कब्जे में लेने की बात हो रही है। मैं, इस दरख्वास्त को जो बम्बई के हाईकोर्ट में आज सुबह पेश हुई है, इस दस्तावेज को सभा-पटल पर अपनी तरफ से आथेन्टीकेट करके रखना चाहता हूं। जो फरेबी हो रही है और जो फोरजरी हो रही है उस आधार पर कम्पनी का लेना-देना हो रहा है तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि भारत सरकार किसी विषय को अपने से जोड़ने का काम करे। वित्त मन्त्री तमाम प्रश्नों पर जवाब दें, यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यदि आपको मेरे अधिक समय लेने पर आपत्ति है, तो आप कृपया उनसे कहें कि मेरे बोलने में व्यवधान डालें।

श्री इरा अम्बारासु : नुसली वाडिया के प्रवक्ता मत बनिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि मैं अम्बानी का प्रवक्ता बनूं तो आपको खुशी होगी। महोदय, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं बनना चाहता। मैं जानता हूं···(व्यवधान) मैं आपकी परेशानी समझता हूं। और यदि, वित्त मन्त्री मुझे गलत नहीं समझते हैं तो मैं किसी पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मुझे यह उक्ति याद आ गई, 'चोर की दाढ़ी में तिनका'। महोदय, इसमें आपके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

सभापति महोदय : यहां पर दो-तीन दाढ़ी वाले हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसमें सब दाढ़ी वाले शामिल हैं न कि आधी दाढ़ी वाले।

श्री गुलाम नबी आजाद : सोमनाथ जी 'की' है न कि 'का'।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह उनकी गलती है क्योंकि उन्होंने इसे गलत ढंग से उद्धृत किया।

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, हमारी यह शिकायत है। आप सदा गलत मित्रों की बात सुनते हो।

श्री सोमनाथ चटर्जी : खैर कोई बात नहीं, महोदय मुझे उनके लिए इस उक्ति का अक्सर प्रयोग करना पड़ेगा। अब मैं इसका सही प्रयोग करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। मैंने सोचा था कि इस मामले पर इस तरह चर्चा की जाएगी जो हमारे बैंकिंग प्रणाली की खामियों को दूर करने मे सहायक होगी। सही दृष्टिकोण यही था। मैंने इस मामले को इस तरह उठाने के बारे में सोचा था। मुझे विश्वास है कि उस पत्र में चाहे वे कुछ भी सोचते हों। खुलकर यह नहीं कह सकता है कि बी० सी० सी० आई० एक अच्छा बैंक है।

श्री जगदीश टाइटलर : यह अच्छा बैंक नहीं है। हम सभी इस बात से सहमत हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने मन्त्रालय से पुष्टि करा ली है। यह एक घटिया बैंक है। महोदय, अब प्रश्न यह है कि इसकी गतिविधियों के बारे में ऐसा रहस्योद्घाटन, न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी उन पत्रों-पत्रिकाओं में छप चुका है जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की हैं— विशेषकर वे वे समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं जो उस पक्ष पर जैसे मेरे सभी मित्रों को स्वीकार्य है जैसे कि 'दि टाइम्स,' न्यूज वीक आफ यू० एस० ए०, इकानामिक्स आफ लन्दन। इन सभी पत्र-पत्रिकाओं पर मेरे मित्रों को अटूट विश्वास है और ये पत्रिकाएं समूचे विश्व में पढ़ी जाती है यह बैंक रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, नशीली औषधों के अवैध व्यापार और धन की हेराफेरी करने में लिप्त हैं। जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रश्न है, वहां इसकी जांच पड़ताल चल रही है।

कृपया इस मामले की गम्भीरता पर गौर करें। सीनेटर जान केरी ने यहां तक कहा कि—"मैं 'सन्डे' से यह उद्धृत कर रहा हूं कि भारत में बी० सी० सी० आई० अवैध धन बनाने वाले गिरोहों के साथ लिया है तथा भारतीय नेता राजीव गांधी की हत्या में सहायता करने वाले लोगों की सहायता करने के सम्बन्ध में छानबीन की जा रही है। ऐसा संयुक्त राज्य अमेरिका के उस सीनेटर ने कहा जो बी० सी० सी० आई० की गतिविधियों की जांच कर रहा है। उनका आरोप है कि इसका सम्बन्ध राजीव गांधी की हत्या से भी है? क्या आप इससे चिन्तित नहीं हैं? क्या देश इससे चिन्तित नहीं है? मैं तो इससे चिन्तित हूं। देश के ऊपर आई विपत्ति है। यदि इस बैंक की गतिविधि यह है तो इस मामले के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? देश पर ऐसा प्रभाव क्यों पड़े कि सरकार इस जांच-पड़ताल में रुकावट डाल रही है? इसीलिए मेरा आपसे यह अनुरोध है। आप इस मामले को काफी संजीदा मानकर जिसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता जनता पर एक ऐसी छाप छोड़ रहे हैं, जिससे न तो बैंकिंग प्रणाली में सुधार आ सकता है और न आपकी विश्वसनीयता ही बढ़ सकती है।

आज श्री दिग्विजय सिंह ने एक भिन्नता बताई है। वे काफी मिलनसार व्यक्ति हैं लेकिन उन्हें मामले की गलत जानकारी दी गई है। वे कहते हैं, "नहीं मुम्बई शाखा बहुत अच्छी है, यद्यपि इसका प्रादुर्भाव गलत हुआ है। इसका सम्बन्ध गलत है। मुख्य बी०सी०सी०आई० को चलाने वाले व्यक्ति बुरे हैं। इसलिए इसके विरुद्ध कोई जांच नहीं की जा सकती। हमें अत्यन्त महत्वपूर्ण स्रोत से बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। कृपया मुझे इसे पढ़ने की अनुमति दें। मैं जहां तक सम्भव हो संक्षिप्त में आपको

करता हूं। मुझे काफी सामग्री मिली है। लन्दन के 'दि इकानामिस्ट' में इस बैंक को न केवल धोखेबाजों का बसेरा कहा है बल्कि इसे नशीली औषधों के व्यापारियों, अवैध धन बनाने वालों, आतंकवादियों जासूसों और राजनीतिज्ञों का अड्डा कहा है।" यह भारतीय व्याख्या नहीं है। लन्दन के 'दि इकानामिस्ट' में यह बात कही गयी है और इसके स्तर के बारे में किसी की कोई शंका नहीं हो सकती है। श्री जसवंत सिंह ने दूसरे अंक से इसे उद्धृत किया है और मैं 1 अप्रैल, 1991 की टाइम मैगजीन से उद्धृत कर रहा हूं जिसमें कहा गया है :

"आधुनिक वित्तीय घोटालों के इतिहास में बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल की कोई सानी नहीं है। यह घोटाला 20 बिलियन डालर का था और अनेक देशों में यह फैला हुआ था तथा 62 देशों में इसके कार्यकर्ताओं ने अपना कारोबार इस महीने के प्रारम्भ में एक साथ अचानक बन्द कर दिया। इससे पहले कभी भी किसी घोटाले में इतनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त नहीं पाई गई तथा इतने राष्ट्र व इतने विख्यात व्यक्ति लिप्त नहीं पाए गए।"

ऐसे अन्य भी कई पैराग्राफ हैं जिन्हें मैं इस समय उद्धृत नहीं कर रहा हूं। इकानमिस्ट में यह भी प्रकाशित हुआ है कि इंग्लैंड में कई विदेशी खुफिया एजेन्सियां भी बी० सी० सी० आई० का उपगोग कर रही हैं। यह बात भी प्रकट हो गयी है कि इसके संचालन में सी० आई० ए० पूर्णतया लिप्त है। (व्यवधान) श्री दिग्विजय सिंह मेरे साथ पूर्णतः सहमत हैं। मैं उनका आभारी हूं। इससे मुझे इस मामले को आगे स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

बी० सी० सी० आई० के विरुद्ध मुख्य आरोपों में जमाकर्त्ताओं के साथ धोखेबाजी, चुनिंदा ग्राहकों को जाली ऋण देना, आतंकवादी गतिविधियों और सी० आई० ए० की गतिविधियों में सहायता देना और तृतीय विश्व के भ्रष्ट शासकों का अवैध धन जमा करने हेतु उन्हें बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है। इस बैंक पर लगे आरोपों की सूची काफी लम्बी है जिसमें विभिन्न देशो में केन्द्रीय बैंकों, विभिन्न देशों में राजनीतिक सत्ताओं की रिश्वतखोरी और विभिन्न कुत्सित सौदों में दलाली करने के आरोप सम्मिलित हैं।

"न्यूजवीक" में कहा गया गया है बैंक के अन्दर सी० आई० ए० के डाइरक्टरेट आफ आपरेसन्स के अपने मुखबिर हैं। सी० आई० ए० को समूचे विश्व भर के आतंकवादियों, नशीली औषधों के व्यापारियों एवं भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के साथ बी० सी० सी० आई० के तथाकथित लेनदेन की पूरी जानकारी है।"

"बी० सी० सी० आई० पर बड़े जोर-शोर से आरोप लगाए गए हैं कि यह बैंक विभिन्न अनुचित कार्यों के लिए गुप्तचर अधिकारियों को धन प्रदान करता है।"

अमेरिका में जांच पड़ताल चल रही है, अब इंग्लैंड में भी जांच चल रही है लेकिन भारत में इसके बारे में कोई भी जांच नहीं कराई जाएगी—यह बात हमारी समझ में नहीं आती।

हमारे अत्यन्त सम्मानित वित्त मन्त्री यह कहकर राजनैतिक वाद-विवाद कराने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले जनता पार्टी की सरकार ने इस बैंक को यहां पर अपना कारोबार खोलने की अनुमति

दी थी। बिल्कुल ठीक है। हम मानते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा करके उन्होंने बिल्कुल गलत काम किया। और मुझे विश्वास है कि यह भी उन कारणों में से एक कारण है जिससे जनता ने उनके खिलाफ वोट दिया। यदि ऐसा है तो वित्त मन्त्री महोदय अब आपकी सरकार का क्या रवैया है ?

मुझे जो भी अनुमति दी गयी है वह मुझे मन्जूर है क्योंकि इसके मुझे इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है कि श्री वी० पी० सिंह की सरकार ने ही इस बैंक की एक नियमित शाखा खोलने की अनुमति दी थी। लेकिन वास्तव में बिना अनुमति के एक प्रतिनिधि कार्यालय खोला गया था अथवा वे बैंकिंग का कार्य नहीं चला रहे थे। इस स्थिति को मान लिया गया है। यह स्थिति 1979 की थी। लेकिन जो कुछ 1980 में हुआ वह जनता को पता चला। इसलिए मेरा वित्त मन्त्री जी से अनुरोध है कि कृपया इस मामले में हमारी शंकाओं को दूर करें। आपकी अनुमति से मैं पुनः टाइम मैगजीन को उद्धृत कर रहा हूं। इसमें पृष्ठ 20 में कहा गया है :

> "वर्ष 1979 में अफगानिस्तान पर हुए सोवियत आक्रमण और इसके परिणामस्वरूप पड़ोसी देश पाकिस्तान के सामरिक महत्व से बी० सी० सी० आई० की क्षेत्रीय राजनैतिक शक्ति और इसके काले धन्धे के अनियंत्रित प्रयोग में भारी वृद्धि हुई। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तान के उग्रवादियों को स्टिंगर मिसाइल और अन्य सैन्य सामग्री सप्लाई करना चाहता था, इसके लिए उसे पाकिस्तान के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता थी। 1980 के मध्य तक सी० आई० ए० का इस्लामाबाद आपरेशन विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा गुप्तचर स्टेशन बन गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के गुप्तचर अधिकारी का कहना है कि "यदि बी० सी० सी० आई० संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक ऐसी उलझन बन गया है कि एक पखवाड़े से जांच का कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है और पाकिस्तान में हो रहे हेरोइन के अवैध व्यापार के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका की अनदेखी के बारे में तो अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।"

संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सीनेटर, एक गुप्तचर अधिकारी के माध्यम से ऐसी आपत्ति उठा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की ऐजेन्सियों का जांच कार्य धीमा चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ? वे धीमी चल रही हैं क्योंकि सी० आई० ए० बी० सी० सी० आई० के साथ स्वयं लिप्त है। इसलिए केवल उनका ही जांच कार्य धीमा नहीं है बल्कि सीनेटर उनके पीछे पड़े हुए हैं, अन्य जांच ऐजेंसियां उनके पीछे पड़ी हुई हैं अब सरकार पर दबाव पड़ रहा है। जनता के विचार भी ऐसे हैं। इसलिए यद्यपि सी० आई० ए० के सम्बन्ध उजागर हो रहे हैं तो भी उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में बी० सी० सी० आई० की जांच जारी रखनी होगी, इसकी जांच करनी होगी।

इसी प्रकार इंग्लैंड में भी, खुफिया सेवा के संलिप्त होने के कारण, बैंक आफ इंग्लैंड द्वारा जांच में देर की जा रही है, जो दुखद है। बैंक आफ इण्डिया जिसे उस देश में सभी बैंकिंग संस्थाओं के प्रबंधन और निरीक्षण का कार्य सौंपा गया है, वे इतना धीरे कार्य क्यों कर रहे हैं ? उन्होंने इन सब अवैध और आपराधिक गतिविधियों का पता क्यों नहीं लगाया ? इसे "कोचीन बैंक" बताया गया है और नशीले औषधों का बड़े पैमाने पर व्यापार करने के कारण इसे विश्व में एक बड़ा आपराधिक उपक्रम कहा गया

है। ये मेरे शब्द नहीं हैं; इन शब्दों का प्रयोग इसके द्वारा किया गया है वहां से मैंने इन्हें लिया है; यह एक जन पत्रिका है; जिसकी वस्तुपरक आकलन करने की स्थिति के बारे में विश्व भर में साख है। वर्ष 1980 में अगर ये बात हो जाती तो हमें इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। अब यह लगभग तय हो गया है; मैं "लगभग" शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास इसके सिवाय और कोई सबूत नहीं है कि कुछ बातें पता चली हैं कि बी० सी० सी० आई० पाकिस्तान में हथियारों की तस्करी करने वाले तस्करों की आर्थिक सहायता कर रहा है, जिन हथियारों का पंजाब, कश्मीर तथा अन्य स्थानों में प्रयोग किया जा रहा है। हम इस देश में आतंकवाद के प्रति कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और सारा देश आतंकवाद के प्रति चिंतित है। अलगाववाद और आतंकवाद हमारे देश को भीतर से खोखला कर रहा है। हम अपने देश के कई हिस्सों में चुनाव नहीं करवा रहे हैं हालांकि हम ऐसा करवाना चाहते हैं। निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है। देश में यह क्या हो रहा है? मुझे सदस्यों को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति इस सम्बन्ध में चिन्तित है। मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है। ऐसी गतिविधियों में बी. सी. सी. आई. का हाथ पाया गया है। इसलिए क्या हमें ज्यादा सावधान नहीं रहना चाहिए क्या हमें अपनी खुफिया गतिविधियों को सुगठित नहीं करना चाहिए विशेषकर अपनी आर्थिक खुफिया गतिविधियों को ताकि यह पता चल सके कि वास्तव में क्या घाटत हो रहा है?

इस सन्दर्भ में, जब हम देखते हैं कि वर्ष 1983 में एक नई शाखा खोलने की अनुमति दी गई थी, निश्चय ही इसके बारे में कुछ प्रश्न उठते है जिनका मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से उत्तर चाहूंगा। क्योंकि हमारे पास तत्सम्बन्धी फाइलें नहीं हैं। किस बात ने सरकार को यह करने के लिए प्रेरित किया, इसका कारण मुझे पता नहीं है। मैं नहीं समझता कि वित्त मन्त्री जी हम पर इतने कृपालु होंगे कि यह बता सकें कि वर्ष 1983 में किन कारणों से अनुमति देने हेतु प्रेरित हुई थी।

सभापति महोदय : यह वर्ष 1984 में हुआ था। मैंने सोचा कि माननीय वित मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि फाइल चौधरी चरण सिंह के पास गयी थी, यह उससे पहले ही हुआ होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप की बात सही है। यह 1979 में हुआ था तब उन्होंने खोला एक प्रतिनिधि कार्यालय खोला था। यह भी वित मन्त्री के वक्तव्य में है जब उन्होंने कहा था आपकी जानकारी के लिए मैं इसे पढ़ता हूं :

"तथापि बी. सी. सी. आई. को भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 1977 में केवल एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति दी थी। प्रतिनिधि कार्यालय को बैंकिंग कार्य करने की अनुमति नहीं होती है वे केवल जन संपर्क कार्य करते है।" यह उनका वक्तव्य है। मैं उनका वक्तव्य पढ़ रहा हूं, इसलिए उन्हें शाखा खोलने की अनुमति नहीं दी गयी थी। फिर भी बी. सी. सी. आई. ने भारत मे अपनी शाखाए खोलने के प्रयत्न किए। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे सन 1983 मे मुम्बई में एक शाखा खोलने के लिए लाइसेंस जारी किया और इसने 31 मार्च, 1983 से अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया।

मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं, क्योंकि मैं सदस्यों द्वारा अब दिखाए जा रहे अस्थायी उत्साह के अनुरूप उनके धैर्य की परीक्षा नहीं लेना चाहता हूं।

श्री जगदीश टाइटलर : हम आपकी प्रसंसा करते हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : धन्यवाद, महोदय, मेरी फाइलों तक पहुंच नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा है रिकार्डों तक मेरी पहुंच नहीं है। वित्त मंत्री भारत के एक सम्मानित व्यक्ति हैं हम इस बात से प्रसन्न हैं कि वे इस उच्च पद को सुशोभित कर रहे हैं। वह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे जोकि एक अत्यन्त उच्च पद है। अब वह वित्त मन्त्री हैं। हम बहुत प्रसन्न हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : क्यों ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : कम से कम वह एक ईमानदार आदमी हैं। मुझे खुशी है कि वह अभी तक इतना प्रदूषित नहीं हुए हैं कि वह इस पद पर रहने लायक न रहें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : क्योंकि अच्छी भावना के साथ वह हमको नरक में ले जाएंगे।

श्री जगदीश टाइटलर : लेकिन जो हमारी पार्टी से प्रदूषित हुए हैं उन्हें आपने नेता के रूप में स्वीकार किया है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा वित्त मन्त्री जी से अनुरोध है कि मैं जहां गलत बोलूं वो उसे ठीक कर दें क्योंकि मेरी सूचना गलत हो सकती है।

मुझे बताया गया है कि वित्त मन्त्रालय अथवा बैंकिंग प्रभाग में एक फाइल है, जहां पर वह वर्ष 1983 से पड़ी हुई है। तत्कालीन अतिरिक्त सचिव बैंकिंग, उनका नाम मुझे नहीं मालूम, यहां पर नहीं दिया गया है, ने दो शाखाएं खोलने का लाइसेंस देने की सिफारिश की थी। लेकिन सिफारिश करने से पहले रिजर्व बैंक की सलाह नहीं ली गयी थी। मुझे यह जानकारी है। तक मेरी जानकारी के अनुसार रिजर्व बैंक के गवर्नर, डा० मनमोहन सिंह ने इस बात का डटकर विरोध किया था और शाखा खोलने की अनुमति देने के प्रस्ताव के आने पर एक विरोध पत्र भेजा था।

तब वह फाइल तत्कालीन वित्त सचिव के पास गई थी जो इस समय बैंकिंग सुधार समिति के चेयरमैन हैं जिन्होंने बी० सी० सी० आई० के पक्ष में निर्णय दिया था।

विधि और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन राव) : यह आदमी कौन है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, एक प्रतिष्ठित काबीना मन्त्री द्वारा पूछे जाने पर मैं उनका नाम दे रहा हूं—श्री एम० एम० नरसिम्हा। महोदय, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं।

महोदय, मेरे विचार में शाखा खोलने के मामले में रिजर्व बैंक के गवर्नर को अधिकार होना चाहिए क्योंकि बैंक को खोलना रिजर्व बैंक का विशेषाधिकार है।

महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अधीन विशेषकर यह अधिकार दिया गया है और कोई इस अधिकार पर झूठा दावा नहीं कर सकता है। लेकिन तत्कालीन वित्त मन्त्री ने तत्कालीन वित्त सचिव की सिफारिश को सहर्ष स्वीकार कर लिया था। अब यह पदोन्नति है या अवनति है, मैं नहीं जानता कि वर्ष 1983 में योजना आयोग में आने से पहले उन्होंने एक शाखा खोलने की सहर्ष अनुमति दी थी। महोदय, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। अगर मैं कुछ गलत कहूं तो कृपया मेरी बात में सुधार कर दें, और मुझे विश्वास है कि आपके आने के बाद फाइलों को बदला नहीं गया है। अगर फाइलों को पहले से बदल दिया गया है तो मैं नहीं जानता हूं।

महोदय, दरअसल बात यह है। भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकों की शाखा खोलने की अनुमति देने के अधिकार को ले लेने का कोई प्रस्ताव आया था क्योंकि वह बी० सी० सी० आई० द्वारा शाखा खोलने के मार्ग में आड़े आ रहा था। लेकिन वे सौभाग्य से वे इस सीमा तक नहीं गए। वित्त मन्त्री ने हस्तक्षेप किया और बी० सी० सी० आई० को मंजूरी दे दी, तथा बी० सी० सी० आई० ने अपनी शाखा खोल दी। महोदय, अच्छे काम का पुरस्कार इस देश में अवश्य मिलता है।

महोदय, मेरे पास श्री फर्नान्डीज के बराबर जानकारी नहीं है, अभी भी उनके मन्त्रालय से लोग होंगे। मैं वहां नहीं रहा हूं।

क्या यह सही है कि बी० सी० सी० आई० का मामला देखने वाले एक आयकर अधिकारी का बेटा उस बैंक में अधिकारी था? क्या यह सही है कि 'रा' के एक अधिकारी का बेटा उस बैंक में अधिकारी था? क्या यह सही है कि तत्कालीन प्रधान मन्त्री के कार्यालय में एक भूतपूर्व सचिव का लड़का उस बैंक में अधिकारी है? ऐसा लगता है कि बैंक के बहुत से सम्पर्क सूत्र हैं। क्या यह सही है कि बैंकिंग प्रभाग, वित्त मन्त्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का भाई अब उस बैंक में अधिकारी है और दूसरा भाई जो एक अधिकारी है स्वयं बी० सी० सी० आई० की फाइल देख रहा था। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : नहीं, पुत्रवधू?

श्री सोमनाथ चटर्जी : हो सकता है हों, अगर आप मुझे उद्धृत करने की अनुमति दें तो हम इसका पता लगाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या ये प्रश्न मुख्य प्रश्न हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, संसद में प्रमुख प्रश्नों को अनुमति दी जाती है क्योंकि जानकारी को दबाने की कोशिश की गई है।

क्या यह सही है—अगर मैं गलत बोलूं तो वित्त मन्त्री मेरी बात को सही कर सकते हैं—कि लंदन में बी० सी० सी० आई० की वाणिज्यिक शाखा ने एक फर्म को एक लाख पाउण्ड का ऋण दिया था जिसका मालिक, बैंकिंग प्रभाग वित्त मन्त्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी का पुत्र है?

अगर इसमें से कोई भी बात सच हुई तो क्या आप परेशान नहीं होंगे ? अगर मेरी कोई भी जानकारी सही है तो क्या आप परेशान नहीं होंगे ?

अब मैं दिनांक 25-31 अगस्त की "संडे" पत्रिका का उल्लेख करना चाहूंगा। (व्यवधान) महोदय यह पत्रिका मेरी समर्थक नहीं है। श्री संतोष मोहन देव इस बात को स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करेंगे। वह इसे अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि वह हमारे विरुद्ध हर तरह के जतन करते हैं (व्यवधान) महोदय, "संडे" में जो कुछ भी लिखा गया है उसे वह स्वीकार करते हैं। इस बात से सहमत हैं···(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : ये बात किसने कही है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : हो सकता है, मैं नहीं जानता कि किसने कही है ? अब तक मेरे पास कुछ जानकारी है। मैं आपको गुप्त रूप से बताऊंगा कि आपकी नई पार्टी में कौन आपके विरुद्ध कार्य कर रहा है। मैं आपको बाद में बताऊंगा, सावधान रहिए। महोदय, मैं 'संडे' पत्रिका से उद्धृत करता हूं (25-31 अगस्त, 1991 अंक) :

> "संडे को यह ज्ञात हुआ है कि रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग ('रा') ने—कम से कम 1975 से—बी० सी० सी० आई० के भारत में संचालन को अनुमति देने के विचार का लगातार विरोध किया था। इस एजेंसी ने मंत्रिमंडल सचिव तथा ऊंचे दर्जे के राजनीतिज्ञों को बार-बार यह सलाह दी थी कि बैंक की भारत में शाखाएं खोलने की अनुमति न दी जाए। गुप्तचर एजेंसी की सलाह इस साक्ष्य पर आधारित थी कि तत्कालीन पाकिस्तानी स्वामित्व वाला बी० सी० सी० आई० देश के परमाणु कार्यक्रम में गुप्त रूप से पैसा दे रहा था।"

हम पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के लिए धनराशि दे रहे हैं। यदि 'रा' सरकारी अधिकारियों, मंत्रिमंडल सचिव को सूचना दे रही है तो इस बैंक को यहां शाखा खोलने की अनुमति कैसे दे दी गई ?

1983 से 1991 की अवधि में इस बैंक की क्या स्थिति है ? इसकी कुल जमा 380.93 करोड़ और अनिवासी भारतीय जमा राशि 225 करोड़ रुपये है। मुझे आश्चर्य है, केवल आठ वर्ष के कार्यकाल में इतने अधिक लोग बी० सी० सी० आई० के लिए कतारबद्ध खड़े हैं ? बम्बई में कई राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। कई प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विदेशी बैंक हैं। ऐसा क्यों है कि लोग इस बैंक के लिए पंक्तिबद्ध खड़े हैं ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : एक चाचा अपने भतीजे से कह रहे हैं कि वह अपने अनैतिक क्रिया-कलाप को गुप्त रखे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि आप ऐसी टिप्पणियां करेंगे तो मुझे आप पर भी सन्देह हो जाएगा।

महोदय, यह कहा गया है कि सभी बड़े व्यावसायिक घरानों—वे व्यक्ति नहीं हैं; मैं उनके नाम नहीं बता सकता—अपोलो लायर्स, माडर्न सूटिंग, बालारपुर सीमेंट्स, गोदरेज, कम्पटन ग्रीवज इत्यादि

में से प्रत्येक ने लगभग 6-8 करोड़ रुपये अग्रिम ले रखे हैं। मैं सिंडीकेट बैंक के सन्दर्भ में कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं—यद्यपि हमें दिवंगत श्री पाई, जो यहां हमारे एक साथी थे और जो एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे, की कमी बहुत अखरती है; उनकी मृत्यु के बाद यह सिंडीकेट बैंक समस्याओं सामना कर रहा है। यह कहा गया है कि बी० सी० सी० आई० के पास सिंडीकेट बैंक के 80 करोड़ रुपए जमा हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है या नहीं। सिंडीकेट बैंक जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक ने बी0 सी0 सी0 आई0 के पास 80 करोड़ रुपए क्यों जमा कराये? क्या यह सही है या नहीं? कृपया हमें बताइये। यदि यह सही नहीं है तो हां कहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि देश में गलत जानकारी दी जा रही है।

मैंने, मेरे कथन में यदि कोई गलती हो तो मेरे माननीय मित्र बताएं, इंडिया टुडे, संडे, फ्रंट-लाइन जैसी भारतीय पत्रिकाओं और टाइम न्यूजवीक, इकोनोमिस्ट इत्यादि विदेशी पत्रिकाओं में इन गम्भीर आरोपों का कोई खण्डन नहीं देखा है।

एक माननीय सदस्य : और इंडियन एक्सप्रेस में।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस के बारे में—श्री दिग्विजय सिंह कहां हैं? इण्डियन एक्सप्रेस को छोड़ रहा हूं यद्यपि इसने आज एक व्याकुल कर देने वाला खुलासा किया था। समय की कमी के कारण मैं उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। परन्तु बहुत ही व्याकुल कर देने वाली रिपोर्ट थीं। कृपया उससे अपनी आंखें न फेर लें, यदि इन रिपोर्टों का आपकी ओर से कोई खण्डन नहीं होता है तो देशवासी क्या देखेंगे और महसूस करेंगे? वे यह महसूस कर सकते हैं कि वे सही हैं और आपके पास इस सम्बन्ध में कहने के लिए कुछ नहीं है। एक भी प्रैस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। 25-31 अगस्त, 1991 के संडे पत्रिका के अंक में यह कहा गया है कि 'रा' 1975 से सरकार को चेतावनी दे रही थी। आपने कोई प्रत्युत्तर जारी नहीं किया है। इस बात का खण्डन कहां है जब उन्होंने कहा है कि खुफिया एजेंसियों ने लखनऊ तथा अन्य स्थानों पर सम्भावित पूंजी निवेश के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी? जब तक माननीय मन्त्री वक्तव्य नहीं देते तब तक कोई जानकारी नहीं मिलेगी। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, इससे कुछ परेशानी होती है।

मैं सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं बस यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बी० सी० सी० आई० के बारे में, सी० आई० ए० तथा ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस कहां तक सम्बद्ध थीं, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन देशों में जांच जारी है तथा ऐसी रिपोर्ट है और मेरे विचार में इस बात का अच्छा आधार है कि बी० सी० सी० आई० ईरान-कोंट्रा कांड में संलिप्त था, निकारागुआ में कोंट्रा लोगों की कार्यक्षमता का माध्यम था, पाकिस्तान में अपने उद्भव तथा मजबूत आधार के साथ बी० सी० सी० आई० स्वर्गीय राष्ट्रपति जिया से जुड़ा हुआ था, जो स्वयं सी० आई० ए० का लाभ भोगी था। जहां तक इसके भारत में कार्य संचालन का सम्बन्ध है, मुझे जो कुछ जानकारी मिली, मैंने उसका उल्लेख किया है, मेरा अभिप्राय है कि एक प्रकार से संदिग्ध तरीके से, जिसमें एक शाखा खोलने की अनुमति दी गई थी, इसका कार्य संचालन कैसे हो रहा है, इसके लिए बड़े भारतीय व्यवसाई पंक्तिबद्ध खड़े हैं, इसमें वे इतना अधिक निवेश क्यों कर रहे हैं, इसमें राष्ट्रीयकृत बैंक क्यों पैसा जमा कर रहे है, इसमें क्या विशेष लाभ मिल रहा है? श्री कुमारमंगलम ने कहा,

"मेरे भतीजे ने कहा, 'जी हां, बेहतर सेवा'।" यह क्या सेवा है ? यह तो फंसना है। 'बेहतर सेवा' के नाम पर मुझे विश्वास है कि वह बम्बई अथवा उनकी थोड़ी अवधि के लिए विदेश यात्रा के दौरान बी० सी० सी० आई० के मेहमान नहीं थे।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : सेवाओं के कई सामने हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुत अच्छा, सेवाओं के कई सामने हैं। इसलिए, सेवायें जो रिकार्ड में दिखती हैं, मैं समझ सकता हूं, परन्तु वे सेवाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं जो बिना रिकार्ड के प्रदान की गई हैं। (व्यवधान) जगदीश सहमत हैं। शुक्रिया। वह जल-भूतल परिवहन मन्त्री हैं। इसलिए उनको इस बात की जानकारी है कि क्या जमीन पर है और क्या हवा में है।

श्री जगदीश टाइटलर : मैं खान मन्त्री नहीं हूं। मैं अभी तक जमीन पर हूं और हवा में हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आपके मन में खान विभाग के प्रति ललक है ?

इसलिए महोदय, हम बहुत चिन्तित हैं क्योंकि इसमें हमारे सुरक्षा प्रश्न निहित हैं। बाजार अर्थव्यवस्था हेतु आपकी भारी सराहना के बावजूद, वित्त मन्त्री जी, आप सी० आई० ए० को हमारे देश में क्रीड़ा दिवस की अनुमति नहीं देंगे, इस बारे में मुझे कोई सन्देह नहीं है कि ना ही आप ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस को भारतीय भूमि से कार्य संचालन की अनुमति देंगे।

एक माननीय सदस्य : के० जी० बी० को भी नहीं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप अब के० जी० बी० को हड़प कर रहे हैं। आप समझेंगे कि के० जी० बी० की अनुपस्थिति का क्या प्रभाव है जब सी० आई० ए० की यह घुसपैठ और साम्राज्यवादी उद्देश्यों को बढ़ावा देने में तीसरी दुनिया के भ्रष्ट शासनों की मिलीभगत तथा अवैध हथियारों के लेनदेन, अवैध स्वापक औषधों के लेनदेन द्वारा व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने से, महोदय, ऐसी स्थिति में क्या हम चिन्तित नहीं है कि हमारी सुरक्षा प्रभावित न हो; कि हमारी सुरक्षा सम्बन्धी कोई समस्यायें नहीं हैं ? यहां तक कि संसद सदस्यों का भी संसद भवन में पहुंचना आसान नहीं है। देश में सुरक्षा की दृष्टि से हमें रोका जा रहा है, संसद सदस्यों को तंग किया जा रहा है। क्या हम चिंतित नहीं है ? महोदय, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी पार्टी की ओर से बोल रहा हूं, मैंने एक भी नई बात नहीं कही है क्योंकि मेरे पास सूचना का कोई स्रोत नहीं है, मुझे केवल अपने लेटर बाक्स से ही कुछ सूचनाएं मिलती हैं, कुछ सूचनाएं जो सामान्य तरीके से ही मिल जाती हैं, आप जानते हैं, बलरामजी भी यह जानते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है ? केवल यही बात है, यह मेरी कमी है कि मैं उनके मंत्रालय से कोई सूचना प्राप्त नहीं कर पाया हूं। इसलिए, मैं कह रहा हूं कि इस मामले में हमारी आर्थिक स्वतन्त्रता हमारी आर्थिक विश्वसनीयता, हमारी आर्थिक ईमानदारी और आर्थिक ग्राह्यता तथा देश की सुरक्षा के सम्बन्ध में गूढ़ अर्थ है। इसलिए हमें किसी भी कीमत पर हमारी भारतीय व्यवस्था के उच्च सोपानकों में विदेशों की खुफिया एजेंसियों की घुसपैठ को रोकना होगा और इसलिए, महोदय, अब इसने साम्राज्यवादी शक्तियों को प्रोत्साहन दिया है जैसाकि श्री निर्मल चटर्जी का कहना है कि अब केवल यही सर्वोच्च शक्ति है। अब सभी उनकी सफलता पर चिढ़ रहे हैं। आप सोवियत रूस के

विभाजन पर चिढ़ रहे हैं। परन्तु कृपया यह मत भूलिए कि केवल साम्यवादी सोवियत रूस ही आपका निरन्तर दोस्त रहा है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : हम नहीं चिढ़ रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ठीक है। तो फिर यह बहुत अच्छी बात है। परन्तु मुझे आशा है कि आप इस स्थिति को स्वीकार करेंगे कि केवल साम्यवादी रूस ही आपका दोस्त रहा है और कभी आपका साथ नहीं छोड़ा।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : वर्तमान रूस भी हमारा मित्र है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप ऐसी आशा रखते हैं। हमें देखते हैं कि क्या होता है। इस देश में वे आपके पक्के दोस्त रहे हैं। आपके दोस्त श्री बुश का देश बार-बार आपके विरुद्ध गया है, और सोवियत रूस ही जिसने राजनैतिक तौर पर आर्थिक रूप से आपका साथ दिया।

महोदय, स्वतन्त्रता के पश्चात हमारे देश के प्रारम्भिक दिनों में जब जवाहरलाल नेहरू बड़े कारखानों के रूप में नए मन्दिरों, नई मस्जिदों का सपना देख रहे थे, उस समय आपके अमरीकी दोस्त नहीं आए, आपके जर्मन दोस्त नहीं आए और केवल सोवियत रूस ही आपकी सहायता के लिए आया तथा इस हेतु साम्यवादी सोवियत रूस ही आपकी सहायता के लिए आया।

अतः, अमेरिका की शक्ति बढ़ने के बाद साम्राज्यवादी मंसूबे गुप्त नहीं रखे जाते। अब तो वे विश्व के प्रत्येक देश पर हुक्म चला रहे हैं। क्या इस बात पर विश्वास किया जा सकता है कि अमेरिका सरकार को सी० आई० ए० की बी० सी० सी० आई० से सम्बन्धित गतिविधियों का ज्ञान नहीं है? क्या यह विश्वास कर पाना सम्भव है? इसलिये, क्या हमें अत्यधिक सावधान और चौकस होने की आवश्यकता नहीं है? आपको उसके बी० सी० सी० आई० के साथ इसके गठबंधन का पता लगाना है और बी० सी० सी० आई०, मुंबई, को एक पृथक् अस्तित्व के रूप में नहीं समझना है। इसका धन के अवैध संचय के उद्देश्य से तथा मादक द्रव्यों की तस्करी के प्रयोजन से उपयोग किया गया है। फिलहाल, उपलब्ध समाचारों के अनुसार, भारत में उसकी परिसम्पत्तियां देनदारियों से अधिक हैं। मुझे बताया गया है कि हाल ही उसके महाप्रबन्धक के घर की तलाशी हुई थी तथा कुछ सन्देहास्पद दस्तावेज मिले थे। मुझे यह भी बताया गया है, यह बात गलत भी हो सकती है, कि समस्त दस्तावेज, गोपनीय पत्र, आयकर से सम्बन्धित छापे में मिले सभी दस्तावेज तथा गोपनीय पत्र अब उन्हीं को लौटा दिए गए हैं।

महोदय, वित्त मन्त्री जी ने बहुत लम्बा वक्तव्य दिया है। लेकिन मुझे अति खेदपूर्वक यह कहना है कि वह बी० सी० सी० आई० की मुंबई शाखा का एक पर्दा डालने वाला अभियान ही था। मेरा विचार है कि आप 'तथ्य गोपन, मिथ्या सुझाव सुझाने से परिचित हैं। कम से कम मेरा सचिवालय तो उससे परिचित है। ठीक नहीं हुआ है। मुझे बताया गया है कि जिन सज्जन से यह रातों रात तैयार करने को कहा गया, वह बहुत नाराज हुए थे तथा भोर के समय जब उन्होंने लिखने का काम पूरा किया, तो उसमें उन्होंने बिल्कुल असत्य लिख दिया।

श्री मनमोहन सिंह : इसमें कुछ भी असत्य नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तो, फिर हर बात सही है; बहुत ठीक। बहुत से तथ्य प्रकाश में नहीं लाए गए। वित्त मन्त्री जी के वक्तव्य में कहा गया है :

> "बी० सी० सी० आई० 1986 में विवाद में उलझा था जब प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा जांच में यह पता लगा था कि यह बैंक वास्तविक यात्रियों के हस्ताक्षरों की तस्दीक किए बिना ही ट्रैवल एजेंटों को विदेश यात्रा स्कीम के तहत विदेशी मुद्रा उपलब्ध करा रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि जाली तथा नकली हस्ताक्षरों वाले फार्मों के आधार पर विदेशी मुद्रा की काफी धनराशि बांट दी गयी।"

मैं नहीं जानता श्री दिग्विजय सिंह कहां चले गए हैं; मेरे विचार से उन्हें भूख लग रही है। उन्होंने कहा, अचानक ही बड़ी संख्या में पारपत्र आ गए और इस मामले में कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसलिए वे दे दिए गए और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब वित्त मन्त्री के वक्तव्य में कहा गया है कि उन फार्मों पर जाली तथा नकली हस्ताक्षर थे। इसलिए जल्दबाजी में आप जाली और नकली हस्ताक्षरों के आधार पर विदेशी मुद्रा के भुगतान की अनुमति दे रहे हैं? क्या हुआ? कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मैं इसमें नहीं जा रहा कि जार्ज फर्नान्डीज ने जो कहा कि किसी के कहने पर उन्हें छोड़ा गया। यह बात तो उन्होंने पहले ही बड़े जोरदार ढंग से कह दी है।

श्री मणि शंकर अय्यर : इसे कार्य-वृत्तान्त से निकाल भी दिया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे आशा है कि केवल नाम ही हटाया गया है। रिहाई के प्रश्न को आपने रिकार्ड से नहीं निकाला है।

उन्होंने जो कहा है मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं इन बातों का समर्थन करता हूं। बाद में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम मे दिए गए प्रावधान के अनुसार मामलों की सुनवाई करने वाले सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर उनमें से चार व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया। जब चार व्यक्तियों को छोड़ दिया गया, तो बाद में सरकार द्वारा बड़ी मछली श्री मुरारी को भी छोड़ दिया गया। इंडिया टुडे में उनकी फोटो छपी थी।

कृपया देखिए क्या हुआ है। फिर भी, 20-6-1998 के आदेश द्वारा मामले पर न्यायिक कार्यवाही हुई जिसके द्वारा बैंक, उसके कर्मचारियों तथा ट्रैवल एजेंटों पर दण्ड निर्धारित किया गया और बैंक से मिली 1,32,000 अमेरिकी डालर की विदेशी मुद्रा तथा 17,00,057 की भारतीय मुद्रा जब्त करने के आदेश दिए गए। प्रवर्त्तन निदेशालय ने विदेश-यात्रा-स्कीम के तहत विदेशी मुद्रा के अनियमित वितरण सम्बन्धी मामले की जांच की तथा निदेशालय के पास इस धन के हथियार खरीदने के लिए प्रयोग के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं था। वक्तव्य में यही कहा गया है। तो, कोई शिकायत जरूर थी। मैं जानना चाहूंगा कि 1986 में वह शिकायत किसने की थी। निदेशालय यह जानने का प्रयास क्यों कर रहा था कि क्या इस धन का हथियार खरीदने के लिए प्रयोग किया गया था? यह वित्त मन्त्री के वक्तव्य से है। मैं वित्त मन्त्री से जानना चाहूंगा कि यह आरोप अथवा शिकायत किसकी थी कि वे

हथियार खरीद रहे थे। वे कहते हैं कि निदेशालय को कोई साक्ष्य नहीं मिला। किन्तु आरोप किसने लगाया था? आपने इस आरोप की जांच क्यों की थी? भारतीय रिजर्व बैंक ने भी मामले की जांच करने तथा यह पता लगाने के लिए कि क्या अनियमितताएं इतनी गम्भीर थीं कि बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता, एक विशेष जांच दल जनवरी, 1987 में भेजा था। 1987 में अचानक, मामले की जांच कराना आवश्यक क्यों हो गया था? कृपया देखें और पता लगाएं, क्यों? यह मामले की जांच करने के लिए था और यह पता लगाना था कि क्या अनियमितताएं इतनी गम्भीर थीं कि बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाना आवश्यक था। जांच से प्रकट हुआ कि विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अभियानों तथा कतिपय क्षेत्रों में बैंक के व्यवहार में मुख्यतया प्रक्रिया सम्बन्धी अनियमितताए थीं। उन नकली और जाली हस्ताक्षरों को केवल प्रक्रिया सम्बन्धी अनियमितताएं समझा गया। आगे यह भी कहा गया है "भारत में अन्य अनधिकृत डीलरों के मामले में भी ऐसी ही अनियमितताएं पाई गयीं हैं।" हर कोई नकली और जाली हस्ताक्षरों के आधार पर विदेशी मुद्रा के भुगतान के काम में लगा हुआ है। इसलिए बी० सी० सी० आई० भी यही कर रहा है। उसमें गलत क्या है? कहा गया है: "यह तो केवल प्रक्रिया सम्बन्धी अनियमितता है।" वकील के साथ यही परेशानी है। हम वाक्य को बड़ी सावधानी से पढ़ते हैं। आगे कहा गया है: "इससे लाइसेंस रद्द करना जरूरी नहीं हो जाता।"

सभापति महोदय: क्या अब आप अपनी बात समाप्त करेंगे?

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं देश को ही समाप्त हो जाने को रोकने का प्रयास कर रहा हूं।

अतः, मैं कह रहा हूं कि यह सरकार का अपना वक्तव्य है। उन्होंने खुफिया एजेंसी और भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध सूचना का हवाला दिया है।

उनके वक्तव्य से मैं केवल एक पैराग्राफ और पढ़ूंगा। "बी० सी० सी० आई० (ओवरसीज) लिमिटेड, बम्बई शाखा द्वारा भारतीय राजनीतिज्ञों तथा नौकरशाहों को पैसा दिए जाने तथा आतंकवादी संगठनों को धन दिए जाने के समाचारों के सम्बन्ध में इस सदन में उठाए गए मुद्दों के सम्बन्ध में, गुप्तचर संस्थाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध सूचना के आधार पर, इस तरह की किसी विशिष्ट घटना अथवा किसी निश्चित सूचना का कोई संकेत नहीं है।" यही कारण है कि हम जांच कराना चाहते हैं। वित्त मन्त्री महोदय, यह जांच किसने की है? क्या यह जांच आपके रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने की है? क्या उनके द्वारा तथ्यों का रहस्योद्घाटन करना उनके हित में होगा? गुप्तचर संस्थाओं द्वारा किस स्तर पर जांच की गयी है? मैं जानना चाहूंगा कि यह जांच किसने की है: रिपोर्टें कहां हैं? यदि वे बी० सी० सी० आई० के पक्ष में हो तो क्या आप सदन को उनकी जानकारी देंगे? यदि देश के हित के विरुद्ध कुछ भी नहीं पाया गया है, तो आप हमें उसकी जानकारी दें और हमें वे चीजें देखने दें। क्या आपको संसद सदस्यों पर विश्वास नहीं है? आप गुप्तचर संस्थाओं का विश्वास करते हैं; आप भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों का विश्वास करते हैं जो आरोपों के सत्य होने की सूरत में, उसमें अंतर्ग्रस्त होंगे। आप उनकी रिपोर्ट स्वीकार करते हैं। किन्तु आप संसद सदस्यों का विश्वास नहीं करते। मुद्दा यह है कि श्री मनमोहन सिंह ने यहीं पर बस नहीं की क्योंकि उन्होंने वास्तव में उन प्रतिष्ठानों में कार्य किया होगा। कुछ न कुछ बात तो रही ही होगी। इसीलिए वह कहते हैं:

"सरकार मामले के इस पहलू के बारे में पूर्णतया सतर्क है..."

इसलिए, यदि बाद में कुछ पता चलता है तो इस तरह बच निकला जा सकता है। वह कहते हैं :

"मैंने उपर्युक्त वक्तव्य इस समय उपलब्ध सूचना के आधार पर दिया है। यदि आगे कोई सूचना मिलेगी, तो सरकार उपयुक्त कारवाई करेगी।"

प्रासंगिक सूचना किसे समझा जाता है, वह सरकार से किस मन्त्री को कौन देता है? आपको यह सूचना कौन देता है? हम आपको यह सूचना सम्मानित, जानी-मानी, उत्तरदायी प्रकाशनों तथा संस्थाओं से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर दे रहे हैं। उनमें से कुछ तो अपने आप में संस्था बन गए हैं। हमें अच्छा लगे या बुरा, 'टाइम' मैगजीन, द न्यूजवीक, द इकानामिस्ट अपने-अपने देशों में संस्था बन चुके हैं। हमें यह स्वीकार करना चाहिए। इसलिए, मेरे विचार से, यह प्रस्ताव पेश करके तथा एक उपर्युक्त, उचित, गहन जांच करने की मांग करके श्री जसवंत सिंह ने राष्ट्र के प्रति एक बड़ा कर्तव्य निभाया है। मैं कहना चाहूंगा कि संसद के प्राधिकार से एक संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा जांच कराने से बेहतर तथा अधिक स्वीकार्य आगे कोई जांच नहीं हो सकती। मेरा विश्वास है कि इस तथ्य को कोई नहीं नकारेगा।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ शर्मा (हमीरपुर) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है, बहुत संक्षिप्त है। यह दसवीं लोक सभा का पहला अधिवेशन है और अभी कुछ देर पहले जार्ज साहिब की स्पीच में इन्टरप्शंस हुई थीं। हम जो कुछ यहां बोलते हैं वह छपता है और संक्षिप्त रिपोर्ट में छपता है और डिटेल्स इसकी वरबेटम आती है। इसलिए बेहतर यह होगा कि आप आज की ही रिपोर्ट को, जैसे जार्ज साहब या अन्य लोग, कौन, कितनी लाइन बोले, इसको नोट करवा लें और कितना टाइम किसको अलाट हुआ, यह भी देख लें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

श्री विजय एन० पाटील (एरन्डोल) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं कि कल्पनाशील, बुद्धिजीवी, और दक्ष व्यक्ति श्री आगा हसन अबेदी ने जो मूलतः भारतीय हैं, जिनका जन्म भारत में हुआ है, विशेष रूप से बिहार राज्य में, जहां से श्री रामविलास पासवान आते हैं तथा जार्ज फर्नांडीज ने भी चुनाव लड़ा और जीता, ने जीनबूझकर अच्छे प्रयोजन के लिए बैंक खोला था। यह बहुत पहले 1972 में खोला गया था। किन्तु भारत में इसकी शाखा वर्ष 1983 में खोली गयी थी। हम यदि इतिहास का कुछ गहन अध्ययन करें और पाएंगे कि वर्ष 19 6 में, 10,000 मील दूर अमरीका में भी इसकी शाखाएं खोली गयी थी। यह बैंक 70 देशों में 350 शाखाएं चला रहा है। भारत पाकिस्तान का पड़ोसी देश है। पाकिस्तान ने इस बैंक पर प्रभुत्व जमाया है और इसे तीसरे

विश्व का बैंक कहा जाता है। जब 70 देशों में इसकी 350 शाखाएं हैं, तो वर्ष 1983 में भारत में इसकी शाखा खोलते समय हम इसका कोई गुप्त प्रयोजन नहीं मालूम कर सकते थे। इसलिए इसे बुरा नहीं समझा गया था।

8.00 म० प०

श्री जसवंत सिंह और श्री जार्ज फर्नान्डीज भारत में वर्ष 1983 में बी० सी० सी० आई० की शाखा खोलने के कारण राजनैतिक आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें इस विवाद के कारण जमाकर्ताओं की बैंक में फंसी धनराशि में अधिक रुचि नहीं है।

वर्ष 1980 में, इस बैंक ने विशेष रूप से तीसरी दुनिया के देशों में क्षेत्रीय महत्व प्राप्त कर लिया था और जमैका जैसे देश ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कह दिया था कि वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण नहीं ले रहा है, क्योंकि बी० सी० सी० आई० जमैका को 48 मिलियन डालर का ऋण दे रहा है। यही बात पेरू के साथ भी हुई थी। अरब देशों के साथ लेन-देन करते समय, पाकिस्तान हमारा पड़ौसी देश है। बी० सी० सी० आई० की 350 शाखाएं है। यह स्वाभाविक था कि उन्होंने हमारे विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गयी अनेक आपत्तियों के बावजूद भारत में कम से कम एक शाखा खोलने की अनुमति दी गयी थी। हमें इस बैंक की परवर्ती घटनाओं के बारे में भी अध्ययन करना चाहिए। यह बैंक स्थावर सम्पत्ति का कारोबार करने के लिए लखनऊ में शाखाएं खोलना चाहता था। किन्तु कांग्रेस सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। इससे पता चलता है कि प्रथमतः इसकी शाखा खोलने की अनुमति देने में कांग्रेस सरकार का कोई गलत उद्देश्य नहीं था।

श्री जार्ज फर्नान्डीज ने ऐसे कुछ पत्रों को उद्धृत किया है, जो उन्हें इंग्लैंड से भेजे गए हैं। किन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि लोग, विशेष रूप से पाकिस्तान के लोग और देश के अन्य भागों के अन्य मुसलमान इस मामले के बारे में बहुत संवेदनशील हैं। वे कहते हैं कि यह खेल दूसरे धर्म के लोगों का है। मैं कहना चाहता हूं कि घोटाले के मामले के प्रचार से बी० सी० सी० आई० के कर्मचारियों का भाग्य नहीं बदलने वाला है। मैं सिन्ध प्रांत के मुख्यमन्त्री के वक्तव्य को उद्धृत करना चाहता हूं, वह कहते हैं :

> "पाकिस्तान के दक्षिणी प्रान्त के मुख्यमन्त्री जाम सादिक अली ने कहा है कि अबेदियों की सफलता शायद इतनी अधिक थी कि यहूदी उसे पचा नहीं पाए।"

वे अब भी सोच रहे हैं कि इस घोटाले से अनेक बातों का पता चलेगा। लन्दन में उच्च न्यायालय ने प्रमुख शेयरधारी आबूधाबी के शेख जायद बिन सुल्तान से आश्वासन मिलने के कारण ही पहले से इस बैंक को चलाने की अनुमति दी है। इन परिस्थितियों में, हमें यह देखना है कि हमारे जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा कैसे हो। संदिग्ध ऋण देने से क्या हुआ? केवल रिलायन्स ने ही ऐसा नहीं किया है। बल्कि प्रतिपक्ष में बैठे हमारे मित्र के एक घनिष्ठ उद्योगपति मित्र यूनाइटेड ग्रुप के श्री आर० के० गुप्त पर आरोप है कि उन्होंने इस बैंक से 12 करोड़ रुपए का संदिग्ध ऋण लिया है और उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है।

मुम्बई में, तथाकथित जाली पासपोर्ट के रूप से पाए जाने पर जाली हस्ताक्षरों का पता चला। कुछ लोगों को विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है। किन्तु पर्याप्त प्रमाण न मिलने के कारण न्यायालय ने उन्हें छोड़ दिया था। किन्तु दुर्भाग्यवश, श्री जार्ज फर्नान्डीज इस अवसर का फायदा उठाना चाहते हैं और भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पर आरोप लगाते हैं। एक संसद सदस्य को यह शोभा नहीं देता, जबकि न्यायालय ने अपराधियों को छोड़ दिया है।

जहां तक इसके कार्यकलापों की जांच करने के लिए संसदीय समिति नियुक्त करने का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि यह एक बहुराष्ट्रीय संस्था है और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारी मुम्बई शाखा की लेन-देन की जांच कर रहे हैं। और अमरीका सरकार का एक 'ग्रान्ड जूरी' और शाखाओं में इसके कार्यकलापों की जांच कर रही है। लन्दन के उच्च न्यायालय में यह मामला चल रहा है तथा अन्य देशों में जांच की जा रही है।

इस चरण में, बी० सी० सी० आई० के कार्य-कलापों की जांच करने के लिए, संयुक्त समिति नियुक्त करना अच्छी बात नहीं होगी। चूंकि, इस घोटाले का और अधिक प्रचार करने के बजाय, हमें जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा करने की कोशिश करनी चाहिए। श्री सोमनाथ चटर्जी ने आरोप लगाने की कोशिश की थी कि सरकारी अधिकारियों के कुछ सम्बन्धी इस बैंक में कार्यरत हैं। कहा गया है कि "यह तीसरी दुनिया का बैंक है, इसका यह कमजोर मुद्दा है और पाकिस्तान में कार्यरत लोगों के सम्बन्धी और मित्र, जो इस बैंक को नियंत्रित कर रहे हैं, को बैंकिंग प्रशासन में उनकी सक्षमता के बिना ही कर्मचारी नियुक्त कर दिया है। मुझे उन लोगों की नियुक्ति में कुछ भी गलत नहीं लगता, जो संयोग से भारत सरकार के कुछ अधिकारियों से सम्बन्धित हैं। इस बैंक का कार्य सही लगता है और इसका कार्यकरण अच्छा है। देश के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री हाल ही तक इस बैंक के वित्तीय सलाहकार थे। कुछ क्षेत्रों में, कुछ देशों में विवाद पैदा हुए और भौंहें चढ़ाई गयी, क्योंकि तानाशाहों द्वारा शासित अथवा जो देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण प्राप्त नहीं कर सके थे, इस बैंक ने उन देशों की परियोजनाओं को वित्तपोषित किया था।

कुछ अनियमितताएं हो सकती हैं; भ्रष्टाचार हो सकता है, किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि विपक्ष का प्रत्येक सदस्य आरोप लगाने की कोशिश करे और सत्तारूढ़ दल के प्रति भौंहे चढ़ाये तथा इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करे।

जब वित्त मंत्री ने विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा की गयी कुछ छानबीन के बारे में आश्वासन दें, तो इन शब्दों के साथ, मैं श्री जसवन्त सिंह से अनुरोध करता हूं कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री छीतूभाई गामित (माण्डवी) : आदरणीय सभापति महोदय, श्री जसवन्त सिंह जी ने जो

विधेयक यहां पेश किया है, इसके बारे में अभी तक चर्चा हो चुकी है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत-सी बातें कही हैं। इन सभी बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन सभापति महोदय, दुःख और निराशा के साथ मैंने जो संशोधन पेश किया है उसके बारे मे मैं कहने जा रहा हूं। मै 1977 से लगातार अभी तक लोक सभा का सदस्य रहा हूं। इस अवधि मे देश की आर्थिक परिस्थिति के बारे में लगातार चर्चाएं होती रहीं और मैंने देखा कि देश की आर्थिक दशा दिन-प्रति-दिन बिगड़ती जा रही है। इससे हम इन्कार नहीं कर सकते।

सभापति महोदय, मैंने यह भी देखा है हमारी आर्थिक दशा बिगड़ती जाने पर विदेशी व्यापार पर भी बहुत विपरीत असर पड़ा है। इससे हम इन्कार नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा विदेशी मुद्रा भण्डार लगातार कम होते जाने से हमारे विदेशी व्यापार की स्थिति बहुत वयनीय है। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं, सन् 1977 में केन्द्र में विरोधी दलों की सरकार बनी और उस समय भी हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ी थी। 1980 के चुनाव के बाद तत्कालीन प्रधान मन्त्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने फिर से देश की बागडोर सम्भालने के बाद जो भारतीय विदेशों मे रहते हैं। अपना उद्योग-धंधा करके पैसा कमाते हैं। उनका सारा धन विदेशों में ही रहता था। उन भारतीयों ने विदेशी धन अपने देश मे लाने के लिए एन० आर० आई० योजना बनाई। इस सदन के सभी संसद सदस्य जानते हैं कि इस योजना से विदेशो में रह रहे भारतीयों ने करोड़ों रुपया विदेशी मुद्रा में इस देश मे पूंजी निवेश किया है। इससे हमारे विदेश व्यापार के ऋण के भुगतान में काफी फायदा हो रहा है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं तो सूरत जिला खासकर दक्षिण गुजरात से हजारों लोग तादाद में विदेशों में रहकर बहुत अच्छा उद्योग-धंधा करके पैसा कमा रहे हैं। उन्होने बी० सी० सी० आई० बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में धन हमारे देश में भेजा है। आज यह बी० सी० सी० आई० बैंक की जो कन्ट्रोवर्सी चल रही है उससे मेरे क्षेत्र के जो लोग विदेश मे रह रहे हैं उनके कुटुम्बजन मुझे मिले हैं। उन्होंने कहा कि हमने तो भारत के हित के लिए विदेशी मुद्रा में बी० सी० सी० आई० बैंक मे रुपया जमा किया था जिसकी आज सिक्योरिटी नहीं है और अब भी इसके बारे मे लोक सभा में चर्चा की जाए तभी आप हमारे प्रतिनिधि के नाते हमने विदेशी मुद्रा म जो इस बैंक मे पैसा रखा है उनको भारत सरकार से इसका सरक्षण मिलना चाहिए। इन लोगो के हित को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक का मैं सशोधन करने जा रहा हूं। मैं आपके माध्यम से बी० सी० सी० आई० बैंक कब और क्यो शुरू की गई थी इसके बारे में इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सन् 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी और आदरणीय श्री मोरारजी भाई देसाई प्रधान मन्त्री थे और श्री एच० एम० पटेल वित्त मन्त्री थे उसी समय में इस बैंक की शाखा खोलने की इजाजत दी गई थी और सन् 1983 में बी० सी० सी० आई० बैंक की शाखा खोली गई थी। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा कि 1983 में इजाजत दी गई। लेकिन जब वास्तव में जनता दल की सरकार थी उसी समय बैंक खोलने का निर्णय किया गया। उस समय श्री फर्नान्डीज साहब उद्योग मन्त्री थे और सरकार में थे। उसी समय बैंक शुरू करने की अनुमति दी गई है। इसकी आवश्यकता इसलिए थी कि पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध कायम किए जाएं और यह हमारी विदेश नीति है कि भारत मे बैंको को शाखाएं खोले जाने की अनुमति दी जाए जोकि हमारी विदेश नीति की गाईड लाइन्स के अन्तर्गत आती हैं। हमें याद रखना चाहिए कि उस समय विदेशी मुद्रा की अतिआवश्यकता थी क्योंकि विदेशी मुद्रा ऋण का भुगतान बड़ी कठिनाई से हो रहा था और 1982-83 मे ऐसी बहुत-सी कठिनाइयां के साथ विदेशी मुद्रा का सामना

करना पड़ा और एक कारण यह है कि हमने एन० आर० आई० को भारत में पूंजी लगाने के लिए उत्साहित किया। 1982-83 में बी० सी० सी० आई० या इसके समान्तर बैंक को भारत में शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई। मुझे आश्चर्य की बात है कि तत्कालीन वित्त मन्त्री आदरणीय श्री बी० पी० सिंह जी और उनके सहायक भूरे लाल को इन गतिविधियों की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसके विरोध में कोई कार्यवाही नहीं की। मैं आपके माध्यम से यह प्रश्न करना चाहता हूं कि 1989 में जब श्री बी० पी० सिंह प्रधान मन्त्री थे और दंडवते जी वित्त मन्त्री थे और श्री जार्ज फर्नान्डीज भी मन्त्री थे और इस विधेयक का मूल प्रस्ताव रखने वाले आदरणीय श्री जसवन्त सिंह जी इन सबके अच्छे दोस्त थे। तो उसी समय उन्होंने बी० सी० सी० आई० के विरुद्ध कुछ नहीं कहा और कोई कार्यवाही नहीं की। श्री बी० पी० सिंह जी सन् 1986 में इस बात को जानते थे। ऐसी कई बातें पेपर में आ चुकी हैं। मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि श्री जसवन्त सिंह द्वारा लाया गया विधेयक और श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा संशोधित विधेयक, श्री हर्षमैन द्वारा दिए गए साक्षात्कार के विषय में थे।

सभापति महोदय, यह वही हर्षमैन हैं—जिन्होंने कहा था कि 1985-86 में तत्कालीन वित्त मन्त्री बी० पी० सिंह ने उन्हें पत्र दिए थे जबकि श्री बी० पी० सिंह जी कहते हैं कि हर्षमैन से उनकी कभी भी मुलाकात नहीं हुई। क्या हम हर्षमैन के कहने पर निर्भर करें जो सदा झूठ बोलता है। मुझे जानकारी है कि वहां भारतीय स्टेट बैंक बी० सी० सी० आई० बम्बई शाखा की बारे में तलाश कर रही है। जब इसकी इन्क्वायरी चल रही है तो हमारे एन० आर० आईज० को बहुत-सी समस्यायें आ सकती हैं। जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा भारत को दी है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इसके बारे में जो तथ्य विरोधी कार्यवाही चली है, इसका परिणाम आने तक इसके बारे में इन्तजार करना चाहिए और साथ ही इस विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है—इसका भी इन्तजार करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं फिर से आपके माध्यम द्वारा वित्त मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि विदेशी और देशी भारतीयों, उद्योगपतियों और व्यापारियों ने अपना पैसा बी० सी० सी० आई० बैंक में जमा कराया है, उनको भारत सरकार द्वारा संरक्षण दिया जाना चाहिए और उनकी पूरी सिक्यूरिटी करनी चाहिए जिससे विदेशी भारतीयों का मनोबल ऊंचा रहे। जो विधेयक मूल रूप में श्री जसवन्त सिंह ने प्रस्तुत किया है, उसमें मैंने जो संशोधित प्रस्ताव दिया है, जोकि कार्यसूची में दिया गया है, इस पर सहानुभूति-पूर्वक विचार किया जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या मन्त्री इस समय उत्तर देना पसन्द करेंगे ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि विपक्ष के तीन अथवा चार दिग्गजों ने इस मामले के

तथ्यों के प्रत्येक पहलू पर बोल दिया है और मैं समझता हूं कि अब कुछ भी कहना शेष नहीं रह गया है और यदि बोलना ही पड़ा तो यह केवल उन्हीं मुद्दों की पुनरावृत्ति होगी।

(व्यवधान)

श्री बी० विजय कुमार राजू (नरसापुर) : तेलगु देशम पार्टी का सदस्य होने के नाते अपने दल की ओर से मैं बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय : अब समय नहीं है। इसके लिए तीन घंटे का समय आवंटित किया गया था और हमने इसे पहले ही बढ़ाकर साढ़े चार घंटे का कर दिया है।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलू (तेनाली) : हमारे दल को अपनी बात कहने दीजिए।

सभापति महोदय : सभी तथ्य तो सामने आ चुके हैं।

श्री बी० विजय कुमार राजू : तब हम इस सभा में ही इसकी चर्चा क्यों करें? सारे तथ्य समाचारपत्रों में आ चुके है।

सभापति महोदय : बिल्कुल ठीक। मैं तेलुगु देशम दल के केवल एक सदस्य को अनुमति दूंगा। आपके दल का एक नाम दिया गया है। श्री विजयकुमार राजू बोल सकते है। कृपया संक्षेप में बोलें और जिन तथ्यों के बारे में पहले ही बोला जा चुका है उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री बी० विजयकुमार राजू : मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय) : सभा के सामने अब भी बहुत कार्य है और जब तक आप अब मन्त्री महोदय से उत्तर देने को नहीं कहेंगे, हम प्रातःकाल 1 बजे तक बैठेंगे। (व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है। मैं समझता हूं सभा कि यह आम राय है कि मन्त्री अब उत्तर दें।

श्री बी० विजय कुमार राजू : कार्य मन्त्रणा समिति ने पहले ही निर्णय लिया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, आपकी बात का प्रतिवाद किये बिना मैं यह कहना चाहता हूं...

सभापति महोदय : मैं आपके सुझाव का स्वागत करता हूं।

श्री जसवन्त सिंह : यह सुझाव नहीं है। नियमों में यह व्यवस्था है कि जवाब देने का अधिकार प्रस्ताव के प्रस्तावक को प्राप्त है मन्त्री महोदय को नहीं। मैं गलत धारणा को सही करना चाहता हूं। मन्त्री महोदय हस्तक्षेप कर सकते हैं। परन्तु जवाब देने का अधिकार प्रस्तावक को प्राप्त है।

सभापति महोदय : मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बात को ठीक किया। अब मन्त्री महोदय हस्तक्षेप करेंगे। उसके बाद आपके साथ-साथ श्री जार्ज फर्नान्डीज और श्री गामित को, जिन्होंने संशोधन प्रस्तुत किए हैं, भी बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री बी० विजय कुमार राजू : महोदय, मैं भी बोलना चाहता हूं। मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं और आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय उनका जवाब देंगे।

सभापति महोदय : मैं आपको बाद में अवसर दूंगा। पहले मन्त्री महोदय की बात सुनिए।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मैंने इस चर्चा को बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। मैं आपका ध्यान अपने पहले वक्तव्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें मैंने कहा था कि मैंने यह वक्तव्य अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर दिया है। मैंने यह भी कहा था कि यदि और अधिक जानकारी उपलब्ध होगी तो मैं उसकी उचित ढंग से जांच कराऊंगा।

मुझे श्री जार्ज फर्नान्डीज और श्री जसवन्त सिंह का एक पत्र मिला था जिसमें कुछ आरोप लगाए गए थे। मैंने समाचारपत्रों में भी पढ़ा है और मेरे विचार से अनेक माननीय सदस्यों ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं से उद्धृत किया है।

अब मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं बी० सी० सी० आई० के बारे में किसी भी जानकारी को नहीं छिपाऊंगा। मैं सरकार की सभी सम्बद्ध एजेंसियों को आदेश दूंगा कि सभा में जो कुछ कहा गया है उसकी जांच की जाए। मैं भारतीय रिजर्व बैंक को भी इसकी जांच करने का आदेश दूंगा। मैं अपनी सभी खुफिया एजेंसियों से इस सभा में जो कुछ कहा गया है उसकी जांच करने के लिए कहूंगा।

सभा के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित गम्भीर मुद्दे उठाए गए हैं और आरोप लगाए गए हैं। वित्त मन्त्री होने के नाते यह सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है कि इस प्रकार की चिन्ता की उचित ढंग से जांच की जाए। आप मेरा विश्वास कीजिए यहां जो कुछ कहा गया है उसकी उचित ढंग से जांच की जाएगी।

परन्तु समाचारपत्रों में जो कुछ छपा है मैं उसके आधार पर कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता हूं। मैं प्रेस की स्वतन्त्रता का सम्मान करता हूं और हमें अपनी परम्पराओं पर गर्व है कि हमारे देश में एक स्वतन्त्र प्रेस है। मेरे विचार से कभी-कभी इसकी वजह से सरकार को परेशानी हो जाती है। मुझे पूरी आशा है और मैं प्रार्थना करता हूं कि यह इसी स्थिति में बनी रहे हमारी प्रेस स्वतन्त्र रहे। परन्तु बी० सी० सी० आई० से निपटने के लिए कार्यवाही करने से पहले मैं प्रेस के संवाददाताओं के कुछ कार्यों का उल्लेख करना चाहता हूं।

इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक वक्तव्य में एक सन्दर्भ दिया गया है। इस वक्तव्य में कुछ व्यक्तियों पर आक्षेप लगाकर कुछ सन्दर्भ दिए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के कुछ संस्करणों में मुझे बताया गया है कि मुम्बई और मद्रास के संस्करणों में स्पष्ट रूप से मेरा उल्लेख इस प्रकार किया गया

है कि मैं बी. सी. सी. आई. को बचाने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि मेरी पुत्री को किसी विशेष एजेंसी से छात्रवृत्ति जिसे बदले में मिली थी बी. सी. सी. आई. से कुछ वित्तीय सहायता मिली थी। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं और मैं इस सभा से कुछ भी छिपाना नहीं चाहता हूं। मेरे विचार से यदि इस मामले में, जो तथाकथित रूप से देश की सुरक्षा से संबंधित है, मेरे आचरण के संबंध में थोड़ा-सा भी सन्देह है तो मैं इस देश का वित्त मन्त्री होने के योग्य नहीं हूं। इसलिए मैं इस बात पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। मेरी एक पुत्री है जिसका उज्जवल भविष्य है। वह हमेशा प्रथम श्रेणी की छात्रा रही है। उसने दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में स्नातक आनर्स किया था। 1987 में दक्षिण आयोग के महासचिक का पदभार ग्रहण करने के लिऐ मैंने भारत सरकार की नौकरी छोड़ दी थी। इसी दौरान उसने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। देश में एक ओक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज सोसाइटी है जो इन उन विश्वविद्यालयों के पूर्व छात्रों की सोसाइटी है। उन लोगों ने किसी फर्म को चंदा दिया था तथा ओक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज सोसाइटी उन छात्रों को अनेक वर्षों से 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति दे रही है जो ओक्सफोर्ड अथवा कैम्ब्रिज में आगे अध्ययन करना चाहते हैं।

यह भी सच है कि बी. सी. सी. आई. ने विभिन्न संस्थाओं के लिए बैंक द्वारा चंदा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ओक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज सोसाइटी को चंदा दिया था। यह निश्चित तौर पर सच है कि जब मेरी पुत्री ने आवेदन किया था तो उसका 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति के लिए चयन हो गया था। उस समय मैं इस देश में नहीं था। मुझे यह भी पता नहीं था कि उसने इसके लिए आवेदन किया है। मैं इस सभा को यह पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूं कि कोई भी मुझे छात्रवृत्ति के लिए कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता और मेरी यह पूरी इच्छा है कि आज के इंडियन एक्सप्रेस में मेरे आचरण के संबंध में जो यह आक्षेप और आरोप लगाया गया है कि मैं बी. सी. सी. आई. की जानकारी छिपाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी पुत्री को ओक्साफोर्ड और कैम्ब्रिज सोसाइटी से जो 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिली थी इसका कुछ भाग बी. सी. सी. आई. द्वारा दिए गए चंदे का था, उसकी विपक्ष के प्रमुख माननीय सदस्यों द्वारा जांच की जाए। मैं इस बात को सभा की नेक भावना पर छोड़ता हूं और मैं अपनी किसी प्रकार से जांच कराने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मैं इस मामले में अपने आचरण के संबंध में विपक्ष के प्रमुख माननीय सदस्यों के निर्णय का पालन करूंगा।

महोदय, अब मैं इस मुद्दे के सार का उल्लेख करता हूं। मेरे विचार से श्री जार्ज फर्नान्डीज और अन्य माननीय सदस्यों ने यह पूछा है कि बी. सी. सी. आई. भारत में किस प्रकार आई। मैंने यह बता दिया था कि 1977 में बैंक ने अपना एक प्रतिनिधि कार्यालय खोला था। मेरे विचार से यदि मुझे याद है तो 1978 में दूसरे सदन में इस पर चर्चा भी हुई थी। अनेक सदस्यों का विचार था कि तीसरी दुनिया के बैंक को इस देश में लाया जाना चाहिए। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताता हूं कि अरब देशों का दबाव पड़ा था आबूधाबी का कहना था कि इस बैंक को भारत में लाया जाना चाहिए। 1979 में तत्कालीन सरकार ने राज्य मन्त्री स्तर पर यह निर्णय किया था कि रिजर्व बैंक से इस बैंक की शाखा खोलने के विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। तत्कालीन वित्त मन्त्री ने इस निर्णय को स्वीकृति दे दी थी।

मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं किसी उद्देश्य से आरोप नहीं लगा रहा हूं। उस समय वित्त मन्त्री चौधरी चरण सिंह थे। ईमानदारी के मामले में मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। इसलिए जब मैं यह तथ्य बता रहा हूं तो मैं यह आरोप नहीं लगा रहा हूं कि राज्य मन्त्री अथवा चौधरी साहब ने किसी नापाक इरादे से कार्य किया था। परन्तु यह अनुमान लगाया गया था कि प्रगतिशील बैंक स्थापित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मुसलमानों की राय थी कि हम इसके विरुद्ध भेदभाव क्यों कर रहे हैं। कुछ अरब देशों से प्रतिनिधि भी आये थे। इस बैंक की शाखा खोलने का निर्णय वास्तव में वित्त मन्त्री स्तर पर लिया गया था।

सभापति महोदय : मुझे खेद है कि मैं आपके बीच में व्यवधान डाल रहा हूं। मेरे विचार से कल जब आप इस विषय पर बोल रहे थे तो आपने इस बात का जिक्र किया था कि कहां फायदा हाथों-हाथ पहुंचाई गयी थी। इसका क्या प्रभाव पड़ा?

श्री मनमोहन सिंह : मैं यह नहीं जानता। यदि मैंने यह बात कही थी तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं इस बात को पुनः दोहराता हूं यह कहने के पीछे मेरी ऐसी कोई आशा नहीं कि उनका कोई नापाक इरादा था।

उस समय सरकार गिर गई। तब श्री बहुगुणा वित्त मन्त्री थे और चौधरी साहब प्रधानमन्त्री थे। यह निर्णय लिया गया था कि इस मामले की एक बार पुनः समीक्षा की जानी चाहिए और उस समय यह निर्णय लिया गया कि विशेष निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए। बी. सी सी. आई. ने अपनी पहुंच से बार-बार आग्रह किया। 1983 में मैं समझता हूं कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मुम्बई में बैंक की शाखा खोलने का निर्णय लिया गया था।

अब कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर का क्या विचार था और रिजर्व बैंक और वित्त मन्त्रालय के बीच क्या अंदरूनी बातचीत हुई थी? मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि रिजर्व बैंक और सरकार के बीच गोपनीय पत्र व्यवहार को सार्वजनिक चर्चा का विषय बना दिया जाए तो यह बुरा होगा परन्तु मैं इतना कहता हूं कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बी. सी. सी. आई. की शाखा खोलने की सहमति हुई थी। उस शाखा को देने के लिए अधिकार रिजर्व बैंक के पास है। सरकार और रिजर्व बैंक के बीच हमेशा विचार-विमर्श होता रहता है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब किसी का कुछ विचार होता है परन्तु अन्ततः दूसरा विचार भी प्रभावी होता है। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारत में इस बैंक को खोलने में कोई नापाक इरादा था, कोई भी यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है कि 1979 में इस बैंक की शाखा खोलने के लिए कोई नापाक इरादा था। यदि आप आज की स्थिति पर ध्यान दें तो मेरे विचार से आप इस बात से सहमत होंगे कि इस बैंक को खोलना सम्भवतः एक भूल थी।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : धन्यवाद।

श्री मनमोहन सिंह : परन्तु मैं सोचता हूं कि कोई भी अनुभव से बुद्धिमान होता है। परन्तु तथ्य यह है कि 1983 में इस बैंक की शाखा खोलने के लिए सभा में इस प्रकार का आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह वास्तव में सच है। आपकी बात अस्वीकृत कर दी गई थी। अब यह बात सच है।

श्री मनमोहन सिंह : दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है। इस बैंक पर निगरानी रखी गई है।

मैं कोई रहस्य नहीं खोल रहा हूं क्योंकि शुरू से ही यह संदेह था कि इस बैंक के सम्बन्ध पाकिस्तान से हैं। लेकिन आप किसी व्यक्ति अथवा संस्था को केवल संदेह के आधार पर दण्ड नहीं दे सकते। हमारा समाज कानून के शासन द्वारा शासित होने में गर्व महसूस करता है यद्यपि संदेह तो था लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं था कि यह बैंक इस प्रकार के किसी कार्य में लिप्त है।

फिर, अत्यन्त सावधानीवश भारतीय रिजर्व बैंक तथा आसूचना अभिकरण इस बैंक की गतिविधियों की हमेशा निगरानी करते रहे। अब प्रश्न यह उठता है कि हम बी० सी० सी० आई० की मुम्बई शाखा और बाहर की शाखाओं में बनावटी भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ईमानदारी से कहें तो भारतीय रिजर्व बैंक और हमारे आसूचना अभिकरण—वे ससाधन जो हमारी इच्छा से कार्य करते हैं—उतने प्रभावशाली नहीं हैं कि बी० सी० सी० आई० की दुनिया भर की शाखाओं की गतिविधियों पर निगरानी रख सकें। मैं यह भी कहूंगा कि एक समय तीसरी दुनिया में बी० सी० सी० आई० के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। केवल दो-तीन साल पहले उन्होंने चीन में एक शाखा खोली। मैं थर्ड वर्ल्ड फाउन्डेशन का उल्लेख कर सकता हूं जिसे बी० सी० सी० आई० ने वित्तपोषित किया था। यह तीसरी दुनिया के अनेक उद्देश्यों के लिए बहुत क्रियाशील रहा।

इस सभा में तन्जानिया के विशिष्ट पूर्व राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया था जिन्हें तीसरी दुनिया का पुरस्कार मिला था।

अब आप क्या यह कहना चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति जुलियस नेरेरे सी० आई० ए० के लिए कार्य कर रहे थे या कि वह स्वापक औषधियों से धन कमा रहे थे। मेरे विचार से यदि आप ऐसा करते हैं तो आप तीसरी दुनिया के देशों की महानतम विभूतियों में से एक श्री नेरेरे का अपमान कर रहे हैं।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, जब मैं दक्षिण आयोग का महासचिव बना तो 'थर्ड वर्ल्ड फाउन्डेशन' ने दक्षिण आयोग को 400000 डालर देने का वादा किया था। (व्यवधान) थर्ड वर्ल्ड फाउन्डेशन दक्षिण आयोग को 400000 डालर देने पर सहमत हो गया था। जब मैं महासचिव बना, तो किसी न किसी कारण से, उन्होंने वादा भी पूरा नहीं किया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे आपसे भयभीत थे।

श्री मनमोहन सिंह : चाहे जिस कारण से ऐसा हुआ हो, यह सत्य कि 'थर्ड वर्ल्ड फाउंडेशन' को बी० सी० सी० आई० का सहयोग मिला और क्योंकि थर्ड वर्ल्ड फाउंडेशन ने दक्षिण आयोग को सहयोग दिया था और इसीलिए दक्षिण आयोग के चेयरमैन सी० आई० ए० के आदमी हो गए या नशीले पदार्थ के विक्रेता हो गए, मेरे विचार से इन बातों से हम बहुत सी बातों का मतलब निकाल रहे

हैं। खोजी पत्रकारिता का अपना स्थान है लेकिन बहुत सी बातें जो ईमानदारी से कही जा रही हैं उन्हें मामले के तथ्य से प्रमाणित नहीं किया जा रहा है।

अनिवासी कम्पनियों या फर्मों के खास समूह द्वारा पूंजीनिवेश का उल्लेख किया गया था; अनिवासी भारतीयों का भी उल्लेख किया गया था। जिस प्रकार से उनका उल्लेख किया गया उससे मुझे बहुत दुःख हुआ। इस समय हमारे देश में अनिवासियों की बहुत बड़ी राशि जमा है, लगभग 11 बिलियन डालर। यदि इस देश में यही मानदण्ड बन जाए कि कोई भी व्यक्ति जो अनिवासी भारतीय के रूप में यहां पैसा जमा कराता है, उसे काले धन का व्यापार करने वाला समझा जाए तो···

श्री सोमनाथ चटर्जी : किसी ने नहीं कहा।

श्री मनमोहन सिंह : आप नहीं कह सकते लेकिन इसका यही अर्थ निकाला जाएगा। मेरे विचार से, इस तरह से भारतीय बैंक प्रणाली को अपूर्णीय क्षति होगी।

हमने मुम्बई शाखा की गतिविधियों की जांच की है। मैं यह भी कह सकता हूं कि एक शंका थी और इसीलिए अनेक अवसरों पर भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य अभिकरणों द्वारा जांच कराई गई थी और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 1986 में की गई कार्यवाही का हवाला दिया गया था। यह सत्य है कि उन्होंने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन किया था; कि जाली हस्ताक्षर थे; लेकिन दोषी एक ट्रैवेल एजेन्सी थी; और मैं इस बात का उल्लेख कर सकता हूं कि जाली पारगमन पत्र का मामला सत्य नहीं पाया गया; जब इस मामले की जांच सलाहकार समिति द्वारा की गई; कि वही प्रवर्तन निदेशालय यह साबित नहीं कर पाया कि इन लोगों के पास जाली पारगमन पत्र थे; वास्तव में कम से कम 80 लोग सलाहकार बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुए। वास्तव में वे तीर्थयात्री थे और वे 'हज' के लिए गए थे। इसलिए, उनके बारे में जो कुछ कहा गया मेरे विचार से ठीक नहीं है। यह सच है कि उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए और इसीलिए उनकी ओर से अंगूठे का निशान या जाली हस्ताक्षर किए गए; लेकिन यह सच है कि इन लोगों ने यात्रा अवश्य की थी और यह कि वे सही यात्री थे। इसलिए मेरे विचार से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लगाए गए आरोप सलाहकार समिति के सामने सच नहीं साबित किए जा सके। मेरे मन में अपने प्रवर्तन विदेशालय के लिए बड़ा सम्मान है लेकिन कभी-कभी हमारी तरह वे भी उत्साह में बह जाते हैं। इसलिए इस सदन का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि जब वह अपने देश के नागरिकों की बात कर रहे हों तो हमें उनके खिलाफ उच्छृंखल आरोप नहीं लगाना चाहिए जिन्हें अपना बचाव करने का अवसर न मिले। ख्याति अर्जित की जाती है और ख्याति नष्ट की जाती है। इस सभा में उसका हवाला दिया जाता है। सभा के विशेषाधिकार कुछ भी कहने से लिए हमारा संरक्षण करते हैं। मेरे विचार से बिना ठोस आधार के आरोप लगाना ठीक नहीं है।

इसी प्रकार भारतीय स्टेट बैंक और सिंडीकेट बैंक की कार्यप्रणाली का भी उल्लेख किया गया है। इसलिए जब तक बी० सी० सी० आई० यहां का अनुसूचित बैंक था, भारतीय स्टेट बैंक अथवा अन्य किसी भारतीय बैंक का उसके साथ बैंकिंग सम्बन्ध होने को मैं बुरा नहीं मानता हूं।

सामान्य गतिविधियां आपस के विश्वास पर चलती थीं। अब जब यह पता लगा कि बी० सी० सी० आई० कुछ अवांछित गतिविधियों में लिप्त था इससे हमारे बैंकरों की एकता-अखण्डता पर कोई

शंका नहीं होती, चाहे वह सिन्डीकेट बैंक हो या अन्य कोई बैंक। उन्होंने गलतियां की होंगी, उन्होंने नुकसान किए होंगे। लेकिन मेरा यह आरोप है कि वे इस देश को धोखा देने वाले, कालेधन का व्यापार करने वाले गिरोह के अंग थे। मैं उस आरोप के बारे में सोचता हूं, तो मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं इसका कड़ाई से विरोध करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह पूर्णतः गलतफहमी है। राष्ट्रीयकृत बैंक वहां क्यों पूंजीनिवेश करेंगे ? यह पूंजीनिवेश अन्य कई बैंकों ने किया था।

श्री मनमोहन सिंह : उदाहरण के लिए मैंने भारतीय स्टेट बैंक के कुछ लेन-देन की जांच की है। उन लोगों का नाम लेना, जिन्हें लाभ मिला है अथवा उस लेन-देन की विषय वस्तु बताना, मेरी बुद्धिमानी नहीं कही जाएगी। मैं यही कह सकता हूं कि भारतीय स्टेट बैंक ने उस लेन-देन से धन कमाया। मुझे प्रथम दृष्टया उस लेन-देन में कोई गलती नहीं दिखाई दी।

इसलिए इस सभा से मेरी यही विनती है कि इस सभा में जो कुछ भी कहा गया है, मैं उसे भारतीय रिजर्व बैंक तथा अपने आसूचना अभिकरणों तक पहुंचा दूंगा। मैं सभा को यह भी सूचित कर दूं कि मैंने या यों कहें कि रिजर्व बैंक ने मैसर्स बिलिमोरिया एण्ड कम्पनी को, मुम्बई शाखा की इसके आरम्भ होने से लेकर अब तक की गतिविधियों की व्यापक लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। इसलिए यदि बी० सी० सी० आई० की मुम्बई शाखा के आचरण के बारे में कोई सूचना हो तो उसे कृपया उस तक पहुंचाएं। मैं इसकी जांच कराऊंगा।

सुरक्षा पक्ष के बारे में मैं स्वयं सुरक्षा संगठनों के प्रमुखों के सम्पर्क में रहा हूं। उन्होंने जो मुझे बताया मैं उसका खुलासा नहीं करूंगा लेकिन उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जो कुछ भी हो रहा है वे उससे अवगत हैं और कि वे सतर्क हैं और कि यद्यपि बहुत सी शंकाएं अवश्य हैं, परन्तु ईमानदारी के साथ कहूं तो हमारे देश में बी० सी० सी० आई० के किसी अनुचित कृत्य का प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन मेरे विचार से, जैसाकि मैंने कहा, इन बातों में अन्तिम रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। यदि इन पक्षों पर कोई जानकारी, चाहे जिससे, चाहे सीनेट जांच द्वारा अथवा 'बैंक आफ इंग्लैण्ड' की जांच द्वारा, मिलती है तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे। हम इसे बन्द नहीं करना चाहते।

जैसा मैंने कहा कि विगत से लेकर आज तक देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश में बी० सी० सी० आई० को लाना एक भूल थी। किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि जो इसे इस देश में लाये उनके इरादे ठीक नहीं थे। मेरा विचार है कि यह उन पर लागू नहीं होता जो वर्ष 1979 में इस बैंक को यहां लाना चाहते थे या जो इसे वर्ष 1983 में यहां लाये।

इन शब्दों के साथ में माननीय सदस्य को मुझे स्थिति साफ करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

अब मैं माननीय श्री जसवन्त सिंह जी से अपने प्रस्ताव पर जोर न देने का आग्रह करता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : परन्तु आपने संशोधनों पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की ऐसा समाचार आया है कि विभिन्न चरणों में बहुत से उच्च पदों वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है। इन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया।

दूसरे, मैं समझता हूं कि पहले से मौजूद संदेश को दृष्टिगत रखते हुए क्या प्रशासन को साफ करना और इस विषय को अधिनिर्णय के लिए भेजना ठीक नहीं होगा? जैसाकि मेरे मित्र श्री जसवंत सिंह जी ने मांग की है, एक संयुक्त संसदीय समिति को नियुक्त किया जाये।

श्री मनमोहन सिंह : मैं इसे स्पष्ट करता हूं। मेरा विचार है कि चूंकि यह एक प्रमुख समाचार-पत्र, जो इस सभा के कुछ वर्गों का प्रिय पत्र है, का विषय रहा है, तो मैं समझता हूं कि बच्चों के दुष्कर्मों की सजा उनके मां-बाप को नहीं देनी चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में छानबीन करने के पक्ष में नहीं हूं।

श्री जसवंत सिंह : सभापति महोदय, मुझे लगता है कि सभा इस चर्चा से ऊब चुकी है क्योंकि यह बहुत देर तक बैठी रही है। किन्तु ऐसे अवसर पर यह प्रथा है कि सर्वप्रथम प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का धन्यवाद करे।

तत्पश्चात, कुछ उठाए गए बिन्दुओं का उत्तर देना मेरे लिए अनिवार्य है जिसके बाद मैं अपने विषय के मूल को पुनः व्यक्त करूंगा।

राजगढ़ से आये माननीय सदस्य, श्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस दल के प्रथम वक्ता थे। दुर्भाग्यवश वे इस समय यहां नहीं है। वे अस्वस्थ हैं। उन्होंने मुझसे भेंट करके तथा यह कह कर कि वे उपस्थित नहीं हो पायेंगे, अपना शिष्टाचार जताया। इसलिए, उन्होंने जो कुछ कहा मैं उसका उत्तर संक्षेप में दूंगा। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वे कामुकतापूर्ण सुझावात्मक शैली में इतने व्यस्त क्यों थे। उनका हस्तक्षेप प्रमुखतः कामुक सुझावात्मक शैली में ही था। यद्यपि उन्होंने कुछ सोचे-समझे व शब्दाडम्बर-पूर्वक में विनोदशीलता का एक प्रयास किया, अनुर्वरता के उनके निर्धारण ने मुझे आश्चर्य में डाला कि क्या यह फ्रायड द्वारा किए गए निर्धारण के समनुरूप था? इसके अलावा, मैं नहीं जानता कि वे क्या बोल रहे थे क्योंकि वे कभी बोफोर्स पर बोलते थे तो कभी फेयरफेक्स की ओर जाते थे। प्रस्ताव से अधिक वे इतिहास पर बोले। मैं एक विषय को छोड़कर उन्होंने जो कुछ कहा उसकी व्याख्या नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि मैंने केवल एक उदाहरण दिया है। मैंने एक निदर्शी उदाहरण दिया था। माननीय वित्त मन्त्री की सूचनार्थ, मेरे पास एक प्रतिलिपि है, जो संयोग से मुझे नहीं भेजी गई थी, अपितु श्री आडवाणी जी को भेजी गई थी, बी० सी० सी० आई० से दिनांक 20 जुलाई, 1989 का आंतरिक लेखापरीक्षण, मुम्बई से बी. सी. सी. आई, लन्दन, श्री मुरलीधरण से श्री कपाड़िया को दी गई प्रतिलिपि। यह स्विच ट्रेड लेखे के बारे में है। मैं इस सब के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता।

इसे किसी अन्य व्यक्ति को भेजने में मेरी कोई रुचि नहीं है। यदि आप समझते हैं कि यह ध्यान देने योग्य है, तो कृपया ध्यान दें। वरना आपको मेरा कहा अस्वीकार करने का अधिकार है। यह

स्विच ट्रेड के लेखे जो 50 लाख अमरीकी डालरों से आरम्भ होकर 2 करोड़ अमरीकी डालरों तक जा पहुंचे के बारे में है । सारा विवरण यहां मौजूद है । क्या वित्त मन्त्री जी इसमें रुचि लेना चाहेंगे···

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्होंने पहले ही आपसे उन्हें एक प्रतिलिपि देने का आग्रह किया है ।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, प्रतिलिपि उनके पास मौजूद है । मुझे ऐसे दस्तावेज उन्हें देने की क्या आवश्यकता है जो पहले ही उनके पास मौजूद है । यह एक ज्ञापन है और यह बैंक के रिकार्ड का एक भाग है । (व्यवधान)

सभापति महोदय : इन्होंने पहले ही कहा है कि सभी मुद्दे भारतीय रिजर्व बैंक अथवा आसूचना एजेन्सी के सुपुर्द कर देंगे ।

श्री मनमोहन सिंह : मैं सदन में उठाए गए सभी मुद्दे उचित एजेन्सियों को सौंप दूंगा ।

श्री जसवंत सिंह : जो कुछ श्री दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, मैं उसी का उल्लेख कर रहा हूं । उन्होंने कहा कि मैंने केवल एक उदाहरण दिया है । उदाहरण तो बहुत से हैं ।

सभापति महोदय : श्री जसवंत सिंह जी, आपने यह पूछा कि क्या वित्त मन्त्री जी की इसमें रुचि है अथवा नहीं, यह मेरा कर्तव्य है कि आपको यह स्पष्ट कर दूं कि वित्त मन्त्री जी ने पहले ही कहा है कि यहां पर उठाया गया प्रत्येक मुद्दा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा आसूचना एजेन्सी को सौंपा जाएगा । इसलिए यह न कहें कि वे दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या वे हमें इसके परिणाम से भी अवगत करायेंगे ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे खेद है कि मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं । मैं समझता हूं कि आपके सम्मुख सही परिदृश्य रखना भी मेरा कर्तव्य है ।

श्री जसवंत सिंह : सभापति महोदय, चूंकि अब आप स्पष्टीकरण देने में व्यस्त है···(व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है । मैं इसे स्वीकार करता हूं ।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, आपने यही कहा है । (व्यवधान) चूंकि अब आप मुद्दों का स्पष्टीकरण दे रहे हैं, क्या आप माननीय वित्त मन्त्री जी से यह कहने की कृपा भी करेंगे कि वे वह सब बताएंगे जिसकी उन्होंने जांच करने को कहा है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने इसे भारतीय रिजर्व बैंक को भेजने के लिए कहा है ।

श्री जसवंत सिंह : समस्त सुरक्षा मुद्दों को भी जांचा जाएगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि जांच किए जाने के पश्चात क्या संसद में की गई जांच तथा उसके निष्कर्षों पर प्रकाश डाला जाएगा ?

मैं श्री दिग्विजय सिंह के हस्तक्षेप पर अधिक बात नहीं करूंगा क्योंकि वे यहां उपस्थित नहीं हैं। जो कुछ माननीय वित्त मन्त्री जी ने कहा है, मुझे कुछ समय उस पर भी देना है।

सबसे पहले मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण जिनके साथ माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपना हस्तक्षेप आरम्भ किया था के बारे में कुछ बताऊंगा। मुझे इस बात का दुःख है कि वित्त मन्त्री को अपनी बात ऐसे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के साथ आरम्भ करनी पड़ी। किसी युवा लड़की के विरुद्ध इस प्रकार के परोक्ष संकेत करना मेरे लिए बहुत आपत्तिजनक है। मुझे माननीय वित्त मन्त्री जी की सुपुत्री से परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु उन्होंने एक बार उसकी चर्चा की थी। वह अपने आप में सही है। वह एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के पदचिन्हों पर चलती है। मुझे आशा है कि आगामी वर्षों में वह एक इतनी ही प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री साबित होंगी।

इसलिए, इस बात से मुझे व्यक्तिगत स्तर पर भी दुःख हुआ कि माननीय वित्त मन्त्री जी को व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना अनिवार्य लगा—जो मेरे विचार से उनका बड़प्पन ही है किन्तु एकदम अनावश्यक तथा अवांछनीय—क्योंकि संसद सदस्यों तथा सरकार के मन्त्रियों के बोट यदि कोई भी सरकार समाचारपत्रों में प्रकाशित या अन्य तरह के कुछ परोक्ष संकेतों अथवा समय-समय पर दिए गए सुझावों के प्रत्युत्तर देने का प्रयास करेगी, तो यह क्रम अविराम चलता ही रहेगा। इस पर अरबी की एक बहुत अच्छी कहावत है। यदि कारवां बार-बार पड़ाव डालता रहेगा तो वह अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंचेगा।

इससे मुझे दुःख होता है और मैं महसूस करता हूं···

सभापति महोदय : श्री जसवन्त सिंह जी, क्या इसका बी. सी. सी. आई. से कोई सम्बन्ध है?

श्री जसवंत सिंह : इसका सम्बन्ध है। उन्होंने यहीं से आरम्भ किया। उन्होंने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण इसलिए दिया क्योंकि वह इसे वास्तव में महसूस कर रहे थे।

सभापति महोदय : पर मैं समझता हूं कि उसका वास्तव में बी. सी. सी. आई. मामले से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इन्होंने उनके बड़प्पन की प्रशंसा इसलिए की क्योंकि इन्होंने परिताप महसूस किया। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि इन्होंने जो कहा उसे हमें आदरपूर्वक स्वीकार करना चाहिए और माननीय वित्त मन्त्री जी की सुपुत्री का बखान इस कार्यवाही में नहीं करना चाहिए।

श्री जसवंत सिंह : इन्होंने उसका उल्लेख किया। मैं केवल इनकी वेदना का भागीदार हूं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बात किसी ने नहीं कही। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : बेहतर यह होगा कि इसे कार्यवाही में दर्ज करने के बदले आप यह बेदना बाद में उनके साथ निजी तौर पर बांटें।

(**व्यवधान**)

श्री बसवंत सिंह : माननीय वित्त मन्त्री के हस्तक्षेप के विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि वह इस बैंक के खोलने के क्रमानुसार घटनाओं का बखान करने लगे। और मैं माननीय वित्त मन्त्री जी के दो वक्तव्यों का स्वागत करता हूं कि अब वे समझते हैं कि इस बैंक का खोला जाना शायद एक गलती थी और यह जानकर संतोष होता है कि बैंक के पाकिस्तान के साथ सम्पर्कों को विशेषतया ध्यान में रखकर इस पर निगरानी रखी गई थी।

मुझे इस बात का दुःख है कि माननीय मन्त्री जी ने अपने एक हस्तक्षेप के दौरान कुछ आश्चर्यजनक विश्लेषणों का प्रयोग करते हुए मेरे तथा मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज़ के वक्तव्यों पर टिप्पणी करते हुए इन्हें अनियंत्रित हस्तक्षेप बताया और कहा कि इससे कभी पूरी न होने वाली क्षति हुई है। उलझन यह है, महोदय, कि जब किसी उत्तरदायित्व के विषय के एक प्रकार का विशेषाधिकार मान लिया जाता है कि हम जो टिप्पणियां करते हैं, वे सदैव नुकसानदेह होती हैं, किन्तु सत्तापक्ष द्वारा की गई टिप्पणियां या उनकी गतिविधियां नुकसानदेह नहीं होतीं। (**व्यवधान**) मुझे यह टिप्पणी बाध्य होकर करनी पड़ रही है क्योंकि यह वित्त मन्त्री द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला एक प्रबल विश्लेषण तथा बिना कोई दोष-गुण बताते हुए लिया गया एक अन्तिम निर्णय, दोनों है। यदि हम जो कुछ कहते हैं, वह आपके अनुरूप है अथवा उससे आपको प्रसन्नता मिलती है और जो आपको अच्छा लगता है, केवल उसी से आप सहमत होते हैं, तो मैं समझता हूं कि यहां पर हम लोगों के एकत्र होने और एकत्र होकर अपनी असहमति व्यक्त करने तथा चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है (**व्यवधान**) और मुझे विश्वास है कि वे जो धारणा प्रस्तुत करना चाहते हैं, यह वह नहीं है, फिर भी, उनकी यही छाप हमारे ऊपर पड़ी है।

इसी प्रकार, जब उन्होंने अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी-निवेश के बारे में बताया और सुझाव दिया कि अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी-निवेश का सन्दर्भ दिए जाने से—और उन्होंने इन शब्दों का पुनः प्रयोग किया—अपूरणीय क्षति होती है यह सही अभिव्यक्ति नहीं है। यहां हमारे लिए चिन्ता के दो विषय हैं जिन पर विवाद चल रहा है; मैं इस बात को समझ सकता हूं कि एक वित्त मन्त्री के रूप में उनकी रुचि इस बात में अधिक है कि वे अपने विवेक से अधिक से अधिक संख्या में अनिवासी भारतीयों को भारत में पूंजी-निवेश के लिए आमंत्रित करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : काला या सफेद।

श्री बसवंत सिंह : काला या सफेद, मेरा तात्पर्य धन का रंग अलग बात है। परन्तु यह एक अन्य पहलू है। मैं वित्त मन्त्री की इस बात से सहमति व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे प्रतिष्ठानों की जो स्थिति है, वह चिंताजनक है और मेरे मन में एक पल के लिए भी यह भाव नहीं आता कि वित्त

मन्त्री के मन में ऐसी चिन्ता नहीं है, वास्तव में, वे चिन्तित हैं, और जब उन्होंने संदेहास्पद अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी-निवेश का उल्लेख किया, तो ऐसा इसलिए नहीं किया कि हम उनके पूंजी-निवेश की इच्छा नहीं रखते, यह तो उनके मन में इस प्रकार का पूरा विश्वास होने के कारण हुआ है कि प्रतिष्ठानों को इससे सुदृढ़ किया जाएगा तथा इससे विदेशों में बसे अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी-निवेश में वृद्धि होगी। अन्यथा, अनिवासी भारतीयों द्वारा इस प्रकार का पूंजी-निवेश एक भंगुर पूंजी-निवेश, सहज ही एक भंगुर पूंजी-निवेश है।

श्री मनमोहन सिंह : मैं यह बताना चाहूंगा कि 1982-83 में यह जो विशेष लेन-देन किया गया था, वास्तव में उसकी श्री भूरे लाल द्वारा स्वयं जांच की गई थी। वे इसके लिए सबूत जुटाने हेतु वे दुनिया भर में घूमे, इसे प्रमाणित करने के लिए उन्हें कुछ नहीं मिला।

श्री जसवंत सिंह : मैं समझता हूं कि मेरा यह विषय बिल्कुल नहीं था।

श्री मनमोहन सिंह : मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इन खातों के बारे में यदि आपके पास कोई तथ्य नहीं हैं, तो आपको कोई आरोप नहीं लगाने चाहिए। इससे हमारी छवि खराब होती है।

श्री जसवंत सिंह : मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वे किस आरोप की बात कर रहे हैं। (व्यवधान) सभापति महोदय, मुझे नहीं मालूम कि वित्त मन्त्री किस आरोप का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री जगदीश टाइटलर : निराधार आरोप।

श्री जसवन्त सिंह : मैं नहीं जानता। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री जसवन्त सिंह : माननीय राज्य मन्त्री, जो हस्तक्षेप करना चाहते हैं, वे वास्तव में उस समय उपस्थित नहीं थे, जब मैंने हस्तक्षेप किया था। इसलिए, वस्तुतः वे मुझे यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि मैंने क्या कहा है और क्या सुझाव दिया है क्योंकि माननीय वित्त मन्त्री···

श्री जगदीश टाइटलर : वित्त मन्त्री को सुनने के पश्चात मैं सोचता हूं कि यह सब निराधार है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्ययधान उत्पन्न न करें।

श्री जसवन्त सिंह : माननीय वित्त मन्त्री ने कहा है कि मैंने एक प्रकार से आरोप लगाया है। कोई आरोप नहीं लगाया है। मैंने तो किसी खास व्यक्ति का कोई नाम नहीं लिया है। अतः, मेरा तो यह कहना है कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जो इस पूंजी-निवेश के सम्बन्ध में उठाए गए हैं। मैंने तो भारत सरकार के किसी अधिकारी तक का उल्लेख नहीं किया है।

9.00 म०पं०

निश्चित रूप से मैंने प्रवर्तन निदेशालय नाम की संस्था का उल्लेख किया है लेकिन, माननीय वित्त मन्त्री ने तो भारत सरकार के एक ऐसे अधिकारी की निंदा की है, जो इस समय सेवा में विद्यमान है।

श्री मनमोहन सिंह : मैंने किसी व्यक्ति की निन्दा की है । मैंने उस अधिकारी का उदाहरण दिया है जो विदेश गया था, किन्तु जो इसे प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त कर सका कि इन पूंजी-निवेशकों ने वस्तुतः, काले धन को सफेद में परिवर्तित किया है।

श्री जसवन्त सिंह : यह प्रश्न कांग्रेस पार्टी के हस्तक्षेपकर्त्ताओं द्वारा उठाया है। मैंने तो कहा कि वास्तव में इससे यह प्रश्न उत्पन्न होता है। यह निरर्थक है कि कौन अधिकारी इससे सम्बन्धित है, किन्तु प्रवर्तन निदेशालय से है और आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां प्रवर्तन निदेशालय के निष्कर्षों पर लीपापोती की जाती है अथवा लीपापोती करने का आरोप लगा दिया जाता है। यह हमारे लिए एक चिन्ता का विषय है। यही मैंने कहा है और यही वह बात है जिसे कहता रहूंगा। यदि आपके पास प्रवर्तन निदेशालय जैसा एक निदेशालय है और इसके निष्कर्षों को किन्हीं कारणों से स्वीकार नहीं किया जाता है, तो इससे हमने अपनी इस संस्था को कमजोर ही किया है और हमारी यह जो चिन्ता है, यह सरकारी वित्तीय संस्थाओं को लेकर है। तथापि, हमारी संस्थाओं की स्थिति के सम्बन्ध में जितनी चिन्ता मुझे है, उतनी ही वित्त मन्त्री को भी है।

लेकिन हस्तक्षेप की लम्बी अवधि के कारण और सत्ता पक्ष के अधिकांश सदस्यों के हस्तक्षेप के कारण मुझे यह पुनः कहना पड रहा है जैसाकि मैंने यह कहकर प्रारम्भ किया था कि एक ऐसा प्रभाव बन गया है जहां तक सार्वजनिक वित्त संस्थाओं का सम्बन्ध है, मार्गनिर्देशों का बनाया जाना उतना आवश्यक नहीं है और वित्त मन्त्री ने इस पहलू को छूआ तक नहीं। वित्तीय संस्थाओं के कार्यकरण के लिए प्रवर्तनीय, स्वायत्त और स्पष्ट मार्गनिर्देश की मांग करने में क्या गलत बात है? माननीय वित्त मन्त्री जी ने इस पहलू का उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं समझा। उन्हें इस पर क्या आपत्तियां हो सकती हैं? उन्होंने स्वयं कहा कि जो कुछ भी यहां पर कहा गया है वे उसकी जांच करने को कहेंगे। हम जो कुछ भी यहां कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि जो कुछ यहां कहा गया है उसकी संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की जाए। संयुक्त संसदीय समिति की जांच से इनकी जांच में कैसे रुकावट आएगी? यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई है।

महोदय, मैं यहां केवल वाद-विवाद को बढ़ाने का ही प्रयास नहीं कर रहा हूं। इन दो बातों का अपूर्ण जवाब दिए जाने के कारण मैं मजबूरन अपने प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं। लेकिन मैंने वचन दिया है। अध्यक्ष महोदय के कक्ष में यह निर्णय लिया गया था कि मेरे प्रस्ताव पर नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा की जाएगी। संसदीय कार्य राज्य मन्त्री और अन्य सदस्यों ने तथा वास्तव में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप इस तथ्य को स्वीकार क्यों नहीं करते कि आप वाद-विवाद के अन्त में अपना प्रस्ताव वापस ले लेंगे? इसलिए मैं वचनबद्ध हूं और मैं सभा से अपना प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, मैं उस बैठक में उपस्थित था और चूंकि उन्होंने वचन दिया है इसलिए अपना वचन निभाना उनका कर्तव्य बन जाता है। लेकिन मैं इस सभा से अनुरोध करता हूं कि वे प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति न दें···(**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, सभा को प्रस्ताव की वापसी के बारे में निर्णय लेना है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि माननीय सदस्य ने अध्यक्ष महोदय से कोई वायदा किया था अथवा किसी प्रकार का कोई समझौता हुआ था। यदि मुझे मालूम होता तो मैं ये संशोधन न देता। मेरे संशोधनों का आशय केवल प्रस्तुतीकरण नहीं था। वे गम्भीरता से प्रस्तुत किए गए थे। (**व्यवधान**) उन्होंने बी० सी० सी० आई० की ओर से यह कार्य कर दिया है। (**व्यवधान**) जब मुझे यहां बोलने का अवसर दिया गया है तो आप मुझे रोक क्यों रहे हैं ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : हम आपको रोक नहीं रहे हैं।

(**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जब तक उन्हें सभा की अनुमति नहीं मिलती वे अपना प्रस्ताव वापस नहीं ले सकते। (**व्यवधान**)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : क्या मैं एक बात कह सकता हूं ? सामान्यतया अध्यक्ष महोदय के कक्ष में हुई ऐसी बातचीत व समझौतों को सभा में नहीं उठाया जाता। कोई अध्यक्ष का नाम तक नहीं लेता। मुझे उम्मीद है मेरा ऐसा कहने का वे गलत आशय नहीं लगाएंगे। ऐसा समझा जाता है कि अध्यक्ष के कक्ष में हुए पारस्परिक समझौते को विभिन्न दलों के नेता एवं प्रतिनिधि अपने-अपने सदस्यों को बता देंगे।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : मैं समझता हूं इस वार्तालाप में जनता दल नहीं था।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं उन सदस्यों अथवा उन पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता जिनके प्रतिनिधि वहां थे। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : क्या आप बैठने की कृपा करेंगे ? जो कुछ अध्यक्ष के कक्ष में हुआ उसका सभा से कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूं कि जो कुछ निजी वार्तालाप, एकालाप या बातचीत अध्यक्ष के कक्ष में होती है, उसका सभा की कार्यवाही से कोई मतलब नहीं है।

अब मुद्दा यह है कि मुख्य प्रस्ताव के निपटाए जाने से पहले संशोधनों को निपटाना होगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज।

[**हिन्दी**]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति जी, मैं आपसे यह कह रहा था कि हमें इस चीज की जानकारी नहीं थी और हम उस विवाद में भी नहीं जाना चाहते हैं। मैं इतना कहना चाहता

हूं कि वित्त मन्त्री जी ने जो जवाब दिया, मैंने वित्त मन्त्री जी को एक बहुत लम्बा पत्र लिखा था, मैंने उस पत्र का जिक्र यहां पर नहीं किया। लेकिन वित्त मन्त्री जी ने जो जवाब दिया, यहां जो बहस हुई है, उस बहस पर, हमें उनके जवाब से किसी प्रकार का समाधान नजर नहीं आता। जो पहले एक बार इन्होंने बयान दिया था, उस बयान में इन्होंने कोई बात बताने से इन्कार किया था। आज जो मुद्दे यहां पर छेड़े गए, उन पर एक पर्दा डालने का काम उनकी तरफ से हुआ है। इससे अधिक वित्त मन्त्री जी ने कोई भी और चीज नहीं कही है।

इसलिए हम तो इनके जवाब को अस्वीकार करते हैं और हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर कोई यह समझता हो कि यह मामला इसी तरह से समाप्त होगा, यह यहां पर समाप्त नहीं होगा। इस सदन के भीतर और इस सदन के बाहर यह मामला चलेगा और इस तरह से चलेगा कि जो बातें, जो तथ्य, इसके साथ जुड़े हैं उनमें से एक-एक तथ्य को, जैसे वित्त मन्त्री जी ने और अन्य सदस्यों ने कहा है, उनको जिस प्रकार का सबूत चाहिए उस सबूत को रखने का काम किया जाएगा।

इन शब्दों के साथ हम नहीं चाहते हैं सदन में इस काम में और हिस्सा लेना, हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

9.04 म० प०

[अनुवाद]

[तत्पश्चात् श्री जार्ज फर्नान्डीज और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।]

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम भाजपा-कांग्रेस (इ०) गठबन्धन के विरुद्ध हैं। यह देश के हितों के खिलाफ है। इसलिए इसके विरोध में हम बहिर्गमन करते हैं।

9.05 म० प०

[तत्पश्चात् श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।]

सभापति महोदय : अब मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा पेश किए गए संशोधनों संख्या 1, 2 और 3 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 1 से 3 तक मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकार हुए।

सभापति महोदय : श्री छीतूभाई गामित, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं।

श्री छीतूभाई गामित : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या सभा माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

कई माननीय सदस्य : जी, हां ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया ।

सभापति महोदय : श्री जसवन्त सिंह ने पहले ही अपना प्रस्ताव वापस लेने का प्रस्ताव दिया है । मैं समझता हूं कि सभा ने उन्हें अपना प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दे दी है ।

कई माननीय सदस्य : जी, हां ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव वापस ले लिया गया माना जाता है ।

सभापति महोदय : यदि आप चाहते हैं तो नियम 377 के अधीन मामले आज के दिन के अन्त में, सभा की कार्यवाही के अन्त में लिए जाएंगे ।

9.12 म० प०

जम्मू और कश्मीर बजट, 1991-92—सामान्य चर्चा
और
अनुदानों की मांगें (जम्मू और कश्मीर)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा, जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए वर्ष 1991-92 के बजट और अनुदान की मांगों के बारे में सामान्य चर्चा, चर्चा और मतदान करेगी ।

श्री भोगेन्द्र झा ने अनुदान की मांगों के लिए कटौती प्रस्ताव दिए हैं । वह उपस्थित नहीं हैं ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 27 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 की समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी संख्या सम्बन्धी राशियों से अवधिक सम्बन्धित राशियां जम्मू और कश्मीर राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं ।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए गए वर्ष 1991-92 के बजट (जम्मू और कश्मीर) में अनुदानों की मांगों की सूची

मांग संख्या	मांग का नाम	दिनांक 11-3-91 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई अनुदानों की मांगों की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	सामान्य प्रशासन	433,59,000	30,00,000	560,19,000	30,00,000
2.	गृह	5585,11,000	...	6368,11,000	...
3.	आयोजना और विकास	199,54,000	475,40,000	199,54,000	475,40,000
4.	सूचना	137,62,000	...	137,61,000	...
5.	लद्दाख कार्य	1630,96,000	1058,35,000	1630,95,000	1058,35,000
6.	बिजली विकास	11080,17,000	9541,25,000	11100,16,000	9541,25,000
7.	शिक्षा	9384,25,000	...	9384,24,000	...
8.	वित्त	5597,18,000	371,71,000	5597,17,000	371,71,000
9.	संसदीय कार्य	71,13,000	1,00,000	71.13,000	1,00,000

1	2	3		4	
10.	विधि	226,48,000	...	227,88,000	...
11.	उद्योग और वाणिज्य	1276,97,000	1222,69,000	1623,86,000	3222,70,000
12.	कृषि	2815,52,000	1903,37,000	2904,16,000	2194,82,000
13.	पशु/भेड़ पालन	1716,98,000	110,00,000	1751,99,000	110,00,000
14.	राजस्व	4409,66,000	...	4519,25,000	...
15.	खाद्य पूर्ति और परिवहन	642,78,000	12880,33,000	642,78,000	13380,33,000
16.	लोक निर्माण कार्य	5699,66,000	7142,24,000	5699,66,000	10121,25,000
17.	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा	4242,86,000	71,75,000	4242,86,000	71,75,000
18.	समाज कल्याण	770,07,000	110,98,000	772,08,000	110,98,000
19.	आवास और शहरी विकास	557,48,000	847,50,000	557,49,000	947,50,000
20.	पर्यटन	386,54,000	712,50,000	386,54,000	712,50,000
21.	वन	1463,51,000	736,75,000	1552,19,000	736,75,000
22.	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण	1866,10,000	1738,50,000	1866,11,000	1738,50,000
23.	लोक स्वास्थ्य इन्जीनियरी	3070,65,000	1725,00,000	3070,65,000	1725,00,000
24.	संपदा, आतिथ्य और नयायार, बाग और उद्यन	612,76,000	33,00,000	922,76,000	33,00,000
25.	श्रम, लेखन सामग्री और मुद्रण	321,89,000	...	321,90,000	
26.	मत्स्य पालन	126,33,000	68,60,000	126,33,000	68,60,000
27.	उच्च शिक्षा	1828,94,000	...	1828,95,000	...

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति जी, जम्मू-कश्मीर के बजट पर···(व्यवधान) संक्षेप में कुछ कहना चाहूंगा। पिछले वर्ष भी जम्मू-कश्मीर का बजट लोक सभा में ही पास हुआ था और हर बार राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के समय कहा जाता है कि परिस्थितियां सुधर जाएंगी और लोकतांत्रिक प्रणाली फिर से काम करना शुरू कर देगी। मैं, मुख्यतः आज जो असन्तुलन जम्मू-कश्मीर के तीन भागों में है, उसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

लद्दाख का जो लेह क्षेत्र है उसमें और जम्मू में लोगों में असन्तोष है। बजट का अधिक भाग पहले घाटी में खर्च होता रहा जिसके कारण यह असंतुलन पैदा हो गया। अभी कल ही माननीय प्रधान मन्त्री जी से लेह का एक प्रतिनिधिमण्डल आकर मिला। उन लोगों ने लेह क्षेत्र के लिए एक यूनियन टेरिटरी घोषित किये जाने की मांग की है। लेह क्षेत्र के लोगों की शिकायत उचित है।

सभापति महोदय, वहां पर 252 सरकारी पाठशालायें हैं। जबकि वहां की 84 प्रतिशत आबादी बौद्ध है लेकिन बौध भाषा के अध्यापक केवलमात्र 32 स्कूलों में हैं। राज्य सरकार के एक लाख 20 हजार कर्मचारी हैं जिनमें 2900 कर्मचारी बौद्ध हैं। इसके अतिरिक्त 9 कारपोरेट सैक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जहां 18 हजार कर्मचारी काम करते हैं और जिनमें एक भी बौद्ध कर्मचारी नहीं है। राज्य सरकार सचिवालय में 1500 कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें मात्र एक बौद्ध है। सन 1987-88 में जम्मू कश्मीर की सरकार ने 2986 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त किए परन्तु एक भी बौद्ध कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया। इसी प्रकार सारे लेह क्षेत्र में एक भी टैक्नीकल इन्स्टीट्यूट या आई. टी. आई. नहीं है। जो वहां हाईडल प्रोजेक्ट कई वर्षों से चल रहे हैं, उनका काम कम्पलीट नहीं होने जा रहा है। अब तो गत दो वर्षों से वहां पर केन्द्र सरकार का शासन चल रहा है। इसलिए मैंने जो पहला मुद्दा उठाया क्षेत्रीय असंतुलन का—रीजनल इम्बैलेंस का, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर एक सैंसटिव क्षेत्र है और जम्मू और लद्दाख के लोग इसलिए पीड़ित हैं कि वे लोग भारत के साथ अपना रिश्ता और विलय पक्का मानते हैं लेकिन घाटी के कारण और अब केन्द्रीय सरकार की गलत नीतियों के कारण अभी तक हमारे गृह मन्त्री जम्मू कश्मीर जाने का अवसर नहीं निकाल पाये हैं क्योंकि समय उनके पास नहीं है। इतनी विषम परिस्थिति के बावजूद मंत्री महोदय पंजाब और कश्मीर नहीं गये। इसलिए मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री महोदय वहां शीघ्र जायें।

9.18 म० प०

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं]

जो कानून की व्यवस्था वहां पर बन गई है, सचिवालय के बाहर घाटी में कोई आज्ञा नहीं मानता है और आतंकवादी तत्व जम्मू और विशेषकर डोडा जिला में सक्रिय हो गये हैं और इस प्रकार जम्मू और लेह के लोगों को खामखाह सजा मिल रही है और वहां के लोगों की भावना जो बन रही है, उसे देखते हुए मैं चाहूंगा कि घाटी, लेह और जम्मू के लिए बजट को समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया जाये ताकि सभी संभागों का समुचित डेवलेमेंट हो सके। इसके लिए स्टेचूअरी रीजनल डेवलेपमेंट कौंसिल अगर बनायी जायें तो हर क्षेत्र के विकास के लिए समुचित ध्यान दिया जा सकता है।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि एक···

[अनुवाद]

क्षेत्र में विकास कार्यों के विकास और निगरानी तथा उन्हें शीघ्र करने के बारे में एक विशेष एकक की स्थापना की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

लेह का जो क्षेत्र है, वहां पर भी जो विकास के कार्य हैं, उनका ध्यान रखने के लिए, उनको तीव्र गति प्रदान करने के लिए वहां पर एक स्पेशल सेल बनाया जाए और तीसरा मेरा सुझाव है कि जो फंडस बजट में रखे गए हैं वह जम्मू और लेह के लिए उनके अनुपात के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार उनको दिए जायें।

सभापति महोदया, जम्मू और कश्मीर का सबसे बड़ा उद्योग पर्यटन था। आतंकवादी गतिविधियों के कारण पर्यटन का उद्योग ठप्प पड़ा है। पाकिस्तानी प्रचार, पाकिस्तानी घुसपैठ दोनों का ही मुकाबला करने में हम असफल रहे हैं। आज भी पाकिस्तान का रेडियो और टेलीविजन जो कहता है उसका प्रचार सीमांत क्षेत्र में अधिक है। इसलिए पाकिस्तानी तत्वों को प्रशासन से भी निकालना पड़ेगा। जम्मू और कश्मीर की पुलिस की स्क्रीनिंग करनी होगी। उनकी स्क्रीनिंग करिए। जो तत्व आतंकवादी शक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी आपको स्क्रीनिंग करके अलग करना पड़ेगा तब वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो पाएगी। इसके अतिरिक्त हमारे दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रम अच्छे हों, लोगों को रुचिकर लगें हमारे कार्यक्रमों को बन्द करके वह पाकिस्तान के कार्यक्रम देखते हैं और फिर जो झूठा प्रचार होता है उससे लोग गुमराह होते हैं। वहां पर आज जो देशभक्त शक्तियां हैं वह अपने आपको निस्सहाय महसूस करती हैं।

[अनुवाद]

वे अपने को असहाय पाते हैं।

[हिन्दी]

और श्रीमन्, आपने जो केन्द्र की ओर से बजट पेश किया हुआ है, इसमें उनकी हेल्पलेसनेस को निस्सहाय होने को आपने और स्पष्ट कर दिया है। बजट में तो प्रावधान नहीं है कि इस आतंकवाद से लड़ने के लिए आप कोई स्पेशल टास्क फोर्स बुलायेंगे बी. एस. एफ., सी. आर. पी. एफ. और आई. टी. बी. पी. इनमें से अच्छे लोग चुनकर ऐसी फोर्स बनाइए जिससे वहां की विशेष परिस्थितियों के कारण उन पर काबू पा सकें। और जो राष्ट्रवादी लोग किसी विशेष सम्प्रदाय के नहीं बल्कि सारे हिंदू, मुसलमान और सिख भी वहां पर हैं, निकलकर आए हैं, आपके बजट में कोई प्रावधान नहीं है कि जो लाखों शरणार्थी कश्मीर में अपना सब कुछ छोड़कर, जमीन जायदाद, सम्पत्ति छोड़कर वहां से निकल आए हैं, कोई दिल्ली में धरना देता है तो आप यहां लाठीचार्ज करते हैं। कोई पठानकोट में है, कोई जम्मू में है और कश्मीर घाटी के लोग जो गर्मी सहने के आदी नहीं थे, बहुत से उनमें से तो गर्मी के कारण मर गए, लेकिन मैंने बजट में देखा कि कहीं आपने रिफ्यूजीज के लिए स्वतन्त्र भारत में पहली

बार अपने देश में लोग शरणार्थी हुए हैं, उनके लिए आपने कोई प्रावधान नहीं किया। उनके रीहैबिलिटेशन के लिए, उनके पुनर्वास के लिए और उनके लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा करने के लिए कि वे अपने घरों में फिर वापस जा सकें, आपका बजट इसके बारे में बिलकुल मूक है, खामोश है, इसलिए श्रीमन, मैं चाहूंगा कि आप इसमें संशोधन करके जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, उनसे लड़ने के लिए आप जो फोर्स बनाएंगे, जो बल बनाएंगे और दूसरा कश्मीर घाटी से लोग शरणार्थी बनकर देश के विभिन्न भागों में आ गए हैं, उनके पुनर्वास के लिए और जब तक वे वहां वापस नहीं जा सकें, तब तक उनके लिए यहां शिक्षा सुविधाएं, राशन की सुविधाएं, नौकरियां मिल सकें। यह देने के लिए आप कदम उठाएं।

एक बात मेरी पार्टी कहती है, सच्ची बात कहती है लेकिन उसका अक्सर विरोध होता है। हम सच्ची बात कहते हैं कि धारा 370 अब खत्म होनी चाहिए। जब तक धारा 370 खत्म नहीं होगी, कश्मीर की समस्या हल नहीं होगी। मुझे पता है, आप विरोध करेंगे, अय्यूब खां साहब, मैंने पहले ही कह दिया था कि आप मुझसे सहमत नहीं होंगे, मैं जानता हूं। आपको अपनी राय रखने का अधिकार है। परन्तु मेरा और मेरी पार्टी का विश्वास है कि धारा 370 ने वहां के लोगों में जो अलग होने की भावना पैदा कर दी है, जब तक इस धारा को खत्म नहीं करेंगे, और व्यक्तिगत रूप में, आपके अनेकों माननीय सदस्य जब सैन्ट्रल हाल में बातें करते हैं तो मानते हैं कि हां, आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या करें। आप कुछ ऐसी बातों में फंसे हो, जरा राष्ट्र हित में कुछ सोचिये। देश एक है। कश्मीर के लिये जो स्पेशल स्टेट्स रखने की बात है, अयूब खां साहब, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। किसी का एक्सीडैंट हो गया, आपने उसके प्लास्टर कर दिया। कुछ समय बाद उसका हाथ जुड़ गया, हड्डी जुड़ गयी। अब आप उससे कहें कि हमने जो प्लास्टर लगाया था, पट्टी की थी, उसे ही जिन्दगी भर लगाये रखो, क्योंकि इसी के कारण तुम्हारी हड्डी जुड़ी है। यदि आप धारा 370 को वैसे ही लगाये रखना चाहते हो तो उसको फायदा नहीं है। आपको देखना चाहिए कि कश्मीर में जो आतंकवाद फैल रहा है, उससे लड़ने के लिए, यह जरूरी है।

मुझे याद है पिछली नाइन्थ लोकसभा में, कश्मीर पर हुई डिबेटस में मैंने भी भाग लिया था। सत्ताधारी दल के लोग उस समय इधर बैठते थे। आप में से कुछ आज मंत्री हो गये हैं लेकिन उन दिनों वे हर समय यही पूछते थे कि आपकी क्या नीति है, जनता दल सरकार या नेशनल फ्रंट की कश्मीर के मामले में क्या नीति है। अभी तक आपकी नीति भी हमारे सामने नहीं आयी। आप तो और भी घुटने टेक रहे हैं।

वहां आदमी की जिन्दगी सर्वाधिक हो गयी है। एच. एम. टी. के एच. एल. खेड़ा को अगर उग्रवादियों ने उठा लिया तो आपने उन्हें मरने दिया, उन्हें गोली मारने दी लेकिन जब किसी मंत्री की बेटी को उन्होंने उठा लिया, पहली सरकार ने गलती की, हमने उस वक्त भी कहा था कि यह गलत काम हुआ है, लेकिन आपने अनेक उग्रवादियों को छोड़ दिया। अब उन्होंने एक और अधिकारी को पकड़ लिया तो उसके बदले में आपने कुछ और उग्रवादियों को रिहा कर दिया। जब रूबैया कांड हुआ था तो वहां से कांग्रेस पार्टी के लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि जनता दल सरकार ने बहुत गलत काम किया, लेकिन आपने आज क्या किया, क्या कर रहे हैं। क्या उस तरफ की बैंचेज नमक की खान बन गयी हैं कि जो उन पर बैठता है, नमक में बैठकर, नमक ही हो जाता है। आप कश्मीर के सम्बन्ध में क्या नीतियां अपनायेंगे। जब इधर थे तो कुछ और थे, उधर पहुंच गये तो दूसरी बातें करने लगे।

आज तक हमें हैरानी होती है कि एक व्यक्ति को जब वहां का गवर्नर बना दिया, हो सकता है कि उनकी नीतियों में और आपकी नीतियों में मतभेद हो, आज भी जब उधर से कोई मित्र बोलने के लिए खड़े होते हैं तो सारा दोष उन्हीं गवर्नर के ऊपर थोप देते हैं।

(व्यवधान)

हां, बुनियाद पड़ी उन्हीं के कारण, लेकिन क्या उससे पहले कश्मीर समस्या नहीं थी, वहां कुछ नहीं होता था। यदि आप छेड़ेंगे तो और ज्यादा सुनेंगे। श्रीमती इन्दरा गांधी एक पब्लिक मीटिंग में, जनसभा में भाषण करने पहुंचीं तो लोग नंगे होकर खड़े हो गए। जब नेशनल कान्फ्रेंस के साथ आपके सम्बन्ध बिगड़ गए, यह उस समय की बात है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की जनसभा में लोग नंगे होकर खड़े हो गये। जिस फारूख अब्दुल्ला के साथ आप राजनैतिक प्रक्रिया शुरू करना चाहते थे, उसी फारूख अब्दुल्ला की सरकार को आपने हटा दिया था और गुल मुहम्मद शाह को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया था क्योंकि आपको कुछ मंत्री पद चाहिए थे। उस समय फारूख अब्दुल्ला देशद्रोही हो गया परन्तु जब आपका उसके साथ समझौता हो गया तो वही देशभक्त हो गया। यह जो पारस आपने अपने पास रखा हुआ है कि जो आपको ठीक लगे, वह देशभक्त और जो आपसे भिन्न विचारधारा रखता है, वह देश-द्रोही, आप अपनी इस विचारधारा को बदलिये। चालीस साल के शासन काल में आपके नेता हमेशा उपदेश देते रहे और पार्टी हित में उन्होंने बहुत बार सोचकर, गलत निर्णय लिये, पार्टी को ऊपर रखकर।

मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि अब कश्मीर की स्थिति जहां पहुंच गयी है, कृपया पार्टी हित को छोड़कर, पहली बार, देश हित में कुछ सोचिये और कोई ऐसी नीति अपनाईये ताकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना रहे। वहां से मिलने वाली रिपोर्टस बहुत भयावह हैं। आपको तो बहुत सी रिपोर्टस मिलती हैं, हमें तो कहीं से चोरी छिपे थोड़ी बहुत, समाचारपत्रों के माध्यम से मिल जाती है लेकिन आपको बहुत रिपोर्टस मिलती हैं परन्तु उसके आधार पर एक्शन या कार्यवाही हो नहीं रही है। अब चूंकि वहां राष्ट्रपति शासन है, इसलिए जम्मू-कश्मीर के बजट को तो हमें पास करना ही है, लेकिन मैं आपके ध्यान में फिर वही बात लाना चाहता हू कि जो दो मुद्दे थे, जिन पर हम समझते थे कि केन्द्र सरकार इस बार तो कुछ अपना विभाग लगाएगी—शरणार्थियों के बारे में और आतंकवाद के बारे में, दो अलग-अलग हैड्स के नीचे कुछ प्रावधान करेगी, लेकिन उसको करने में आप असफल रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप कम से कम अब कोई राष्ट्रीय नीति देश के सामने कश्मीर में बारे में रखेंगे और जो वहां के लोगों को कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, उनको हल करने के लिए और देश के लिए जो प्रश्नवाचक चिह्न बना हुआ है, इन सबको हल करने के लिए भी कोई कदम उठाएंगे। धन्यवाद।

श्री अयूब खां (झुंझुनू) : जनाब मोहतरमा जी, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि मुझे आपने इस विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं हमारे प्रोफैसर प्रेम धूमल साहब की कई बातों से सहमत हूं। उनकी खास इस बात से मैं सहमत हूं कि उन्होंने कहा कि कश्मीर के सम्बन्ध में हमारी नीति क्या है? यह सब को जरूर मालूम होनी चाहिए। जो हालात आज कश्मीर में हैं, जो देश से मौहब्बत रखता है, जो इस मुल्क में पैदा हुआ है और जो मुल्क की हिफाजत करना चाहता है, जिसके सीने में मुल्क की मोहब्बत

है, कोई भी ऐसा इन्सान नहीं होगा जिसे वह दुख नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी और कोई भी भारत-वासी यह बरदाश्त नहीं कर सकता कि कश्मीर जैसा हिस्सा हमारे मुल्क का, जो अफरा-तफरी की हालत में है, वहां ठीक हालात पैदा न हों। हमारे जो साथी बोले हैं, वे एक धारा के सम्बन्ध में बोले हैं। यह तो बी०जे०पी० का एक नारा है।

श्री डाक्टर दयाल जोशी (कोटा) : "नारा" नहीं "यथार्थ"।

श्री अयूब खां : अभी हमारे साथी की डिबेट चल रही थी, उन्होंने बीच में गाय का नाम लिया और जब उनको टोक दिया, तो गाय का नाम नहीं लिया। ये चीजें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। आज हम तोड़ने की बात न करें, जोड़ने की बात करें। हिन्दू और मुसलमान को जोड़ने की बात करें। यह सिर्फ पंडित और मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं। हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं। हमारे पूर्वज यहां पैदा हुए हैं जिन्होंने इस मुल्क में हुकूमत की और वे हैं श्री पृथ्वीराज चौहान और मेडारा जी चौहान, और स्थान दरेरा, हिसार के अन्दर वहां के है, हम कोई बाहर से नहीं आ गए है। हम अपना खून भी देश के लिए दें और उस पर भी आप शक करें कि इस खून का रंग दूसरा है, तो कैसे काम चलेगा?

प्रो० प्रेम धूमल : नहीं, हम शक नहीं कर रहे है।

श्री अयूब खां : मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से अपील करूंगा कि जो आतंकवादी लोग हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उनको चौराहे पर खड़ा कर के शूट किया जाना चाहिए, लेकिन जो वफादार हैं, जिन्होंने हिन्दुस्तान के साथ अपनी वफादारी दिखाई है, उन पर तो जुल्म नहीं होने चाहिए। उनको सजा नहीं देनी चाहिए। उनको सजा देने का आपको क्या हक है? उनके घरों की बहू-बेटियों को घर से बाहर निकालना और सर्च करना, क्या यह ठीक है? क्या इस प्रकार का व्यवहार वहां वफादार लोगों के साथ करना अच्छा लगता है? मैं आरोप लगा रहा हूं कि पुलिस कस्टडी में लोग मर जाते हैं। गवर्नर साहब वहां पर बैठे हुए है, वे जवाब दें कि पुलिस कस्टडी में आदमी कैसे मरे? सिर्फ हिन्दू और मुसलमान का नारा लगाकर धारा 370 लगाकर वहां के लोगों के साथ अत्याचार न करें। मैं चाहता हूं कि जो मुल्क के साथ गद्दारी करें, उनको शूट करें। क्या कश्मीर में रहने वाले वे तमाम आदमी गद्दार हैं जो घाटी के अन्दर बैठे हुए हैं? उनमें बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानी की है। उसी हिन्दुस्तान के साथ मिलने के लिए मैं 65 की लड़ाई और 71 की लड़ाई में वहां था। मैंने किसी कश्मीरी को पाकिस्तान के साथ मिलते हुए नहीं देखा। जो लोग मिलते है वे गद्दार हैं, चाहे कोई भी हों। मैं आपसे अपील करूंगा कि वहां की ऐसी हालत किस तरह हुई। वहां भयंकर करप्शन है और उस पर निगाह नहीं रखी गई, चाहे फारूख अब्दुल्ला की सरकार रही हो चाहे कोई और सरकार रही हो।

मुझे बहुत बार मौका मिला जब मैं 1984 से 1989 तक इस लोक सभा का सदस्य था। मैं कई बार कश्मीर गया। वहां पर हमारे संगठन के सम्बन्ध में और पी० सी० ए० के सलैक्शन के संबंध में मैं कई बार ओब्जर्वर की हैसियत से गया। मैंने लोगों को देखा। अभी प्रो० धूमल ने एक आंकड़ा दिया कि जम्मू में इतने आदमी हैं और लद्दाख में इतने आदमी हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम बीस करोड़ आदमी हिन्दुस्तान में हैं और इस मुल्क का एक सैक्रेटरी मुसलमान नहीं है। बीस करोड़ होते हुए भी हिन्दुस्तान में एक प्रतिशत नौकरी में नहीं हैं। आज हम लोगों को आपने मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह के चक्कर में डाल रखा है। यदि सारे मुसलमान तामीम नहीं लें तो यह किसकी गलती है।

मुसलमानों की गलती है तो सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वह इस देश के नागरिकों की देखभाल करे, उनको तालीम दिलाए, उनको मुल्क की धारा से जोड़े। अगर मुल्क की धारा से नहीं जोड़ सकेंगे तो वह किसकी गलती है। चाहे जो भी सरकार हो, सरकार वह है जो जान-माल की हिफाजत करे। मैं अपील करूंगा कि नारों के पीछे, पार्टी के स्वार्थ से हटकर इन चीजों को जोड़ें। एक तरफ थप्पड़ मारो और दूसरी तरफ पुचकारो ताकि वोट मिलें, यह नीति न अपनाएं।

कश्मीर की हालत एक अलग हालत है। हमारी सबकी जिम्मेदारी है, हम बजट पास करने जा रहे हैं। यह बजट का हिस्सा कहां जाएगा। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने कहा था कि मेरा भेजा हुआ सौ रुपया वहां 15 रुपये पहुंचेगा। यह हकीकत है। यही हालत कश्मीर में है। कश्मीर 15 रुपये भी नहीं पहुंचता। वहां के 5-6 साल के बच्चे चप्पू चलाते हैं अपना पेट पालने के लिए, अपने मां-बाप के साथ किश्ती खींचते हैं। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उन बच्चों को तालीम दे? यदि वह पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों पर लगता तो वे स्कूल जाते और दसवीं क्लास तक उनका खान-पान सरकार करती।

मैं प्रो० धूमल की बात से सहमत हूं कि वहां से जो रिफ्यूजी आए हैं, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उनकी देखभाल करे। वे कोई बाहर के आदमी नहीं हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि बी. जे. पी. के आदमी ही इस बात को उठाएं। हमारी भी जिम्मेदारी है, वे हमारे भाई हैं, हमारे मुल्क के हैं, हम उनका आदर करें और उनके पास जाएं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से अपील करूंगा कि क्यों नहीं पार्लियामेंट के आदमी कश्मीर में भेजे जाते। क्यों नहीं होम मिनिस्टर कश्मीर में जाते? सभी मिल-जुलकर कश्मीर जायें, वहां की स्थिति को देखें कि वहां असली हालत क्या है। क्या हम सिर्फ इनफार्मेशन पर डिपैंड करेंगे जो हमें बाहर से मिल रही है?

मैं आग्रह करूंगा कि किसी भी हालत में सिविल पौपूलेशन पर फौज का इस्तेमाल न किया जाए। यदि वहां फोर्स की जरूरत पड़े तो सरकार ज्यादा से ज्यादा पुलिस फोर्स भेजे, सी. आर. पी. एफ. भेजे लेकिन फौज का इस्तेमाल न करें। यदि फौज का इस्तेमाल हो गया तो बहुत बड़े नुकसान का मुंह देखने की हालत पैदा हो सकती है। फौज एक ऐसी चीज है जो बार्डर की रखवाली के लिए है। यदि फौज को सही तरीके से लगाएंगे तो आतंकवादी कामयाब नहीं कर सकेंगे, यदि फौज को सिविल काम में लगाएंगे तो फौज की रिसपैक्ट पर फर्क पड़ेगा।

हमारी पुलिस क्या काम करती है मेरा आग्रह है कि आप इस पर गौर कीजिए। वहां हजारों आदमी तकलीफ उठाते हैं, ऐसा मेरा जानकारी में है। वहां के लोग घर-बार छोड़ कर जंगलों में रहते हैं। उनके घर से कीमती चीजें उठाकर वे ले जाते हैं लेकिन वह बोल नहीं पाते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया है। कसूर उन्होंने किया जो आतंकवादी हैं, जो देशद्रोही हैं लेकिन सब लोग देशद्रोही नहीं हो सकते हैं। मैं भी एक मुसलमान हूं। हमारी शरीयत और हमारा ईमान हमें बताता है कि मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता है। वह मुसलमान, मुसलमान नहीं है, अगर वह देश के साथ गद्दारी करे। यह हमारा मजहब हमें सिखाता है। मैंने आपको यह पीछे का इतिहास बताया। आज मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी हिन्दू और मुसलमान में फर्क समझें और अल्लाह का मखलूक है कि अगर मैं किसी मुसलमान से मोहब्बत करूं। मेरा फर्ज है कि मैं हिन्दू भाई को मान, सम्मान और आदर दूं। अगर प्यार से बोलूंगा, उनकी इज्जत करूंगा तो वह भी मुझे उतनी ही इज्जत देगा। सिर्फ मन्दिर-मस्जिद और कब्रिस्तान के चक्कर में 40 साल की आजादी के बाद भी हम पड़े हुए हैं।

मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह कश्मीर के सम्बन्ध में नीति बनाए और जन प्रतिनिधियों

को सत्ता में भागीदार बनाए। आखिर कब तक वहां गवर्नर राज रख पायेंगे ? जब तक वहां के जन प्रतिनिधियों को सत्ता नहीं सौंपेंगे तब तक उनको असलियत मालूम नहीं होगी। असलियत मालूम करने के लिए आप संसद सदस्यों को भेजिए। जो देशभक्त बनते हैं वह भी वहां जायें। हम भी उनके साथ चलेंगे। असली हालत कश्मीर की जानकर ही वे यहां पार्लियामेंट में बहस करें। हमें इस बात की खुशी है कि आज इस बहस के दौरान एक बहुत ही बुजुर्ग, काबिल दोस्त श्री जार्ज फर्नान्डीज जोकि हमारे बीच में बैठे हैं···(व्यवधान)···

प्रो० प्रेम कुमार : वह बुजुर्ग नहीं, नौजवान हैं।

श्री अयूब खां : लेकिन राजनीति के लिहाज से बहुत बुजुर्ग हैं। इन्हें कश्मीर के बारे में जितनी नालेज है हम को शायद उतनी जानकारी नहीं है। मैं भी कश्मीर में बहुत लम्बे पीरियड तक रहा हूं। छम्ब जोड़िया में मैं दस साल रहा। मैं वहां की एक-एक इंच जमीन से वाकिफ हूं, वहां की संस्कृति और वहां के हकूक से वाकिफ हूं। वहां आज जो इतनी हालत खराब हुई वह किस वजह से हुई और किस सरकार के रहते हुई मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं लेकिन आज वहां जो कुछ भी हो रहा है वह बहुत गलत है। आपको इसका स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए। कश्मीर में कभी हिन्दू और मुसलमान की बात नहीं उठी है और न ही कभी आगे उठेगी। अगर कहीं हिन्दू और मुसलमान की बात उठी तो वह गलतफहमी की वजह से ही उठी है। हमें उसे दूर करना होगा। जो हमारे यहां रिफ्यूजी बन कर रह रहे हैं, उनकी हिफाजत करना और वापिस कश्मीर भेजना सरकार का फर्ज है।

सभापति महोदय, मैं उस तबके से ताल्लुक रखता हूं जितका हिन्दुओं के प्रति बहुत प्रेम रहा है। सुनने में आया है कि उनको यह भ्रम है कि वहां से हिन्दू भाइयों को इसलिए निकाला गया कि जब मुसलमान बच जायेंगे तो उनको स्वाहा कर दिया जायेगा। अगर ऐसी बातें रहेंगी तो सच्चे वफादार के दिल में शक होगा। हम ऐसी नीति बनायें कि सबके मन से भ्रम दूर हो सके। हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं और यह मुल्क हमारा है। मैं एक कविता की कुछ लाइनें आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

"चीन अरब हमारा, हिन्दुस्तान हमारा,
हिन्दी हैं हम, वतन है, सारा जहां हमारा।"

आज हम इस पर अमल करें। इलेक्शन का जो नारा दिया है उसको यहां न दें। एक दूसरे में कटुता न जाए, यह एक बहुत नाजुक बीज है कि हम किस तरह से जोड़ सकें। मैं आपसे अपील करूंगा कि वहां करप्शन पर कण्ट्रोल हो, वहां जो पैसा यहां से जा रहा है, उस पैसे का सही इस्तेमाल हो, वह सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की पाकेट में न चला जाय।

आज यह होना चाहिए कि वहां कोई संस्था खुले और वहां जो बच्चे हैं, उससे वह दसवीं तक तालीम लें। उनको वहां फ्री एजुकेशन और फ्री खाना मिलना चाहिए ताकि उन्हें महसूस हो कि हिन्दुस्तान की तरफ से हमको यह एड मिली है। वहां कुछ न कुछ तो हो लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं है। मैं उनके मोहल्लों में गया हूं, उनकी गलियों में गया हूं। उनकी गलियां सड़ी हुई है, कोई सड़क नहीं, कोई नाली नहीं, इन बातों के लिए लोग तरसते हैं और उस पर हम ऐसा जुल्म करें। वहां आज तक कोई भी सरकार रही हो, काम किसी ने कुछ भी नहीं किया, वहां पर। काम वहां सिर्फ 100 रुपए में से 5 रुपए के बराबर पहुंचा और बाकी पैसा सब जेबों में गया। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि आज सरकार में जो जिम्मेवार आदमी हैं, वह सोचें कि वहां हर आदमी की हिफाजत हो। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिले कि चार आदमी जो पुलिस कस्टडी में मरे हैं, वह किस कारण से मरे, सरकार ने क्या एक्शन लिया और जिन लोगों पर करप्शन का और चरों में गड़बड़ करने का चार्ज लगा है, उनके सम्बन्ध में आपके सामने कितने केसेज आए और उनपर क्या एक्शन हुआ ? आखिर वह भी तो हमारे इसी देश के नागरिक हैं, अगर वह इल्तजा करें कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है तो आपका फर्ज है उनको तसल्ली दिलाना कि आपके साथ जुल्म नहीं होगा। सिर्फ जुल्म उसी पर होगा जो आतंकवादी होगा, जो गद्दार होगा, सबकी सारों पर तो जुल्म नहीं होगा। अगर एक आदमी

ने गलती की है तो पूरे मौहल्ले ने तो गलती नहीं की कि पूरे मौहल्ले को फूंक दो, पूरे मौहल्ले में आग लगा दो। मैं आपसे यही अपील करूंगा कि वहां पर एजुकेशन सिस्टम ठीक किया जाय। आज एक सबसे जरूरी चीज है कि हमारी एजुकेशन की पालिसी हम बदली नहीं कर सके। तो क्या हम अंग्रेजों और मुगलों की हिस्ट्री को पढ़ेंगे ? अगर उसी हिस्ट्री को हम पढ़ते रहेंगे तो हमारा दिमाग ठीक नहीं होगा। हम वह एजुकेशन पालिसी अमल में लायें ताकि उससे रोजगार मिल सके, ताकि वहां के लोगों की गरीबी दूर हो सके और ऐसे हालात लायें कि वहां टूरिस्ट लोग जा सकें, क्योंकि, उनका जो मुख्य साधन था, वह टूरिज्म पर ही डिपेण्ड करते थे तो वहां तमाम टूरिस्टों ने जाना बन्द कर दिया। तो यह भी सोचना चाहिए कि उनका गुजारा किस तरह चलेगा। जहां-जहां गरीबी आयेगी, बेरोजगारी आयेगी तो वहां का नौजवान भड़केगा और उस भड़कने का कारण आगे आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह से होगा।

आज हमें अपने देश को बचाना है, देश को बचाने के लिए इन चीजों पर हम कण्ट्रोल करें और साथ ही साथ हम भड़काने वाली कोई चीज न करते हुए दिलों को जोड़ने वाली बात करें। यहां से हमारा सिग्नल वहां जाय कि हम और हिन्दू भाई-भाई हैं, हम भाई के रिश्ते से रहना चाहते हैं। हम भाइयों का आदर करते हैं, जिस तरह मस्जिद का आदर करें उससे ज्यादा मन्दिर का आदर करें। हम क्यों आज इन चीजों में लड़े, देश को इन चीजों से क्यों तोड़ें ? कश्मीर एक बड़ा नाजुक इलाका है। मेरा आपसे आग्रह है, वहां पर एक मैडीकल कालेज है, उस कालेज में एडमीशन के अन्दर बहुत बड़ा भेदभाव रहा है। उस भेदभाव का मेरे सामने जिक्र आया कि किस तरह से वहां जातिवाद का फर्क डाला गया, सिर्फ वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों ने, जिससे आज वहां के लोगों में रोष व्याप्त है।

आखिर में मैं आपसे अपील करूंगा कि आप जितना भी पैसा दें, उसका सही इस्तेमाल हो सके और वहां का जो···

प्रो० प्रेम चूमल : नीति की घोषणा करें।

श्री अयूब खां : और जो नीति है, यह जरूर स्पष्ट करें ताकि मुल्क के लोग सोचें कि यह हमारी सरकार है। इसके साथ ही होम मिनिस्टर साहब हम एम. पीज. को वहां जाने की इजाजत जरूर दें, या हमारे साथ जाएं। यहां से एम० पीज० की एक टीम जाय, जो वहां देखें कि असल में वहां हालात क्या हैं और वहां से आकर वह हाउस को बताए। हिम्मत होगी तो जरूर जायेंगे, बहुत सारे एम. पी. और वहां लोगों से मिलें, उनसे मिलकर वहां हालात का जायजा लें। मैं खास कर खुराना साहब से जरूर आग्रह करूंगा कि आप मेरे साथ जरूर चलिए ताकि हम वहां पर लोगों से बात कर सकें।

मैं आखिर में आपसे यही अपील करूंगा कि अल्लाह करे हमको साधू और फकीर की तलवार मिले, लोहे की तलवार न मिले। लोहे की तलवार का अब जमाना नहीं रहा। साधू वह होता है, जो साधना करता है। उसके अन्दर इच्छाएं नहीं होती, उसमें गुस्सा नहीं आता। वह साधू क्या जो गुस्सा हो जाय। साधू तो वह जो कभी जाति नहीं पूछता। मैं भी उनके पास जाता हूं, तो कभी मेरे से नहीं पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है। आशीर्वाद देता है और फकीर भी वही करता है। साधू और फकीर ऐसे नहीं कि गुस्सा आ जाए और हम भड़क जायें। हमारा काम एक दूसरे के दिलों को जोड़ना है। मैं आपकी ओर इशारा कर रहा हूं, आशा है आप मेरी बात को समझे होंगे। (व्यवधान)

प्रो० प्रेम चूमल : अब तो लोहे की तलवार का जमाना कहां, एके-47 है। (व्यवधान)

श्री अयूब खां : आप एक शेर सुन लीजिए :

"तोहीद की अमानत सीनों में है हमारे,
आसमान नहीं मिटाना नामोनिशान हमारा।"

यह हिन्दुस्तान का कल्चर रहा है। यह वह हिन्दुस्तान है, जहां शिवाजी महाराज के तोपखाने का सिपहसालार मुसलमान था। शिवाजी महाराज का अंग-रक्षक मुसलमान था और खुफिया सिक्योरिटी

में तमाम मुसलमान लोग थे। महाराणा प्रताप का सिपहसालार मुसलमान था और अकबर बादशाह का सिपहसालार हिन्दू था। इस प्रकार यह हिन्दुस्तान बना है। आज हम हिन्दुस्तान के लोगों में क्यों खाई पाटें। हम पहले एक होकर नहीं रह सकते थे। शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में लड़ाई हुई, शिवाजी महाराज के तोपखाने का इन्चार्ज और अंगरक्षक मुसलमान था। वह कभी भी गद्दार नहीं बन सकता था, क्योंकि जिसका नमक खाया है, उसकी वफादारी करो। आखिर एक दिन इन्सान को खुदा के घर भी जाना है। आप जिस मुल्क में रह रहे हो, यह मुल्क राम और कृष्ण का है। यह कोई साधारण मुल्क नहीं है। यहां की मिट्टी ऐसी मिट्टी है, जिसने धर्म के नाम पर सख्ती की, वह कामयाब नहीं होगा। जिसने नाइंसाफी की, अपनी जनता में फर्क रखा, वह कामयाब नहीं हो पाएगा। आप भगवान से तो चाहते हो कि भगवान हमारी मदद करे और हमारे साथ इन्साफ करे। मगर जब तुमको इन्साफ करने का मौका मिलता है, तो नाइंसाफी करते हो। यह उचित नहीं है।

मोहतरमा, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। यहीं कुछ मुद्दे थे, जिनको मैं सदन में रखना चाहता था। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, मैं आपका बहुत मशकूर हूं, आभारी हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध कर सकती हूं कि वे जम्मू और कश्मीर राज्य के बजट और अनुदान की मांगों की बहस तक ही सीमित रहें क्योंकि आज हमें एक मद और निपटानी है ?

श्रीमती सुशीला गोपालन।

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिकिल) : सभापति महोदय, हम हर कर संसद में जम्मू और कश्मीर राज्य का बजट पास करते हैं। लेकिन हम वास्तव में जम्मू और कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं कर सके हैं। जम्मू और कश्मीर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि सरकार इस बारे में किस नीति पर चल रही है। वास्तव में, कोई नीति ही नहीं है। सरकार वहां कानून और व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए अर्द्ध-सैनिक बलों और सेना पर निर्भर है।

कश्मीर की जनता का मुख्य मुद्दा यह है कि वे कश्मीरियों की पहचान को बनाए रखना चाहते हैं। धर्म निरपेक्ष ताकतें अपनी संस्कृति और परम्परा को बनाए रखना चाहती हैं। उन्होंने भारत में ही रहने का निर्णय दिया है क्योंकि वे धर्म निरपेक्ष भारत में विश्वास करते हैं। उनकी आशाएं और महत्वाकांक्षाएं धर्मनिरपेक्ष भारत में ही सुरक्षित रहेंगी। (व्यवधान) कांग्रेस पार्टी देश में कोई गैर-कांग्रेसी सरकार को सहन नहीं कर सकती है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम उन्हें झेल रहे हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : यह सत्य नहीं है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : वास्तव में यह सत्य है। कश्मीर में, वे समझ नहीं सके और कांग्रेस पार्टी ने अपने संकीर्ण स्वार्थों को पाने के लिए दल बदल को बढ़ावा देकर वास्तव में डा० फारुक अब्दुल्ला की सरकार को गिरा दिया था। और तब कांग्रेस के समर्थन से शाह सरकार को लाया गया था। वहीं से मुसीबतों की शुरुआत हुई थी। हालांकि वहां पर इससे पहले भी समस्याएं थीं। लेकिन शाह सरकार के आने के बाद कश्मीर में पाकिस्तानियों की घुसपैठ के लिए राह खुल गई और विघटनकारी तत्वों को प्रोत्साहन दिया गया। इसके फलस्वरूप साम्राज्यवादियों द्वारा वास्तव में पाकिस्तान को कश्मीर में गड़बड़ और अव्यवस्था फैलाने में सहायता दी गई थी। पाकिस्तान जिमला समझौते से मुकर गया। वह आतंकवादियों को प्रशिक्षण देना प्रारम्भ करके उन्हें कश्मीर में भेजने लगा।

हम-प्रशासनिक उपायों पर निर्भर करते रहे। वास्तव में, इससे पहले कश्मीर में हिन्दू और मुस्लिम प्रेम से रह रहे थे। गलत नीतियां अपनाने के कारण सारा वातावरण दूषित हो गया। अल्प-संख्यकों को घाटी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। अपने मूल स्थान से

उखाड़े गये किसी भी समुदाय को कष्ट झेलना पड़ता है और इसीलिए अल्पसंख्यक हिन्दुओं को, जो वहां रहते थे घाटी छोड़नी पड़ी, कष्ट झेलने पड़ रहे हैं।

अब इस समस्या का क्या समाधान है? वास्तव में कश्मीर में दो ताकतें काम कर रही हैं। पहली है मुस्लिम कट्टरवादियों वाली जामायते-इस्लाम जो वास्तव में लोगों में जहर और घृणा फैला रही है।

दूसरी है जे० के० एल० एफ०, जो कश्मीर की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही है। वे स्वतन्त्र कश्मीर चाहते हैं जे. के. एल. एफ. पर ही सरकार ने ध्यान केन्द्रित रखा, मुस्लिम रूढ़िवादियों पर नहीं, जो वास्तव में साम्प्रदायिक नहीं हैं। सरकार ने धर्मनिरपेक्ष ताकतों का विश्वास प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। जिसके परिणामस्वरूप लोगों ने कष्ट सहे। पर्यटन प्रभावित हुआ। वास्तव में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कश्मीर के विकास के लिए अधिक कार्य नहीं किया। वे केवल पर्यटन पर ही निर्भर नहीं थे। राज्य के उस भाग में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अधिक उन्नति नहीं हुई। लोग पीड़ित थे। सरकार केवल खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं पर ही राजसहायता दे रही थी। परन्तु वास्तव में राज्य में कोई विकास नहीं हुआ।

कश्मीर देश का एक नाजुक अंग है और वहां अशान्ति भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक है। जब तक हम कश्मीर पर एक सही नीति लागू नहीं करेंगे तब तक राज्य का विकास नहीं होगा। इसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। लोग तंग हैं। लोगों की शिकायतों को दूर करने की कोई व्यवस्था नहीं है। सभी कुछ प्रशासनिक तन्त्र तथा अर्धसैनिक और सैनिक बलों पर छोड़ दिया गया है। भारत सरकार भी इस मुद्दे को हल करने के लिए कुछ एक व्यक्तियों की क्षमता पर ही निर्भर कर रही है।

सरकार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए पहल करनी चाहिए। कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। पहले तो सरकार को लोगों की पहचान को बचाने तथा उन्हें मुख्यधारा में लाने का इरादा बनाना होगा। ऐसा हो सकता है बशर्ते कि आप राज्य को और अधिक शक्तियां दें।

10.00 म० प०

हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र इस पर आपत्ति करेंगे। कश्मीर राज्य को और अधिक स्वायत्तता देना अत्यावश्यक है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र इस बात को नहीं सुनेंगे क्योंकि वे अनुच्छेद 370 को हटाना चाहते हैं, यह उनकी मांग है। परन्तु हम कहते हैं कि अनुच्छेद 370 के अधीन अधिकांश शक्तियां ले ली गई थी। उन्हें वापस करना होगा। राज्य को और अधिक शक्तियां देनी होंगी। केन्द्र-राज्य सम्बन्ध एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम विश्व में कई चीजें देख रहे हैं, दीवारों पर लिखी बातें देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को एक वास्तविक नीति शुरू करनी होगी। अधिकांश शक्तियों, जिन्हें वास्तव में ले लिया गया था, को वापस दिया जाना चाहिए।

जो लोग देश की एकता के पक्षधर हैं तथा जिनकी लोगों तक पहुंच है की एक राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर परामर्शदात्री समिति का तत्काल गठन किया जाना चाहिए ताकि लोग अपने दुःख उनके समक्ष रख सकें और उनका समाधान हो सके। इसलिए, सभी दलों जिनका राज्य में प्रभाव है की एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाना चाहिए और को अपने कष्टों के निवारण की सुविधा मिलनी चाहिए। ऐसा करने से निःसन्देह जम्मू और कश्मीर में लोगों की दशा में सुधार किया जा सकता है। उनके अधिकारों की सुरक्षा हेतु इस परामर्शदात्री समिति का अविलम्ब गठन किया जाना चाहिए।

समिति का संचालन जम्मू या किसी अन्य स्थान या दिल्ली से न होकर घाटी में से ही होना चाहिए। जो लोग रूढ़िवाद का प्रचार कर रहे हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए और कश्मीरी लोगों की देशभक्ति भावनाओं को उभारा जाना चाहिए।

प्रचार माध्यमों तथा प्रैस को इस बात का प्रचार करना चाहिए कि हम कश्मीर के लिए क्या करना चाहते हैं और उनका उपयोग व्यापक तौर पर किया जाना चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों के साथ ये विभाजक ताकतें और अधिक सक्रिय होंगी। आप सोवियत संघ में हुई घटनाओं के बारे में खुश होंगे···(व्यवधान) आपका प्रचार तथा अन्य बातें इसी तरह की हैं। सोवियत संघ में प्रजातन्त्र बहाल हो गया है। प्रजातन्त्र को बहाल किया जा सकता है परन्तु समाजवाद की कीमत पर नहीं, पूंजीवाद को लाकर नहीं और इसके अपने प्रभाव होंगे। हम यह देखने जा रहे हैं। ये परिवर्तन केवल सोवियत संघ के लिए ही अहितकर नहीं है परन्तु तीसरी दुनिया के देशों के लिए भी अहितकर हैं। तीसरी दुनिया के देश हानि उठाने जा रहे हैं। सोवियत संघ में घटी घटनाओं का यह परिणाम होगा। इसका हमारे देश में भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें सावधान रहना होगा।

हमें इन घटनाओं के निहितार्थ को समझना चाहिए और विभाजक ताकतों का सामना करने के लिए हमें प्रभावी कदम उठाने होंगे। यदि प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते हैं तो यह हमारे देश के लिए बहुत विनाशकारी होगा। अलगाववाद तथा रूढ़िवाद का सामना करने के लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे।

हमने कश्मीर के विकास को अनदेखा कर दिया है। यदि सरकार सचेत या चतुर होती तो वे कश्मीर से 50,000 युवाओं को कश्मीर से भारत में ला सकते थे और उन्हें विभिन्न सेवाओं में जगह दे सकते थे।

मेरा कहना है कि हमें उन्हें वास्तव में रोजगार देने चाहिए। यह काश्मीर के लोगों की भावनाओं को देश के अन्य भाग के लोगों से जोड़ने में अत्यन्त सहायक होगा। हम ऐसा करने में वास्तव में ही असफल रहे। सरकार ने काश्मीर की समस्याओं को समझने हेतु इस तरह कार्य नहीं किया और और उसके परिणामस्वरूप हम अब कष्ट उठा रहे हैं। देश की एकता के लिए आपको प्रभावी कदम उठाने हैं और ये कदम तत्काल उठाने चाहिए। इससे उन्हें यह विश्वास होगा कि हम काश्मीर के विकास के लिए कुछ कर रहे हैं और काश्मीरी लोगों की पहचान बनाए रखने में हमारी वाकई दिलचस्पी है और कि हम उन्हें सहायता पहुंचाने तथा काश्मीर क्षेत्र का विकास करने के लिए हर सम्भव कार्य करेंगे।

हमें बहुत जल्द कार्रवाई करनी होगी। समय बहुमूल्य है और निकला जा रहा है। विलम्ब होता जा रहा है। यदि ज्यादा धन भी खर्च होता है तो भी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। यदि समय रहते समुचित कदम नहीं उठाये जाते, तो इससे काश्मीर में धर्म-निरपेक्ष शक्तियों को बहुत हानि होगी। हम यहां पर यह बजट पारित कर रहे हैं। यदि किसी उचित नीति का पालन नहीं किया गया, तो हम यहां अथवा काश्मीर में आगे कोई बजट पारित नहीं कर पायेंगे। कृपया खतरे को पहचानें और काश्मीर के मामले में सही नीति अपनाएं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। किन्तु मुझे कहना होगा कि वहां पर कुछ करना पड़ेगा। यदि और अधिक धन खर्च करना पड़े तो भी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। किन्तु राज्य

को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के लिए हमें कुछ करना ही होगा। काश्मीर की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। धन्यवाद।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदया, माननीय मन्त्री द्वारा जम्मू और काश्मीर को इस सदन में प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं। यह कोई खुशी की बात नहीं है। सर्वप्रथम मुझे यही स्वीकार करना है। केन्द्रीय विधान मण्डल अर्थात संसद में राज्य के बजट पर चर्चा करना कोई खुशी की बात नहीं है। यह हमें विवश होकर ऐसा करना होता है। इससे बचा नहीं जा सकता। इस सदन में जम्मू काश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा आतंकवाद की समस्या पर अलग-अलग रूपों में इसी सत्र में चर्चा की हुई है। इसलिए, मैं उस विषय पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता। जम्मू-काश्मीर की समस्या, जो इतनी उग्र है, पर विचार करना हमारे लिए कितना पीड़ादायी है। काश्मीर को इस पृथ्वी पर ठीक ही स्वर्ग के रूप में जाना जाता था—'भूस्वर्ग' जिस पर हमें गर्व है। काश्मीर प्रकृति का मूर्त रूप है, प्रकृति का घर है और सौन्दर्य का आगार है। विश्व के कोने-कोने से बड़ी संख्या में पर्यटक काश्मीर में आते थे। वे मौज-मस्ती करते थे और बदले में हमें काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी। इस स्थिति पर अब गम्भीर रूप से बुरा प्रभाव पड़ा है।

हम यहां पर जम्मू-काश्मीर के बजट पर चर्चा कर रहे हैं। जम्मू-काश्मीर की अर्थ-व्यवस्था पर्यटन उद्योग के साथ जुड़ी हुई है। पर्यटन पर प्रभाव पड़ने के कारण, स्वाभाविक रूप से स्थानीय लोगों, स्थानीय निवासियों की आर्थिक दशा कष्टपूर्ण हुई है। घाटी में रहने वाले वे समस्त लोग पर्यटकों पर सीधे निर्भर थे तथा सीजन के समय वे काफी कमाई कर लेते थे, जिसमें से कुछ बचाकर वे जाड़ों के मौसम के दौरान अपनी गुजर-बसर हेतु रख लेते थे। किन्तु अब पूरा वर्ष कोई पर्यटक नहीं आते। आपको ज्ञात है वहां पर विदेशी पर्यटकों से कैसा सलूक किया जाता है। वहां पर भारतीय पर्यटकों और विदेशी पर्यटकों का अपहरण रोजमर्रा की बात हो गयी है। इस बजट का विरोध करने के लिए कुछ नहीं है। यह, जैसा आप जानते हैं, एक कर-मुक्त बजट है तथा राजस्व व्यय में भी वृद्धि हुई है तथा वित्त मन्त्री महोदय आज इसी सदन में ठीक ही फर्मा रहे थे कि जम्मू-काश्मीर हमारे राज्य के रक्षा कोष पर, तथा केन्द्रीय राजकोष पर एक बोझ है। वे जो कुछ भी खर्च करते हैं, जितना की घाटा होता है वह (सब) न केवल वहां बल्कि उत्तर-पूर्व सीमान्त में भी, भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। किन्तु यह वास्तविक स्थित नहीं है। हम वहां की वर्तमान स्थिति पर चिन्तित हैं। मैं मैडम गोपालन द्वारा कांग्रेस की इस आलोचना से सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस वहां किसी गैर-कांग्रेसी सरकार को सहन नहीं कर सकी और न कर सकती है। उनका संकेत फारूख अब्दुल्ला सरकार की ओर था जिसे बर्खास्त किया गया था। किन्तु वह 1990 में विधान-सभा भंग किए जाने की बात आसानी से भूल गयीं। वह किसने किया? जम्मू-काश्मीर विधान-सभा भंग करने के लिए कौन जिम्मेवार था। (व्यवधान)

10.12 म० प०

[श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए।]

ऐसी अपूरणीय क्षति हुई कि यदि हम सब मिलकर भी अपना दिमाग लगाएं तो भी हमें यह उसका समाधान नहीं मिल सकता कि उस विधान सभा को कैसे पुनर्जीवित करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे बहाल करें। क्या ऐसा नहीं है? वह किसने किया? क्या कांग्रेस के लोगों ने ऐसा किया?

तत्कालीन सरकार ने जम्मू-काश्मीर में लोकतन्त्र को गहरा आघात पहुंचाया था और वास्तव में उसी के कारण स्थिति बिगड़ी है। खैर, फिलहाल यह हमारे विचारने का समय नहीं है, हम सब अपनी अपनी तरह से चिन्तित हैं, किन्तु हमारे भाजपाई मित्रों का मार्ग भिन्न है। जब कभी भी जम्मू-काश्मीर का जिक्र आता है तो हर बात के लिए वे अनुच्छेद 370 को बीच में ले आते है। किन्तु अब, हमारी आंखें पूरी तरह खुली हैं। यूरोप तथा सोवियत संघ में तथा बाकी हर जगह भी जो कुछ भी हो रहा है उस सब से हमें सबक लेना है और शायद इसलिए वे अपनी मान्यता को बदलेंगे। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : अब, समस्या यह है कि काश्मीर में स्थिति सामान्य कैसे की जाए, राजनैतिक लोकतांत्रिक प्रणाली को कैसे पुनर्जीवित किया जाए। महोदय, साथ ही साथ, बजट के संबंध में भी, समस्या यह कि वहां पर विकासात्मक गतिविधियां कैसे शुरू की जाएं, कैसे चलाई जाएं, क्योंकि वहां पर प्रशासन का कोई चिन्ह नहीं है, अब सब कुछ सर्वविदित है। वहां पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना तैनात है तथा अर्द्ध-सैनिक बल तैनात हैं। स्वाभाविक रूप से, समस्या यही है कि सामान्य स्थिति कैसे बहाल की जाए।

इस सभा में पहले भी इस पहलू पर विस्तार से चर्चा हुई है। अब केवल कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। यह राष्ट्रीय समस्या है, यह केवल कांग्रेस पार्टी की समस्या नही है। अतः सभी राजनैतिक दलों को इस समस्या पर अपने आप को सम्बोधित करना चाहिए। वे एक साथ बैठें तथा इस समस्या के समाधान के फार्मूले का पता लगाएं। सारे नेता घाटी में जाएं, कुछ समय वहां रहें तथा लोगों में मिलकर उनमें विश्वास पैदा करें। वे सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं, छात्रों, बार एसोसिएशन के लोगों और व्यापारी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मिलें। वहां सदभावना का वातावरण बनाए जाने की आवश्यकता है। उन्हें यह महसूस नहीं होने दीजिए कि उनकी अवहेलना की जाती है और कि वे द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं, आतंकवादियों को सीमा पार से उकसाया जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश सचिव जो हाल ही में यहां आए थे और जिन्होंने सभी नेताओं से हाथ मिलाया था, इस द्विपक्षीय मामले को गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन मे उठाया।

महोदय, देश की प्रभुसत्ता और अखण्डता पर बातचीत नहीं की जा सकती है और यह बात पाकिस्तान को स्पष्ट बता देनी चाहिए। संविधान के ढांचे के भीतर इन लोगों के साथ बातचीत करके मामले के समाधान के सारे प्रयास किए जाने चाहिए। दूसरी अशान्ति पैदा करने वाली बात यह है कि दुर्भाग्य से जम्मू और कश्मीर में सारे राजनैतिक दल अप्रासांगिक हो गए हैं। उनमें वह राजनैतिक प्रक्रिया आरम्भ करने का साहस होना चाहिए तथा आतंकवादियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। कश्मीर को लोगों को प्रेरित करना चाहिए तथा उनसे कहना चाहिए कि हम कश्मीर को नहीं खो सकते हैं। वहां आतंकवाद पर काबू पाने के लिए अर्द्धसैनिक बलों का उपयोग करना चाहिए तथा साथ-ही-साथ वहां सामान्य जनजीवन बहाल करने के प्रयास करने चाहिए।

इसके बाद, अगला सुझाव यह है कि हमारे देश के विभिन्न राज्यों में इन्जीयरिंग और मेडिकल कालेजों में कश्मीरी छात्रों के लिए कुछ पद आरक्षित करने चाहिए तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी कश्मीरी युवाओं के लिए कुछ नौकरियां आरक्षित की जानी चाहिए। हमारे माननीय गृह मन्त्री ने इस

सभा में वायदा किया था कि वह जितनी जल्दी सम्भव हो सकेगा कश्मीर घाटी की यात्रा पर जाएंगे। राज्य की विकास सम्बन्धी गतिविधियों के लिए धनराशि की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त धनराशि देनी चाहिए और वहां पर भिन्न किस्म का वातावरण बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। केवल पर्यटन ही घाटी के लिए आय का स्रोत है और वर्तमान स्थिति में, इस पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अतः वहां के स्थानीय लोगों की सहायता के लिए कुछ करना चाहिए।

जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि जम्मू और काश्मीर का बजट यहां पारित कराना अच्छी बात नहीं है। हम नहीं जानते कि जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब के लिए संसद द्वारा ऐसा अप्रिय कार्य कब तक किया जाता रहेगा। पहले राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करना, तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को बहाल करना बेहतर है। वहां निर्वाचित निकाय कार्य शुरू करें और वे वहां यथाशीघ्र बजट पारित करें।

श्री विजय एस० पाटील (इरन्दोल) : मैं माननीय सदस्यों से, जो बजट पर बोलते जा रहे हैं, अनुरोध करता हूं कि वह लगभग 12 घण्टे से यहां बैठे माननीय मन्त्री और हम लोगों पर कृपा करें।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपना भाषण छोटा करें और बहुत संक्षेप में बोले।

श्री जार्ज फर्नाण्डीज।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नाण्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति जी, अच्छा होता अगर इस बहस के दौरान गृह मन्त्री यहां पर मौजूद रहते, क्योंकि कश्मीर का मामला केवल वित्त मन्त्री बैठकर यहां सुनें कि कितना रुपया हां-ना करते हैं, यह नहीं है। कश्मीर पर जब हम बहस करते हैं तो यह अच्छा होगा कि गृह मन्त्री भी मौजूद रहें ताकि वहां की समस्याओं के बारे में कुछ विचार हो सके, कुछ बात हो सके। मुझे अफसोस है कि सदन में जो हाजिरी होनी चाहिए थी और विशेषकर मैं अपने दल के बारे में कहना चाहता हूं वह नहीं के बराबर है। दुनिया में संसद अनेक जगहों पर हैं, रात को भी चला करती हैं और मैंने हाउस आफ कामन्स को देखा है रात को तीन-चार बजे तक अपने हाउस को चलाते हुए वहां बैठने की जगह नहीं मिलती है क्योंकि अपने देश के प्रति और समस्याओं के प्रति लोग जागरूक रहते हैं···(व्यवधान) अपने देश में लोग दिलचस्पी रखते हैं, अपने देश की समस्याओं के प्रति चिन्ता रखते हुए और संसद में अपनी जिम्मेदारी को हल्के ढंग से नहीं देखते हैं और न यह देखते हैं कि वह चिल्लाने की जगह है।

सभापति महोदय, मैं सबसे पहले इस सदन में श्री और श्रीमती वाकलू को याद करना चाहता हूं। वे इस क्षण अपहरणकर्ताओं के घेरे में फंसे हुए हैं और हम उनको याद करते हुए यह अपील करना चाहेंगे और मेरी अपील है कि आप भी सभापति जी, इस अपील में साथ रहेंगे कि उनकी रिहाई हो और केवल उन्हीं की नहीं, बल्कि जो भी लोग आज वहां जो मिलिटेण्ट्स हैं, यहां जिनको मैं इनसरेक्शन-

निस्ट्स कहता हूं, उनके घेरे में इस वक्त जो बन्द हैं, हम चाहेंगे कि उन सबकी रिहाई हो। मैं उस व्यक्ति को भी यहां बधाई देना चाहता हूं जो लगभग डेढ़ महीने वहां इन आतंकवादियों के घेरे में रहकर बाहर आए—दुरईस्वामी, इण्डियन आयल कार्पोरेशन के बड़े अफसर। मैं जानता हूं कि उनके लौटने पर उन्होंने कई निवेदन दिए और उनमें उन्होंने न केवल घेरे में रहने का अनुभव बताया बल्कि आशा व्यक्त की कि अगर वह नौजवानों से जो वहां पर आज आतंक फैला रहे हैं, उनसे अगर हम लोग बातें कर लें तो कश्मीर के मसले पर हम आगे जा सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि गृह मन्त्री ने कोई ऐसा प्रयास किया, ऐसा कोई प्रयत्न किया जिससे उनकी स्थिति के बारे में और 40-50 दिन के बन्दी-काल में जिन लोगों से उन्होंने जान-पहचान की होगी तो उनके साथ सम्पर्क करके, उनसे बात करने का गृह मन्त्री ने कोई प्रयास किया दुरईस्वामी के जरिए। मुझे नहीं मालूम क्योंकि दुरईस्वामी ने इस बात को कहा था कि परिस्थिति को सुधारने में मैं अपने को देने के लिए तैयार हूं।

सभापति जी, मैं उन तमाम बातों को नहीं दोहराऊंगा···(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : उन्होंने डिनाइ किया कि हम उनके साथ बातचीत करेंगे, वे कहते हैं ऐसा मैंने नहीं कहा है।

श्री आर्य फर्नान्डीज : यह उनका रिकार्ड है, हिन्दुस्तान के तमाम अखबारों में एक बार नहीं अनेक बार ये छपकर आया है। हम उस विवाद में नहीं जा रहे हैं और यह सवाल विवाद का नहीं है।

मैं उस बहस को अभी नहीं छेड़ना चाहता।

सभापति महोदय : आप कृपया जम्मू कश्मीर के बजट पर बोलें, अपने सुझाव दें।

श्री आर्य फर्नान्डीज : कश्मीर के बजट पर क्या बोलना है, कश्मीर का बजट क्या है, कश्मीर में तो आज बन्दूक चल रही है। कश्मीर में लोग मारे जा रहे हैं। कश्मीर में दोनों तरफ, एक तरफ हमारे जवान मर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे बच्चे मर रहे हैं। इसलिए कश्मीर के कौन से बजट पर हमें बहस करनी है। कश्मीर के कौन से विकास पर हमने यहां बहस करनी है। अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, श्री अयूब खां, शायद बाहर चले गए, इस समय हैं नहीं, उन्होंने कहा कि हम लोगों को वहां पर जाना चाहिए और हमें इजाजत मिलनी चाहिए, मैं कहना चाहता हूं कि इजाजत की क्या जरूरत है। हम लोग जा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। अपना देश है। हमें किसी ने कहीं जाने से रोका नहीं है लेकिन जाने की स्थिति नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं। इसे भी लोग जानते हैं। इसलिए कश्मीर के बजट पर क्या बहस करें। अगर सभापति जी, आप बहस ही चाहते हैं तो अपनी निराशा वहां भी व्यक्त करूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा पूंजी जो आपने इस बजट में मांगी है, वह जेल विभाग के लिए मांगी है।

पिछले साल आपने जेल विभाग के मद में 2 करोड़ 21 लाख रुपए की पूंजी रखी थी जबकि इस साल आप 3 करोड़ 90 लाख रुपये मांग रहे हैं यानी एक करोड़ 70 लाख रुपए अधिक, 70-75 प्रतिशत अधिक रकम जेल के लिए आपने मांगी है। दूसरी तरफ हाउसिंग और अर्बन डैवलपमैंट के लिए जहां पिछले साल आपने 38 करोड़ 38 लाख रुपए मांगे थे, इस साल आप उस मद के अन्तर्गत 29 करोड़ 9 लाख रुपये मांग रहे हैं। इसलिए अगर बजट की ही बात करनी है तो हम बता सकते

हैं कि आवश्यक क्षेत्रों में जहां पूंजी लगानी जरूरी है, वहां पूंजी घट रही है या बढ़ी है तो नाममात्र के लिए बढ़ रही है और जहां पूंजी नहीं लगनी चाहिए, जैसे जेल के लिए, उसमें पिछले साल आपने 2 करोड़ 21 लाख रुपए का प्रावधान किया था तो इस साल उसमें आप 3 करोड़ 90 लाख रुपए मांग रहे हैं। इसलिए बजट पर हम क्या बात करें। कश्मीर पर यदि बहस होनी है तो कश्मीर की समस्या पर बहस होनी चाहिए। जब बजट का वक्त होता है तो समस्याओं पर ही बहस की जाती है लेकिन मैंने पहले ही कहा कि उन बातों को मैं यहां दोहराऊंगा नहीं, सदन का समय नहीं लूंगा, जिसको इन चीजों में दिलचस्पी नहीं है, जिसे बातें नहीं समझनी हैं। हम उनका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। वे अपने वक्त को भले कामों के लिए इस्तेमाल करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मगर सदन में कुछ चीजें कहना जरूरी है। यदि आज हम न कहें तो कब कहें। बजट के समय न कहें तो कब कहें।

यहां पर अभी सभी पक्षों के माननीय सदस्यों ने कहा कि कश्मीर के बारे में हमें नीति बनानी चाहिए, कौन-सी नीति कश्मीर के बारे में हमें बनानी है। कश्मीर के बारे में तो एक ही नीति हो सकती है कि आप उनसे बात कर लें। बन्दूक के जरिये समस्या का हल सम्भव नहीं है, यदि आप ऐसा मानते हैं तो फिर बात कर लीजिए। अब अगर बात करनी है तो किनसे करें, इसकी पहचान करनी है। हमने देखा है कि पिछले अर्से में सरकारें आयीं और सरकारें चली गयीं परन्तु जहां बन्दूक ही एक-मात्र हथियार हो, वहां बात करना और कश्मीर की समस्या को हल करना हो तो मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आप बन्दूक से कश्मीर की समस्या को हल नहीं कर पायेंगे। इस मामले में हमें इस सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है क्योंकि हमें मालूम है कि कोई नीति इनके पास हो नहीं सकती है। हमारी जब सरकार यहां थी तो हम अपनी सरकार के बारे में भी उतने ही परेशान थे, उतनी ही हमारी व्यथा थी कि हमने भी नीति में बदलाव नहीं किया और कांग्रेस सरकार ने जो नीति वहां चलाई, उसी नीति को हमने भी चलाया। उस नीति को बनाते वक्त यदि हम लोगों की दृष्टि ऐसी हो जाती है, हम लोगों की दृष्टि अगर इस प्रकार की हो जाती है···

श्री तेजनारायण सिंह (बक्सर) सभापति जी, मैं प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं कि यहां कुछ माननीय सदस्य जानबूझ कर हालत को खराब कर रहे हैं, उन पर रोक होनी चाहिए, मेरा आपसे इतना ही कहना है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हल्ला करने वालों के प्रति हल्का करना हम भी जानते हैं। हमारे समर्थन के कारण ही यह सरकार आज यहां जिन्दा है, यह बात इन लोगों को याद रखनी चाहिए और बहुत ज्यादा हरकतें नहीं करनी चाहिए। जो भी आपके नेता हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई मजाक का सवाल नहीं है। आज सुबह से हम देख रहे हैं। अगर आप ऐसा समझते है कि दो दिन का सैशन बाकी है, दो दिन बाद, हम दो महीने के लिए जिन्दा रह जायेंगे, लेकिन दो महीने बाद आपको फिर सदन में आना पड़ेगा। इसलिए ऐसा मत चलाओ। हमने खूब देखा है। हम लोग यहां से तुमको समर्थन दे रहे हैं तभी तुम वहां खड़े हो, वरना तुम कहां हो। आज सुबह से यह मजाक चल रहा है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कर रहा हूं। मैंने उनका चेहरा तक नहीं देखा। आप उनसे उचित व्यवहार करने के लिए कहें। मैं सुबह से उनकी बातें सहता आ रहा हूं।

श्री पी० सी० चाको (त्रिचूर) : आपको इस सभा के किसी भी सदस्य से अपशब्द नहीं कहने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : तुमसे हम बिहेवियर क्या सीखें तुम हमें क्या बिहेवियर सिखाओगे। पार्लियामेंट के रूल्स हम आपसे क्या सीखें, पार्लियामेंट की बातें क्या सीखें। हम तुमसे पहले पार्लियामेंट में आए हैं।···(व्यवधान)···आगे चलने की बजाय उनको विभाजित करके उनको बैठाए रखने के प्रयास में लग गए और आज जब कश्मीर के बारे में यह पूछा जाता है कि आपकी कौन-सी नीति है, तो हम यह कहना चाहते हैं कि कश्मीर के बारे में आपको जो नीति चलानी है, तो वहां के लोगों को राहत देने वाली आपकी नीति हो। वहां जो आतंकवाद फैल रहा है, उसको मिटाने के लिए वहां सख्ती का प्रयोग करना जरूरी हो, तो वहां सख्ती जरूर हो। बन्दूक लेकर यदि आपके सामने कोई आएगा, तो आप जरूर बन्दूक का जवाब बन्दूक से दोगे, लेकिन उसको बन्दूक से जवाब देते समय जो निर्दोष और निरपराध लोग हैं, उनका भी उसी बन्दूक से इलाज करने का काम आप करेंगे, तो आप कश्मीर की समस्या को हल नहीं कर पायेंगे।

सभापति महोदय, इसके साथ ही कश्मीर में मानवाधिकार का जो हनन हो रहा है, उतना कहीं नहीं हो रहा है। जितना आज मानव अधिकार का हनन कश्मीर में हो रहा है, उतना आज हिन्दुस्तान में कहीं नहीं हो रहा है, किसी और सूबे में, हिस्से में नहीं हो रहा है। इस देश में मानव अधिकारों की कोई इज्जत नहीं है। उनके प्रति किसी को भी कोई ख्याल नहीं है, लेकिन कश्मीर में जहां आज इतनी लाचारी है, आज वहां लोग अक्षरशः भूखों मर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां के जो मानवाधिकारों का हनन होता है, उसको रोकने के लिए नंबर एक-सरकार को प्रयत्नशील होना चाहिए और नम्बर दो-देश की जो संस्थाएं हैं, सिविल लिबर्टी संगठन हैं, राष्ट्र सेवा दल जैसे संगठन हैं, अन्य ऐसे संगठन हैं, जो मानवाधिकारों की स्थिति का ख्याल रखने का काम करते हैं, लोगों को राहत पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसे संगठनों को वहां पर जाने के लिए मौका देना चाहिए।

सभापति जी, इसके साथ-साथ मैं अन्तिम दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। नंबर एक—जो कश्मीर से आए शरणार्थी हैं—इम्मीडियेट, मायडियेट, उनको (व्यवधान)

सभापति महोदय : फर्नान्डीज जी, आप मुझे एड्रैस करके बोलिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति जी, इसलिए मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार जब रही, तो हमारी सरकार ने जो नीति चलाई, उस नीति में भी कोई विशेष फर्क नहीं था। हमने एक ऐसे गवर्नर को बैठाया, जिस गवर्नर ने मुझसे कहा और मेरे साथ जो अन्य साथी थे उनसे तथा जो पत्रकार साथ गए थे, उनके सामने गवर्नर ने कहा, जब हमने उनसे इस मुतल्लिक आग्रह किया कि कश्मीर के सवाल को हल करने के लिए जो अनेक तौर-तरीके हैं, उनमें एक तरीका है—लोगों का पेट है, उसकी भी ख्याल करना, उसकी भी खातिर करना हम लोगों का फर्ज है। कश्मीर तो टूरिज्म पर जिन्दा रहता

है, जब टूरिज्म खत्म है, तो फिर जो लोग हैं, उन लोगों के लिए आप क्या करेंगे ? उनके लिए कुछ इन्तजाम तो करना चाहिए। कश्मीर हैंडीक्राफ्ट पर जिन्दा है और टूरिस्ट नहीं आएंगे, तो दस्तकार क्या करेंगे, उनके लिए आपको कुछ इन्तजाम करना चाहिए। कश्मीर एपल्स को पैदा करता है और वह फल समूचे देश में बिकने के लिए आता है, लेकिन जब वहां परिस्थिति ऐसी बिगड़ गई है कि ट्रक नहीं आ सकता है और रेल कश्मीर में जाती नहीं है, तो आपको उसके लिए कुछ विशेष इन्तजाम तो करना चाहिए और वहां के सेब के बाग वाले जो लोग हैं, उनकी भी कुछ आपको आर्थिक मदद करनी चाहिए। सभापति जी हम सबको देखकर हमारे गवर्नर ने हमें जवाब दिया कि अगर हम उन लोगों को पैसा देंगे, तो ये लोग आतंकवाद को और फैलाएंगे और बढ़ाने के लिए खर्च करेंगे। इससे भी आगे बढ़कर जो बात उन्होंने कही, वह मैं यहां सदन में नहीं करना चाहता हूं, ऐसी तनाव भरी बात है जिसको यहां पर कहना हमारे लिए उचित नहीं होगा। इसलिए गवर्नर आए, गवर्नर गए। सरकारें आयीं, सरकारें गयीं, लेकिन कश्मीर के बारे में आपने नीति और समाज के लोगों को विश्वास में लेकर जो भी शब्द आप इस्तेमाल करिए, बड़ी संख्या में आज वे दिल्ली में हैं, जम्मू में हैं और देश के अनेक हिस्सों में हैं, जब हम सरकार में थे और कश्मीर की जिम्मेदारी को सम्भालते थे, तब उन्हें राहत देने के लिए कई फैसले हम लोगों ने लिए थे। उन फैसलों पर अमल नहीं किया गया। हमारी सरकार गिर जाने के बाद, उन फैसलों पर अमल करने से आपने इन्कार किया। हमने इस सदन में, इस सत्र में गृह मन्त्री जी से प्रश्न पूछा कि हमने जो निर्णय लिए थे, उन पर दिल्ली प्रशासन ने कहां तक अमल किया, तो जवाब मिला एक वाक्य में और वह जवाब यह था कि दिल्ली प्रशासन ने कोई वायदे किए ही नहीं। कश्मीर के माईग्रैंट्स की दिल्ली में जो लाचारी है, पढ़े-लिखे लोग हैं, कालेज के प्रोफेसर हैं, डाक्टर हैं, साधारण व्यक्ति हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं, उनकी लाचारी को दूर करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। या तो कश्मीर में ऐसी स्थिति बनाएं जिससे उन लोगों के तत्काल वापस जाने का इन्तजाम हो और यदि उनका बाहर रहना अनिवार्य हो गया हो तो उनके जीने का इन्तजाम करना सरकार की जिम्मेदारी है। जेलों में ज्यादा लोगों को भरने के लिए इस साल में सरकार 75 प्रतिशत ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। जो लोग अपना घर-बार सब कुछ छोड़कर सड़क में पड़े हुए है उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। उनको लाठी मारकर भगाने का काम होगा, टियर गैस छोड़ने का काम होगा। हम चाहेंगे कि इस बजट को पास करने के साथ-साथ सरकार उस पर भी अपना फैसला ले। यदि आज सदन में वह शक्ति होती तो इस मुद्दे पर यहां पर कुछ किया जा सकता था। लेकिन उस बात को छेड़ने की स्थिति इस क्षण नहीं है वरना आज यह बात यहां पर तय करनी चाहिए थी। हमारे बी० जे० पी० के सदस्य बैठे हैं। उनका फर्ज था कि इस मुद्दे पर इस सदन में कोई अन्तिम निर्णय करने की कोशिश हो जाती। रोज-रोज चिल्लाने से कोई बात नहीं बनती है। आज कोई चर्चा यहां पर हो जाती और कोई निर्णय हो जाता क्योंकि आज मौका नहीं आएगा तो फिर कौन-सा मौका होगा।

(व्यवधान)

श्री आर्ज फर्नांडीज : बोलने को कौन सुनता है। हम वित्त मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप में तो इंसानियत है...

(व्यवधान)

श्री अशोकराव आनन्दराव देशमुख (परभनी) : सभापति महोदय, ऐसे विषय पर डिस्कशन चल रही है और गृह मंत्री जी यहां पर नहीं हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये, यदि वह आपकी बात मान रहे हों तो आप बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपकी पार्टी के लोगों में भले ही न हो। आज अपनी इंसानियत दिखाइए और उनको राहत देने के जो फैसले हुए वे उनकी तरफ ध्यान दें। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगा। मैं केवल यह मांग करूंगा कि डेढ़ साल पहले उन शरणार्थियों के बारे में सरकार द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, जिनका चाहे किसी कारण से अम्ल नहीं हो रहा है, उन पर अम्ल करने की जिम्मेदारी आप लीजिए तो हम मानेंगे कि आपने कश्मीर के मामले में बहुत बड़ा काम किया है।

अन्तिम बात उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जो आर्टिकल 370 आदि बातों को छेड़ते हैं। मैंने कश्मीर में अनेक प्रकार के अनुभव किए हैं। उसमें सबसे बड़ा अनुभव यही है कि कश्मीर के नौजवानों ने हमसे बार-बार कहा कि हम लोग उस भारत से जुड़े थे जहां पर यह मानते थे कि हम भी उतनी ही औकात रखने वाले नागरिक हैं जितनी देश के और किसी नागरिक की है। उन्होंने मंदिर, मस्जिद की बातों को छेड़ा, आर्टिकल 370 को लेकर बार-बार जो बहस चलती है उन बातों को छेड़ा। मैं जानता हूं कि बी. जे. पी. के हमारे साथी इस बारे में बहुत सख्त राय रखने वाले लोग हैं। मैं उनकी इज्जत करने के साथ-साथ उनसे प्रार्थना करूंगा कि कश्मीर के मसले को यदि हल करना चाहते हैं तो वह भाईचारे से हल होगा। हम लोग इस देश में मज़हब, जात आदि चीजों को लाकर बात करते हैं तो हमें भी अपने दिल को ऐसा बनाना होगा कि कश्मीर के लोग अपनी कश्मीरियत को बचाने के साथ-साथ इस देश के साथ अपनेपन को महसूस करके एक साथ रहने जैसी परिस्थिति का निर्माण करें। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, किसी भी सरकार की नीति के तय करने के लिए दो दस्तावेज होते हैं—यदि देश है गवर्नर का भाषण और यदि पार्लियामेंट है तो राष्ट्रपति का भाषण। बजट दिखाता है कि उस सरकार की नीति क्या है अगले वर्ष की। जम्मू-कश्मीर का जो हमको बजट दिया गया है, यह तीन पैम्फलेट हैं, केवल आधे पेज का हमारे वित्त मंत्री जी का भाषण, एक तरफ हिन्दी में और दूसरी तरफ अंग्रेजी में है। जैसे एक मुनीम लिखता है कि ऐसे-ऐसे हुआ।

अभी हमारे दोस्त नीति के बारे में कह रहे थे। हमने अपने पुराणों में पढ़ा है कि भगवान को न हम देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, वह आकार भी है और निराकार भी है। मुझे लगता है कि सरकार की नीति भी कश्मीर के बारे में ऐसी ही है यानी कि उसकी इसके बारे में कोई नीति नहीं है। हमें उसमें कुछ दिखायी नहीं देता है। न हम इसको देख सकते हैं और न ही इसको काट सकते हैं। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जैसे कि अधूरे मन से खाना पूर्ति की हो। चूंकि इसको पार्लियामेंट के

अन्दर करना है इसलिए वह आधे पेज का हमें थमा दिया। कश्मीर को आज इस प्रकार से ट्रीट किया जा रहा है। इससे लोग गलत सिगनल ले रहे हैं। शायद सरकार ने कश्मीर को राइट आफ कर दिया है ऐसा लगता है। इस तरह सरकार की उदासीनता और इरकेपिज्म की नीति जो सरकार ने अपनायी है वह अच्छी नहीं है। जैसे कबूतर अपनी आंख बंद कर लेता है ठीक यही हाल हमारी सरकार का इस बारे में है।

इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में बहुत से वायदे किये थे और कहा कि 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे और कश्मीर समस्या को सुलझायेंगे। मंत्री जी जब अपना जवाब दें तो बतायें कि क्या उन्होंने इस दौरान महंगाई कम की और क्या कश्मीर समस्या को सुलझाया? मेरे ख्याल में तो उन्होंने इस दिशा में कुछ नहीं किया। सरकार ने कश्मीर समस्या को मिसहैंडल किया। कश्मीर समस्या को सुलझाने की न सरकार की रुचि है और न ही वह इच्छा रखती है। सम्पूर्ण देश की एकता और अखंडता का सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए आप इसे शीघ्र सुलझायें। आप कश्मीर समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या मानकर चलें।

हमारे वित्त मंत्री जी बहुत विद्वान हैं। उनको मालूम ही है कि हर बजट के साथ एक प्रशासनिक रिपोर्ट होती है और उसमें बताया जाता है कि पिछले साल हमने ये-ये किया। वह रिपोर्ट कहां हैं? इसके न मिलने से हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने पिछली दफा कितना रुपया लगाया, कितना खर्चा किया और क्या एचिवमेंट्स हैं?

आज कश्मीर में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने पिछली बार 26 जनवरी को जम्हूरियत का जश्न मनाने की बात कही थी। 14 अगस्त को जिस तरह पाकिस्तानी झंडे फहराये गये उसकी भी बात कही थी। मैं 5 अगस्त का "कश्मीर टाइम्स" लाया हूं। पांच तारीख को जो जुलूस निकाला गया उसका यह फोटो है। इसमें जे. के. एल. एफ. वाले पूरी वर्दी के साथ हैं और इनके हाथ में ए. के. 47 राइफलें हैं। दूसरी फोटो में जे. के. एल. एफ. के चीफ जावेद अहमद मीर हैं और वह मिलिट्री की ड्रेस पहन कर भाषण दे रहे हैं। ऐसी खबर है कि वह सारे शहर में घूमे और अर्द्धसैनिक बल और मिलिट्री उनकी हिफाजत के लिए पीछे-पीछे चल रही थी। और कश्मीर को हिन्दुस्तान से अलग किया जाय, उसके बारे में नारे लगा रहे थे, हिन्दुस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे थे। क्या आप इसको प्रशासन कहेंगे? क्या हिन्दुस्तान के किसी दूसरे हिस्से में कोई ऐसा कर सकता है, किस आदमी में इतनी हिम्मत है कि जो हिन्दुस्तान के खिलाफ नारे लगाये। यह अखबार में आया है और फोटो छपे हैं और कोई कार्रवाई न हो, यह "कश्मीर टाइम्स" के 5 अगस्त का अंक है। इसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस तरह से यह मिलिट्री की ड्रेस, फौज की ड्रेस पहन कर घूम रहे हैं और इसका जो पूरा ब्यौरा इस जुलूस का दिया गया है, कई मील तक शहर में जुलूस घूमा। गारलैण्ड किया जा रहा है, स्वागत द्वार लगे हुए थे, उनके ऊपर फूल बरसाये जा रहे हैं। यह सब वान्टेड वाले आतंकवादी हैं जिनके ऊपर ईनाम रखे हुए हैं और वह खुले आम घूम रहे हैं। उनके फोटो छपे हैं और उस पर लिखा हुआ है कि मिलिट्री पीछे-पीछे चल रही है, यह आपका प्रशासन वहां चल रहा है।

आप बजट इसके लिए मांग रहे हैं। होम मिनिस्टरी का जो आपने खर्च किया है, वह इसके लिए कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार की कोई नीति है? आप करना क्या चाहते हैं, क्या आप आतंकवादियों से बात करना चाहते हैं, क्या चुनाव करवाना चाहते हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपकी पालिसी क्या है, क्या आप बजट को बार-बार यहां लाना चाहते हैं, आपकी 6 महीने की,

अगले साल की योजना क्या है ? आपने वहां विकास के काम के लिए जो पैसा दिया, वह कितना खर्च हुआ, पिछले साल उसके लिए।

एक बात ही बार-बार कही जाएगी कि हम शिमला समझौते के पक्ष में हैं। यह वन वे ट्रैफिक थोड़े ही है, मजे की बात यह है कि जिस दिन यहां पाकिस्तान के सैक्रेटरी सैक्रेटरी लेविल पर बात करने आते हैं, उसी दिन जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है, पाकिस्तान का प्रधान मन्त्री वहां जाता है और वह हमें धमकी देता है और आप रट लगाए जा रहे हैं कि हम शिमला समझौते की बात करना चाहते हैं। मेरा कहना है कि आप कोई एक नीति तय करें, यह राष्ट्रीय समस्या है। पाकिस्तान के साथ आप टिट फार टैट की नीति अख्तियार करें, पाकिस्तान में कई ट्रेनिंग कैम्प लगे हैं तो पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है, आप भी अपनी कुछ ऐसी रणनीति बनाइए, आप भी उसको खतरे में डालिए ताकि उसको मालूम पड़े, आप उसकी धरती पर जाकर उसको चेलेंज करिए और कोई ऐसी नीति बनाइए, कुछ सोचिए तो सही···(व्यवधान)···मेरा यह कहना है कि पाकिस्तान को बहुत साफ कहना चाहिए कि पाकिस्तान ने अगर हमारे आर्थिक मामलों में, घरेलू मामलों में दखल बन्द नहीं किया तो उसको उसी ढंग से, उसी की भाषा में जवाब दिया जायेगा, इसको मैं कहना चाहता हूं।

दो बातें मैं और कहना चाहता हूं। माइग्रेण्ट्स के बारे में अभी हमारे जार्ज साहब ने कहा। आपने कहा कि कोई नीति बन गई थी, मुझे माफ करें, मैं भी उन दिनों यहां पूछा करता था कि क्या नीति है, आपकी माइग्रेण्ट्स के बारे में। मैंने यहां उस समय के होम मिनिस्टर से पूछा था, मुझे आज तक याद है, उन्होंने कहा हमने दे दिया, इतना दिल्ली वालों को दे दिया। बाहर जाकर मैंने जब दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ सैक्रेटरी को, उस समय के को फोन किया तो उन्होंने बताया कि हमको कोई पैसा नहीं आया। दिल्ली प्रशासन यह कहता था और यहां घोषणा होती थी कि हम बहुत दे रहे हैं। आज तीन-तीन प्रधान मन्त्री हो गए हैं लेकिन उन माइग्रेण्ट्स को देखने के लिए, उनके कैम्पों को देखने के लिए आज तक कोई नहीं गया है। मुझे माफ करें जार्ज साहब, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि उनका दुख दर्द देखने के लिए, मुझे आज प्रसन्नता हुई, हमारे कांग्रेस के एक मित्र जिस ढंग से भाषण दे रहे थे, आज के उनके भाषण में काफी फर्क आ गया है, कुछ उनकी समझ में आया होगा, उनकी हालत देखकर। मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर से बहुत माइग्रेण्ट्स आए हैं। अपने ही देश में शरणार्थी आए हैं। उनकी बहुत बुरी हालत है। मैं चाहता हूं कि आप होम मिनिस्ट्री में उनके लिए कोई सैल बनाए, जो उनकी देखरेख करे और उनको मुश्किल न हो। वे यह महसूस न करें कि हम विदेश में आए हैं। उनको महसूस होना चाहिए कि वे देश में हैं, अपने देश भारत में हैं। समय सीमित है, मैं धारा 370 का जिक्र नहीं करना चाहता था, चूंकि जार्ज साहब ने कहा है, इसलिए मैं उन बन्धुओं से कहना चाहता हूं कि चालीस साल तक आपने धारा 370 को रखकर कुछ नहीं किया। कुछ ठीक करवा कर रिजल्ट तो दिखाते कि हमने यह ठीक कर लिया है। आपने चालीस साल से धारा 370 को रखकर कश्मीर की यह हालत बना दी है। उसको विदेशियों की तरह से बना दिया है। अगर चालीस तक आपने अपनी कर ली और कश्मीर को नहीं बचा पा रहे हो तो दो-चार साल हमारी बात मानकर देख लीजिए, धारा 370 को हटा कर देख लीजिए, फिर हम दिखाते हैं कि हम उनको कैसे मिलाते हैं। आप कुछ करके तो दिखाते।

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : नीयत साफ है।

श्री मदन लाल खुराना : आप धारा 370 को लगाकर कुछ नहीं कर सके।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : यह तो आपका गायत्री मन्त्र है। (व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : भीखाम देही, देते जाओ और खिलाते जाओ। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : सभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, देश को विश्वास में लेकर, सैंसस बनाकर के काश्मीर को बचा लें। काश्मीर की हालत बहुत खराब है। जिस अधमने मन से काश्मीर का यह बजट पेश किया गया है, कैज्युअल-वे में, उसी तरह से आप काश्मीर की समस्या को कैज्युअल-वे में न लें। वरना आने वाला इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। मुझे इतना ही कहना है।

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी (शिमला) : सभापति महोदय, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। सबसे पहली बात तो यह है कि वित्त मन्त्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि जो विपक्ष की तरफ से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इल्जाम लगाए गए हैं, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं। ये सभी आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।

जहां तक काश्मीर का सवाल है, ये काश्मीर में कभी गए नहीं हैं। एक व्यक्ति कभी कहीं से बोलता है और कभी कहीं से बोलता है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हमारे काश्मीर के अलावा जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, उनको भारत सरकार 90 परसेंट रुपया ग्रान्ट की शक्ल में देती है। उसमें हिमाचल प्रदेश भी आता है, लेकिन जब से यह आठवां फाइनेंस कमीशन आया है, उसने ऐसा फैसला दिया है कि वह हमारा पैसा मिलना बन्द हो गया है। मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहूंगा कि काश्मीर की हालत को ठीक करने के लिए, वहां का विकास करने के लिए, वहां के जो स्कूल गिर गए हैं और वहां की जो सड़कें खराब हो गई हैं तथा वहां का जो हैंडीक्राफ्ट का काम समाप्त होता जा रहा है, इन सबके लिए सरकार को ज्यादा बजट में प्रावधान करना चाहिए।

मैं इसी के साथ-साथ कहना चाहता हूं कि हमारे जम्मू का जो इलाका है, वहां लोग रहते हैं और काश्मीर के अन्दर हालात खराब हुए हैं। इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे जो भूतपूर्व गृह मंत्री थे, उनकी बेटी का अपहरण हुआ और उसके लिए अलहदा जमात बनाकर के हालात खराब हुए। उसके रेल मंत्री ने वहां जाकर, उस वक्त वे वहां इन्चार्ज बने थे, वहां पर हालात खराब करने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। वहां के हालात ठीक नहीं हुए और कांग्रेस को ही दोष देते रहे कि उन्होंने जो नीति बनाई थी, उस पर हम अमल नहीं कर सके। कांग्रेस की नीति पर चलते रहे। कांग्रेस की नीति हमेशा से अच्छी रही है। कांग्रेस ने देश को आजाद कराया है। आपकी पार्टी तो नाम बदलती रही है। कभी चन्दा बनती है, कभी सूरज बनती है और कभी कुछ बनती है। आपका तो झण्डा भी बदलता रहता है। हर चुनाव में कोई कमल का फूल हो जाता है, कभी उल्टा हल हो जाता है, कभी किसान हो जाता है। कई तरह के रूप आपके देखने में आए हैं। आप इसी तरह से देश को चलाना चाहते हैं कि हम देश में कामयाबी के साथ सरकार चला सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप यह बताइए कि आपने ग्यारह महीनों में कौन सा अच्छा काम करके दिखाया है? क्या आपकी नजरों में यह कमी है, क्या कुछ देखने में आपकी ऐनक काम नहीं करती कि इस राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ? आज कश्मीर का जो डेवलपमेंट हुआ, वहां के हालात ठीक थे, वहां डेमोक्रेसी थी, वहां मुख्य मन्त्री थे, वहां असेम्बली थी, आपने किस तरह से उसको तोड़ दिया। आप आए और आपने तोड़ा, आपने वहां के हालात को खराब किया, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है, इस बात की कि आपने वहां के उग्रवादियों को छोड़ा, जबकि हमारे देश के नेताओं ने यह फैसला किया और हमारे देश के लोगों ने यह

फैसला किया कि कश्मीर भारत का है और भारत का रहेगा। जो वहां के नेता फारूख अब्दुल्ला हैं और चाहे उनके सुपुत्र हैं, वे सारे के सारे इस देश के साथ पूरी तरह से शामिल थे और इस देश की आजादी के लिए भी उन्होंने कुर्बानी दी। कश्मीर के लोगों की बदनाम करने के लिए, वहां ऐसे हालात पैदा करने के लिए, जो आपने ऐसी बात की है कि हम 370 को खत्म करना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं 370 को, कौन सी दफा लगाना चाहते हो वहां 370 को तोड़ कर। इसलिए मैं समझता हूं कि आपकी हमेशा यह वोट बटोरने की जो नीति रही है और जिसको आप जनसंघ के जरिए, भारतीय जनता पार्टी के जरिए, जनता पार्टी के जरिए और जो-जो आपने इस देश के अन्दर संस्थाएं बनाई हैं, 1949 से लेकर और अब तक, आप 40 साल पहले तो पैदा भी नहीं हुए थे। कोई 82 में, कोई 84 में और कोई उसके बाद पैदा हुआ, यानी इस तरह से आपने इस देश के लोगों के साथ सांठ-गांठ की और राजनीतिक तौर पर आपने यह खेल खेला है।

इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आज कम से कम कश्मीर के लोगों को आप याद रखें क्योंकि कश्मीर के लोग इस देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे आए। आज मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी भारत सरकार को यह चाहिए कि कश्मीर के जो नौजवान हैं, उनको रोजगार देने के लिए आप प्रयत्न करें। जहां-तहां हमारे स्कूल टूट गए हैं, वहां से हमको इत्तिला आई है कि स्कूल, पानी और दूसरे बिजली के रिसोर्सेज, जो हमारे हिमाचल प्रदेश की तरह कश्मीर में भी हैं, वहां पर पन-बिजली योजनाएं आप बना सकते हैं। पनबिजली योजनाओं से वहां के सारे लोग फायदा उठा सकते हैं और दूसरी जगह को भी बिजली दे सकते हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह से 20 हजार मेगावाट, हमारा इलाका भी उसके साथ लगता है, हमारा चम्बा का जो क्षेत्र है उसके साथ कश्मीर की बाउंडरी लगती है और जो सारे के सारे लोग हैं वे सब मिल कर हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के लोग, जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं, वे सब मिलकर रहना चाहते हैं। इसलिए आप हमारे लोगों में इस तरह की फूट न डालें।

मैं मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहूंगा कि जो उग्रवादी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आते हैं उनको जरा कंट्रोल करने की जरूरत है और कश्मीर में आप प्यार से काम करें और वहां की सरकार को आप जितना अधिक से अधिक पैसा दे सकें, वह हमको देना चाहिए। जो हिसाब-किताब है, उसके यह कह दिया कि त्रुटिपूर्ण है, उसकी कोई लिस्ट नहीं आई, उसकी कोई इत्तिला नहीं आई, फाइनेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट के साथ, तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि उसकी जरूरत कुछ नहीं है क्योंकि सारा इस बजट में लिखा हुआ है कि किस-किस काम के लिए पैसा मांगा है। चाहे वह जेल के लिए है, जेल में तो लोगों को जाना ही पड़ेगा क्योंकि जो हफड़ा-तफड़ी पैदा करेगा उसको जेल में तो जाना ही पड़ेगा, उसको कोई अच्छा नहीं समझेगा। मैं यह समझता हूं कि जेल में तो उसको मुफ्त में रोटी मिलेगी, बल्कि मैं तो कहता हूं कि जेल में जिन लोगों को रखें उनसे आपको काम भी करवाना चाहिए। तो ऐसे लोग भी हैं जो देश को तबाह करने के लिए घुसे हुए हैं। उनके ऊपर खास एक्शन लेना चाहिए और जो लोग देश का विभाजन करना चाहते हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि उनसे हमको बचना चाहिए और कश्मीर के बारे में कश्मीरियों की मदद के लिए हमको अधिक से अधिक मात्रा में पैसा देना चाहिए और हमको वहां पर अच्छा शासन बनाकर, वहां अच्छा प्रबन्ध करके वहां पर इलैक्शन करवाना चाहिए ताकि यह बजट वहां पेश हो, वहां की असेम्बली में। इन्होंने जो हमारी बनी-बनाई असेम्बली को तोड़ दिया, जैसे 11 महीने ये आए और आते ही इन्होंने आवाज उठा दी, उग्रवादियों को छोड़ना, कश्मीर के हालात ठीक करने की, लेकिन प्राथमिकता इन्होंने पंजाब और

कश्मीर के हालातों को सुधारने को नहीं दी । 8 महीने में ये जो सगाई हुई थी, सब टूट गई और सगाई टूटने के बाद फिर कश्मीर भी उसी तरह सफर कर रहा है, हम कोशिश करेंगे, हमारी सरकार कोशिश करेगी कि वहां पर अमन हो और वहां पर इलैक्शन हों और आज आप हमारी नीति के बारे में कहते हैं कि आपकी कोई नीति है, क्या आपकी ये नीतियां हैं । जो 15 किस्म के ड्राइवर हैं, कोई किस तरफ को गाड़ी ले जाना चाहता है, कोई मद्रास की तरफ ले जाना चाहता है, कोई यू० पी० की तरफ ले जाना चाहते हैं और कोई बिहार की तरफ ले जाना चाहते है । आपके तो कई किस्म में ड्राइवर बैठे हुए हैं । इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि सब इकट्ठे होकर इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए ड्राइवरी आप उतार कर एक ड्राइवरी की, कांग्रेस पार्टी की तरफ आप ध्यान दें और कांग्रेस पार्टी आपको आगे ले जाएगी, आपका भला करेगी ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

11.00 म० प०

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : सभापति महोदय, इस बिल का हमें किसी भी हालत में समर्थन करना ही होगा । इसलिए कुछ मांगें करते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि कश्मीर की आज जो हालत है, उसको सुधारने के लिए आपने जेलों पर खर्च करने का जो एस्टीमेट बनाया है, उसको जेलों पर खर्च न करके विकास पर खर्च करने का एस्टीमेट बनाइए, जेलों पर कम खर्च करने का एस्टीमेट बनाया जाए । इसलिए मैंने कहा कि इस बिल का समर्थन करना ही है, इसके अलावा कोई दूसरा चारा हमारे पास नहीं है, क्योंकि संविधान की धारा 356 में साफ लिखा हुआ है कि जिस राज्य की हालत खराब हो जाए, कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज न रहे, उस राज्य के लिए इस तरह से बजट पास करने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है । इसलिए हम लोग भी वहां की स्थिति को समझते हैं और शायद ही देश का कोई आदमी होगा जो कश्मीर की स्थिति को न समझता होगा । इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं । (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज कश्मीर की हालत बहुत खराब है, यह बात इस बजट से भी मालूम होती है और तमाम लोगों के भाषण से भी मालूम होती है । आज वास्तविकता है कि कश्मीर की हालत बहुत खराब है । शायद ही किसी दिन का अखबार हो जिसमें वहां पर 30-40-50 लोगों के मरने का समाचार न हो और शायद ही किसी दिन का अखबार हो जिसमें यह न निकला हो कि आज इतनी जगहों पर उग्रवादियों ने परेड की, पाकिस्तान का झंडा फहराया । इससे साबित होता है कि स्थिति बहुत खराब है ।

सभापति महोदय, सवाल यह है कि वहां पर जो स्थिति इतनी खराब हो गई है, इसमें किसका हाथ है । कश्मीर को पाकिस्तान की तरफ जाने के लिए किसने विवश किया । क्या शुरू से कश्मीर के लोगों की हालत यह थी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस समय देश आजाद हुआ था, उस समय कश्मीर के लोग भारत के साथ थे, वे लोग पाकिस्तान के साथ नहीं गए । वहां के जो हिन्दू राजा थे वे नहीं चाहते थे कि हम हिन्दुस्तान के साथ रहें, लेकिन वहां के मुसलमान भाई चाहते थे कि हम हिन्दुस्तान के साथ रहें, कश्मीर अकेला न रहे । लेकिन क्या वजह है कि आज कश्मीर के लोग पाकिस्तान की तरफ मुखातिब हो गए हैं । मैं समझता हूं कि जो मुसलमान भाई आजादी के समय हिन्दुस्तान के

साथ रहना चाहते थे और रहे, कांग्रेस पार्टी की हुकूमत ने इस तरह के काम किए, जिसके चलते उनके दिल पर चोट पहुंची । वहां पर नेशनल कान्फ्रेंस की सरकार थी, उस सरकार को इन लोगों ने तोड़ा, कानून को ताक पर रखकर तोड़ा । इससे वहां के मुसलमानों के दिल पर चोट आई । उन लोगों ने समझा कि हिन्दुस्तान की नीयत हमारे प्रति खराब हो गई है और उसी समय उनके दिमाग में यह बात आ गई कि हिन्दुस्तान का प्रशासन हमको ठीक निगाह से नहीं देखता है । इसलिए उनके दिल पर चोट आई और उनकी नीयत हिन्दुस्तान के प्रति खराब हो गई । तब उन लोगों ने समझा होगा कि हिन्दुस्तान के साथ रहने से क्या फायदा है, क्यों न हम पाकिस्तान के साथ रहें । और दूसरी चीज यह हुई जो इस देश में मन्दिर-मस्जिद के नाम पर झगड़ा चलाया गया । इससे भी कश्मीर के अंदर बहुत दबाव पड़ा । कश्मीर में कभी मुसलमान लोग मन्दिर को नहीं ढहाते थे, लेकिन जब बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि का झगड़ा चला और लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां की आबादी हिन्दुस्तान में सबसे अधिक है···। वहां के लोग जब हमारे मजहब के साथ खिलवाड़ करते हैं तो हमें लगता है कि हमें इस देश के साथ नहीं रहना है । जब बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि का झगड़ा विशाल हुआ तो इसका असर कश्मीर के लोगों पर अधिक पड़ा । हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि आप लोग देखते नहीं है कि वे मन्दिरों को ढहा रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं अभी जो मन्दिरों का ढहाया जा रहा है, जो कुछ भी बरबादी होती है वह बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि का मामला आने के बाद हो रहा है । पहले यह कभी नहीं हुआ है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं अभी भी कश्मीर के मुसलमान भाई हिन्दुस्तान में रहना चाहते हैं, लेकिन अगर यहां के लोगों की नीयत ठीक हो जाए तो उनमें भी सुधार आ सकता है । नीयत का जहां तक सवाल है, यह उनके प्रति ठीक दिखलायी नहीं पड़ती है । यहां के लोगों की नीयत उनके प्रति ठीक हो जाए तो मैं समझता हूं कि काश्मीर में रहने वाले मुसलमान भाई कभी भी पाकिस्तान की तरफ नहीं जायेंगे । यह बात सही है कि 14 अगस्त को 20 हजार लोगों ने वहां परेड की । इसमें शक नहीं, यह बात भी सही है कि वहां पर 15 अगस्त को भीपाकिस्तानी झण्डा फहराया गया । इसमें कोई नहीं, यह बात सही है । लेकिन सिर्फ समस्याओं को गिनाने से हमारा काम चलने वाला नहीं है । अगर हम चाहते हैं कि वहां पर सुधार हो तो हमको उनके प्रति कुछ अच्छे कदम उठाकर दिखाने होंगे । उसके लिए कदम क्या होगा ? अभी कई वर्षों से वहां चुनाव नहीं हो रहे हैं, विधान सभा का चुनाव न हो, यह बात समझ में आती, उससे देश पर खतरा हो जाएगा । लेकिन लोक सभा का चुनाव होगा तो क्या खतरा होगा ? लोक सभा के अगर कुछ एम० पी० वहां से जीत कर आ जायेंगे तो वे कौन-सा कानून बना लेंगे ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को उनका कुछ ध्यान रखना होगा ।

दूसरी बात है, अगर सरकार की नीयत ठीक है, काश्मीर भारत का अंग है, भारत के साथ रहे तो जो वहां की विधान सभा को भंग किया गया है, जगमोहन जी द्वारा, उसको फिर से पुनर्जीवित करना चाहिए । बहुत साथी यह कह सकते हैं कि पुनर्जीवित करने का अधिकार संविधान के मुताबिक नहीं है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि संविधान में अधिकार है, अगर चाहें तो उसको सरवाइव कराया जा सकता है । अब भी वहां के लोगों के दिमाग में यह बात आ सकती है कि भारत की जनता और भारत सरकार काश्मीर के मुसलमान भाइयों के प्रति ठीक नीयत रखती है । तभी कुछ हो सकता है ।

होम मिनिस्टर जी वहां जाएं, यहां की सरकार सब दलों को मिलाकर एक सर्वदलीय समिति बनाए और समिति की तरफ से हम सब लोग वहां जाएं और वहां जाकर लोगों से बात करें, उनके

दुःख-दर्द को समझें और समझने के बाद कोई रास्ता निकालें । जब तक यह काम नहीं किया जाएगा तब तक वहां के लोगों को विश्वास नहीं हो सकता है । ये बातें आती हैं कि वहां के बहुत से लोग दिल्ली आए हैं कई लाख की संख्या में । यह बात सही है, वहां के बहुत लोग आए हैं । उनका कोई इन्तजाम होना चाहिए । उनके खाने-पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, दवा-दारू की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, यह तमाम तरह का इन्तजाम होना चाहिए जिससे कि उन भाइयों के दिमाग में यह बात न आए कि हम काश्मीर से आए हैं, यह सरकार हमें विदेशी समझती है, अपना नहीं समझती है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि जो लोग वहां से आए हुए हैं उनके लिए ठीक से व्यवस्था होनी चाहिए ।

अन्त में, सुलतानपुरी जी ने कहा कि जनता दल वालों के चुनाव चिन्ह का कोई ठिकाना नहीं । साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बी० जे० पी० के भी चुनाव चिन्ह का कोई ठिकाना नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि आपको याद है आपके दल का चुनाव चिन्ह क्या था ? आपको याद है कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बैलों की जोड़ी था ? उसके बाद गाय-बछड़ा हुआ, फिर चरखा और उसके बाद यह पंजा छाप ? क्या आपको जानकारी है ? आप दूसरे की आलोचना करते हो, लेकिन यह नहीं देखते कि कांग्रेस ने कितनी बार चुनाव चिन्ह बदला । ये कहते हैं कि जनता दल के लोगों ने 11 महीने में काश्मीर में खराबी पैदा कर दी । आप कहते हैं कि कांग्रेस की नीति ठीक है, पहले भी ठीक थी, आज भी ठीक है । जनता दल की नीति के चलते खराबी आयी है, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी की नीति के चलते खराबी आयी है जो आज तो आपकी सरकार है, आपकी नीति देश में चल रही है । क्या जरूरत है इस तरह का वक्तव्य देने की । अब तो आप सरकार में आए थे, अब काश्मीर की हालत सुधर जानी चाहिए थी । मैं कहना चाहता हूं कि यह आपकी पार्टी की ही देन है कि आज काश्मीर में यह हालत हो गयी है । अगर आज इस देश में लाल झण्डे की हकूमत होती तो आज काश्मीर हमारे देश से अलग होने का नाम नहीं लेता । हम लोग शुरू से कहते हैं कि वहां पर प्रजातांत्रिक प्रणाली अपनाइए । लेकिन आप उसको अनदेखा करते हैं जिसका नतीजा यह है कि आज काश्मीर के लोगों ने आजादी के समय में पाकिस्तान जाने का नाम नहीं लिया । आजादी के समय पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो 44 वर्ष आजादी के बाद भी वहां का नौजवान पाकिस्तान जाने के लिए मुखातिब हो गया । कांग्रेस भाईयों से कहना चाहता हूं कि अपनी गल्तियों में सुधार कीजिए तभी पाकिस्तान से काश्मीर आ सकता है वरना काश्मीर भारत से अलग हो सकता है । कांग्रेस के भाई उसकी आलोचना करते हैं ।...(व्यवधान) मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि वहां के हालात को सुधारने की कृपा करें । (व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सभापति जी, मुझे दुख है कि हम ग्यारह बजे के बाद चर्चा कर रहे हैं और काश्मीर जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हम कितनी लापरवाही कर रहे हैं । हम इसको परसों भी करवा सकते हैं । पूर्व सदस्य ने भी कहा है कि गृह मन्त्री जैसा व्यक्ति सदन में उपस्थित नहीं है । इससे काश्मीर के प्रति अन्याय हो सकता है...(व्यवधान)

श्री अशोकराव आनंदराव देशमुख : गृह मन्त्री हाजिर नहीं है तो श्री गुलाम नबी आजाद इसका उत्तर देंगे...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह प्रक्रिया को समझें। यदि बोलने वाला सदस्य मानता हो, तो आप बोल सकते हैं। अन्यथा, उन्हें व्यवधान न पहुंचाएं।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : माननीय सभापति जी, हम लोग इसके प्रति कितना गम्भीर हैं··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : यह आपको मालूम होना चाहिए कि बजट का प्रबन्ध यह होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ही जवाब देता है।

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : माननीय जार्ज साहब ने और कांग्रेस के अनेक सदस्यों ने भी कहा है कि वहां सत्ता सौंपी जाए। सत्ता किसको देंगे। क्या कांग्रेस भाई सत्ता लेने के लिए तैयार हैं। कौन व्यक्ति है जो काश्मीर की सत्ता लेना चाहता है। जो वहां पार्टी का अध्यक्ष था, उसको आपने राज्यपाल बनाकर भेज दिया। आज तक कांग्रेस पार्टी वहां पर अपनी पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर सकी। आप सत्ता देने की बात कर रहे हैं। क्या·· *···को सत्ता देना चाहते हैं।* ने पिछले एक साल में सवा महीना केवल काश्मीर में गुजारा है और बाकी समय लंदन में बिताया है। उनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं और यह भी कि उनके लड़कों की जान बच जाए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जो व्यक्ति स्वयं अपना बचाव करने के लिए यहां नहीं है, उसका नाम कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : यह तथ्य टिप्पणी है कि···*···वहां नहीं रहते हैं। वे, टाइप पास करना चाहते हैं और आप लंदन में उनको सत्ता देना चाहते हैं। जिनको एक बार देख चुके हैं तो क्या उनके हाथ में काश्मीर में शान्ति व्यवस्था कायम की जाएगी। पूंछ सेक्टर में क्या हुआ। पूंछ में बकायदा युद्ध था और तोप का इस्तेमाल किया गया। क्या आप उनकी संतुष्टि करना चाहते हैं। क्या आपने निर्णय लिए हैं। यह बात होम मिनिस्टर साहब ही बता सकते हैं। काश्मीर के लिए हमारी नीति सही है। नौंवी लोक सभा में माननीय श्री सैफुद्दीन सोज काश्मीर को बचाने की बात करते थे। क्या हुआ ? उनकी लड़की को उठाकर ले गए। उनकी लड़की का अपहरण हुआ और वे प्रधान मन्त्री जी के आगे-पीछे घूमते रहे। प्रधान मन्त्री जी बड़ी मुश्किल से उनकी लड़की का पता लगा पाए। आतंकवादी सरकार को सुनना नहीं चाहते···(व्यवधान) वे किसी प्रकार की कोई बात सुनना नहीं चाहते हैं। आखिरकार जो ट्रेनिंग कैम्प चला रहे, वे कौन व्यक्ति हैं, उसमें भाग लेने वाले कौन हैं। वे सब

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कश्मीरी हैं जो पाकिस्तान में जाते हैं और वहां जाकर ट्रेनिंग लेते हैं। वे लोग पाकिस्तानी सेना के सहारे हिन्दुस्तान की सीमा में घुसकर बगावत का झण्डा लेकर घूमते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पूंछ सैक्टर के ऐसे लोगों को राष्ट्रीय धारा में लाने के लिए कोई प्रयत्न किया गया? नहीं किया गया। केवल उन लोगों के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनायी गयी। इससे कश्मीर का कोई मुद्दा सुलझने वाला नहीं है और न कोई निराकरण ही हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोगों को निश्चित रूप से कोई न कोई निर्णय लेना पड़ेगा। आतंकवादी अगर कैम्प लगाकर आते हैं तो उनको किसी मूल्य पर सहन नहीं करेंगे। भारत का भूमि पर आने वाले आततायी तत्वों द्वारा इन आतंकवादी कश्मीरियों को जो इन कैम्पों में प्रोत्साहन देते हैं, निश्चित रूप से आज नहीं, तो कल उनके ऊपर बम्बार्टमेंट करनी होगी, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है।

सभापति महोदय, आपको एक बात मजाक लग रही थी जब मदन लाल खुराना ने संविधान की धारा-370 के लिए कहा कि हमारा कोई मूल मन्त्र नहीं है, हमारी नीति है। आप कब तक इस प्रकार से सस्ते दर पर चावल देते रहेंगे और सारे हिन्दुस्तान में 25 रु० कि० चावल मिलता रहेगा, यह सस्ते दाम पर दिया जा रहा है और अन्य राशन भी दिया जा रहा है···

कई माननीय सदस्य : नहीं, ऐसा नहीं है।

सभापति महोदय : आप नहीं जानते हैं कि वहां पर एक दाम मिलते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जब शेख अब्दुल्ला मुख्य मन्त्री थे तो यह मूल्य चल रहा था।

श्री बाबू बयाल जोशी : तो मेरा कहना है कि कश्मीर की विशेष स्थिति नहीं होती तो यह धारा 370 नहीं होती और इस प्रकार की स्थिति आज नहीं होती। यही मांग दूसरे प्रदेशों से भी उठी है कि धारा 370 को समाप्त किया जाये।

सभापति महोदय, इसलिए मेरा कहना है कि जो कश्मीर का बजट प्रस्तुत किया गया है, उसकी कठोर शब्दों में भर्त्सना करता हूं।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, मुझे समय की कमी मालूम है। मैं केवल कुछ ही मिनट ही बोलूंगा। मैं यहां पर पेश किए गए जम्मू और कश्मीर के बजट का समर्थन करता हूं। इस चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे अवसर देने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, पिछले सप्ताह हमने कश्मीर की समस्या के बारे में घण्टों चर्चा की और मैं विपक्ष के अधिकांश सदस्यों के भाषणों को सुन रहा था। आज भी मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों के भाषणों को ध्यान से सुन रहा हूं। कश्मीर की सारी समस्याओं के लिए सभी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। हम असफलताओं को स्वीकार करते हैं। किन्तु, साथ ही साथ जो सफलताएं हमने पायी हैं उन पर भी हमें गर्व है। यह कांग्रेस पार्टी ही है जिसने अन्तिम चालीस वर्षों में देश को स्वतन्त्रता दिलायी, जो कुछ प्रगति हुई है वह कांग्रेस पार्टी के कारण ही हुई है। इस पर दो राय नहीं है।

मैं इस महान सभा का ध्यान एक या दो मुद्दों की ओर दिलाना चाहता हूं। वे हम पर आरोप लगा रहे हैं कि कश्मीर की समस्या के लिए हम उत्तरदायी हैं। महोदय, कश्मीर की समस्या किसी दल

विशेष की पैदा हुई समस्या नहीं है। हमें यह समस्या स्वतन्त्रता के समय से ही विरासत में मिली है। स्वर्गीय शेख अबदुल्ला, जिन्हें कश्मीर का राजा माना जाता है, की राय पंडित जवाहर नेहरू की राय से भिन्न थी। हम जानते हैं कि उन्हें कैसे गिरफ्तार किया गया था और वर्षों तक जेल में रखा गया था। यह इन्दिरा जी का राजनयिक सम्बन्ध और क्षमता थी, जो उन्हें जेल से बाहर लायी। वह हमारी महान सफलताओं में से एक थी जिसे पाने में हम सफल हुए थे।

तत्पश्चात कांग्रेस सरकार ने फारूख अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त कर दिया। मैं इस बात को मानता हूं। यह मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात है कि वे सुविधानुसार इस तथ्य को भूल गए कि कांग्रेस सरकार ने यद्यपि काश्मीर में सरकार को बर्खास्त करके वहां की जिम्मेदारी संभाल ली थी परन्तु यह कार्य तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की सलाह पर किया गया था। जब हमने इस बात को महसूस किया तो हमने उन्हें उनके पद से हटा दिया। यद्यपि उस समय वह पद पर नहीं थे लेकिन उनकी हाथ जोड़कर अगवानी उन्होंने की थी। वह वहां पर मन्त्री थे। ग्यारह महीने के जनता के शासन में जब वह गृह मन्त्री थे तक माननीय वरिष्ठ संसद सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा था कि वह इस पक्ष के कुछ कनिष्ठ संसद सदस्यों से पहले संसद के सदस्य बन गए। मैं उनसे विनम्रतापूर्वक कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब उनको काश्मीर का कार्यभार दिया गया था तो क्या वह काश्मीर जा सकते थे और राज्य के किसी व्यक्ति से बात कर सकते थे? क्या वह तत्कालीन गृह मन्त्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा अपनायी गई काश्मीर की नीति को स्वीकार करते हैं? जब उनकी पुत्री डा० रूबिया का अपहरण हुआ था तो यह अपहरण किसने किया था? महोदय, यह बदनामी की बात है—समाचारपत्रों में छपा है कि अपहरण आतंकवादियों ने नहीं बल्कि मुफ्ती मोहम्मद के परिवार के कुछ घनिष्ठ सम्बन्धियों ने किया था। इस सभा में इस बारे में चर्चा हुई थी और···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख (परभनी) : सभापति महोदय, इस प्रकार हम भी एक घंटा बोलेंगे। इनसे कहें कि बजट पर बोलें। पांच-दस मिनट बोलना छोड़कर ये दूसरी बातें कह रहे हैं, हम एक घंटा बोलेंगे। हम कहते हैं बजट पर बोलो, दूसरों को भी टाइम की जरूरत है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, यह बात इस सभा के कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित है कि डा० रूबिया को मुफ्ती मोहम्मद सईद के परिवार के निवास स्थान से कुछ किलोमीटर दूर एक मकबरे में रखा गया था। प्रत्येक बार भोजन गृह मन्त्री के घर से ले जाया जाता था। किसी ने इस बात का खंडन नहीं किया है इसे सम्बन्धी ले जाते थे। आतंकवादियों ने उन्हें रिहा क्यों कर दिया? क्या उनके श्री मुफ्ती मोहम्मद से पारिवारिक सम्बन्ध नहीं हैं? यह बहुत बड़ी कहानी है।

इसके बाद एक समाचार छपा—माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज यहां उपस्थित हैं—कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमन्त्री को छः पृष्ठों की एक रिपोर्ट भेजी थी कि वह मुफ्ती मोहम्मद द्वारा काश्मीर के बारे में अपनायी गई नीति को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब माननीय सदस्य, श्री जार्ज फर्नान्डीज और तत्कालीन गृह मन्त्री, श्री मुफ्ती मोहम्मद सत्तापक्ष में थे तब मैंने उन दोनों से बार-बार सारगर्भित प्रश्न पूछा था कि यह समाचार सच है अथवा नहीं। इसका खंडन नहीं किया गया। परन्तु

एक सप्ताह बाद जब माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज सभा में आए तो उन्होंने इस रिपोर्ट का खंडन किया था। मेरे विचार से वह वक्तव्य झूठा था और मैं समझता हूं कि इस एक सप्ताह के अन्दर कुछ न कुछ ऐसा हो गया था, मुझे क्षमा करें यदि मैं कहूं कि रिपोर्ट को फाइल से निकाल दिया गया था। मुझे विश्वास है कि उन ग्यारह महीनों में मन्त्रिमण्डल के अन्दर मतभेद रहे। यह भी सच है कि आतंकवाद से निपटने में भी दोहरी नीति अपनाई गयी थी। जब एक अधिकारी श्री खेड़ा का अपहरण किया गया और उनकी हत्या कर दी गई तो उनके 16 वर्षीय पुत्र ने आंखों में आंसू भरते हुए पूछा था : मेरे पिता, जिन्होंने भारत सरकार की 25 वर्ष तक सेवा की थी, को एक आतंकवादी को रिहा करके नहीं बचाया गया जब कि पांच आतंकवादियों को रिहा करके डा० रूबिया को बचाया गया।' सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था। क्षमा कीजिए, महोदय, कल माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज वित्त विधेयक पर डेढ़ घण्टे तक बोले थे तब यह आशंका व्यक्त की गयी थी—मुझे खेद है कि मैं यह बात कह रहा हूं—कि दो वर्षों में बिहार में विद्रोह होगा। यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित है। उन्होंने कहा था कि बिहार में अल्फा की पुनरावृत्ति होगी। परन्तु अल्फा के लिए जिम्मेदार कौन था? क्या इसके लिए असम गण परिषद जिम्मेदार नहीं थी? यह बात भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित है। (व्यवधान) यह विवादास्पद विषय है इसलिए मैं इसे यहीं छोड़ता हूं। मेरा अनुरोध है कि वे इस महान देश के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पढ़ें और यह भी पढ़ें कि अनुच्छेद 370 को संविधान में किस प्रकार जोड़ा गया है। केवल इसी वजह से काश्मीर से इस महान देश का सम्बन्ध है। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि आज मरहम लगाने की आवश्यकता है।

कश्मीर के लोग हमारे भाई हैं और वे कष्ट में हैं। उनको देश में पर कोई विश्वास नहीं है और इस सदन को कश्मीर के उन अभागे लोगों में विश्वास पैदा करना है। वे हमारे स्वतन्त्रता संग्राम की अग्रिम पंक्ति में थे और जब कश्मीर पर आक्रमण हुआ तो उन्होंने हमारी सीमाओं की रक्षा की। हमारे भाजपा के मित्र बार-बार संविधान की धारा 370 को हटाने की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे उनका कष्ट और बढ़ेगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह वहां पर विश्वास का वातावरण बनाए जिससे कि कश्मीरी पण्डित कश्मीर वापस जा सकें। कश्मीर विभाजन के कगार पर है और इसीलिए मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे पर वे एक रहें।

पुनः, वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना चाहिए और कश्मीर के लोगों को सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए। माननीय गृह मन्त्री यहां पर नहीं हैं लेकिन उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि वह शीघ्र ही कश्मीर की यात्रा करेंगे। एक बार पुनः मैं विपक्ष से विशेषकर भाजपा से अनुरोध करता हूं कि वह जम्मू और कश्मीर में उचित वातावरण बनाने में हमारा साथ दे।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : सभापति महोदय, मैं यह अवसर देने के लिए आपका आभारी हूं। मैं महसूस करता हूं कि लगभग 11.30 होने वाला है। अब आधी रात होने वाली है। इसलिए मैं संक्षेप में दो बातें कहूंगा।

मेरी पहली बात पाकिस्तान के साथ अप्रत्यक्ष युद्ध के बारे में है जो कश्मीर की समस्याओं में से एक है और मैं यह नहीं सोचता हूं कि हमें इसी की इस समस्या का हल ढूंढना है। यह बड़े शर्म का विषय है कि इस परिस्थिति में अप्रत्यक्ष युद्ध और भी तेज होता जा रहा है और हम इसे उस तरह नहीं

लड़ पा रहे हैं जिस प्रकार हमें लड़ना चाहिए था। मेरे विचार से सीमा को सील करने का प्रयास किया जाना चाहिए और इस अप्रत्यक्ष युद्ध को लड़ने के लिए अपने पास उपलब्ध हर सम्भव सैन्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए और पाकिस्तान को एक स्पष्टरूप से बता दिया जाना चाहिए कि वे जो खतरनाक और पैशाचिक खेल-खेल रहे हैं उसे दोनों देश उतने ही खतरनाक ढंग से खेल सकते हैं।

दूसरी बात जो मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं वह इससे भी बड़ी समस्याओं में से एक है। मेरे विचार से यह बड़े ही कष्ट का विषय है कि स्वतन्त्र भारत में ऐसी स्थिति बन गई है कि अपने ही देश में आप्रवासी हैं। इस विषय में कुछ किया जाना चाहिए। क्या हमें यह तर्क मान लेना चाहिए कि कश्मीर घाटी में केवल बहुसंख्यक लोग ही रह सकते हैं। अल्पसंख्यकों को भी वहां पर रहने का उतना ही अधिकार है क्योंकि वे भी हमेशा से वहां पर रह रहे हैं। इसलिए हमें उन्हें वापस भेजने के लिए वहां पर अच्छा माहौल बनाना होगा वास्तव में यह हमारी असफलता है और यह पिछले तीन वर्षों से एक के बाद एक बदलती सरकारों पर आरोप है कि हम इन प्रवासियों को वापस कश्मीर नहीं ले जा सके हैं। मेरे विचार से हमें आतकवाद का मुकाबला करने के लिए मलेशिया के जनरल टेम्पलर के अनुभवों से सीख लेनी चाहिए। हमें वहां सुरक्षा क्षेत्र बनाना चाहिए और प्रवासियों को वापस कश्मीर ले जाना चाहिए, उन्हें पूरा सुरक्षा देना चाहिए, उन्हें आवश्यक खाद्य पदार्थ देना चाहिए, उन्हें आवश्यक दवायें उपलब्ध करानी चाहिए उन्हें आवश्यक शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए क्योंकि हमें एक बात माननी होगी कि उन्हें कश्मीर में रहने का उतना ही अधिकार है जितना कि बहुसंख्यक समुदाय को।

यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमने परिस्थिति को बुरी तरह हाथ से निकल जाने दिया।

सभापति महोदय, मैं एक और बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं बहुत प्रसन्न था कि पिछले दिन गृह मन्त्री ने कहा था कि वह शीघ्रातिशीघ्र कश्मीर की यात्रा करेंगे। मेरी सलाह है कि वह न केवल कश्मीर जाएं बल्कि जम्मू की भी यात्रा करें। यदि वह जम्मू जाएंगे तो मुझे आशा है कि वह प्रवासी शिविरों में जाकर वहां की स्थिति स्वयं देखेंगे और यह भी देखेंगे कि हमारे कश्मीरी पंडित जम्मू में कितना कष्ट भोग रहे हैं। यह एक अच्छा विचार होगा कि जब गृह मंत्री जाएं तो अपने साथ सभी दलों के कुछ संसद सदस्यों को भी जम्मू और कश्मीर ले जायें।

हमारे मित्र, डा० मनमोहन सिंह कराधान और धन की व्यवस्था का रास्ता सुझाएंगे। मेरे विचार से यदि डा० मनमोहन सिंह भी श्रीनगर और जम्मू की यात्रा करने की योजना बनाएं तो अच्छी बात होगी।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति जी, यह जो कश्मीर बजट पर हम लोग बोल रहे हैं और हमारे बहुत से साथियों ने इस पर अपने विचार रखे हैं, लेकिन यह दुख की बात है कि यह कश्मीर बजट जिसको कश्मीर की विधान सभा में आना चाहिए था और वहां के विकास का, वहां के जो काम हैं, उन पर विचार होना चाहिए था, लेकिन हम लोग इस बजट को वहां की बजाय यहां एक घंटे में पास कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि कश्मीर की जो समस्या बन गई है, वह हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान करने के लिए बहस होनी चाहिए। यह बजट तो पास होना ही चाहिए, लेकिन बहस मैंने देखी और सुनी उससे ऐसा लगा कि बहस में छींटाकशी ज्यादा रही और कश्मीर के प्रति ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही कि कश्मीर को कैसे भारत के एक अंग के रूप में हम बनाकर रख सकते हैं। यानी कश्मीर को किसने इस हालत में पहुंचाया, किसने

वहां के हालात इतने बिगड़ने दिए, इस बात को सब जानते हैं, लेकिन इस पर गौर नहीं होना चाहिए, अब तो गौर इस पर होना चाहिए कि कश्मीर को कैसे सुधारें और इसके लिए हमारा एक सुझाव है कि देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वे सब मिलकर इस पर विचार करें और सरकार को चाहिए कि लोगों को बुलाकर उनसे विचार-विमर्श करे कि कैसे हम इसको सुधार सकते हैं। हर आदमी जानता है कि वहां जाना चाहिए, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, यह सोचकर रह जाते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस पर सब मिलकर विचार करें कि कश्मीर को कैसे हम ठीक रख सकें और कैसे भारत का एक अंग बना सकें। यह बात सही है कि धारा 370 की बात आती है। यह कोई बड़ी बात नहीं है।

सभापति महोदय, हमारे देश में जयचन्द पैदा हुए, मीर जाफर पैदा हुए, और नाथू राम गौडसे भी पैदा हुए। ऐसे लोग भी पैदा हुए जिन पर हमें बहुत गर्व है। यदि महात्मा गांधी को किसी मुसलमान ने मार दिया होता, तो मुसलमानों के प्रति क्या होता? लेकिन इस बात को कोई सोचता नहीं। हम सब लोग, हिन्दू और मुसलमान इसी देश के निवासी हैं। धारा 370 लगाने से वहां क्या नुकसान हो रहा है? समझना तो यह है कि धर्म को राजनीति में घुसेड़कर कुर्सी को कायम रखना चाहते हैं। सभी पार्टियां यही सोचती हैं और पिछली सरकारें तथा आगे आने वाली सरकार भी यही सोचती है। वर्तमान सरकार भी यही सोचती है कि कैसे बागडोर देश की लेनी है। मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध जरूर करूंगा कि वे पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ें। गड़े मुर्दे न उखाड़ें। आप बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि की बात न करें। इस प्रकार की बातों से देश में तनाव पैदा होता है। जब आप देश की इतनी बड़ी शक्ति होकर भी ऐसा काम करेंगे, तो लोगों का आपके ऊपर अविश्वास पैदा होगा और उसमें से बहुत सी चीजें निकलेंगी। देश-भक्ति कम हो जाएगी। इसलिए यदि आपको देश-भक्ति रखनी है और देश को एकताबद्ध रखना है तो इस समस्या के हल के लिए रास्ता निकालना होगा। अभी कश्मीर में बहस हो रही है इसलिए हम कश्मीर के बारे में बोल रहे हैं लेकिन पंजाब में, असम में हिन्दू-मुसलमान की क्या बात है। सब मिल-जुलकर इस पर गौर करें कि कश्मीर को अपने साथ कैसे रख सकते हैं। वहां जो त्रुटियां हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है इसे भी देखें। यह सच है कि कश्मीर में सत्तारूढ़ पक्ष ने शुरू से ही गड़बड़ी की। अब गड़बड़ी तो हो चुकी है, अब तो सबको मिलकर इसे ठीक करना है। कश्मीर हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है और इसके निदान के लिए सचमुच में वहां राजनैतिक माहौल पैदा करना होगा। जब तक राजनैतिक माहौल पैदा नहीं करेंगे तो बढ़िया से बढ़िया अस्त्र-शस्त्र से भी समस्या का निदान नहीं होगा। मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस पर जल्द से जल्द विचार-विमर्श करके कोई रास्ता निकालें जिससे इस समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : सभापति महोदय, मैं इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। श्रीमती सुशीला गोपालन ने आरोप लगाया है कि हम विपक्षी सरकारों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। यह सच नहीं है। भारतीय प्रजातन्त्र राज्यों में विपक्षी सरकारों को बरदाश्त करता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : विपक्षी सरकार हो ही नहीं सकती। यह एक विरोधाभास है। एक तो सरकार हो सकती है और दूसरा विपक्ष। उत्तर प्रदेश में आप विपक्ष में हैं और उनकी सरकार है। बिहार में हमारी सरकार है और आप विपक्ष में हैं।

श्री शांताराम पोतदुखे : उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सरकार राज्यों में विपक्ष की सरकारों को बरदाश्त नहीं करती है ।

सभापति महोदय : सम्भवतः उनका आशय राज्यों में विपक्षी दलों द्वारा संचालित सरकारों से था ।

श्री शांताराम पोतदुखे : मेरे विचार से कश्मीर की समस्या दीर्घकालीन कानून और व्यवस्था के कारण खराब हो रही है । इससे राज्य तथा राज्य के संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । हम कश्मीर में लोकप्रिय सरकार की बहाली के समर्थक हैं । किन्तु वहां विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन की प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लगेगा ।

महोदय, बजट के नियतन के बारे में आलोचना हुई थी । कहा गया था कि हमने कश्मीर के लिए बजट का उचित नियतन नहीं किया था, यह बात सच नहीं है । जम्मू व कश्मीर का परिव्यय गत वर्ष स्वीकृत किए गए 650 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1991-92 के लिए 723 करोड़ रु० निर्धारित किया गया है । इसमें 11 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और यह सारी केन्द्रीय सहायता से पूरी की जाती है ।

इसका एक दूसरा पहलू भी है जो दी जाने वाली सहायता की उदार पद्धति/राष्ट्रीय विकास परिषद ने केन्द्रीय योजना सहायता को उदार ढंग से जारी रखने की स्वीकृति दी है और इसके परिणाम-स्वरूप असम की तरह जम्मू व कश्मीर को भी 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण दिया जाता है । यह बात वर्ष 1991-92 से प्रभावी होगी और इससे जम्मू व कश्मीर की वित्तीय स्थिति सुधरने की आशा की जाती है ।

जम्मू व कश्मीर चिरकाल से घाटे में चलने वाला राज्य रहा है । ऋण-व्यवस्था पर बहुत अधिक व्यय हो रहा है । फिर अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती पर व्यय हो रहा है, हाल में अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती पर तथा अतिरिक्त पुलिस बटालियनें गठित करने पर बहुत अधिक व्यय होगा । इसके अलावा उग्रवाद तथा भटके हुए लोगों की संख्या में वृद्धि होने पर बाढ़ से बहुत से लोग विस्थापित हो गए हैं । वे जम्मू तथा इसके पास-पड़ोस में शिविरों में रखे गए हैं उन्हें राहत सहायता देने पर 60 करोड़ रुपए व्यय किए जाते हैं । वेतन तथा भत्तों में वृद्धि होने पर राज्य सरकार के कर्मचारियों पर चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति का पालन करने में राज्य को 32 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा जोकि महंगाई भत्ते की किस्तों के रूप में प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है ।

जम्मू व कश्मीर की अर्थव्यवस्था मुख्यतः परिवहन तथा पर्यटन पर निर्भर करती है । कठिन परिस्थिति के परिणामस्वरूप परिवहन तथा पर्यटन के क्षेत्रों को गहरा धक्का लगा है । हालांकि कृषि, बागवानी तथा हस्तशिल्प के क्षेत्रों में कुछ प्रगति हुई है ।

कश्मीरी विस्थापितों को दी जाने वाली राहत सहायता के बारे में घाटी से बाहर उनका स्थाई पुनर्वास विचाराधीन नहीं है और उनकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उन्हें केवल अच्छी राहत राशि दी जाती है । जम्मू व कश्मीर से कुल 72,000 विस्थापित परिवारों को पंजीकृत किया गया है जिनमें से 50,000 परिवार जम्मू में रह रहे हैं और लगभग 14,000 दिल्ली में । शिविरों का

प्रबन्धन राज्य सरकारें करती हैं। जम्मू में प्रत्येक विस्थापित परिवार को अधिकतम 1000 रु० प्रति माह दिए जाते हैं और साथ ही मुफ्त राशन तथा मुफ्त शिविर आवास प्रदान किया जाता है। दिल्ली में भी विस्थापितों को मुफ्त राशन, मुफ्त शिविर आवास तथा 500 रु० नकद दिए जाते हैं। जो शिविरों में नहीं रहते उन्हें 80(रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। इस समय जम्मू में 40,000 परिवार रह रहे हैं और दिल्ली में 18,000 उनमें से अधिकांश हिन्दू और सिख हैं। उन्हें दी जाने वाली राहत सहायता भारत में अन्यत्र दी जाने वाली सहायता से अधिक है। उन्हें शिविरों में अच्छी मूल मुफ्त सुविधाएं दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

वाद-विवाद के दौरान श्री प्रेम कुमार धूमिल ने कहा कि वहां क्षेत्रीय असन्तुलन था। मुझे यह कहना है कि लद्दाख क्षेत्र में दो जिले हैं—लेह तथा कारगिल और प्रत्येक जिले की जनसंख्या 80,000 है। लेह जिले में बौद्धों का बहुल्य है और कारगिल में मुसलमानों का। उन्हें राज्य के 723 करोड़ रुपए के परिव्यय में से उनके लिए 30.54 करोड़ का नियतन किया जायेगा जो 4 प्रतिशत से कुछ अधिक हैं। लेह तथा कारगिल, दोनों जिलों के लिए नियतन का निर्णय योजना आयोग करता है और धनराशि भी निर्धारित करता है। इन दोनों जिलों में पृथक्-पृथक् धन का उपयोग किया जाता है और अन्य किसी जिलों को इस नियतन में से धन नहीं दिया जाता है। लद्दाख क्षेत्र के लोग अपने जिले के बाहर नहीं रहना चाहते। इसीलिए वहां समस्या उत्पन्न हो गई है।

खुराना जी ने लोग सभा में जम्मू व कश्मीर के बजट के सम्बन्ध में पेश किए गए दस्तावेजों के बारे में पूछा था जम्मू कश्मीर के बजट के सम्बन्ध में लोक सभा में पेश किए गए दस्तावेज बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत अन्य राज्य के दस्तावेज पेश किए गए थे। अत: दस्तावेजों की आलोचना करने के लिए कुछ नहीं है। गृह विभाग के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। इन बातों को नोट कर लिया गया है तथा इन्हें गृह मन्त्रालय को भेज दिया जायेगा। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं सभा से बजट को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : अब मैं जम्मू और कश्मीर राज्य के 1991-92 के बजट सम्बन्धी अनुदान मांगों को मतदान के लिए रखूंगा।

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मेरे कटौती प्रस्तावों का क्या हुआ ?

सभापति महोदय : भोगेन्द्र झा जी, जैसाकि आप जानते हैं कि मांगों पर चर्चा शुरू करने से पहले कटौती प्रस्ताव लिए जाते हैं। कटौती प्रस्तावों को बाद में नहीं लाया जा सकता।

श्री भोगेन्द्र झा : इन्हें रखा गया था।

सभापति महोदय : नहीं, इन्हें नहीं रखा गया था।

श्री भोगेन्द्र झा : आपके आने से पहले इन्हें रखा गया था।

सभापति महोदय : आपने उन्हें उचित समय पर नहीं रखा था।

श्री भोगेन्द्र झा : इन्हें रखा गया था और कागज आपके पास हैं।

सभापति महोदय : भोगेन्द्र झा जी इन्हें नहीं रखा गया था अन्यथा मुझे यह कहने की क्या आवश्यकता थी ? नियमानुसार, आप अब इन्हें नहीं रख सकते ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 27 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां जम्मू और कश्मीर राज्य की संचित निधि में राष्ट्रपति को दी जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

11.48 म० प०

जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक*

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1991-92 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को ** पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री शांताराम पोतदुखे : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री शांताराम पोतदुखे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

---

*दिनांक 10-9-91 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3 और अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2, 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री शांताराम पोतदुखे : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं, अब अन्त में, मन्त्री महोदय के समक्ष केवल एक प्रश्न रखना चाहता हूं। यह एच० एम० टी० कर्मचारियों के बारे में है। हमारे द्वारा मामला उठाये जाने के बाद मे उन्हें अन्य अनेक क्षेत्रों में पुन: समायोजित कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने हमारे सामने जो शिकायतें की हैं उनसे ऐसा लगता है कि उन्हें पदावनत किया जा रहा है। उन्हें समान पद नहीं दिया जा रहा है। अत: वे अपमानित महसूस कर रहे हैं। वे हर बार आते हैं। कृपया उनके मामले पर विचार कीजिए। वित्त मन्त्री और उद्योग मन्त्री यहां मौजूद हैं। कृपया उनकी समस्या पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करें।

श्री शांताराम पोतदुखे : मैं इस पर गौर करूंगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

11.53 म० प०

स्वैच्छिक निक्षेप (उन्मुक्तियां और छूटें) विधेयक*

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय आवास बैंक के पास स्वैच्छिक निक्षेप करने वाले व्यक्तियों को कुछ उन्मुक्तियों और ऐसे निक्षेपों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष-करों से कुछ छूटों का उपबन्ध करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्ताव हुआ :

"कि राष्ट्रीय आवास बैंक के पास स्वैच्छिक निक्षेप करने वाले व्यक्तियों को कुछ उन्मुक्तियों और ऐसे निक्षेप के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष-करों से कुछ छूटों का उपबन्ध करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

कुछ माननीय सदस्यों ने विचार हेतु प्रस्ताव पर संशोधन करने सम्बन्धी कुछ सूचनाएं दी हैं । अब, श्री दाऊ दयाल जोशी ।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 25 फरवरी, 1992 तक राय जाने के लिए परिचालित किया जाए ।"

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : महोदय, हम इसे सोमवार को पारित कर सकते हैं । इसमें कोई दिक्कत नहीं है । वित्त मन्त्री इसके लिए इतने इच्छुक क्यों हैं ? (व्यवधान) हमें इस काले विधेयक को अर्द्धरात्रि के समय पारित नहीं करना चाहिए । (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

---

* दिनांक 14-9-91 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, में प्रकाशित ।

"कि विधेयक को उस पर 30 दिसम्बर, 1991 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।"

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 12 दिसम्बर, 1991 तक राय जानने के परिचालित किया जाए।"

11.57 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : माननीय, वालन्टरी डिपोजिट, जिसके तहत यह बिल लाया गया है, यह देश के अन्दर जो कालेधन है, यह हमारी अर्थव्यवस्था का कोढ़ है और यह हमारे समूचे देश की अर्थव्यवस्था को जरजरित कर रहा है। मंत्री जी इस प्रस्ताव के लेकर आए हैं कि कालेधन को उज्जवल किया जाए, राष्ट्र के निर्माण कार्य में पैसा लग सके। इसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन जो आपत्ति की बात है वह यह है कि यह ऐसी व्यवस्था है जिस पर पाबन्दी लगाने की कोशिश की जा रही है और एक ओर से पाबन्दी लगाई जा रही है और दूसरी ओर से टांगें नंगी हो रही हैं। जब तक स्पष्ट रूप से समूची अर्थव्यवस्था के बारे में, समूचे कराधान की प्रक्रिया सरलता व सुगमता के बारे में हम एक निर्णय नहीं लेंगे, तब तक इस कालेधन का सृजन नहीं रुकेगा।

इस देश के अन्दर अनेक बार इस तरह की वालंटरी डिपोजिट स्कीम्स आई हैं, कालेधन को उज्जवल करने की बात हुई है और इससे उन लोगों के मन में बड़ी वेदना होती है जो कालेधन में विश्वास नहीं करते हैं और जो कानून पसन्द लोग हैं और कानून का पालन कर पूरा आदर देते हैं। उन लोगों को भी कष्ट होता है जो इन्कम टैक्स के अधिकारियों और अन्य टैक्सेशन स्ट्रक्चर के अधिकारियों के माध्यम से यातना सहते हैं। इस कालेधन के अन्दर उन अधिकारियों की भी मिलीभगत है जो किसी भी कारणों से कालेधन के सृजन को प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो चालिया कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में जो विचार का परब्यू हो, उस परब्यू के अन्दर हमारे समस्त टैक्शन के स्ट्रक्चर के, उन समूचे बिन्दुओं को, विभिन्न विभागों के टैक्सों के बिन्दुओं को देखना होगा। इतना ही नहीं यह सेल्स टैक्स का जो मामला है, इसका एक बड़ा भारी जाल है, जो दुकानदार सेल्स टैक्स की चोरी करता है, तब भी वह आमदनी होने के बाद भी इन्कम टैक्स में इसलिए पैसा जमा करना नहीं चाहता क्योंकि वह पकड़ा जाएगा। जो व्यक्ति एक्साइज ड्यूटी की चोरी करता है तो फिर भी वह कालेधन में पैसा इसलिए चला जाता है, क्योंकि वह चाहता है कि मैं इन्कम टैक्स दे दूं, लेकिन वह सोचता है कि यदि मैं पकड़ा गया तो मामला फंस जाएगा। एक्साइज ड्यूटी के अन्दर चोरी करने के बाद भी वह इन्कम टैक्स में आमदनी नहीं दिखा सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसी फाइनेन्शियल पालिसी हमें बनानी होगी, जिसमें ब्लैकमनी सुरक्षित न हो और वह तभी होगा जब कम्पलीट टैक्स का जो हमारा स्ट्रक्चर है वह साइन्टिफिक होगा और उसके अन्दर टैक्स इवेजन की गुंजाइश नहीं रहेगी। टैक्स इवेजन की गुंजाइश तब नहीं रहेगी जब टैक्स के स्ट्रक्चर का सिम्प्लीफिकेशन हम कर देंगे। उसको रेशनल भी करना पड़ेगा और रेशनल बनाने

के लिए यह हॉबिश हमें नहीं रखनी होगी कि हम बड़ा भारी, हाई रेट आफ टैक्सेशन करें। इंकम टैक्स या इससे मिलेजुले जो टैक्सों का मामला है, इस देश के अन्दर जो इन टैक्सों के रेट बढ़ाने की दौड़ लगी हुई है, स्पर्धा लगी हुई है, इस स्पर्धा को कम करना होगा। अगर एक बार हमने कराधान रेशनलाइजेशन के साथ किया, रेट आफ टैक्सेशन कम किया तो निश्चित रूप से लोग कर देंगे और करवंचना रुकेगी। सेल्स टैक्स के मामले में भी यही बात मैं जानता हूं कि सेल्स टैक्स का विषय स्टेट का सबजेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कालेधन के सृजन को रोकने लिए वित्त मंत्रालय इस बात की पहल करे और प्रदेशों के वित्त मंत्रियों को बुला कर और मुख्य मंत्रियों को भी बुलाकर सेल्स टैक्स का एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए, कि सभी प्रदेशों में बिक्री कर की दरों में समानता हो जिसमें राज्यों के अन्दर चोरी न हो, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में चोरी से सामान भेजा जाता है।

इसलिए उत्तर प्रदेश के अन्दर बिक्री कर के जो रेट हैं वह बड़े हाई हैं और दिल्ली के अन्दर कम हैं और लोग चोरी करते हैं। इसमें हर प्रकार के टैक्स की चोरी होती है। इसलिए कालेधन के सृजन को रोकने के लिए इस बात की आवश्यकता है, इसमें टैक्स स्ट्रक्चर सेल्स टैक्स का इमपोरटेंट है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लीडरशीप प्रोवाईड करे। बिक्री कर को समाप्त करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था सोचे और स्टेट के साथ बैठकर सोचे। मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि अगर आवश्यकता पड़े तो बिक्री कर समाप्ति के लिए कोई कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट भी लाना पड़े तो वह भी लाया जाना चाहिए, लेकिन समूचे देश की अर्थव्यवस्था के साथ यह खिलवाड़ रोका जाना चाहिए।

12 00 रात्रि

एक बात आखिर में कहना चाहूंगा कि 40 परसेंट जो रेट रखा है, यह ठीक है। कहा गया कि इस तरह से राष्ट्र के निर्माण में गरीब लोगों के लिए मकान की समस्या का निदान होगा, लेकिन मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे देश के जो वित्त मंत्री हैं, इस मामले में उन्होंने कुछ उतावलापन किया है। इस समूचे मामले के अन्दर उतावलापन किया है और वह उतावलापन यह है, पहले भी एक दिन मैंने कहा था, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, कल के समाचार-पत्रों में मैं पढ़ रहा था, हवाला समाचार है, वित्त मंत्री जी के ध्यान में भी आया होगा, हवाला एजेंसी के माध्यम से 20 परसेंट रुपया देने पर विदेशी मुद्रा में कन्वर्जन होकर आ रहा है। फारेन रेमीटेंसेस बिल को विधेयक बनने जा रहा है, तो लोग समझते हैं कि 20 परसेंट देकर विदेशी मुद्रा में कन्वर्जन होता है और हिन्दुस्तान की सरकार, हिन्दुस्तान के लोग समझते हैं, खुश किस्मती समझते हैं कि विदेशी मुद्रा हमारे देश में आ रही है। तब वह 40 फीसदी रुपया

कुछ गरीब, मध्यम दर्जे के लोग, जिन्होंने छोटी मोटी करचंचना की होगी, वे इसके जरिए कन्वर्जन करवा लेंगे, लेकिन हमने उस मौके को फारेन रेमीटेंसेस बिल लाकर खो दिया है। इसलिए जो बड़ी मछलियां और मगरमच्छ हैं, करचक हैं, वे विदेशों से कन्वर्जन करवा रहे हैं। यह तो कंपीटिव मार्केट है, बिजनेस बन गया है और इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी से कि 40 परसेंट की जगह यदि 20 परसेंट नहीं तो 25 परसेंट कर दीजिए और अगर उसमें भी आपको सुभीता नहीं बैठता तो 30 परसेंट कर दीजिए। यदि इस तरह से आपने रिडक्शन किया तो कुछ अच्छे परिमाण में पैसा निकलेगा और आएगा, अन्यथा यह स्कीम फेल्यर हो जाएगी, ऐसी मेरी आशंका है। जिस कल्पना के अनुमान के आधार पर आप इस प्रावीजन को ले आए हैं, मल्टीप्लीसिटी आफ प्रावीजन हो गया है, इसलिए मेरी यह आशंका है और कालाधन जो हिन्दुस्तान में अर्थशास्त्रियों के मोटे आकलन के अनुसार इकानमी का 50 प्रतिशत के करीब हो गया है, इसको राष्ट्र निर्माण की धारा में लगाया जाए,

लेकिन एक बार मैं इस बात को फिर स्ट्रेस करना चाहूंगा कि जब तक कालेधन के सृजन के स्रोतों को नहीं रोका जाएगा, तब तक इन पैबन्दी उपायों से काम नहीं चलेगा और इससे कानून पसन्द लोगों की अवमानना होगी, उनको ईर्ष्या ही प्राप्त होगी और कानून तोड़ने वाले भ्रष्ट लोग हैं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। वे यही समझेंगे कि हिन्दुस्तान की सरकार हर 4-5 साल के बाद कालेधन को सफेद करने के लिए, पैसे की आवश्यकता पड़ने पर इस तरह के उपाय करती रहती है। इसलिए इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए इसका जड़ से इलाज करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। वालेंटरी डिपाजिट हो जाए, कालाधन सफेद बन जाए, लेकिन इस विधेयक के अन्दर ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिससे कालेधन के सृजन पर रोक लगाई जा सके, यह इस एक्ट की खामी है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : अध्यक्ष महोदय, रात के 12 बजे हैं और रात काली हो गई है। इस वक्त हम कालेधन की चर्चा कर रहे हैं और उसको रोकने के उपायों पर चर्चा कर रहे हैं। माननीय मन्त्री जी ने जो प्रावधान किया है, राष्ट्रीय विकास और आवास बैंक और उसके जरिए कालेधन को रोकने की दिशा में एक कदम उठाया है। मैं समझता हूं कि वित्त मन्त्री जी ने बजट स्पीच में कालेधन को रोकने का जो एक आश्वासन दिया था, उसकी पूर्ति के लिए यह एक कदम है।

अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे साथी ने कहा, चलैय्या कमेटी की रिपोर्ट की चर्चा की और बताया कि आखिरी बार उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी, उसमें करीबन 36 हजार करोड़ रुपए के कालेधन की आशंका व्यक्त की थी, लेकिन अभी जो नई रिपोर्ट आई है, उसमें यह आंकड़ा 80 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और इस तरह से एक समानांतर अर्थव्यवस्था इस देश में नंगा नाच कर रही है। इससे हम सब लोगों को चिन्तित होना चाहिए और इस कालेधन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए हम सब लोगों को एकमत होना चाहिए।

अभी हमारी नई इकनामिक पालिसी आई, नई औद्योगिक नीति आई, नई व्यापार नीति आई और नई नीतियों के माध्यम से लाइसेंसिंग राज और कोटा राज को समाप्त करने की शुरूआत हुई, जिसका बड़े जोरों से स्वागत हुआ है और उसमें एक आशा व्यक्त की गई है कि कोटा राज और लाइसेंस राज समाप्त होने से कालेधन पर रोक लगेगी। लेकिन जो पहले से ही कालाधन तैयार है उसके बारे में सोचना हम लोगों की जिम्मेदारी हो गयी और उस दिशा में यह जो राष्ट्रीय विकास आवास की योजना सामने आयी है, जिसमें 40 प्रतिशत इस योजना में लगाया जाएगा, मैं उस दिशा में यह कहूंगा कि समाज का दिन-प्रति-दिन जो स्तर गिर रहा है, उसकी तरफ हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। हमारी जो कर नीति है, यह जो टैक्सेशन है वह इतना ज्यादा है कि लोग कर बचाने के लिए चोरी करते हैं और इस तरह काले धन का निर्माण हो रहा है। इस दिशा में एक अच्छी पालिसी बने ताकि लोग सीधे-सीधे अपना कर दें, जिससे काले धन को रोकने में मदद मिले।

दूसरा, यह जो राष्ट्रीय विकास आवास बैंक है, किसके द्वारा स्लम एरियाज में गरीब तबके के लोगों के लिए मकान बनाए जायेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहूंगा कि इस देश में हमारे पास जितने भी रिसोर्सिज हैं उनकी क्षमता का पूरा उपयोग होना चाहिए और उस दिशा में आने वाले दिनों में जो भी हमारी योजना बने उस योजना के तहत यह हम सख्ती से पालन करें कि उस योजना का, उस पैसे

का उपयोग उत्पादनशील कार्यक्रम में किया जाए। स्लम एरियाज में गरीब तबके के लोगों को मकान बनाने के लिए इसका उपयोग होने वाला है। लेकिन अगर इरीगेशन, सिंचाई के क्षेत्र में जो 2000 तक हमारा लक्ष्य है, करीब 24 करोड़ टन अनाज का, उस लक्ष्य की अगर हमें पूर्ति करनी है तो इरीगेशन की तरफ ध्यान देना होगा। जब-जब हमने चर्चा की कि हर राज्य अपनी इरीगेशन की योजनाएं पूरी करने के लिए अपने आपको असमर्थ पा रहा है और उस दिशा में अगर इस काले धन का उपयोग होता है तो मैं समझता हूं कि एक प्रोडक्टिव कार्य होगा।

द्वितीय महायुद्ध के बाद फ्रांस की इकोनामी तहत-नहस हो गयी थी, तब वहां की सरकार ने एक इस तरह की योजना लायी, जिसके अन्दर काले धन का उपयोग उन एरियाज में नयी इण्डस्टरी लगाने के लिए किया गया जो बैकवर्ड एरियाज हैं, स्लम एरियाज हैं, जहां का विकास नहीं हुआ है, यदि कोई इस तरह की इण्डस्टरी वहां लगाता है तो वहां की सरकार उनसे इस धन के बारे में, जिस तरह की कंसेशन हमने आज दी है, उसी तरह की कंसेशन वहां दी गयी, नहीं पूछेगी और किस तरह की इण्डस्टरी लगाना चाहते हो यह नहीं पूछेंगे और आने वाले दिनों तक टैक्सेशन के लिए नहीं पूछेंगे और हर तरह की सहूलियतें आपको मिलेंगी। अगर इस तरह का प्रयोग हमारे यहां किया जाए, पिछली बार जब हमारी औद्योगिक नीति आयी तो पिछड़े एरियाज के बारे में जो सबसिडी और कंसेशन थे उसको इस बार बड़ा नियन्त्रित किया गया है, अगर इस तरह का कोई कदम होता तो मैं समझता हूं कि आपकी योजना एक अच्छे काम में लगती और उसका सही-सही उपयोग होता। अभी वक्त गया नहीं है, मैं समझता हूं कि आप उनसे कहिए कि 100 परसेंट जो काला धन है वह रिमोट एरियाज में इण्डस्टरी लगाने के लिए इण्डस्ट्रिलाइजेशन की ग्रोथ करने के लिए लगाएं, हम सवाल नहीं करेंगे कि पैसा कहां से आया। इस तरह से इस पैसे का उपयोग हो सकता है। इस दिशा में हमारे वित्त मंत्री जी अगली बार उपयोग करेंगे, इस तरह का कोई प्रस्ताव लायेंगे, ऐसी अर्ज करते हुए अगर इसी राष्ट्रीय विकास आवास बैंक के साथ इसका दायरा, इसके उपयोग का दायरा, इरीगेशन को बढ़ाने के लिए करते हैं तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा कदम होगा। इन शब्दों के साथ इसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं कि ग्रीगोरियन पत्रिका के मुताबिक सुबह और भारतीय पत्रिका के मुताबिक रात है।...(व्यवधान) कालेधन के लिए भिक्षा की झोली लेकर भारत सरकार हमारी संसद को साथ में लेकर कालाधन के मालिकों के पास जा रही है। काला धन का पैदा होना हम रोकने में असमर्थ हैं, पकड़ने में असमर्थ हैं और पता करने में हम असमर्थ हैं। काले धन का पता करने वाले आदमी को हम कह रहे हैं कि तुमने चोरी की है, चालीस फीसदी छोड़ा और 60 फीसदी हम मुक्त कर देते हैं। यह राजसत्ता का इस तरह से अपमान है। इस तरह से उसकी नपुंसकता के बारे में और उसकी स्वीकृति संसद से लेने के लिए यह सरकार खुलकर आई है। हम सभी के लिए कम तकलीफ की बात नहीं है। हम-कानून व्यवस्था की बात करते हैं। इतने हमारे अधिकारी नियुक्त हैं। हम इसे पारित भी करेंगे तो यह हमारे लिए शर्मनाक चीज होगी। पारित नहीं करेंगे तो भी शर्मनाक है। काले धन का इतना बड़ा बाजार बढ़ता जा रहा है जिसने समानान्तर अर्थतन्त्र का रूप ले लिया है इसलिए कालाधन पैदा हो रहा है। कर की छूट के बारे में हमारे कुछ मित्र कह रहे थे। एक भी पैसा अगर नहीं लिया जाए तो भी काला-धन पैदा होगा। उत्पादन ज्यादा करने से और मुनाफा करें तो सोना खरीदकर मिट्टी में डाल देगा, कुछ पैदा नहीं करेगा तो वह धनी हो जायेगा। मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है। सोने-चांदी का दाम बढ़ता जा रहा है। बिना कुछ पैदा किए हुए वह व्यक्ति धनी

हो जाता है लेकिन देश का धन कुछ नहीं करेगा और उसका पैसा वापिस आ जाएगा। वित्तीय नीति के चलते उत्पादन में ज्यादा लाभ होता है, मुनाफाखोरी, चोर-बाजारी तस्करी में या बगैर उत्पादन किए हुए। भूमि या सोना खरीदकर रख देने से धनी बनने का मौका नहीं मिलेगा। अगर हो तभी जब कालाधन नगण्य हो सकता है। केवल कर छोड़ने से नहीं होगा। उत्पादन के काम लिए अगर आप श्रमों के साथ करने के लिए रखते हैं तो मुझे आशंका है कि वह पूरा पैसा श्रम में चला जायेगा और श्रमों की सफाई नहीं होगी। वह काला धन और भी गन्दे धन में चला जायेगा। अगर उत्पादक काम में लगाना चाहते हैं तो हमारे वित्त मन्त्री जी कह रहे हैं कि कुछ तकलीफ में रहो तो हम खुशहाल इसके लिए बनाए। मैं कह रहा हूं कि श्रमों के लिए इलाज होता रहेगा तो इस पैसे को उत्पादन में लगाए जिस-जिस इलाके में जो क्षेत्रों की विक्षमता है, जिस वस्तुओं का अभाव है और जो चीज विदेशों से मंगानी पड़ रही है तो उन क्षेत्रों में उत्पादन को लाभ कर बढ़ाइए ताकि चोरी का पैसा रखने से तो उसको फायदा होगा तो वह वक्त तरीके से लग जायेगा, पैसा चुराकर नहीं रखेगा। इसी सन्दर्भ में चर्चा इस बात की पहले भी हुई थी। क्या सरकार इस बात को सोचती है कि हम सौ रुपए के नोट या पांच सौ रुपए के नोट के लिए सबको जमा करने पर मजबूर करदें और इतने समय के बाद वह वैध नहीं रहेगा।

आज जो मुद्रास्फीति की हालत है तो सौ का नहीं पांच सौ हम कर सकते हैं। जिसके पास जायज है उसको दिक्कत नहीं होगी। उसको वह जमा करेगा और हिसाब लेगा। क्या इसमें सरकार की यह हिम्मत है और हिम्मत नहीं है तो सरकार चाहती है कि काला धन रहे। हम लोगों को पहले भी अनुभव हुआ। इस बार चुनाव में कई करोड़ रुपया मेरे क्षेत्र में एक आदमी को हराने के लिए खर्च किया गया। इसका हिसाब मेरे पास नहीं है। आप चाहते हैं कि पांच सौ रुपए के हिसाब से कालाधन रहे, कुछ नेताओं के पास कालाधन रहे? अगर न रहे तो हिम्मत करके पांच सौ रुपए के नोट को आप कोई अवधि दे दीजिए कि उस बीच में वह जमाकर दें वरना नाजायज होगा। उससे भी उसको बचाने का उपाय वे करेंगे, उसका वितरण कर देंगे ज्यादा लोगों में। अगर वितरण करेंगे तो थोड़ा धन का वितरण होगा ही। केवल मुफ्त में नहीं होगा, कुछ तो उनको देना पड़ेगा और उत्पादन के काम को ज्यादा लाभप्रद बनायें। साथ ही साथ कुछ दण्ड को रखिये। अध्यक्ष जी, परसुराम जी के विषय में कहा गया है :

अग्रतः चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरो धनुः।
इदं शस्त्रं, इदं शास्त्रं, शापदीप शरादपि॥

अर्थात् मुंह में चारों वेद, पीठ पर तरकश तीर कमान, शास्त्र, शस्त्र सरसाप दोनों एक समान। कि समझो तो वेद से, न समझो तो शास्त्र से समझायें, न समझो तो शस्त्र से समझायें।

अध्यक्ष महोदय : राईट।

श्री भोमेन्द्र झा : इस मायने में अगर सरकार उसके लिए तैयार है कि नहीं आज नहीं करेगी उनके लिए क्या? सरकार नाम की कोई चीज है या नहीं कालाधन वालों के लिए भारत में राजसत्ता है क्या? अगर आप यह छूट दे देते हैं तो आपने 31 दिसम्बर दी है मगर सुराख छोड़ती है कि आगे समय हम बढ़ायें। हमारे यहां पहले कई वित्त मन्त्री आये हैं—मोरारजी थे—बार बार छूट दी गयी मगर निराला हाथ लगी क्योंकि काला धन वाले समझते हैं कि भारत की यह सरकार, उसका मुख्य राजनीति, मुख्य अखबार काला धन वालों के गुलाम हैं। इसलिए हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। इसलिए आप बेधड़क अपना काम चलाये जा रहे हैं। कम से कम आज सदन में ऐलान करें कि हमारे

साथ शस्त्र भी हैं और शास्त्र भी हैं कानून भी दे रहे हैं और दण्ड के लिए हम तैयार हैं, दोनों आपको शुरू करने हैं, आप शुरू करें और 31 दिसम्बर के बाद शुरू करें। आपने कहा कि 6 महीने के बाद नया बजट आयेगा। पहले आप काला धन वालों को दिखला दें कि भारत में सरकार चुनी हुई है और उसकी नीयत साफ है और उसमें सत्य और सामर्थ्य है ताकि काला धन वालों के लिए घाटे का सौदा हो जाये। जो विधेयक आप लाना चाहें, वह तैयार होगा, चाहे उसके लिए एक बजे रात तक हम बैठने के लिए तैयार हो जायेंगे। ये शब्द कहकर मैं समझता हूं कि वित्त मन्त्री जी इन सवालों को टाल नहीं जायें और सदन में इनका स्पष्ट उत्तर दें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में केवल यही निवेदन करना है कि वास्तव में माननीय वित्त मन्त्री जी का प्रयास तो अच्छा है परन्तु सरकार के पास काला धन को निकालने का कोई उपचार नहीं है। अब तो काला धन रखने वालों को यह कहा जा रहा है कि आओ, अपना धन जमा कराओ, 40 परसेंट हम लेंगे और 60 परसेंट आपको दे देंगे लेकिन अपना धन कौन निकालेगा ? इसके लिए उनको कोई न कोई प्रोत्साहन देना पड़ेगा, यदि प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा तो मैं समझता हूं कि जिनके पास काला धन है, वित्त मन्त्री जी की नीयत लाख साफ हो, वे काले धन को नहीं निकलवा सकेंगे।

मेरा निवेदन यह है कि उनकी यह बात हुई है कि गन्दी बस्तियों को हटाने के लिए, निर्धनों के लिए आवास की व्यवस्था हेतु वित्त का प्रावधान किये जाने हेतु इस 40 परसेंट रकम का उपयोग किया जायेगा और 60 परसेंट उसको वापस मिलेगा, जैसाकि सब बता रहे हैं और एक अलग कमेटी का भी यही कहना है कि इस समय देश के अन्दर 80 हजार करोड़ रुपया काले धन के रूप में मौजूद है। इस धन को निकालने का कोई न कोई प्रयास किया जाये। जो 60 परसेंट उसको वापिस होगा, यदि इसका रेट उससे कम लिया जाये, जैसाकि सब आधार पर होता है, 60 परसेंट है, उसपर उसको प्रोत्साहन मिलने के कारण वह रकम को निकाल सकेगा। यह मेरा विनम्र निवेदन है।

दूसरे, मेरा निवेदन है जो 60 परसेंट उसको वापिस मिलेगा, इसके लिए कोई भी निश्चित रूप से राष्ट्रीय योजना हो जिसमें वह खर्च करे, उसी हलके में जहां काले धन को देने वाला व्यक्ति जमा कराने वाला है। वह वहां कोई कुटीर उद्योग स्थापित करेगा या कारखाना स्थापित करे। इसके लिए संबंधित राज्य सरकार को लिखे कि वह 60 परसेन्ट रकम कोई होटल उद्योग में या कोई धन्धा लगाने में लगाना चाहता है, उसको जमीन फ्री मिले और पानी-बिजली की सहूलियत मिल जाये। तो 40 परसेंट तो आपने गंदी बस्ती पर खर्चा कर दिया, लोगों के मकान पर खर्च कर दिया। वह 60 परसेंट जो बचा हुआ था वह भी एक राष्ट्रीय कार्य में ही खर्च हो सकेगा। राज्य सरकार को कह दें कि जमीन मुफ्त में दे दो, पानी बिजली की सहूलियत दे दो, यह मेरा आपसे दूसरा विनम्र निवेदन है।

तीसरा निवेदन यह है कि जिस एरिया के लोगों के द्वारा यह रकम जमा कराई जाए राष्ट्रीय आवास बैंक में, आप जिस प्रकार से व्यवस्था करें, वह 40 परसेंट रकम जो दे रहे हैं, वह उस क्षेत्र की गंदी बस्तियों के विकास और निर्धनों के लिए कम लागत के मकानों के वित्त पोषण करने में लगाएंगे तब तो मैं समझता हूं कि आप इस प्रकार का कोई हिसाब रखेंगे तो हमें भी इस प्रकार की सूचना मिल जाएगी और हमें भी कोई व्यक्ति कहेगा कि हमारे पास काला धन है तो हम भी आपकी मदद करेंगे और 60 परसेंट तो उद्योग-धन्धे लगाने में लगा दें और 40 परसेंट जो तू लगा रहा है उससे अपनी ही

बस्ती के लोगों का भला हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि वह ठीक होगा। इसलिए मैंने जो कुछ भी सुझाव आपको दिए हैं, मैं समझता हूं आप उस पर विचार करेंगे। बाकी जो आप बिल लाए हैं, आपकी मंशा में कहीं किसी प्रकार का कोई पाप मुझे नजर नहीं आता। आप शुद्ध मन से बिल लाए हैं, लेकिन उस धन को निकालने के लिए वह डंडे के जोर से नहीं निकलेगा। आप खुद लोगों से कह रहे हैं कि आप फलां तारीख तक आ जाओ तो आपको राहत देंगे, मैं समझता हूं कि इन सब बातों का प्रचार-प्रसार आप करेंगे तो आपकी जनता का भी समर्थन आपको प्राप्त होगा और हम भी आपकी मदद करेंगे और ऐसे लोग जो इस प्रकार का कालाधन निकालना चाहते हैं, हम उसमें आपकी मदद कर सकेंगे, यही सुझाव मैं आपकी मार्फत देना चाहता हूं।

श्री बाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार का बिल माननीय वित्त मन्त्री जी लाए हैं, एक प्रयत्न तो किया है काले धन को निकालने का, लेकिन जैसा सभी माननीय सदस्यों का विचार है कि इसमें सफलता कितनी मिल पाएगी, यह तो भविष्य के गर्भ में है। मुझे नहीं लगता कि इस तौर तरीके से काला धन निकल पाएगा। वास्तव में इतनी बड़ी बीमारी पैदा हो गई है जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं कि 80,000 से अधिक हमारी जो मूल रकम है, उससे भी अधिक आज काला धन पैदा हो रहा है। इसको जो जनरेट करते हैं वहीं उसको रोका नहीं गया तो कोई समस्या का निराकरण नहीं है। सारे देश की अर्थव्यवस्था को काला धन प्रभावित कर रहा है और उसके बावजूद भी कोई प्रभावी कदम हम उठाने में असमर्थ रहा है। इसलिए आमंत्रण दे रहे हैं। मुझे मालूम है कि स्टेटस में सब जगह जो जमीनों पर अवैध कब्जा करते हैं, उन अवैध कब्जों को हर बार चुनाव के 6 महीने पहले घोषणा कर दी जाती है कि सन् 1985 तक के जितने कब्जे लोगों ने कर लिए हैं, उनका नियमन कर दिया जाएगा। यह सन् 60 से चल रहा है और हर बार लोग कब्जा करते हैं। आज स्थिति यह हुई कि गांवों में न चरणौत की जमीन है, न तालाब की जमीन है क्योंकि लोगों को मालूम है कि वोट आएगा, उस समय जमीनों पर जो कब्जा करते हैं, वह नियमन हो जाएंगे। यह आदतन अपराधी बनाने की प्रक्रिया है और यही स्थिति इसमें पैदा हो रही है कि हम आदतन अपराधी बना रहे हैं। पहले हमने भिन्न-भिन्न प्रकार की योजनाएं निकालीं, पैसा नहीं आ पाया। इन्दिरा बॉंड निकाले तब भी पैसा नहीं आया। लोगों को कहा कि इतनी तारीख तक काला धन निकाल देंगे तो हम आपको छूट देंगे, पूछेंगे नहीं। उसके बावजूद भी काला धन नहीं निकला। काला धन सुरसा के बदन की तरह दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। मेरा निवेदन इतना है कि कोई प्रभावी कार्यवाही इस आवासीय योजना के अलावा भी हमको देनी चाहिए। आज हम सभी सदस्य आग्रह करते रहे कि आप इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाइए। आपने दया नहीं की। कौन व्यक्ति है, मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं चेयरमैन नगर परिषद् था, तब मैं कलाकारों को लेकर मुम्बई गया था मैंने जब* से बात की,* से बात की तो उन्होंने कहा कि हम रसीद आपको इतने रुपए की देंगे और लेंगे इतने। दो लाख रुपए एक दिन के कार्यक्रम का लेंगे और रसीद देंगे 50,000 रुपए की। हमने कहा कि हम नगर-परिषद् वाले कहां इसका एडजस्टमेंट करेंगे? उन्होंने साफ कह दिया कि आप हमसे क्या कहते हैं? अभी पांच दिन पहले मेरे घर पर रेड पड़ी थी···

अध्यक्ष महोदय : नाम रिकार्ड पर नहीं जाएंगे।

श्री बाऊ दयाल जोशी : हम छोटे कलाकारों के यहां तो रेड पड़ जाती है लेकिन किसी से

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सन् 68 के अन्दर* 10 लाख रुपया एक फिल्म में काम करने के लिए लेते थे। आज कौन नहीं जानता कि श्रीमान···*···जब किसी फिल्म को साइन करते हैं तो 50 लाख रुपये लेते हैं लेकिन जो वे रसीद देते हैं, वह सही राशि की नहीं होती, बहुत कम राशि की होती है।

अध्यक्ष महोदय : किसी का नाम कार्यवाही में नहीं जायेगा।

श्री राज दयाल जोशी : इस तथ्य को कौन नहीं जानता। किसी का नाम लेना पाप नहीं है, यथार्थ बातें मैं आपसे कर रहा हूं। कोई भी कलाकार हो, वह कितने रुपए लेता है और रसीद कितने की देता है, उसे हर आदमी जानता है। उसका कारण यह है कि हमारे यहां इनकम टैक्स की सीमा आपने इतनी रखी है कि आप उसमें किसी तरह की छूट नहीं देते हैं। इसी कारण उन्हें ऐसे काम करने पड़ते हैं। यदि इस सीमा को हम बढ़ा देते तो काफी हद तक काले धन को रोकने में समर्थ हो जाते। आपको महंगाई के हिसाब से इस सीमा को बढ़ा देना चाहिए परन्तु आप इसके लिए तैयार नहीं हैं।

दूसरा मेरा निवेदन है कि आपने इस बिल में इनाम देने की व्यवस्था की है, यदि कोई व्यक्ति काले धन के सम्बन्ध में आपको जानकारी देता है, सीक्रेसी आउट करता है, रिपोर्ट करता है तो आप उसे इनाम देंगे। मेरे पास तीन-चार उदाहरण हैं। मैंने दिल्ली में तत्सम्बन्धित अधिकारियों को पत्र भी लिखे हैं कि जो इनाम दी जाती है, किसी भी व्यक्ति को समय पर इनाम की राशि नहीं मिल पाती। आप तय कीजिए। दिल्ली में रोजाना बड़ी-बड़ी कोठियां बनती जा रही हैं, बड़ी-बड़ी दुकानें बन रही हैं। आपके इनकम टैक्स के अधिकारी जाते हैं लेकिन आप एक बार देखिए तो सही कि स्थिति क्या होती जा रही है महानगरों में। महानगरों में ऊंचे-ऊंचे भवन बनकर खड़े हो जाते हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, कोई ध्यान नहीं देता। परिणाम यह है कि पैसे वाले लोग और पैसे वाले होते जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि एक बार आप गम्भीरता से विचार करके निर्णय लें और काले धन को बाहर निकालने के लिए प्रभावी कार्यवाही करें। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से आप कोई बहुत बड़ा तीर मार सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ प्रभावी कदम उठाने होंगे। पैसे वाले लोग, दिन रात पैसा बना रहे हैं। आप और मेरे जैसे नंगे लोग कुछ नहीं कर पाते, यही मेरा निवेदन है। इसलिए आपको निश्चित तरीके से कुछ प्रभावी कार्यवाही करनी होगी।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि राजनीति में भी काले धन का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। चुनाव महंगे होते जा रहे हैं। आने वाले समय में मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ पायेगा, पैसे वालों के सामने टिक नहीं पाएगा। जहां चुनाव में लाखों और करोड़ों रुपया खर्च होता है, हजारों पोस्टर लगते हैं, हमारे लिए वहीं कट लगाए जाते हैं। ऐसी हालत में मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता राजनीति में नहीं आ सकता। अतः मेरा निवेदन है कि आप कुछ ऐसे प्रभावी कदम उठायें ताकि कालेधन पर अंकुश लग सके। कुछ ठोस निर्णय आपको लेने होंगे। केवल बिल-पावर की आवश्यकता है। मुझे माननीय वित्त मन्त्री जी की ईमानदारी पर कोई शक नहीं है परन्तु उन्हें कुछ प्रभावी निर्णय लेने होंगे और अगले बजट के समय आप कोई ऐसा बिल सदन में लायें ताकि कालेधन के कारण हमारे सामने जो समस्याएं खड़ी हो गयी हैं, पैरलल इकोनोमी चल रही है, निश्चित रूप से कालाधन बाहर निकल कर आये। इस बिल के प्रावधानों से मुझे नहीं लगता कि कालाधन बाहर निकल कर आएगा, इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : अध्यक्ष महोदय, स्वैच्छिक निक्षेप (उन्मुक्ति और छूट) विधेयक काला धन रखने वालों के हितों की रक्षा करने के लिए है जो बैंक द्वारा तैयार की गई योजनानुसार राष्ट्रीय आवास बैंक में अपने काले धन का कुछ भाग जमा कराना चाहेंगे। इस विधेयक को वित्त विधेयक में सम्मिलित बजट प्रस्तावों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक के उपबंधों से काले धन की वृद्धि पर अंकुश लगाए बिना इसे सफेद धन से बदला जा सकेगा। सरकार काला धन रखने वालों को प्रोत्साहित कर रही है। इससे काला धन रखने वालों और सरकार के बीच गठजोड़ का पता चलता है।

हमें मालूम है कि काला धन एक प्रमुख आर्थिक समस्या है। हम इस तथ्य से भी अवगत हैं कि काले धन से सम्पत्ति और सोने चांदी के मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इससे उपभोक्ता चीजों के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। इससे आय और सम्पत्ति के वांछित वितरण अवरुद्ध हो जाता है। इससे उच्च आय वर्ग की वस्तुओं के उत्पादन ढांचे में विकृति आ जाती है। इससे बचत और विक्रय आय के सभी अनुमान गड़बड़ा जाते हैं।

ये सभी पहलू को देखते हुए इन लोगों के विरुद्ध कड़े दंडनीय उपाय करने की आवश्यकता सिद्ध होती है। लेकिन विधेयक की धारा 3 में उपबंध है कि किसी भी व्यक्ति को जमा की गई राशि की प्रकृति और इसके स्रोत की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस कानून के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई जांच नहीं की जाएगी।

किसी न्यायालय में साक्ष्य के प्रयोजन से भी, जमा की गई राशियों के बारे में विचार नहीं किया जाएगा।

आप जरा सोचिए कि उन लोगों को जो दिन प्रतिदिन सामाजिक अपराध कर रहे हैं कितनी रियायतें दी जा रही हैं।

सरकार के सामने प्रभावी आर्थिक और सामाजिक आयोजन हेतु काले धन के सरणीबद्ध का उद्देश्य है।

क्या सरकार ने विगत समय में कतिपय आर्थिक उद्देश्यों हेतु काले धन को सरणीबद्ध करने का प्रयास नहीं किया था ? क्या सरकार सफल रही ? नहीं।

वांचू समिति ने काले धन को बाहर निकालने हेतु कुछ प्रभावी उपायों की सिफारिश की थी परन्तु सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया। क्यों ?

तो क्या मैं यह मान लूं कि सरकार काले धन को बाहर नहीं निकालना चाहती ? काले धन से एक समानान्तर अर्थव्यवस्था बन गई है। इसके कारण मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु सरकार के उपाय बेकार हो रहे हैं। गरीबों के उत्थान हेतु सरकारी योजनाओं और कार्यक्रम को यह निष्प्रभावी कर रही है।

यह आश्चर्यजनक है इन सभी नकारात्मक तथ्यों के बावजूद, सरकार काला धन धारियों पर कानूनी कार्यवाही कर उन पर अंकुश लगाने की इच्छा नहीं रखती। इसके क्या कारण हैं ? अत: मैं सरकार पर आरोप लगा सकता हूं कि वह काला धन धारियों की अपनी स्थिति मजबूत करके काले धन को और बढ़ाने हेतु उनकी सहायता कर रही है एवं उन्हें बढ़ावा दे रही है।

विधेयक की धारा 2 की उपधारा ङ(दो) में जमाराशि की 40 प्रतिशत राशि को गरीबों के लिए कम लागत के मकान बनाने तथा गन्दी बस्तियों की सफाई हेतु बनाए गए एक विशेष कोष में जमा कराने का उपबन्ध है।

विधेयक की धारा 2 की उपधारा (तीन) में जमाकर्त्ता को अपने कार्यों हेतु जमा की गई राशि के 60 प्रतिशत भाग को प्रयोग किए जा सकने का प्रावधान है।

इस प्रकार, काले धन की धनराशि के चालीस प्रतिशत भाग का निवेश आवास प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। काले धन की जमाराशि का साठ प्रतिशत धन जमाकर्त्ताओं को सफेद धन के रूप में एक वर्ष के बाद भुगतान योग्य हो जाएगा।

यह पूरी तरह कोई नई योजना नहीं है। 1968 में सरकार ने 60 : 40 योजना आरम्भ की थी। यह एक स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना थी। साठ प्रतिशत कर देकर चालीस प्रतिशत धनराशि खाते में जमा की जाती थी।

1975 में, आय से प्राप्त धन का स्वैच्छिक प्रकटीकरण अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था।

1980 में, राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड योजना आई।

1981 में, विशेष धारक बांड अस्तित्व में आया।

करदाताओं को अपनी आय प्रकट करने के लिए उन्मुक्तियां प्रदान की गईं।

12 प्रतिशत वाले बेंकटरमन धारक बांड और 13 प्रतिशत वाले इन्दिरा विकास बांड जारी करके भी काले धन को बाहर निकालने के प्रयास किए गए।

ये सभी योजनाएं काले धन को बाहर निकालने में विफल रहीं। ये जो प्रयास किए गए हैं, उनसे बहुत अधिक धन प्राप्त नहीं हो सका।

इसलिए, जिनके पास काला धन है, उन्हें उन्मुक्ति प्रदान करके काले धन को बाहर निकालने की प्रभावोत्पादकता के बारे में मैं गम्भीर चिन्ता व्यक्त करता हूं क्योंकि इस विधेयक में विभिन्न उन्मुक्तियों एवं रियायतों का प्रावधान किया गया है। इन प्रावधानों में प्रलोभक अपील समाविष्ट है, किन्तु लम्बे समय के पश्चात यह प्रति-उत्पादक हो जाएगा।

राजक्षमा के उपाय विफल क्यों हो गए ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि काले धन का प्रमुख भाग धन के रूप में नहीं है, बल्कि यह जायदाद, सोना-चांदी, आभूषण इत्यादि तथा विदेशी बैंकों में जमा-राशि के रूप विद्यमान है। काला धन नकद धनराशि के रूप में बहुत ही कम है।

इसके अतिरिक्त, जब काले धन का उपयोग मुनाफा अर्जन करने वाले कार्यों में किया जाता है, तो इससे प्राप्त होने वाली आय धारक बांडों की तुलना में बहुत अधिक होती है जबकि धारक बांड साढ़े पांच वर्षों में दुगुनी ही होती है ।

तीसरी बात, धारक बांडों के मामले में अनामता का एक लाभ निहित है । किन्तु, काले धन के मालिकों के लिए ऐसे अनेक तरीके हैं जिनके माध्यम से वे काले धन का निवेश करके और अधिक काला धन कमा सकते हैं जो वार्षिक 13 प्रतिशत की तुलना में बहुत अधिक लाभप्रद होता है ।

हमारे अनुभवों से यह सिद्ध होता है कि राजक्षमा की ये योजनाएं अघोषित आय को आकर्षित करने अथवा बाहर गुप्त रूप से भेजे गए या विदेशी बैंकों में जमा किए गए धन को वापस लाने में अधिक सफल नहीं हो पाई हैं । विदेशी बैंकों में जमाराशि पर हो सकता है कि ब्याज न मिले । किन्तु, इस प्रकार की जमाराशि की रुपए के मूल्य में वृद्धि होती जाती है क्योंकि भारतीय मुद्रा के विनिमय दर में निरन्तर गिरावट आती जा रही है।

विनिमय के कारोबार अधिक लाभदायक होते हैं।

इसके अतिरिक्त, एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है । संचित काले धन को बाहर निकालने से उसी प्रकार मुद्रा-स्फीति का सामना करना पड़ेगा जिस प्रकार घाटे को पूरा करने के लिए धन का सृजन करके योजनाओं को वित्त प्रदान करने से होता है । यह खतरनाक है । अन्ततः, जब वास्तविक रूप में सभी चीजों की गणना की जाएगी, तो यह निष्प्रभावी नजर आएगा ।

यदि इसका एक मात्र उद्देश्य पूंजी-निवेश के लिए धन प्राप्त करना है, तो धन की पूर्ति को बढ़ाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है । फिर, लेखा बाह्य धन के मालिकों के समक्ष किसलिए झुका जाए ?

यदि काले धन की उपयोगिता को खुले तौर पर स्वीकार कर लिया जाता है और इस प्रकार के धन को आने के लिए खुला निमन्त्रण दिया जाता है, तो यह और अधिक काला धन कमाने के लिए एक प्रोत्साहन ही होगा ।

वास्तव में, इसमें निहित राजक्षमा योजना विशेष उपचार का एक प्रस्ताव है । यह तो अधिक-से-अधिक धन कमाने के लिए प्रोत्साहन देगा ।

जिसके आधार पर मैंने यह बात कही है, उसके अनुसार, यह समय की आवश्यकता है कि जमा काले धन को बाहर निकलवाने के स्थान पर इसकी वृद्धि को रोकने की कोशिश की जाए ।

आर्थिक प्रबन्धन के क्षेत्र में काले धन के दुर्गुणों के अतिरिक्त, इससे नैतिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं । यदि हम इसका समर्थन करते हैं अथवा काले धन के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव करते हैं, तो यह सामाजिक नैतिकता के स्वीकृत मानदण्डों के विरुद्ध बात होगी । इन मानदण्डों में निरन्तर गिरावट आते जाने से गम्भीर आर्थिक विकृतियां उत्पन्न होंगी । काले धन की समस्या एक कानून, अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र की समस्या है ।

इस विधेयक की धारा-4 की उपधारा (ख) में यह प्रावधान किया गया है कि धन कर अधि-

नियम के अन्तर्गत करदाताओं के निवल धन का हिसाब करने के उद्देश्य से उसकी परिसम्पत्तियों को शामिल न किया जाए। इस लाभ के द्वारा समाज को यह संकेत दिया गया है कि काले धन की स्थिति पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। इसका क्या परिणाम होगा ?

विगत में, काले धन के संचालकों के प्रति सहानुभूति दिखाई गई तथा राजक्षमा प्रदान की गई। लेकिन इसका कोई अनुकूल उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए, अब सहानुभूति की कोई बात नहीं है और उन्हें मनाने की भी बात नहीं है। समय आ गया है कि अवैध आय और करों की चोरी के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएं तथा दण्डात्मक उपाय किए जाएं। बीजक बनाने से सम्बन्धित नियमों को और अधिक कठोर बनाया जाए। नियमों को बिना किसी पक्षपात और लापरवाही के लागू किया जाए। राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द किया जाए।

काले धन को बाहर निकालने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार आर० जी० चेल्लैया ग्रुप रिपोर्ट की सिफारिशों को कार्यान्वित करे। काले धन की उत्पत्ति के सम्बन्ध में चेल्लैया रिपोर्ट में छः कारणों का पता लगाया गया है। ये हैं : नैतिक स्तर में गिरावट; वर्तमान कराधान ढांचा; सरकारी व्यय; वार्षिक नियन्त्रण; मुद्रा-स्फीति और कमजोर निवारक उपाय।

इन सभी कारणों में कमजोर निवारक उपाय का सर्वाधिक महत्व है। सरकार को इन पहलूओं पर गहराई से विचार करना चाहिए।

संक्षेप में, मैं यह बताना चाहूंगा कि पिछले राजक्षमा प्रस्तावों की तुलना में वर्तमान स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना अधिक आकर्षक है। लेकिन काले धन से जुड़े लोगों को समाज के हित में कोई रुचि नहीं होती। वे तो धन के पीछे लगे रहते हैं। धन के प्रति मोह ने उन्हें मानवता से विमुख कर दिया है। इसलिए, काले धन को बाहर निकालने के लिए वित्त मन्त्री के प्रयासों के प्रति हमारी सहानुभूति है। लेकिन, उन्होंने जो संकेत दिए हैं, वे ईमानदारी का जीवन जीने वाले तथा ईमानदार करदाताओं को स्वीकार्य नहीं है।

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं और मैं समझता हूं कि इस वाद-विवाद से जो एक बात उभर कर सामने आई है वह यह है कि काला धन अनेक सिरों वाला एक दानव है।

इसे जमा करके रखना एक समस्या है और इसे बाहर निकालना भी एक समस्या है। जमा करके रखने की समस्या इसलिए है कि यह धनराशि उस काले धन की है जो हमारे समाज में विद्यमान है। लेकिन यह तो प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाली समस्या है। माननीय सदस्यों, उदाहरणार्थ श्री सुधीर गिरि ने भी कराधान ढांचे की भूमिका, मुद्रास्फीति को रोकने में हमारी असमता, कमजोर निवारक उपाय और नियन्त्रण की भूमिका का उल्लेख किया है। ये सभी वे प्रमुख कारण हैं जिसके फलस्वरूप काले धन की मात्रा में वृद्धि होती जा रही है।

मैं इस तथ्य के प्रति सचेत हूं कि मैंने वचन दिया है कि यह विधेयक कोई अन्तिम उपचार नहीं है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह मन को एक तसल्ली देने वाली बात है और इस बुराई को इसके

स्रोत पर ही समाप्त करने के लिए कुछ अन्य आधारभूत उपाय किए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए बहुत-से तरीके अपनाने होंगे।

जहां तक कर ढांचे का सवाल है, हम इसे सरल बनाने जा रहे हैं। हम इसे युक्तिसंगत बनाएंगे। जहां तक आर्थिक नियन्त्रण का सम्बन्ध है, नियन्त्रण के माध्यम से अर्थव्यवस्था के वैवेकिक प्रबन्धन की प्रक्रिया, इस नियन्त्रण को हटाने का काम शुरू भी हो गया है। व्यापार-सम्बन्धी नीतियों के क्षेत्र में, औद्योगिक नीति के क्षेत्र में, महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। लेकिन, मैं इस बात से सहमत हूं कि बहुत-कुछ किया जा सकता है और किया जाना चाहिए।

जहां तक दण्डात्मक कार्यवाही का सम्बन्ध है, मैं इस सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि कर-सम्बन्धी इस संकट से, कर-चोरी से कठोरतापूर्वक निपटने के लिए सभी संभव उपाय किए जाएंगे। ये उपाय केवल करों की चोरी पर ही लागू नहीं किए जाएंगे, बल्कि अन्य समाज विरोधी गतिविधियों, जैसे तस्करी आदि से भी निपटा जाएगा।

माननीय श्री भोगेन्द्र झा ने विमुद्राकरण के प्रश्न को उठाया है। सरकार का इस सुझाव को गम्भीरतापूर्वक लेने का कोई इरादा नहीं है। मुझे 1970 के दशक में विमुद्राकरण योजना को लागू करने का थोड़ा अनुभव प्राप्त है जब 1000 रुपए के नोटों का विमुद्राकरण किया गया था। इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इन बातों ने हमारी मुद्रा में लोगों के विश्वास को कमजोर बना दिया। वे इस समस्या की जड़ के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं करते। इसलिए, मैं समझता हूं कि चाहे इरादे कितने ही नेक क्यों न हों, यह सुझाव हमारी सरकार को पूरी तरह अस्वीकार्य है।

ये कुछ प्रश्न हैं जो यहां उठाए गए हैं। श्री गिरधारी लाल भार्गव ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं और कहा है कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी विशेष क्षेत्र में प्राप्त किए गए काले धन का उपयोग उस क्षेत्र में गन्दी बस्तियां हटाने से सम्बन्धित कार्यक्रम के लिए किया जाना चाहिए। मैं निश्चित रूप से इस सुझाव को, जब इस योजना को लागू करने का समय आएगा, याद रखूंगा।

अनेक सदस्यों ने यह सन्देह व्यक्त किया है कि यह योजना सफल नहीं हो सकती है। ठीक है, मैं कोई पैगम्बर नहीं हूं और न ही मेरा ज्योतिष में विश्वास है। मेरा विचार है कि इसे एक मौका दिया जाए।

इन शब्दों के साथ, मैं यह विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा की स्वीकृति के लिए पेश करूंगा। मैं संशोधन संख्या 2, 3 और 4 को सभा में मतदान के लिए पेश कर रहा हूं।

संशोधन संख्या 2 से 4 तक मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय आवास बैंक के पास स्वैच्छिक निक्षेप करने वाले व्यक्तियों को कुछ उन्मुक्तियों और ऐसे निक्षेपों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष करों में कुछ छूटों का उपबन्ध करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में विधेयक पर खंडवार विचार किया जाएगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 5 तक विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 5 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि विधेयक पारित किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : जो मैंने कहा था कि 500 रुपए का नोट रद्द करने की सोचते हैं और 31 दिसम्बर के बाद कोई कड़ी कार्रवाई करेंगे ? इन दो बातों का जवाब दे दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री भोगेन्द्र झा, आपने बहुत लम्बा भाषण दिया। कृपया बैठ जाएं।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में नियम 377 के अधीन मामले लिए जाएंगे।

00.48 म० पू०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) नाइजीरिया द्वारा भारतीय छात्रों को प्रदान की गई चिकित्सा उपाधियों को मान्यता देने की आवश्यकता

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : अध्यक्ष महोदय, सैकड़ों भारतीय छात्रों, जिन्होंने नाइजीरिया से मेडिकल विशेषकर एम० बी० बी० एस० की डिग्रियां ली हैं को इसलिए इस देश में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है कि उन डिग्रियों को अभी तक भारत सरकार से मान्यता नहीं मिली है। वहां की राजनैतिक स्थिति के कारण इन छात्रों को इस देश में लौटने के लिए बाध्य होना पड़ा है। सरकार के पास उपर्युक्त छात्रों की मेडिकल डिग्री को मान्यता देने का प्रश्न पिछले अनेक वर्षों से लम्बित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय तथा भारतीय चिकित्सा संघ को कई अभ्यावेदन दिए गए हैं। अन्तत: यह निर्णय किया गया था कि वस्तु स्थिति का अध्ययन करने हेतु एक दल नाइजीरिया की यात्रा करे। छात्र बहुत परेशान हैं तथा इस मामले में और अधिक विलम्ब करने से उनको गैर-वाजिब कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए, मैं सरकार से अविलम्ब समस्या की जांच करने तथा उपर्युक्त डिग्रियों को तत्काल मान्यता प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

[अनुवाद]

(दो) बिलासपुर (मध्य प्रदेश) विश्वविद्यालय को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री खेलन राम जांगड़े (बिलासपुर) : अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर मध्य प्रदेश का एक पिछड़ा हुआ हरिजन, आदिवासी बहुल जिला है, जहां पूरे संभाग में एकमात्र गुरु छाजी दास विश्वविद्यालय है। वहां तकनीकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है और चिकित्सा शिक्षा की भी कमी है।

केन्द्रीय सरकार उक्त विश्वविद्यालय से पूर्ण रूप से सभी प्रकार की शिक्षा सम्बन्धी सुविधा देने हेतु व्यवस्था कराए तथा इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता दे।

(तीन) पूना-मिराज-कोल्हापुर रेलवे सेक्शन को सेन्ट्रल जोन के अन्तर्गत लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण (कराड़) : महोदय, पूना-मिराज-कोल्हापुर बड़ी रेलवे लाइन इस

समय दक्षिण-मध्य क्षेत्र के अन्तर्गत है। इसका क्षेत्रीय मुख्यालय सिकन्दराबाद में है। संभागीय मुख्यालय हुबली में है जो मीटर-गेज लाइन पर है। इस सेक्शन को मध्य क्षेत्र के अन्तर्गत लाने हेतु क्षेत्र के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों, यात्रियों, उद्योग तथा रेलवे कर्मचारियों की ओर से काफी समय से मांग की जाती रही है। सिकन्दराबाद बहुत दूर होने तथा रेल द्वारा ठीक से जुड़ा नहीं होने के कारण दावों के निपटारे, यात्री सुविधाओं तथा पेंशन के मामलों में बड़ी असुविधा होती है। पूना और मिराज के दोनों टर्मिनल स्टेशन पहले ही मध्य क्षेत्र के अन्तर्गत हैं, किन्तु उनके बीच का रेल मार्ग नहीं है। यह पश्चिम की सर्वाधिक दूर स्थित रेल लाइन है, जबकि वाडी तक के स्टेशन मध्य क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। यह परिवर्तन कर देने से दोनों क्षेत्रों के अन्तर्गत की दूरी लगभग समान हो जाएगी। इससे प्रशासनिक कार्य-कुशलता में वृद्धि होगी तथा उपभोक्ताओं की असुविधाएं भी कम होंगी। सरकार को स्थिति की पुनरीक्षा करनी चाहिए तथा समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों की बैठक बुलायी जानी चाहिए।

(चार) **उत्तर प्रदेश सरकार को प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा कर राष्ट्रीय स्तर के बराबर लाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति औसत आय राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति औसत आय के अनुपात में निरन्तर गिर रही है। वर्ष 1950-51 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति औसत आय 270.50 थी। जबकि अखिल भारतीय स्तर पर 295.8 थी। उत्तर प्रदेश, देश में आठवें स्थान पर था। राष्ट्रीय औसत से 25.3 की कमी थी।

वर्ष 1990 के अन्त तक उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 668 रु० हो गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत आय 895 रु० है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से 227 रु० कम है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक विकास गति 6 प्रतिशत की मानी गई है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 1096 रु० हो जाने की सम्भावना है। जबकि इसी दर पर उत्तर प्रदेश की आय 288 रु० कम हो जाने की सम्भावना है। देश के 25 प्रदेशों में बिहार को छोड़ कर उत्तर प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में सबसे नीचे आ गया है।

उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में निरन्तर गिरावट का कारण प्रदेश को आवंटित धन की कमी रही है।

अतः केन्द्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि वह उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता देकर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आय के समकक्ष करे।

(पांच) **एक अलग बोडोलैंड राज्य बनाए जाने की आवश्यकता**

[अनुवाद]

श्री सत्येन्द्रनाथ ब्रह्मो चौधरी (कोकराझार) : महोदय, मैं आल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन तथा बोडो पीपुल्स एक्शन कमेटी की ओर से, पृथक् बोडो राज्य की मांग को दोहराता हूं। यह मांग बिल्कुल

रूप से संवैधानिक है तथा हम भारत के संविधान का पालन करने का वायदा करते है तथा भारत में गरिमामय नागरिकों की भांति रहना चाहते हैं।

मैं सदन से इस मामले मे गम्भीर रूप से विचार करने तथा बोडो लोगों और असम के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के अन्य आदिवासियों को लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान करने की अपील करता हूं। क्षेत्र में स्थायी शांति तथा सामान्य स्थिति बहाल करने और निरन्तर बढ़ रहे अलगाववादी विचारों के खतरों से लड़ने हेतु एक पृथक् बोडोलैंड बनाए जाने पर जोर दिया जाए।

(व्यवधान)

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : छुट्टी वाले दिन इतनी देर तक काम करके हमने एक रिकार्ड बनाया है।

(व्यवधान)

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : 'ससद मे आज' को आज भी दिखाया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा अब सोमवार 16 सितम्बर, 1991 के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

00.53 म० पू०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 16 सितम्बर, 1991/भाद्र 25, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : दि इण्डियन प्रैस, देहली।